



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.टी.सी.सी. सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4<sup>th</sup> फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023  
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4<sup>th</sup> Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023  
Website: [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in), [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)

No.EEC/2025/E-1190921 / 4278204

Dated: 08/07/2026

To,

All Additional Central P. F. Commissioners (Zones),  
All Regional Provident Fund Commissioners-In-Charge of ROs

**Subject: Implementation of Employees' Enrolment Campaign, 2026 –Notification No. G.S.R. 525(E), G.S.R. 526(E) and G.S.R. 527(E) dated 29.06.2026-reg.**

Sir/Madam,

Vide Notifications No. G.S.R. 525(E), G.S.R. 526(E) and G.S.R. 527(E) dated 29.06.2026, the Ministry of Labour & Employment, Government of India, has notified the issuance of the Employees' Enrolment Campaign, 2026 under the relevant provisions of the Code on Social Security 2020. A copy of the aforementioned notifications is attached for information and necessary action by all concerned.

The salient features of the Employees' Enrolment Campaign, 2026 are summarised below for information, necessary action, and wide dissemination:

1. The scheme shall commence on 1st July, 2026, and cease on 31st October, 2026.
2. Objective of the Scheme is to provide a special window for employers to voluntarily enroll eligible employees, who were left out from EPF coverage during the period 01.04.2009 to 31.03.2026, and to regularize their past compliance.
3. The Scheme applies to all establishments, irrespective of existing coverage status.
4. Employers may apply for EPF coverage if not previously covered and then declare and enroll employees who joined between 01.04.2009 and 31.03.2026.
5. Mandatory condition for implementation is that the employers must generate Face Authentication-based UAN through UMANG App for each declared employee and remit contributions using Electronic Challan-cum-Return (ECR).
6. The declaration can be filed online only via EPFO portal, linking ECR with a Temporary Return Reference Number (TRRN).
7. A lump sum damage of ₹100 for each defaulting establishment shall be construed as compliance across the three schemes
8. Under the scheme, Employee Share stands waived for the declared period, only if not deducted earlier.

9. Employer is liable to deposit only the employer's share, along with interest (under Sec 7Q of the repealed Act or section 127 of the Code, as the case may be) and administrative charges as well as Damages amounting to lump-sum of ₹ 100.
10. Multiple declarations are permitted.
11. The declaration can be made only in respect of such employees, which are alive and still working with the said establishment on the date of declaration.
12. All establishments are eligible to participate in the proposed Scheme irrespective of the fact whether any establishment is facing inquiries under section 7A of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or under section 125 of the Code, Para-11 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or paragraph 26-B of Employees' Provident Funds Scheme, 1952, paragraph-8 of the Employees' Pension Scheme, 2026 or paragraph-8 of Employees' Pension Scheme, 1995, as the case may be. However, in case, declaration is given by employer pertaining to the stipulated period of inquiry, the benefits under the EEC, 2026 shall be confined to limiting the damages to the extent of notional damages of Rs.100/-
13. No suo-motu action shall be initiated for employees who exited prior to declaration.
14. Employers declaring employees or registering afresh under this campaign shall also be eligible for benefits under PM-VBRY, subject to terms and conditions of PM-VBRY as specified in the scheme.

It is requested to ensure dissemination of the scheme to all establishments under jurisdiction, facilitate awareness campaigns/webinars for employers and stakeholders, set up dedicated helpdesks to address queries and assist with UAN generation, portal access, and declaration filing, monitor and ensure timely processing of declarations and submissions under the campaign.

[This issues with the approval of CPFC]

Enclosures:

- i. Copy of G.S.R. 525(E) dated 29.06.2026
- ii. Copy of G.S.R. 526(E) dated 29.06.2026
- iii. Copy of G.S.R. 527(E) dated 29.06.2026



(P B Verma)

**Additional Central P.F. Commissioner (Compliance)**

Copy to:

- a. PS to CPFC for information.
- b. PS to FA&CAO for information.
- c. All Zonal Heads to facilitate employers (through EPFO website)
- d. All Other Officers of EPFO for information (through EPFO website)
- e. ACC HQ(IS) to place the PDF of this communication in the Employer and Member Portal
- f. ACC HQ (C& PR) with request for wide publicity.
- g. Web-admin for uploading on EPFO website



(Arun Kumar)

**Regional P.F. Commissioner (Compliance)**



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273957  
CG-DL-E-01072026-273957

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 473]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

**सा.का.नि. 525(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

## अध्याय I प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना.** – (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी।

(3) संहिता की धारा 20, 21 और धारा 143 के उपबंधों के अधीन, यह स्कीम लागू होगी -

(i) प्रत्येक उस स्थापना पर, जिस पर संहिता का अध्याय III लागू होता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वामित्व वाले या उनके नियंत्रणाधीन, अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित प्रत्येक स्थापना पर, जो संहिता की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों की संख्या नियोजित करती है और जिनके कर्मचारी, उस विधि के अधीन बनाई गई किसी स्कीम या नियमों के अनुसार, अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों हेतु पात्र नहीं हैं।

2. **परिभाषाएं .** – (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" से संबंधित स्थापना का ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे स्थापना के नियोक्ता द्वारा नियोक्ता या स्थापना की ओर से, जैसा भी मामला हो, किसी विवरणी या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिक रूप से अधिकार दिया गया है, और ऐसे कार्य नियोक्ता के साथ-साथ स्थापना पर भी विधिक रूप से बाध्यकारी होंगे;

(ख) "न्यासी बोर्ड" से धारा 143 की उप-धारा (5) के अधीन गठित न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनी विधिक इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "बालक" का तात्पर्य विधिमान्य संतानों से है और इसमें गोद ली गई संतानें भी सम्मिलित हैं, यदि आयुक्त संतुष्ट है कि सदस्य के स्वीय विधि के अधीन बालक को गोद लेना विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है;

(घ) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अभिप्रेत है;

(ङ) "आयुक्त" से संहिता की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है;

(च) "अपवर्जित कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जो—

(i) ऐसा कर्मचारी जिसकी मजदूरी, उस समय जब वह फंड का सदस्य बनने का हकदार होता है, संहिता के अधीन तय मजदूरी की सीमा से ज्यादा हो;

(ii) किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार के मामले में, जो अपने मूल देश के नागरिक या निवासी के रूप में, उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में अभिदाय देता है जिसके साथ भारत ने—

(अ) पारस्परिक आधार पर एक सामाजिक सुरक्षा करार किया है, और जो ऐसे करार में विनिर्दिष्ट अवधि और शर्तों के लिए एक 'डिटैच्ड वर्कर' के दर्जे का लाभ उठाता है; या

(आ) 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित खंड वाले किसी द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार में प्रवेश किया है, जो विशेष रूप से दोनों में से किसी भी देश के प्राकृतिक व्यक्तियों को मेजबान देश के सामाजिक सुरक्षा कोष में अभिदाय करने से छूट प्रदान करता है;

(छ) "छूट प्राप्त स्थापना" से संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापना अभिप्रेत है;

(ज) "वित्तीय वर्ष" से अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(झ) "निधि" से इस स्कीम के अधीन स्थापित भविष्य निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी" से—

(i) भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई अन्य कर्मचारी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट से भिन्न कोई अन्य पासपोर्ट हो, जो भारत में किसी स्थापना में कार्यरत हो, जिस पर संहिता लागू होती है;

(ii) कोई भारतीय कर्मचारी जो किसी ऐसे विदेशी देश में काम कर चुका है अथवा काम करने जा रहा है जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है और जो उक्त समझौते के अधीन प्राप्त पात्रता के आधार पर अथवा प्राप्त करने जा रहा है, उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन फायदा प्राप्त करने का पात्र है;

परन्तु वह कामगार जो 1950 की शांति और मैत्री संधि के कारण नेपाली नागरिक है और वह कामगार जो 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के कारण भूटानी नागरिक है, भारतीय कामगार माना जाएगा;

(ट) "सदस्य" से निधि के सदस्य अभिप्रेत है;

(ठ) "प्रधान नियोक्ता" से ऐसा नियोक्ता अभिप्रेत है जिसके साथ कर्मचारी किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित हैं और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: -

- (i) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध में, उस कार्यालय या विभाग का प्रमुख या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;
- (ii) किसी कारखाने में, कारखाने का स्वामी या पट्टेदार और जहां किसी व्यक्ति को कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, वहां इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति;
- (iii) किसी खदान में, खदान का मालिक या एजेंट;
- (iv) किसी दूसरी स्थापना के संबंध में, कोई भी व्यक्ति जिसका उस स्थापना के मामलों पर पूरा नियंत्रण हो।

(ड) "निरसित अधिनियम" से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) अभिप्रेत है;

(ढ) "स्कीम" से संहिता की धारा 15 के अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम अभिप्रेत है;

(ण) "सेबी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन की गई थी।

(त) "ट्रस्टी" से "ट्रस्टी बोर्ड" का सदस्य अभिप्रेत है; और

(थ) "यूनिवर्सल अकाउंट नंबर" (यूएएन) से केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से किसी कर्मचारी को स्थायी आधार पर आवंटित पहचान संख्या अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता और उसके अधीन विरचित नियमों में हैं।

## अध्याय II केंद्रीय बोर्ड के अधिकारी

**3. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी.** – केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, अपने कार्यालय से असंबद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे।

4. **क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालय.** – केंद्रीय बोर्ड, स्कीम को लागू करने के लिए ज़रूरी समझे जाने वाले क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यालय स्थापित कर सकता है और ऐसे कार्यालयों के कार्यों और कर्तव्यों को तय कर सकता है।
5. **केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.** – केंद्रीय बोर्ड, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के बराबर के स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।
6. **केंद्रीय बोर्ड को नियुक्तियों की जानकारी.** – अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सभी नियुक्तियों से संबंधित संदर्भों को जानकारी के लिए केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा।
7. **आयुक्त की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां.** – (1) केंद्रीय बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए बजट आवंटन और सीमाओं के अधीन रहते हुए, आयुक्त, निधि के संचालन के लिए ज़रूरी आकस्मिक खर्चों, सामान, सेवाओं और खरीद पर खर्च को मंजूरी देगा।  
(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा उप-पैरा (1) में निहित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
8. **स्टाफ़ भविष्य निधि और अन्य फायदे.** – केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अधीन स्थापित 'स्टाफ़ भविष्य निधि' और 'पेंशन-सह-ग्रेच्युटी और निधि' तथा 'कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952' (1952 का 19) के अधीन केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लाभ के लिए गठित किसी भी अन्य निधि को, संहिता की धारा 120 की उप-धारा (4) के अनुसार गठित माना जाएगा।

### अध्याय III

#### सदस्यता

9. **निधि की सदस्यता.** – इस स्कीम के पैरा 2(च) के अधीन –

- (1) प्रत्येक कर्मचारी, जो उक्त स्कीम की समाप्ति की तिथि तक क.भ.नि. स्कीम, 1952 का सदस्य था या उसका सदस्य होना आवश्यक था, इस स्कीम का सदस्य होगा।
- (2) किसी भी स्थापना में या उसके कार्य के संबंध में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी, जिस पर यह स्कीम लागू होती है, उस दिन से निधि का सदस्य बनने का पात्र है और ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य है, जिस दिन से यह स्कीम उस स्थापना में लागू होती है या स्थापना में कार्यरत होने की तिथि से, जो भी बाद में हो।
- (3) प्रत्येक अपवर्जित कर्मचारी या छूट प्राप्त कर्मचारी, अपवर्जित या छूट प्राप्त कर्मचारी न रहने के तत्काल पश्चात से इस निधि का सदस्य बन जाएगा।
- (4) इस पैरा में किसी भी बात के होने के बावजूद, कोई भी कर्मचारी और उसका नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को सदस्य के रूप में नामांकित करने या उसे वेतन सीमा से अधिक वेतन पर अभिदान करने की अनुमति देने के लिए लिखित में संयुक्त अनुरोध कर सकते हैं; और उसके पश्चात ऐसा कर्मचारी निधि के लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा और निधि की शर्तों के अधीन होगा;

परंतु नियोक्ता प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करेगा और ऐसे कर्मचारी के संबंध में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगा।

- (5) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार,–

- (i) जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का सदस्य था, वह इस स्कीम का सदस्य होगा;
- (ii) जो किसी ऐसी स्थापना में या उसके कार्य के संबंध में नियोजित है जिस पर यह स्कीम लागू होती है, वह ऐसी स्थापना में या स्थापना में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी पश्चात में हो, इस स्कीम का सदस्य बनने का पात्र होगा और उसके लिए सदस्य बनना अनिवार्य होगा;
- (iii) जो एक अपवर्जित कर्मचारी या छूट प्राप्त कर्मचारी है, वह अपवर्जित कर्मचारी या छूट प्राप्त कर्मचारी न रहने के तत्काल पश्चात इस स्कीम का सदस्य बन जाएगा।

(6) किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार के मामले में, नीचे दी गई सारणी में सूचीबद्ध देश में रोजगार गतिविधि करने वाला कोई कर्मचारी, जिसने भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा अभिदाय पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जो इस संहिता के अधीन है, वह नियोक्ता के साथ मिलकर संहिता की धारा 2 की उप-धारा 88 में यथापरिभाषित कुल वेतन पर अभिदाय का भुगतान करेगा, यदि वे उक्त समझौते के अधीन डिटेचमेंट का लाभ उठाने के इच्छुक हैं।

सारणी

क्रम सं	देश का काम
1.	यूनाइटेड किंगडम-ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड

**10. सदस्यता का बने रहना.** - (1) स्कीम का सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा, जब तक कि वह पैरा 49 के अधीन निधि में जमा अपनी राशि को निकाल नहीं लेता है, या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की अधिसूचना या स्कीम के पैरा 12 के अधीन छूट के आदेश के दायरे में नहीं आता है;

(2) कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार इस स्कीम का सदस्य तब तक बना रहेगा, जब तक कि—

(i) वह पैरा 49 के अधीन, निधि में अपने खाते में जमा संपूर्ण राशि को आहरित नहीं कर लेता;

(ii) वह संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की अधिसूचना या इस स्कीम के पैरा 12 के अधीन छूट के आदेश के दायरे में नहीं आ जाता; या

(iii) भारत और उसके मूल देश के मध्य किए गए सामाजिक सुरक्षा समझौते के प्रावधानों के अधीन लाभों का निपटारा नहीं हो जाता।

**11. सदस्यता के संबंध में प्रश्नों का समाधान.** - (1) जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई कर्मचारी सदस्य बनने या बने रहने का पात्र है या उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है, या उस तिथि के संबंध में जिससे वह सदस्य बनने का पात्र है या उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात इस पर निर्णय देगा:

परंतु यदि इस तरह के विवाद में यह भी सम्मिलित है कि क.भ.नि. स्कीम, 1952 के अधीन आने वाले या आ सकने वाली किसी स्थापना में या उसके कार्य के संबंध में कार्यरत कोई कर्मचारी, उक्त स्कीम की समाप्ति की तिथि तक निधि का सदस्य बनने का पात्र या उसके लिए आवश्यक था, तो उस अवधि के लिए समाप्त हो चुकी स्कीम के सदस्यता नियमों के अनुसार इसका समाधान किया जाएगा।

(2) अंतर्राष्ट्रीय कामगार के मामले में, यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कामगार सदस्य बनने या बने रहने का पात्र है अथवा उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है, या उस तिथि के संबंध में जिससे वह कामगार इस प्रकार सदस्य बनने का पात्र है या उसके लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो उक्त मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो नियोक्ता और अंतर्राष्ट्रीय कामगार दोनों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले का निर्णय करेंगे और ऐसी कोई भी सुनवाई भारत में होगी:

परंतु यदि इस विवाद में यह प्रश्न सम्मिलित है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के दायरे में आने वाली या आ सकने वाली किसी स्थापना में या उसके काम से जुड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार को उक्त स्कीम के बंद होने की तारीख तक निधि का सदस्य बनने का अधिकार था या उसके लिए ऐसा करना जरूरी था, तो इसका फैसला बंद हो चुकी स्कीम के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और इसे इस स्कीम के लाभों के लिए सदस्यता माना जाएगा।

(3) उप पैरा (1) और (2) के अधीन कोई भी कार्रवाई विवाद उत्पन्न होने की कथित तिथि के पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात शुरू नहीं की जाएगी।

परंतु इस स्कीम के प्रारंभ होने के समय क.भ.नि. स्कीम, 1952 के पैरा 26बी के अधीन चल रही सभी विद्यमान जांच या सुनवाई, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष के भीतर समाप्त की जाएगी।

**अध्याय-IV****छूट**

**12. कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को छूट.** – (1) कर्मचारी से प्रपत्र-1 में आवेदन प्राप्त होने पर, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, इस स्कीम के सभी या किसी भी उपबंध के संचालन से छूट दे सकती है:

परंतु ऐसी छूट प्रदान की जाएगी जहां कर्मचारी उस स्थापना के नियमों के अधीन लाभों का हकदार है जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से संहिता और इस स्कीम के अधीन प्रदान किए गए लाभों के समान या बेहतर हैं।

परंतु यह भी कि उप-पैरा (1) के अधीन छूट प्राप्त कोई कर्मचारी, आयुक्त को आवेदन करके यह घोषणा कर सकता है कि वह निधि का सदस्य बनना चाहता है।

परंतु यह भी कि किसी भी कर्मचारी को एक ही खाते पर एक से अधिक बार ऐसी छूट प्रदान नहीं की जाएगी या छूट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) जहां छूट दी जाती है, नियोक्ता -

- (i) खातों का रखरखाव करें;
- (ii) प्रपत्र-2 में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में विवरणी जमा करें;
- (iii) निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करें;
- (iv) निरीक्षण फीस का भुगतान करें; और
- (v) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देशित रीति से भविष्य निधि संग्रह विनिधान करें।

(3) कर्मचारियों के किसी वर्ग को तब तक कोई छूट नहीं दी जाएगी, जब तक की स्थापना द्वारा ऐसे कर्मचारियों के बहुमत की सहमति प्रस्तुत न कर दी जाए।

**13. छूट के पश्चात नियम और शर्तें.** – (1) नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए अपनी अध्यक्षता में एक न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

- (2) न्यासी बोर्ड प्राप्ति और भुगतानों और शेष रकम के लेखांकन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा।
- (3) न्यासी बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार होगी, और यह उन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा जो केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी किए जाएं और न्यासी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को प्रपत्र-3 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) छूट प्राप्त स्थापना का नियोक्ता छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों से भिन्न संहिता की धारा 16, 125, 128 और 129 का अनुपालन करेगा और किसी भी उल्लंघन पर संहिता की धारा 133 के अधीन जुर्माना लगाया जाएगा।
- (5) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर नियोक्ता निरीक्षण प्रभार का भुगतान करेगा।
- (6) कर्मचारी, जो यदि स्थापना को छूट न दी गई होती, तो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र होते— उन्हें सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा।
- (7) नियोक्ता, नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा देय अंशदानों को, उस महीने के पश्चात के प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित करेगा, जिसके लिए अभिदाय देय हैं, अन्यथा नियोक्ता संहिता की धारा 127 और 128 के अधीन ब्याज और क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

- (8) नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित व्यय वहन करेगा और ट्रस्ट फंड को होने वाले किसी भी हानि की प्रतिपूर्ति करेगा।
- (9) न्यासी बोर्ड वार्षिक रूप से ब्याज दर घोषित करेगा, जो उस वर्ष के लिए अर्जित आय के अनुरूप होगी, और यह केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर से 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होगी।
- (10) ब्याज प्रत्येक सदस्य के खाते में सदस्य के मासिक चल शेष पर जमा किया जाएगा और किसी भी कमी को नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (11) नियोक्ता कर्मचारियों को निधि के नियमों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करेगा, साथ ही अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में इसका अनुवाद भी करेगा।
- (12) न्यासी इलेक्ट्रॉनिक रूप से खातों का रख-रखाव करेंगे, वित्तीय वर्ष के समापन के दो महीने के भीतर वार्षिक विवरण जारी करेंगे और कर्मचारियों को अपनी शेष रकम ऑनलाइन एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
- (13) नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों में कोई भी संशोधन जो स्थापना के विद्यमान नियमों की तुलना में अधिक फायदेमंद है, स्वचालित रूप से कर्मचारी पर लागू होगा और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सूचित किया जाएगा।
- (14) नियोक्ता, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किसी भी नियम के बारे में सूचित करेगा जो स्थापना के विद्यमान नियमों से अधिक लाभकारी प्रतीत नहीं होता है और उसके बाद, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को नोटिस जारी करने के पश्चात एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाएगा।
- (15) प्रत्याहरण, अग्रिम और अंतरण के लिए सभी दावे, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (16) स्थापना ऑनलाइन दावा निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जिसका निपटान इस स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
- (17) न्यासी बोर्ड जमा किए गए अभिदाय , किए गए आहरण और अर्जित ब्याज को दर्शाने वाला विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक खाता बनाएगा और स्थापना समय-समय पर सदस्य के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसे प्रसारित करेगी।
- (18) न्यासी बोर्ड और नियोक्ता को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट मासिक और वार्षिक विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा, ऐसा न करने पर नियोक्ता और न्यासी बोर्ड को पहली बार में सुधार के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात उल्लंघन के मामले में, दो सौ रुपये प्रतिदिन का फीस और आगे के उल्लंघनों के मामले में, पांच सौ रुपये प्रतिदिन का फीस लगाया जाएगा, जो उस महीने के लिए देय निरीक्षण फीस की अधिकतम रकम के अधीन होगा, जिससे ऐसा विवरणी संबंधित है।
- (19) न्यासी बोर्ड, केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार निधि का विनिधान करेगा और अनुपालन में विफलता नियोक्ता और न्यासी बोर्ड को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिभार के लिए उत्तरदायी बनाएगी।
- (20) प्रतिभूतियां न्यास के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और वि-भौतिकीकृत रूप में होंगी।

- (21) ब्याज की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रिप-वार रजिस्टर रखा जाएगा।
- (22) एक वि-भौतिकीकृत खाता भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से खोला जाएगा।
- (23) वि-भौतिकीकृत खाते के रखरखाव की लागत और अन्य विनिधान लागतों को ट्रस्ट द्वारा विनिधान की आनुषंगिक लागत के रूप में माना जाएगा।
- (24) प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स सहित सभी विनिधान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जमा किए जाएंगे जो संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे और स्थापना के बंद होने या परिसमापन या इस स्कीम से छूट रद्द होने पर, नियोक्ता न्यास के नाम पर दर्ज निवेशों को संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को नकद में अंतरित करेगा।
- (25) छूट प्राप्त स्थापना, संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के संबंध में जानकारी देंगे, जिनके साथ विनिधान जमा किए जाते हैं और न्यासी बोर्ड अनिवार्य खर्चों के लिए आवश्यक रकम जुटा सकता है, जैसे कि दावों का निपटान, अग्रिम अनुदान, जमा रकम का अंतरण या छूट का निरस्तीकरण, परंतु इसकी सूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऑनलाइन दी जाए।
- (26) न्यास द्वारा किए गए निवेशों के लिए वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कोई भी कमीशन, प्रोत्साहन, बोनस या अन्य आर्थिक लाभ न्यास के खाते में जमा किया जाएगा।
- (27) छूट देते समय, नियोक्ता और न्यासी बोर्ड क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को **प्रपत्र-4** में एक लिखित वचन देंगे, ताकि शर्तों का पालन किया जा सके और यह वचन नियोक्ता, न्यासी बोर्ड और उनके उत्तराधिकारियों और नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पर विधिक रूप से बाध्यकारी होगा।
- (28) नियोक्ता और न्यासी बोर्ड यह भी वचन देंगे कि वे संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तत्काल निधि का अंतरण करेंगे।
- (29) पूर्वव्यापी निरस्तीकरण या छूट आदेशों की वापसी की स्थिति में, कोई नुकसान या ब्याज नहीं लगाया जाएगा, परंतु स्थापना से न्यासी बोर्ड को धन के अंतरण में या प्रत्येक कर्मचारी के क्रेडिट में संचय के अंतरण में, अधिशेष या आरक्षित को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरित में कोई देरी न हो।
- (30) नियोक्ता और न्यासी बोर्ड किसी भी निष्क्रिय खाते और गैर-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) खाते में कुल जमा रकम को ब्याज सहित एक महीने के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरित करेंगे।
- (31) भविष्य निधि के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जहां आवश्यक हो, पुनः लेखा परीक्षण का आदेश दे सकते हैं और एक ही लेखा परीक्षक को लगातार दो वर्षों के लिए और छह वर्ष के ब्लॉक में दो वर्ष से अधिक के लिए नहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (32) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष के समापन से छह महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।
- (33) लेखांकन प्रारूप भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के परामर्श से केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (34) छूट को रद्द करने की कार्रवाई, शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, अंतिम उपाय के रूप में होगी, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि जहां घोषित अभिदाय या ब्याज की दर संहिता के अधीन है या दावा

विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं निपटाया जाता है, लेकिन जहां सुधार नोटिस में दिए गए समय के भीतर कमियों को सुधारा जाता है वहां रद्द नहीं किया जाएगा और स्थापना के बंद होने या परिसमापन की स्थिति में भी रद्द किया जा सकता है।

- (35) धोखाधड़ी, गबन या गलत विनिधान निर्णयों के कारण न्यास को होने वाले किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति नियोक्ता और मूल या ब्याज नुकसान द्वारा की जाएगी, नुकसान की तारीख या वित्तीय वर्ष के अंत से दो महीने के भीतर, जो भी पहले हो, की जाएगी।
- (36) छूट के रद्द होने या सरेंडर पर, सभी संचय, अधिशेष, आरक्षित और कर्मचारी जमा रकम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरित कर दी जाएगी।
- (37) जहां विलय, विभाजन, अधिग्रहण, बिक्री, एकीकरण या किसी सहायक कंपनी का गठन होता है, सक्षम विधिक फोरम के आदेश में उल्लिखित शर्तें ही, छूट की स्थिति को नियंत्रित करेगी और नए स्थापना का नियोक्ता केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके छूट जारी रखने या छूट को समर्पित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (38) जहां एक से अधिक इकाइयां, किसी ऐसे साझा भविष्य निधि न्यास में भाग लेती हैं जिसे छूट प्रदान की गई है, वहां की गई किसी भी चूक के लिए नियोक्ता और सभी न्यासी, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (39) छूट का क्रम आरम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और छूट का नवीनीकरण नियोक्ता और ट्रस्ट द्वारा आवेदन के आधार पर किया जाएगा और आम तौर पर स्वचालित होगा, यदि शर्तें संतुष्ट होती हैं, परंतु पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापना की शुद्ध संपत्ति सकारात्मक हो।
- (40) निरसित अधिनियम के अधीन छूट वाली स्थापना छूट के अनुदान के लिए पात्रता शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 की अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर निरंतरता के लिए आवेदन करेंगे।

**14. न्यासी बोर्ड की संरचना.** – (1) उस स्थापना का न्यासी बोर्ड, जिसे छूट दी गई है, उसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों में से प्रत्येक के कम से कम दो और अधिक से अधिक छह प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे:

परंतु दो या दो से अधिक स्थापना के समूह के लिए एक सामान्य भविष्य निधि के मामले में, प्रत्येक भाग लेने वाले स्थापना से कम से कम एक प्रतिनिधि होगा।

- (2) नियोक्ता, प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत अधिकारियों में से, न्यासी बोर्ड में अपने प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
- (3) न्यासी बोर्ड में, कर्मचारियों के प्रतिनिधि निम्नलिखित रीति से नामांकित या निर्वाचित किए जाएंगे, अर्थात्:

—

(क) जहां उद्योग में अनुशासन संहिता के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संघ है, वहां कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने का कार्य ऐसी संघ ही करेगी।

(ख) जहां एक से अधिक व्यापार संघ को नियोक्ता से मान्यता प्राप्त हो, वहां कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, संघ के सदस्यों द्वारा, इस प्रयोजन के लिए एक कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले निर्वाचन में किया जाएगा।

(ग) जहां कोई संघ मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत संघ स्थापना में कार्य करता है, सबसे बड़ी सदस्यता वाला संघ, न्यूनतम पंद्रह प्रतिशत के अधीन, प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा; और

(घ) जहां केवल एक रजिस्ट्रीकृत संघ है, वहां उसे प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, परंतु उसमें न्यूनतम पंद्रह प्रतिशत सदस्यता हो।

(4) नियोक्ता, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष एक निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(5) न्यासी का कार्यकाल निर्वाचन या नामांकन की तारीख से पांच वर्ष का होगा।

(6) निवर्तमान न्यासी पुनर्चुनाव या पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा और एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने या नामांकित न्यासी, उस न्यासी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर निर्वाचन या नामांकन किया गया था।

(7) कोई व्यक्ति न्यासी बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह,—

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो;

(ii) नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध का दोषी पाया गया हो;

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया हो; या

(iv) किसी छूट प्राप्त या अछूट प्राप्त स्थापना का नियोक्ता है, जिसने संहिता के अधीन किसी भी बकाया रकम के भुगतान में चूक की है।

(8) कोई व्यक्ति न्यासी नहीं रह जाएगा यदि वह,—

(i) उस स्थापना का कर्मचारी नहीं रह जाता है;

(ii) वह उस स्थापना की भविष्य निधि का सदस्य नहीं रह जाता है;

(iii) एक संघ का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रह जाती है; या

(iv) अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, जब तक कि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसी अनुपस्थिति के लिए उचित आधार विद्यमान थे।

(9) न्यासियों के निर्वाचन या नामांकन की प्रक्रिया, बैठकों में गणपूर्ती, कामकाज के लेन-देन के अभिलेख और इस स्कीम में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अन्य मामले, स्थापना के अनुमोदित भविष्य निधि नियमों और आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्ड के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(10) जहां कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है, मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जिसके पास स्थापना के प्रधान कार्यालय पर अधिकारिता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**15. छूट का विस्तार.**— (1) छूट का आदेश और उससे जुड़ी शर्तें, आरम्भ में, प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी।

(2) संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन, एक निर्धारित पोर्टल पर, छूट की अवधि समाप्त होने से कम से कम छह माह पहले किया जाना चाहिए।

(3) छूट का नवीनीकरण किया जाएगा, परंतु छूट प्रदान करने की शर्तें स्थापना और न्यास द्वारा लगातार पूरी की जाती रहें।

(4) नवीनीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक छूट देने की शर्त पूरी होती रहेगी और स्थापना की निवल संपत्ति लगातार तीन या अधिक वर्षों तक नकारात्मक नहीं होगी।

(5) नवीनीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि स्थापना छूट को रद्द करने या अभ्यर्पण करने के लिए आवेदन नहीं करती और वह आवेदन स्वीकार नहीं हो जाता; या जब तक कि केंद्रीय सरकार एक

कारणयुक्त आदेश जारी नहीं करती है जिसके पश्चात नवीनीकरण लागू होना बंद हो जाएगा और अमान्य हो जाएगा।

परंतु ऐसा कोई आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापना को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

**16. छूट की समाप्ति और अभ्यर्पण.** – (1) इस स्कीम में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी छूट प्राप्त स्थापना का नियोक्ता, चाहे उसे अपने सभी कर्मचारियों के लिए, या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए, या किसी एक कर्मचारी के लिए छूट मिली हो, जैसा भी मामला हो, संहिता के अध्याय 3 के अधीन प्राप्त छूट को वापस करने के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकता है; भले ही छूट की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो या न हुआ हो।

परंतु आवेदन करने से पहले, स्थापना और संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों की जानकारी के लिए इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।

(2) समुचित सरकार, ऐसा आवेदन मिलने पर, नियोक्ता को आवेदन में विनिर्दिष्ट तारीख से निधि में अभिदाय जमा करने की अनुमति दे सकती है, और छूट रद्द करने के आवेदन पर कार्रवाई कर सकती है;

परंतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियोक्ता और न्यासी बोर्ड को यह अनुमति दे सकता है कि वे संहिता की धारा 143 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट निधि से प्रत्येक कर्मचारी की संचित रकम के साथ पिछली संचित रकम, तथा अधिशेष और आरक्षित निधियों को निधि में अंतरित कर दें।

(3) नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, समुचित सरकार द्वारा रद्दीकरण आदेश जारी होने तक, प्रत्येक कर्मचारी के संचय के साथ छूट प्राप्त निधि से अधिशेष और आरक्षित निधियों को इस स्कीम के अधीन सांविधिक निधि में अंतरित करेंगे; और तत्पश्चात ऐसे छूट प्राप्त कर्मचारी, निधि के सदस्य बन जाएंगे।

(4) किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग को, एक ही खाते के संबंध में, एक से अधिक बार छूट प्रदान नहीं की जाएगी, और न ही उन्हें छूट छोड़ने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

(5) किसी भी स्थापना को 10 वर्ष की अवधि के भीतर, एक ही खाते पर एक से अधिक बार छूट नहीं दी जाएगी, और न ही उसे छूट से बाहर निकलने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी;

(6) छूट दिए जाने के लिए, बाद में किए गए अनुरोध के समय, स्थापना को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसने अनुरोध की तिथि से ठीक पहले के लगातार तीन वर्ष की अवधि के दौरान, छूट दिए जाने की शर्तों का पालन किया है।

**17. विद्यमान भविष्य निधियों से संचित रकम का अंतरण.** – (1) कोई भी प्राधिकारी, जो किसी ऐसे विद्यमान भविष्य निधि का प्रभारी है या जिसके प्रबंधन का दायित्व उसे सौंपा गया है, जिसकी संचित रकम इस स्कीम के अधीन 'निधि' में अंतरित की जानी है, वह:

(i) आयुक्त को एक विवरण भेजे, जिसमें इस स्कीम के आवेदन या छूट की रद्दीकरण के पच्चीस दिनों के भीतर, अंतरण की तारीख को प्रत्येक अंशदाता के खाते में जमा रकम, आम तौर पर ग्राहकों के जमा में उस तारीख को कुल संचय और अग्रिम, यदि कोई ग्राहकों द्वारा हो, लिया गया है; दर्शाया जाए।

(ii) उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, प्रत्येक स्थापना के संबंध में अंशदाताओं के खाते में जमा कुल संचय को, स्कीम के लागू होने या छूट के रद्द होने, बैंक में नकदी उपलब्ध होने की स्थिति में दस दिन के भीतर और प्रतिभूतियों के मामले में तीस दिन के भीतर, निधि में अंतरण करना, और

- (iii) उक्त संचयों से संबंधित सभी पासबुक, लेखा-पुस्तकें और अन्य दस्तावेज़ केंद्रीय बोर्ड को अंतरित करना।
- (2) अंशदाताओं के खाते में जमा समस्त संचय, चाहे वे किसी भी प्रकार से निवेशित हों, नकद रूप में निधि को अंतरित किए जाएंगे;
- परंतु यदि जहां ऐसे जमा का पूरा या कोई हिस्सा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों या राष्ट्रीय स्कीम बचत प्रमाण-पत्रों में निवेशित है, तो अंतरण के समय, ऐसे प्रमाण-पत्रों के बढ़े हुए मूल्य को अंतरण की जाने वाली संचयी रकम निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा;
- परंतु ऐसे प्रमाण-पत्रों के अंकित मूल्य और अंतरण के समय उनके बढ़े हुए मूल्य के बीच का अंतर पहले ही अंशदाताओं के खातों में जमा कर दिया गया हो।
- परंतु यह और कि जहां ऐसे संचय का पूरा या कोई हिस्सा प्रतिभूतियों में विनिधान से मिलकर बना है, वहां केंद्रीय सरकार, असाधारण मामलों में, ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण को उस मूल्य पर स्वीकार करने की अनुमति दे सकती है जिस पर उन्हें वास्तव में खरीदा गया था।
- स्पष्टीकरण:* शंकाओं को दूर करने के लिए, भविष्य निधि में जमा कुल रकम में उस पर मिलने वाला ब्याज भी सम्मिलित होता है और निधि का प्रभारी प्राधिकारी, विनिधान पर मिलने वाले ब्याज की उस शेष रकम को नकद में अंतरित करेगा, जो अंतरण की तारीख तक बांटी नहीं गई हो, या जो केंद्रीय बोर्ड के नाम पर प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण से पहले की अवधि के लिए प्राप्त हो चुकी हो या प्राप्त होने योग्य हो।
- (iii) उप-पैरा (2) के अधीन अंतरित की गई कोई भी संचय रकम, केंद्रीय बोर्ड के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (iv) इस पैरा के अनुसार निधि में अंतरित की गई संचय रकम को, निधि के प्रत्येक सदस्य के खाते में, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण को ध्यान में रखते हुए, उस सीमा तक जिसके वह पात्र हैं, जमा किया जाएगा।

## अध्याय 5

### अभिदाय और प्रभार

- 18. अभिदाय.** — (1) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य के लिए देय अभिदाय में नियोक्ता द्वारा देय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोक्ता का अभिदाय कहा गया है) और कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी का अभिदाय कहा गया है) सम्मिलित होंगे।
- (2) जिस पर यह स्कीम लागू होती है इस स्कीम के अधीन नियोक्ता का अभिदाय कर्मचारी को देय वेतन का बारह प्रतिशत की दर से होगा और ऐसे कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय नियोक्ता द्वारा देय अभिदाय के बराबर होगा।

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित स्थापनाओं की श्रेणी के लिए अभिदाय की दर दस प्रतिशत होगी।

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए कर्मचारियों के अभिदाय की दरें तथा वह अवधि विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके लिए ऐसी दरें लागू होंगी;

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा, महामारी, स्थानिक रोग या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए, नियोक्ता के अभिदाय, या कर्मचारी के अभिदाय, या दोनों को एक बार में तीन माह तक के लिए स्थगित या कम कर सकती है।

- (3) किसी सदस्य के लिए देय अभिदाय , केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतन सीमा के अधीन होगा:

परंतु पैरा 9 के उप-पैरा(4) में निहित उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां ऐसे सदस्य का मासिक वेतन, वेतन सीमा से अधिक हो जाता है, वहां नियोक्ता और कर्मचारी का अभिदाय , वेतन सीमा पर देय अभिदाय तक ही सीमित होगा:

परंतु यह और कि कोई नियोक्ता, ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 के अधीन उच्च वेतन पर अभिदाय के लिए अनुमत किए गए हैं, पेंशन निधि में वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ऐसा अभिदाय कर सकता है।

- (4) अभिदाय की गणना पूरे महीने के दौरान वास्तव में प्राप्त या देय वेतन के आधार पर की जाएगी, चाहे भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर किया गया हो।
- (5) प्रत्येक अभिदाय की गणना निकटतम रुपए तक की जाएगी, पचास पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतम रुपए के रूप में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम रुपए के अंश को छोड़ दिया जाएगा।

*स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, यदि, वेतन का भुगतान भारतीय रुपए के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस मुद्रा की विनिमय दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, जो कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन स्थापित है, उस महीने के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसी मुद्रा की खरीद के लिए दी गई टेलीग्राफिक अंतरण खरीद दर होगी, जिसके लिए वेतन देय है।*

**19. अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदाय.** – (1) इस स्कीम में निहित किसी भी बात के रहते हुए, कर्मचारी स्वैच्छिक आधार पर सांविधिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर, सांविधिक दर से या उससे अधिक अतिरिक्त अभिदाय करने का विकल्प चुन सकता है और नियोक्ता नियमित विवरणी के माध्यम से ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय को तदनुसार आयुक्त को अंतरित करेगा;

परंतु अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदाय , वेतन संहिता की धारा 18 की उपधारा 2 के अधीन अनुमत कटौतियों के पश्चात के वेतन से अधिक नहीं होगा।

- (2) नियोक्ता, यदि वह चाहे, तो ऐसे कर्मचारियों के स्वैच्छिक अभिदाय पर उतना ही अभिदाय दे सकता है; तथापि, इस पैरा के अधीन कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदाय के बराबर अभिदाय देने के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा।
- (3) नियोक्ता को उस वेतन पर अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना होगा, जिस पर इस पैरा के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय का भुगतान किया जाता है।
- (4) कर्मचारी या नियोक्ता किसी भी समय ऐसे अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदाय को कम करने या बंद करने का विकल्प चुन सकता है।
- (5) नियोक्ता द्वारा किया गया कोई भी स्वैच्छिक अभिदाय भविष्य निधि में जमा किया जाएगा।

**20. अभिदाय के भुगतान का दायित्व.** – (1) नियोक्ता, प्रारंभ में, उसके द्वारा सीधे नियोजित या ठेकेदार [ऐसी स्थापना के संबंध में जो अलग से रजिस्ट्रीकृत नहीं है] के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, इस स्कीम के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार या अन्य प्रभार सहित नियोक्ता के अभिदाय और कर्मचारी के अभिदाय दोनों का भुगतान करेगा ।

(2) ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, [ऐसी स्थापना के संबंध में जो अलग से रजिस्ट्रीकृत नहीं है], ठेकेदार ऐसे कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय की वसूली करेगा और सदस्य के अभिदाय की रकम को, समान रकम के अभिदाय के साथ प्रधान नियोक्ता को भुगतान करेगा।

(3) यह प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह उप- पैरा (1) में दिए अनुसार उसके द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के संबंध में तथा उप- पैरा (2) में दिए अनुसार ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में देय दोनों अंशदानों का भुगतान प्रशासनिक प्रभार के साथ करे।

(4) इसमें दी गई किसी भी बात के होते हुए, प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी के संबंध में अभिदाय और प्रशासनिक प्रभार या अन्य फीस का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहेगा।

**21. सदस्यों की आय से नियोक्ता का भाग नहीं काटा जाएगा.** – (1) किसी संविदा के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, नियोक्ता किसी सदस्य के वेतन में से नियोक्ता का अभिदाय काटने या अन्यथा उससे इसकी वसूली करने का पात्र नहीं होगा।

**22. सदस्यों के अभिदाय के भाग की वसूली.** – (1) किसी सदस्य के अभिदाय की वह रकम जिसका भुगतान नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा किया गया हो, इस स्कीम के उपबंधों या उस समय प्रभावी किसी भी विधि या इसके विपरीत किसी अनुबंध के बावजूद, सदस्य के वेतन से कटौती करके वसूल की जाएगी और अन्य तरीके से नहीं:

परंतु ऐसी कोई कटौती उस अवधि या अवधि के उस भाग के लिए भुगतान किए गए वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य वेतन से नहीं की जाएगी, जिसके लिए अभिदाय देय है:

परंतु यह और अगर कर्मचारी ने नौकरी आरंभ करते समय लिखित में गलत घोषणा की थी कि वह पहले से ही निधि का सदस्य नहीं था, तो नियोक्ता या ठेकेदार उस अवधि के लिए भुगतान किए गए वेतन के अतिरिक्त वेतन से कर्मचारी के अभिदाय की वसूली कर सकता है।

परंतु यदि किसी आकस्मिक गलती या लिपिकीय भूल के कारण ऐसी कोई कटौती नहीं की गई हो, तो ऐसी कटौती निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की लिखित सहमति से आगामी वेतन से की जा सकेगी।

(2) किसी सदस्य के दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर भुगतान किए गए वेतन में से की गई कटौती को जोड़ा जाएगा ताकि मासिक कटौतियां दर्शाई जा सकें।

(3) इस स्कीम के अधीन नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटी गई कोई भी राशि, उस अभिदाय के भुगतान के उद्देश्य से उसे सौंपी गई मानी जाएगी, जिसके संबंध में वह कटौती की गई थी।

**23. चूक के लिए नुकसानी लगाना और वसूली.** – यदि कोई नियोक्ता चूक करता है,

(क) निधि में किसी भी अभिदाय के भुगतान में जिसका वह संहिता के अध्याय-3 के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या

(ख) संहिता की धारा 143 की उपधारा (8) और (9) के अधीन अंतरित की जाने वाले संचय राशि के अंतरण में, या

(ग) इस स्कीम के उपबंधों के अधीन या संहिता की धारा 143 में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के अधीन देय किसी भी प्रभार के भुगतान में,

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, नीचे दी गई सारणी में बताई गई दरों के अनुसार नियोक्ता से नुकसानी के रूप में रकम वसूल कर सकता है, बशर्ते यह राशि बकाया रकम से अधिक न हो।

### सारणी

क्रम संख्या	चूक की अवधि	नुकसानी की दर (प्रति माह बकाया राशि का प्रतिशत)
1	दो माह से कम	0.25%
2	दो माह से अधिक और 4 माह से कम	0.50%
3	चार माह से अधिक	1%

(2) 14 जून, 2024 से उप-पैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नुकसानी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 32-क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी चूक के मामले में भी लागू होगी।

### अध्याय 6

#### कर्तव्य, प्ररूप और विवरणी

**24. नियोक्ताओं के कर्तव्य.** – (1) प्रत्येक नियोक्ता, इस स्कीम के स्थापना पर लागू होने के पंद्रह दिन के भीतर, आयुक्त को प्रपत्र 5 में एक समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका निधि का सदस्य बनना आवश्यक है या जो सदस्य बनने का पात्र है, तो नियोक्ता 'शून्य' विवरण प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपलोड करेगा—

(i) पिछले माह के दौरान पहली बार निधि के सदस्य बनने के लिए पात्र कर्मचारियों का विवरण;

(ii) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में स्थापना के साथ यूएन के लिंकेज के माध्यम से पिछले महीने के दौरान किसी अन्य स्थापना से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप इस स्थापना में रोजगार ग्रहण करने पर निधि के सदस्यों के रूप में नामांकित कर्मचारियों का विवरण ।

(iii) यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर अपना यूएन जनरेट करने में विफल रहता है, जिससे उसका सदस्य खाता जुड़ा होगा, तो नियोक्ता यूएन जनरेट करने में कर्मचारी की सहायता करेगा।

(iv) किसी कर्मचारी के निधि का सदस्य बनने पर, प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रत्येक सदस्य को केंद्रीय बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई गई ई-पासबुक डाउनलोड करने के लिए आवश्यक डिजिटल सुविधा और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(v) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, पिछले माह के दौरान नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों का विवरण विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा।

(vi) संहिता के अधीन आने वाली किसी स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता, स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के बाद, विनिर्दिष्ट पोर्टल पर पहचान प्रमाणित करने हेतु दस्तावेजी प्रमाण के साथ, अधिग्रहणकर्ताओं, निदेशकों, साझेदारों, प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति, जिसका स्थापना के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण हो, का विवरण युक्त प्रपत्र 6 में स्वामित्व विवरण फाइल करेगा।

(vii) प्रत्येक नियोक्ता, उस स्थापना के संबंध में जिस पर यह संहिता लागू होती है, उप पैरा (6) में उल्लिखित स्वामित्व से संबंधित विवरण में परिवर्तन होने पर पंद्रह दिन के भीतर, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर परिवर्तन संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा।

(viii) नियोक्ता स्थापना के प्रवेश द्वार पर और वेबसाइट पर स्वामित्व विवरण का सारांश प्रदर्शित करेगा;

(ix) नियोक्ता माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रत्येक कर्मचारी के लिए देय अभिदाय से संबंधित विवरण इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-वापसी प्रपत्र 7 के माध्यम से विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात इस स्कीम के पैरा 28 के उप-पैरा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट देय राशि का भुगतान करेगा।

(x) किसी स्थापना का नियोक्ता, समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य रूप में अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव करेगा जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, वेतन के संबंध में ऐसी जानकारी और विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी और विवरण ऐसी रीति से जो संहिता की धारा 123 के खंड (क) में सूचीबद्ध समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हों सम्मिलित होंगे।

(xi) नियोक्ता, कर्मचारियों/कर्मकारों के ब्यौरों और उन्हें किए गए भुगतानों से संबंधित सभी रजिस्ट्रों और लेखा पुस्तकों को, जो उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन संधारित किए जाते हैं, विधिवत प्रमाणीकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराएगा या इस संहिता के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को स्थापना के निरीक्षण के समय जांच हेतु भौतिक अभिलेख उपलब्ध कराएगा।

(xii) प्रत्येक नियोक्ता, जब भी आयुक्त या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसा करने की अपेक्षा करे, तो अपने द्वारा नियोजित किसी भी कर्मचारी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, तो वह ऐसे रिकॉर्ड आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को, जैसा भी मामला हो, निरीक्षण स्कीम के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार सौंप देगा, जो यदि आवश्यक समझे तो उचित पावती के साथ रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार के मामले में,—

(i) प्रत्येक नियोक्ता, स्थापना पर इस स्कीम के लागू होने के पंद्रह दिनों के भीतर, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक समेकित विवरणी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें निधि का सदस्य बनने के लिए आवश्यक या पात्र प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार की राष्ट्रीयता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए उनके विवरण तथा ऐसे प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार को भुगतान किया गया वेतन दर्ज होगा:

परंतु यदि निधि का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य या पात्र कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार न हो, तो नियोक्ता एक 'शून्य' विवरणी फाइल करेगा;

(ii) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित विवरण अपलोड करेगा,—

(क) पूर्ववर्ती माह के दौरान पहली बार निधि का सदस्य बनने की पात्रता रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों का विवरण;

(ख) पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी अन्य स्थापना से स्थानांतरित होने के परिणामस्वरूप, स्थापना में रोजगार ग्रहण करने पर निधि के सदस्य के रूप में नामांकित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों का विवरण;

(ग) पूर्ववर्ती माह के दौरान नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों का विवरण।

(4) इस पैरा में पहले से निहित किसी भी बात के होते हुए, केंद्रीय बोर्ड स्कीम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को सामान्य रूप से उपयुक्त समझे जाने वाले निदेश जारी करेगा, और प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का पालन करे।

**25. कर्मचारी के कर्तव्य.** — (1) निधि का सदस्य बनने के लिए आवश्यक या पात्र प्रत्येक व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जैसा भी मामला हो, को अपने बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित आधार संख्या, भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक का आधार से जुड़ा बैंक खाता संख्या, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या और सार्वभौमिक खाता संख्या सम्मिलित हैं।

(2) निधि का सदस्य बनने के लिए आवश्यक या पात्र प्रत्येक व्यक्ति आयुक्त को अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें आधार संख्या सम्मिलित है, ताकि इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर नामांकन किया जा सके।

(3) निधि का सदस्य बनने के लिए आवश्यक या पात्र प्रत्येक व्यक्ति, संहिता या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या किसी अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अधीन अपने पूर्व रोजगार या सदस्यता का विवरण इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

**26. नियोक्ता द्वारा स्वामित्व और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण प्रस्तुत किया जाना.** — (1) किसी भी रजिस्ट्रीकृत स्थापना का प्रत्येक नियोक्ता, —

(i) **प्रपत्र 8** प्रस्तुत करेगा जिसमें शाखाओं और विभागों का विवरण हो, और शाखा के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण हो, साथ ही ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा, जो स्थापनाओं के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण रखते हैं;

(ii) स्थापनाओं के कर्मचारियों में से अधिकतम पांच व्यक्तियों को नियोक्ता की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है और ऐसे प्राधिकरण का विवरण **प्रपत्र 9** में प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु यह कि, बंदी, परिसमापन अथवा ऐसी ही अन्य परिस्थितियों में, जहाँ कोई अन्य व्यक्ति नियोजक के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्थापना का कर्मचारी न हो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा;

iii) ऐसे प्राधिकरण के होते हुए भी, नियोजक अथवा नियोजक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाला अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, संहिता तथा इस स्कीम के उपबंधों के अधीन उत्तरदायी बना रहेगा;

(iv) स्वामित्व तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अथवा जब भी कोई परिवर्तन हो, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तन की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि, जिस स्थापना पर संहिता के अधीन बनाई गई पेंशन स्कीम अथवा बीमा स्कीम, या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है, उसके किसी नियोजक के मामले में उक्त प्ररूप को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

**27. प्रधान नियोजक तथा संविदाकार के कर्तव्य.** – (1) प्रधान नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि स्थापन का रजिस्ट्रीकरण किया गया है तथा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रपत्र 10 में नियोजित सभी संविदाकारों की घोषणा की गई है।

(2) संविदाकार, नियोजित संविदा कर्मचारी के संबंध में इस स्कीम के अधीन संदेय अभिदायों तथा प्रभारों के भुगतान के लिए प्रधान नियोजक के साथ संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी होगा और ऐसे अभिदाय तथा प्रभार इस स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रेषित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक संविदाकार, प्रत्येक माह की समाप्ति के दस दिनों के भीतर, प्रधान नियोजक को प्रपत्र 11 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे संविदा कर्मचारी का नाम, सर्वव्यापी खाता संख्या (यूनिवर्सल खाता संख्या), मजदूरी तथा संदेय अभिदायों की सूचना देगा।

(4) प्रधान नियोजक, प्रत्येक माह की समाप्ति के बीस दिनों के भीतर, आयुक्त को प्रपत्र 12 में मासिक सार-संक्षेप प्रस्तुत करेगा, जिसमें संविदा कर्मचारी की मजदूरी से की गई वसूलियों की कुल राशि तथा ऐसे सदस्यों के संबंध में नियोजक द्वारा अभिदत्त कुल राशि दर्शाई जाएगी।

(5) यदि उप-पैरा (1), (3) तथा (4) के अधीन प्ररूप- (10), (11) तथा (12) में विनिर्दिष्ट सूचना ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध कराए गए समर्पित पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है, तो इस संबंध में अनुपालन किया हुआ माना जाएगा।

**28. अभिदायों आदि का भुगतान.** – (1) नियोजक, किसी सदस्य को उस अवधि अथवा अवधि के भाग के संबंध में मजदूरी का भुगतान करने से पूर्व, जिसके लिए अभिदाय संदेय हैं, ऐसी मजदूरी से कर्मचारी का अभिदाय काट लेगा।

(2) नियोजक, कर्मचारी के अभिदाय के साथ-साथ, नियोजक का अभिदाय तथा मजदूरी के ऐसे प्रतिशत के प्रशासनिक प्रभार का भी भुगतान करेगा।

(3) नियोजक, प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, अभिदायों तथा प्रशासनिक प्रभारों के खाते में संग्रहण हेतु प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम द्वारा निधि में अभिदाय प्रेषित करेगा:

परंतु यह कि, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी नियोजक या नियोजकों के वर्ग को किसी अन्य माध्यम से अभिदाय जमा करने की अनुमति दे सकेगा;

परंतु यह भी कि, असाधारण परिस्थितियों में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नियोजक को विवरणियाँ प्रस्तुत करने तथा इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी के माध्यम से अभिदाय और प्रभार जमा करने के लिए उपलब्ध विहित समय का विस्तार कर सकेगा।

**29. प्रशासनिक प्रभारों या अन्य फीस का निर्धारण.** – (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा निधि के उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जो उसकी सामान्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए उपलब्ध हों, पैरा 28 के उप-पैरा (2) के अधीन संदेय प्रशासनिक प्रभारों का प्रतिशत निर्धारित कर सकेगी।

(2) इस स्कीम के अधीन अपेक्षित किसी विवरणी को दाखिल करने में विलंब होने पर, नियोजक प्रति दिन पाँच सौ रुपये की विलंब फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि, संदेय कुल विलंब फीस उस माह के लिए नियोजक द्वारा देय प्रशासनिक प्रभारों की राशि से अधिक नहीं होगी, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है।

**30. सदस्य के खाते का वार्षिक विवरण तथा ई-पासबुक.** – (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, आयुक्त इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में निधि में सदस्य के खाते का विवरण उपलब्ध कराएगा, जिसमें, अवधि के प्रारंभ में आदि अतिशेष, वर्ष के दौरान अभिदत्त राशि, अवधि के अंत में जमा किया गया अथवा अवधि के दौरान नामे डाली गई ब्याज की कुल राशि; तथा अवधि के अंत में अंत अतिशेष दर्शाए जाएंगे।

(2) सदस्य वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेंगे और यदि कोई त्रुटि हो तो पोर्टल पर विवरण के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर उसकी सूचना आयुक्त को देंगे।

## अध्याय-7 खातों का संधारण

**31. चालू खाता.** – आयुक्त नियोजकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त अभिदायों को, इंटरनेट बैंकिंग अथवा किसी अन्य माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा PayGov प्लेटफॉर्म अथवा भारत के अनुसूचित बैंकों, जिनमें निजी क्षेत्र के बैंक भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से निधि के चालू खाते में जमा करेगा।

**32. प्रशासन खाता.** – निधि के सभी प्रशासनिक व्ययों के अभिलेखन के लिए, जिसमें ऐसे प्रशासनिक प्रभार भी सम्मिलित होंगे जिन्हें अधिरोपित करने के लिए निधि प्राधिकृत हो, "केंद्रीय प्रशासन खाता" नामक एक पृथक खाता स्थापित किया जाएगा।

**33. भविष्य निधि खाता.** – (1) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए एक भविष्य निधि खाता स्थापित किया जाएगा, जिसमें अभिदायों अथवा प्रभारों के रूप में प्राप्त समस्त राशियां जमा की जाएंगी तथा जिससे अभिदाताओं को देय सभी लाभों का भुगतान किया जाएगा।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य निधि की सभी आस्तियां तथा दायित्व उप-पैरा (1) के अधीन गठित निधि को अंतरित कर दिए जाएंगे।

**34. ब्याज खाता.** – विक्रय अथवा विनियोगों से प्राप्त समस्त ब्याज, किराया तथा अन्य आय और, यदि कोई हो, तो शुद्ध लाभ अथवा हानि, प्रशासन खाते के लेन-देन को छोड़कर, "ब्याज खाते" में यथास्थिति जमा अथवा नामे खाता डाली जाएगी, प्रतिभूतियों तथा अन्य विनियोगों के क्रय-विक्रय पर देय दलाली तथा कमीशन को, यथास्थिति, क्रय अथवा विक्रय मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा और उसे पृथक रूप से "ब्याज खाते" में प्रभारित नहीं किया जाएगा।

**35. कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशियों का विनियोग.** – (1) निधि की समस्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा की जाएगी अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अधीन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 11) की धारा 20 में उल्लिखित या विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजित की जाएगी, परंतु यह कि, ऐसी प्रतिभूतियां भारत में पूंजी तथा ब्याज दोनों के संबंध में देय हों।

(2) किसी भी विनियोग के संबंध में किए गए समस्त व्यय तथा उससे उत्पन्न, यदि कोई हो, हानि निधि पर प्रभारित की जाएगी।

**36. निधि का व्ययन.** – (1) संहिता तथा इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रशासन खाते को छोड़कर निधि का उपयोग केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि निधि में व्यक्तिगत सदस्यों के खाते में उपलब्ध राशि अथवा उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या विधिक प्रतिनिधियों को इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाए।

(2) निधि का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

**37. प्रशासन का व्यय.** – (1) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी व्ययों का वहन निधि द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि के समस्त व्यय, जिनमें केंद्रीय बोर्ड के न्यासियों के शुल्क और भत्ते, वेतन, अवकाश और स्थानांतरण/नियुक्ति के समय भत्ते, यात्रा और प्रतिपूरक भत्ते, उपदान और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु स्थापित भविष्य निधि और अन्य लाभ निधि में अभिदाय , खातों के संपरीक्षण की लागत, विधिक व्यय तथा केंद्रीय बोर्ड के संबंध में प्रयुक्त समस्त लेखन सामग्री और प्ररूपों की

लागत, कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित लागत और व्यय सम्मिलित हैं, निधि के प्रशासनिक खाते से वहन किए जाएंगे।

**38. लेखाओं के संधारण का स्वरूप तथा रीति.** – निधि तथा प्रशासन खाते के लेखाओं का संधारण केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा, केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप और रीति से किया जाएगा।

**39. संपरीक्षा.** – (1) निधि के लेखाओं, जिनमें प्रशासन खाते के लेखा भी सम्मिलित हैं, की संपरीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

(2) संपरीक्षा संबंधी सभी प्रभार प्रशासन खाते से वहन किए जाएंगे।

**40. बजट.** – (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, प्रत्येक वर्ष फरवरी मास के प्रथम पखवाड़े से पूर्व, केंद्रीय बोर्ड के समक्ष पृथक रूप से निम्नलिखित दर्शाने वाला बजट प्रस्तुत करेगा-

(i) अभिदायों तथा प्रशासनिक प्रभारों के उद्ग्रहण से संभावित प्राप्तियां; तथा

(ii) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यय।

(2) केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट, उसके केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर केंद्रीय सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, बजट को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व उसमें आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन कर सकेगी।

(4) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, वर्ष के दौरान किसी भी समय, केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में मंजूर निधियों का बजटीय पुनर्विनियोजन कर सकेगा:

परंतु यह कि-

(क) बजट में मंजूर कुल राशि से अधिक व्यय न हो;

(ख) ऐसा पुनर्विनियोजन केवल प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु किया जाए, जिनका भुगतान प्रशासन खाते से किया जाना है; तथा

(ग) ऐसा प्रत्येक पुनर्विनियोजन केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक में उसके संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाए।

(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसे अपरिहार्य व्ययों के विस्तृत प्राक्कलन तथा कारण दिए जाएंगे, जो वर्ष के दौरान किए जाने संभावित हों और जिनके लिए स्वीकृत बजट में कोई उपबंध न किया गया हो तथा जिन्हें उप-पैरा (4) के अधीन समायोजित न किया जा सके।

(6) केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपूरक बजट, उसके केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर केंद्रीय सरकार की मंजूरी हेतु भेजा जाएगा।

(7) यदि किसी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किया जाता है और वह उप-पैरा (4) तथा (5) के अधीन आच्छादित नहीं है, तो ऐसे अतिरिक्त व्यय की स्थापना होते ही उसे केंद्रीय बोर्ड के विचारार्थ तथा केंद्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करने हेतु बिना विलंब रिपोर्ट किया जाएगा।

**41. सदस्यों के खाते.** – (1) निधि में प्रत्येक सदस्य के नाम से एक खाता खोला जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

(i) सदस्य द्वारा किए गए अभिदाय; ;

(ii) सदस्य के संबंध में नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय; तथा

(iii) पैरा 42 में विनिर्दिष्ट ब्याज।

(2) खाते की सभी मदों की गणना निकटतम रुपये तक की जाएगी; (पचास पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये के रूप में गिना जाएगा तथा पचास पैसे से कम राशि को उपेक्षित कर दिया जाएगा।)

**42. ब्याज.** - (1) आयुक्त प्रत्येक सदस्य के खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करके निर्धारित दर से निम्नलिखित रीति से ब्याज जमा करेगा, अर्थात्: -

(क) सदस्य के खाते में मासिक चालू शेष के आधार पर प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से प्रभावी ब्याज जमा किया जाएगा :-

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन सदस्य के खाते में जमा राशि पर, चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि घटाने के पश्चात्, बारह मास का ब्याज;

(ii) चालू वर्ष में निकाली गई राशियों पर, चालू वर्ष के प्रारंभ से लेकर निकासी के माह के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन तक का ब्याज;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् सदस्य के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा किए जाने वाले माह के अगले माह के प्रथम दिन से चालू वर्ष के अंत तक का ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल राशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा; पचास पैसे या उससे अधिक को अगले पूर्ण रुपये के रूप में गिना जाएगा।

(ख) यदि पैरा 49 अथवा पैरा 50 के अधीन प्रत्याहरण का दावा किया गया हो, तो ब्याज उस तारीख तक देय होगा जिस दिन अंतिम भुगतान प्राधिकृत किया जाता है, चाहे दावा संबंधित दावेदार से किसी भी तारीख को प्राप्त हुआ हो।

परंतु यह कि, चालू वर्ष में प्रत्याहरण संबंधी दावों पर अनुज्ञात ब्याज की दर वही होगी जो उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई हो जिसमें प्रत्याहरण प्राधिकृत किया गया है।

परंतु यह भी कि, यदि चालू वर्ष के लिए घोषित ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि की अंतिम घोषित ब्याज दर से कम हो, तो अंतरराशि निर्गत सदस्यों को बोनस के रूप में संचित होगी तथा वर्षांत में चालू वर्ष की ब्याज दर निर्धारित करने हेतु गणना में सम्मिलित की जाएगी और इस पर किए गए दावों का निपटान अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण -(क) यदि कोई स्थापन चालू वर्ष के दौरान पहली बार संहिता के अधीन आच्छादित होता है, तो सदस्य के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा किए जाने वाले माह के अगले माह के प्रथम दिन से चालू वर्ष के अंत तक ब्याज अनुज्ञात होगा।

(ख) यदि छूट के रद्द किए जाने या समर्पण के परिणामस्वरूप पूर्व संचयों का अंतरण किया जाता है तथा स्थापन पहली बार इस स्कीम के अधीन आच्छादित होता है, तो सदस्य के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर उसी प्रकार ब्याज अनुज्ञात होगा।

(2) सदस्यों के खातों में जमा की गई ब्याज की कुल राशि "ब्याज खाते" में नामे डाली जाएगी।

(3) ब्याज की दर निर्धारित करते समय केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा ब्याज के कारण ब्याज स्थगित खाते में कोई अधिक आहरण न हो।

(4) यदि कोई सदस्य लिखित रूप में आयुक्त को सूचित करता है कि वह ब्याज प्राप्त नहीं करना चाहता, तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि पश्चात् में वह ब्याज की मांग करता है, तो उसके अनुरोध की तारीख से प्रचलित अवधि के प्रथम दिन से प्रभावी रूप में ब्याज उसके खाते में जमा किया जाएगा।

(5) जिस तारीख को किसी सदस्य का खाता पैरा 54 के अधीन निष्क्रिय हो जाता है, उस तारीख से उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा।

### अध्याय-8

#### अंतरण, नामनिर्देशन, भुगतान तथा प्रत्याहरण

**43. सदस्यता का अंतरण.** – (1) जहाँ निधि का कोई सदस्य किसी स्थापन में अपना नियोजन छोड़कर-

(i) ऐसे अन्य स्थापन में नियोजन प्राप्त करता है जिस पर यह स्कीम लागू होती है; या

(ii) किसी छूट प्राप्त स्थापन में नियोजन प्राप्त करता है; या

(iii) ऐसे स्थापन में नियोजन प्राप्त करता है जिस पर संहिता का अध्याय-3 लागू नहीं होता, परंतु जिसकी अपनी भविष्य निधि स्कीम है, तो वह अभिहित पोर्टल पर आवेदन करके अपने वर्तमान खाते से नए खाते में भविष्य निधि शेष का अंतरण करा सकेगा।

(2) जहाँ कोई कर्मचारी-

(i) ऐसे स्थापन का नियोजन छोड़ता है जिस पर अध्याय-3 लागू नहीं होता; या

(ii) किसी छूट प्राप्त स्थापन का नियोजन छोड़ता है,

और तत्पश्चात् ऐसे स्थापन में नियोजन प्राप्त करता है जिस पर अध्याय-3 या यह स्कीम लागू होती है, तो वह केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और रीति से आवेदन करके अपनी भविष्य निधि शेषराशि का निधि में अंतरण करा सकेगा।

परंतु भविष्य निधि खाते के सदस्य की पहचान आनलाइन माध्यम से पुष्ट नहीं हो पाने की स्थिति में नियोक्ता सदस्य की पहचान की पुष्टि करने के पश्चात् अंतरण हेतु आवेदन आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

(3) सदस्य की पहचान तथा भविष्य निधि खाते के स्वामित्व की पुष्टि विहित प्रक्रिया के अनुसार हो, इस शर्त के अधधीन रहते हुए आयुक्त निधियों के स्वचालित अंतरण की सुविधा उपलब्ध करा सकेगा।

परंतु भविष्य निधि खाते के सदस्य की पहचान ऑनलाइन माध्यम से पुष्ट नहीं हो पाने की स्थिति में नियोक्ता सदस्य की पहचान की पुष्टि करने के पश्चात् अंतरण हेतु आवेदन आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

**44. नामनिर्देशन.** – (1) प्रत्येक सदस्य, अभिहित पोर्टल पर, एक घोषणा करेगा कि एक नामनिर्देशन जो, उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां संदाय किए जाने से पूर्व रकम संदेय हो गई है, उसकी मृत्यु की दशा में, उसके खाते में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा।

(2) सदस्य अपने नामनिर्देशन में, निधि में अपने खाते में जमा रकम को, अपने विवेकानुसार, अपने नामनिर्देशितियों के बीच वितरित करेगा।

(3) यदि नामनिर्देशन के समय सदस्य का परिवार है तो नामनिर्देशन उसके परिवार से संबंधित एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा तथा ऐसे सदस्य द्वारा अपने परिवार से संबंध न रखने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा।

परंतुक कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम ,1952 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामनिर्देशन उस सीमा तक शून्य होगा, जहां तक इस स्कीम के उपबंधों से असंगत है और सदस्य से इस स्कीम के अनुसार नामनिर्देशन फाइल करना अपेक्षित होगा।

परंतुक यह भी कि सदस्य द्वारा विवाह होने पर एक नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी भी नामनिर्देशन को शून्य माना जाएगा।

(4) जहां नामनिर्देशन करते समय सदस्य का कोई परिवार नहीं है, तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, किन्तु यदि सदस्य का बाद में परिवार बन जाता है, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य माना जाएगा और सदस्य को अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में एक नया नामनिर्देशन करना होगा।

(5) जहां नामनिर्देशन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवयस्क के पक्ष में है, इस प्रकार नियुक्त नामनिर्देशिनी और संरक्षक से पहले ही सदस्य की मृत्यु होने की दशा में, सदस्य परिवार में से किसी वयस्क व्यक्ति को नामनिर्देशिनी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

परंतु जहां परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, तो सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिनी अवयस्क व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(6) उप-पैरा(1) के अधीन किया गया नामनिर्देशन सदस्य द्वारा किसी भी समय ई-नामनिर्देशन पोर्टल पर उपांतरित किया जा सकता है।

(7) यदि नामनिर्देशिनी की सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो नामनिर्देशिनी के सारे हित सदस्य को वापस मिल जाएंगे, जो ऐसे हित के संबंध में नया नामनिर्देशन कर सकेगा।

(8) कोई नामनिर्देशन या उसमें किया गया उपांतरण, उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा कि वह विधिमान्य है जिस तारीख को वह आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया हो।

**45. विद्यमान सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसी का वित्तपोषण.** – (1) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 62 से 67 के उपबंधों के अधीन इस स्कीम के प्रारंभ के समय पर वित्तपोषित की जा रही कोई भी सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी, उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनो और शर्तों के अनुसार वित्तपोषित होती रहेंगी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसी सक्रिय पॉलिसी के प्रीमियम के संदाय की प्रक्रिया और सुविधा प्रदान करना जारी रखेगा, और इन पॉलिसियों के अधीन सभी फायदे, पॉलिसी के निबंधनों के अनुसार परिपक्वता या समाप्ति तक संदेय होंगे।

परंतु कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, के पैरा 62 से 67 के उपबंधों के अधीन इस स्कीम के प्रारंभ के समय पर वित्तपोषित हो रही सभी निष्क्रिय जीवन बीमा पॉलिसी को तत्काल सदस्य को पुनः समनुदेशित कर दिया जाएगा।

परंतु यह भी कि यदि पहले परंतुक के अनुसार पॉलिसी पुनः समनुदेशित करने से पूर्व ही सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में आयुक्त हस्ताक्षरित पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा, जीवन बीमा निगम के पते पर पुनः समनुदेशन के नोटिस के साथ, उस पॉलिसी को सदस्य के नामनिर्देशिनी, यदि कोई विधिमान्य नामनिर्देशन है तो, और यदि ऐसा कोई नामनिर्देशिनी नहीं है तो उस व्यक्ति को जो उसे प्राप्त करने का विधिक रूप से हकदार है, को पुनः समनुदेशित करेंगे।

**46. निधि से आंशिक प्रत्याहरण.** – (1) आयुक्त, अभिहित पोर्टल पर किसी सदस्य से प्राप्त आवेदन पर और उप-पैरा (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा पात्रता और आवृत्ति के अधीन रहते हुए, तथा सदस्य के खाते में न्यूनतम अतिशेष बनाए रखने की अपेक्षा को ध्यान रखते हुए, उस सदस्य के भविष्य निधि खाते में जमा रकम में से आंशिक प्रत्याहरण जो प्रयोजनों हेतु एक हज़ार रुपए से अन्यून ना हो, की स्वीकृति दे सकता है।

**स्पष्टीकरण:** इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, (क) “न्यूनतम अतिशेष” से निधि में किए गए कुल अभिदाय (जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा और उस पर मिलने वाला ब्याज सम्मिलित है) के सकल के **पच्चीस प्रतिशत** के बराबर की वह रकम, जो ऐसे प्रत्याहरण की तारीख को सदस्य के खाते में जमा हो, जो इस पैरा के अधीन किए गए किसी भी आंशिक प्रत्याहरण के प्रभावी होने के पश्चात् भी सदस्य के खाते में जमा रहेगी; और

(2) एक सदस्य को निधि में उसके खाते से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए और विनिर्दिष्ट सीमा तक, प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है :

(क) स्वयं और परिवार के सदस्यों की बीमारी की दशा में, निधि की कुल बारह मास की सदस्यता पूरी होने के पश्चात्, पात्र सदस्य अतिशेष रकम के सौ प्रतिशत तक की रकम;

(ख) स्वयं और परिवार के सदस्यों की शिक्षा के लिए, निधि की कुल बारह मास की सदस्यता पूरी होने के पश्चात्, पात्र सदस्य अतिशेष रकम के सौ प्रतिशत तक और इस खाते में आंशिक प्रत्याहरण, निधि की सदस्यता की अवधि के दौरान दस बार से अधिक नहीं होगा।

(ग) स्वयं और परिवार के सदस्यों के विवाह के लिए, निधि की कुल बारह मास की सदस्यता पूरी होने के पश्चात, पात्र सदस्य अतिशेष रकम के सौ प्रतिशत तक और इस खाते में आंशिक प्रत्याहरण, निधि की सदस्यता की अवधि के दौरान पांच बार से अधिक नहीं होगा।

(3) आवास संबंधी अपेक्षाओं के लिए, एक सदस्य को निधि में अपने खाते से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए और नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक, आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है:

- (i) फ्लैट, मकान की खरीद ;
- (ii) मकान निर्माण के लिए भूखंड ;
- (iii) मकान का निर्माण
- (iv) फ्लैट या मकान की खरीद या निर्माण, या भूमि के अर्जन हेतु लिए गए गृह ऋण को चुकाने के लिए; तथा
- (v) विद्यमान मकान या फ्लैट में अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन, नवीनीकरण या सुधार के लिए;

परंतुक ऐसे प्रत्याहरण की रकम, निधि की कुल बारह मास की सदस्यता के पूरा होने के पश्चात पात्र सदस्य अतिशेष के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस खाते में आंशिक प्रत्याहरण, सदस्यता की अवधि के दौरान पांच बार से अधिक नहीं होगा;

(4) एक सदस्य को, विशेष परिस्थितियों में, निधि की कुल बारह मास की सदस्यता के पूरा होने के पश्चात पात्र सदस्य अतिशेष के सौ प्रतिशत तक, निधि में इस खाते से आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है; और इस खाते से आंशिक प्रत्याहरण, एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होगा।

(5) बारह मास की सदस्यता पूरी करने से पूर्व रोजगार छोड़ने वाले सदस्य भी इस पैरा के अधीन आंशिक प्रत्याहरण के उपभोग के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रत्याहरण की रकम, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख को पात्र सदस्य अतिशेष से अधिक नहीं होगी।

(6) उप-पैरा (2), (3) और (4) के अधीन आंशिक प्रत्याहरण के उपभोग के लिए अनुमत संख्या की गणना प्रत्येक सदस्य के संबंध में इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को और से नए सिरे से की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "पात्र सदस्य अतिशेष" से बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिशेष को घटाने के पश्चात निधि में सदस्य के खाते में जमा रकम अभिप्रेत है।

**47. सदस्यता की अवधि की गणना.** – आंशिक प्रत्याहरण के लिए निधि की सदस्यता की अवधि की गणना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

- (i) उन पर यह स्कीम लागू होने से पूर्व, किसी कारखाने या स्थापन के एक ही नियोजक के अधीन अंतराल की अवधियों को छोड़कर कुल सेवा;
- (ii) निधि की सदस्यता की अवधियाँ;
- (iii) छूट प्राप्त कारखानों या स्थापनों के निजी भविष्य निधि की सदस्यता की अवधियाँ; और
- (iv) निधि की वर्तमान सदस्यता से ठीक पहले, संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में सदस्यता की अवधियाँ;

परंतु सदस्य ने ऐसी अवधि के दौरान अपने भविष्य निधि का प्रत्याहरण करके सदस्यता को समाप्त नहीं किया है।

**48. आंशिक प्रत्याहरण का संदाय.** – स्कीम के पैरा 46 के अधीन स्वीकृत किसी भी आंशिक प्रत्याहरण का संदाय, सदस्य के विकल्प पर, किसी भी अनुसूचित बैंक में या सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक सहित) या किसी भी डाकघर में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा किया जाए।

**49. परिस्थितियां जिनमें निधि में संचित रकम सदस्य को संदेय हैं.** – (1) सदस्य निधि में अपने खाते में जमा पूरी रकम निकाल सकता है -

(i) पचपन वर्ष की आयु प्राप्ति पर सेवानिवृत्ति होने पर:

परंतु कोई सदस्य जिसने उसकी सेवा की समाप्ति के समय पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और यदि निधि के संदाय को प्राधिकृत करने से पूर्व उसकी आयु पचपन वर्ष की हो जाती है तो वह निधि में जमा उसकी सम्पूर्ण रकम के प्रत्याहरण का हकदार होगा।

(ii) स्थापन के चिकित्सा अधिकारी या जहां स्थापना में नियमित चिकित्सा अधिकारी न हो तो स्थापना द्वारा अभिहित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक व्यवसायी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किए जाने पर शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण स्थाई और पूर्ण रूप से कार्य करने में अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति होने पर;

(iii) विदेश में स्थाई रूप से बसने के लिए या विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत से प्रवास से ठीक पहले:

(iv) व्यष्टिक या सामूहिक छंटनी की दशा में सेवा की समाप्ति पर;

(v) नियोजक और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक करार से बनाई गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवा समाप्ति पर;

(vi) निम्नलिखित में से किसी भी आकस्मिक स्थिति में, परंतु वास्तविक संदाय केवल उस तारीख से ठीक पहले की कम-से-कम दो मास की निरंतर अवधि पूरी होने के पश्चात् ही किया जाएगा, जिस तारीख को कोई सदस्य प्रत्याहरण के लिए आवेदन करता है:-

(क) जहां कारखाना या अन्य स्थापन बंद हो जाता है, किंतु कतिपय ऐसे कर्मचारी जिनकी छंटनी नहीं की गई है, नियोजक द्वारा अन्य कारखाने या स्थापन में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जो संहिता के अधीन नहीं आता है;

(ख) जहां किसी सदस्य को कवर कारखाने या अन्य स्थापन से दूसरे कारखाने या अन्य स्थापन में स्थानांतरित किया जाता है जो संहिता के अधीन कवर नहीं है, लेकिन उसी नियोजक के अधीन है; तथा

(ग) जहां किसी सदस्य को सेवामुक्त कर दिया जाता है तथा उसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन छंटनी का प्रतिकर दिया जाता है या;

**स्पष्टीकरण** - उप-पैरा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए:

(क) जहां कोई स्थापन बंद हो गया हो, वहां किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है;

(ख) जहां स्थापन में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं हो, वहां नियोजक स्थापन के आस-पास रहने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को अभिहित करेगा;

(ग) जहां स्थापन कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन हो वहां कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी या उस बीमा चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास वह उस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहां कर्मचारियों और नियोजकों के पारस्परिक करार से, किसी स्थापन या स्थापनों के समूह के लिए कोई चिकित्सीय बोर्ड विद्यमान हो, वहां ऐसे चिकित्सीय बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी इस पैरा के प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जा सकता है:

परंतु यह और कि जहां सदस्य द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्र की मौलिकता पर संदेह उत्पन्न होता है, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदस्य से किसी सिविल सर्जन या उसके निमित्त काम कर रहे किसी भी चिकित्सक से नया प्रमाण पत्र लाने की मांग कर सकता है:

परंतु यह भी कि जहां सिविल सर्जन या उसके निमित्त काम कर रहे किसी भी चिकित्सक के निष्कर्ष मूल प्रमाण पत्र से मेल खाते हों, तो उस सिविल सर्जन या उसके निमित्त काम कर रहे किसी भी चिकित्सक के पूरी फीस का संदाय निधि से किया जाएगा तथा जहां पर ऐसे निष्कर्ष मूल प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाते हों तो केवल आधी फीस ही निधि से संदत्त की जाएगी तथा शेष आधी फीस सदस्य के खाते से काटी जाएगी।

(घ) जहां सदस्य क्षय रोग या कुष्ठ रोग या कैंसर से पीड़ित हो, चाहे उसे ये बीमारी बीमार होने के आधार पर, स्थापन की सेवा छोड़ने के पश्चात् हुई हो, किन्तु संदान प्राधिकृत करने से पूर्व हुई हो, तो वह कार्य करने में पूर्ण तथा स्थाई रूप से असमर्थ माना जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न की दशा में, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी सदस्य को उस निधि में जमा पूरी रकम प्रत्याहरण की अनुमति दे सकता है, जब वह किसी ऐसे स्थापन में कर्मचारी नहीं रह जाता है जिस पर यह संहिता लागू होती है:

परंतु कोई सदस्य प्रत्याहरण का पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह आवेदन की दिनांक से ठीक पहले लगातार कम से कम बारह मास की अवधि तक किसी ऐसी प्रत्याहरण के या अन्य स्थापन में नियोजित न रहा हो, जिस पर यह संहिता लागू होती है:

परंतु यह और कि विवाह करने के प्रयोजन से स्थापन की सेवाओं से त्यागपत्र देने वाली महिला सदस्यों की दशा में प्रतीक्षा अवधि की अपेक्षा लागू नहीं होगी।

(3) कोई भी सदस्य, जो उप-पैरा (2) के अधीन संदेय रकम का प्रत्याहरण करता है, यदि वह किसी अन्य स्थापना में फिर से नौकरी प्राप्त करता है जिस पर यह स्कीम लागू होती है, तो उसे निधि की सदस्यता के लिए फिर से अर्हता प्राप्त करनी होगी; और सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने पर, उसे उस निधि का एक नया सदस्य माना जाएगा।

**50. मृतक सदस्य की जमा रकम किसे संदेय है.** – किसी सदस्य की जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो चुकी हो, परन्तु संदाय किए जाने से पूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाने पर-

(i) यदि सदस्य द्वारा स्कीम के पैरा 44 के अनुसार किया गया कोई नामनिर्देशन अभी भी मान्य है, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम, या उसका वह हिस्सा जिससे नामनिर्देशन संबंधित है, ऐसे नामनिर्देशन के अनुसार उसके नामनिर्देशित को संदेय हो जाएगा; या

(ii) यदि नामनिर्देशन न हो या नामनिर्देशन निधि में उसकी जमा रकम के किसी भाग से संबंधित हो तो यथास्थिति वह पूरी रकम या वह भाग जो नामनिर्देशन से संबंधित नहीं है, उसके परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित रीति में बराबर हिस्सों में संदेय होगा, अर्थात् :-

(क) पति/पत्नी;

(ख) कर्मचारी पर आश्रित कोई अवयस्क विधिमान्य या दत्तक पुत्र;

(ग) अविवाहित पुत्री जो पूरी तरह से कर्मचारी की आय पर निर्भर है

(घ) कोई ऐसा बालक जो किसी भी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अशक्त है, और जब तक अशक्तता बनी रहती है, तब तक वह पूरी तरह से कर्मचारी की आय पर निर्भर हो ;

(ङ) महिला कर्मचारी के आश्रित माता-पिता, जिनमें ससुर और सास भी सम्मिलित हैं;

(च) कर्मचारी अविवाहित होने की दशा में और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, अवयस्क भाई या बहन जो पूरी तरह से सदस्य की आय पर निर्भर हो ;

(iii) किसी भी ऐसे अन्य दशा में, जिस पर खंड (i) और (ii) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, मृतक सदस्य के खाते में जमा पूरी रकम उस व्यक्ति को संदेय होगी जो विधिक रूप से इसका हकदार है।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए, किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात् जन्मे बालक को, यदि वह जीवित पैदा होता है, तो उसी तरह माना जाएगा जिस तरह सदस्य की मृत्यु से पहले जन्मे जीवित बालक को माना जाता।

**51. अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों की निधि के संचयन का संदाय.** – (1) कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार निधि में अपने खाते में जमा संपूर्ण रकम को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्याहरित कर सकता है,—

(क) अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी समय स्थापन की सेवा से सेवानिवृत्ति पर;

(ख) शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण कार्य के लिए स्थायी और पूर्ण अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्ति पर, जो स्थापन के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो, या जहाँ स्थापन में कोई नियमित चिकित्सा अधिकारी न हो, वहाँ स्थापन द्वारा अभिहित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो:

परंतु कि—

(i) जहाँ कोई स्थापन बंद कर दिया गया हो, वहाँ किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकेगा;

(ii) जहाँ स्थापन कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम द्वारा कवर किया जाता है, वहाँ कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सा अधिकारी या उस बीमा चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसके पास कर्मचारी इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) जहाँ नियोजकों और कर्मचारियों के पारस्परिक करार द्वारा किसी स्थापन या स्थापनों के समूह के लिए एक चिकित्सा बोर्ड विद्यमान हो, वहाँ ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जा सकेगा।

(2) क्षेत्रीय आयुक्त, सदस्य से सिविल सर्जन या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी चिकित्सक से एक नया प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, जहाँ उप-पैराग्राफ (1) के खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्र की वास्तविकता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है:

परंतु यदि निष्कर्ष मूल प्रमाण पत्र के अनुरूप होते हैं, तो सिविल सर्जन या ऐसे चिकित्सक की फीस का संदाय निधि से किया जाएगा, और जहाँ ऐसे निष्कर्ष मेल नहीं खाते हैं, वहाँ आधी फीस का संदाय निधि से किया जाएगा तथा शेष आधी फीस सदस्य के खाते में नामे की जाएगी।

(3) क्षय रोग या कुष्ठ रोग या कैसर से पीड़ित किसी सदस्य को कार्य के लिए स्थायी और पूर्ण रूप से अक्षम समझा जाएगा, भले ही वह बीमारी रुग्णता के आधार पर किसी स्थापन की सेवा छोड़ने के पश्चात् किंतु संदाय प्राधिकृत होने से पूर्व हुई हो।

(4) भारत सरकार और किसी अन्य देश के मध्य किए गए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आने वाले किसी सदस्य के संबंध में, संहिता के अधीन आने वाले किसी स्थापन में कर्मचारी न रहने पर संचित रकम संदेय होगी।

**52. हत्या के अपराध में आरोपित व्यक्ति को संदाय.** — (1) कोई व्यक्ति, जो निधि के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, मृतक सदस्य के भविष्य निधि की जमा रकम प्राप्त करने का पात्र है, पर उस सदस्य की हत्या करने या ऐसे अपराध को उत्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है, तो भविष्य निधि में अपना हिस्सा प्राप्त करने का उसका दावा तब तक निलंबित रहेगा, जब तक कि उस अपराध के लिए उसके विरुद्ध शुरू की गई दांडिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

(2) यदि उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट दांडिक कार्यवाही के समापन पर, यदि वह व्यक्ति-

(i) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिए उत्प्रेरित करने के लिये दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य निधि की जमा रकममें से हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा; जो मृतक सदस्य के अन्य पात्र सदस्यों, यदि कोई हों, को संदेय होगा; या

(ii) आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो भविष्य निधि का हिस्सा व्यक्ति को संदेय होगा।

**53. भविष्य निधि का संदाय.** —(1) जब किसी सदस्य के खाते में जमा रकम संदाय योग्य हो जाती है, तो आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह इस स्कीम के अधीन शीघ्र संदाय करे।

(2) इस स्कीम के अधीन कोई नामनिर्देशिती नहीं है या ऐसी रकम पाने का हकदार कोई व्यक्ति नहीं है, तो आयुक्त ऐसी रकम का संदाय दावेदार को कर सकते हैं, यदि निधि में जमा रकम दस हजार रुपये से अधिक न हो और दावेदार के हकदार होने के बारे में जांच के पश्चात् समाधान हो जाए।

(3) किसी सदस्य के खाते में जमा रकम का कोई हिस्सा संदाय के लिए तैयार है और उस पर कोई विवाद या संदेह में है, तो आयुक्त उस हिस्से का तुरंत संदाय करेंगे जिस पर कोई विवाद या संदेह नहीं है और अतिशेष का समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाएगा।

(4) इस स्कीम के अधीन जिस व्यक्ति को रकम का संदाय किया जाना है, वह अवयस्क है और उसकी संपदा के लिए 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890' (1890 का 8) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो संदाय ऐसे संरक्षक को किया जाएगा।

(5) 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890' के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, तो संदाय उस संरक्षक को किया जाएगा, यदि कोई हो, जिसे इस स्कीम के पैरा 44 के उप-पैरा (5) के अधीन नियुक्त किया गया है।

(6) 'संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890' या स्कीम के पैरा 44 के उप-पैरा (5) के अधीन कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, तो संदाय प्राकृतिक संरक्षक को किया जाएगा और प्राकृतिक संरक्षक के न होने पर, ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जिसे आयुक्त द्वारा किया जाएगा जहां रकम बीस हजार रुपये से अधिक न हो या केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जहां रकम बीस हजार रुपये से ज्यादा हो, अवयस्क का प्रतिनिधित्व करने वाला उचित व्यक्ति मानते हैं, और संदत रकम के लिए ऐसे व्यक्ति की रसीद ही इसके लिए पर्याप्त उन्मोचन (संदत की पुष्टि) होगा।

(7) इस स्कीम के अधीन जिस व्यक्ति को रकम संदत है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ (पागल) है और उसकी संपदा के लिए 'भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912' (1912 का 4) के अधीन कोई प्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो संदाय ऐसे प्रबंधक को किया जाएगा।

(8) जहाँ उप-पैरा (7) के अधीन ऐसा कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है, वहाँ संदाय मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक को किया जाएगा और यदि ऐसा कोई प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, तो संदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसे आयुक्त द्वारा किया जाएगा जहां रकम बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है या केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जहां रकम बीस हजार रुपये से अधिक है, उस व्यक्ति का सही प्रतिनिधि मानता है; और संदाय की गई रकम के लिए उस व्यक्ति की रसीद ही संदाय की पुष्टि के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(9) यदि आयुक्त के ध्यान में यह बात आती है कि मृतक सदस्य के मरणोपरांत कोई बालक पैदा होने वाला है, तो आयुक्त उस रकम को रोककर रखेंगे जो बालक के जीवित पैदा होने की दशा में उसे मिलनी चाहिए, और बाकी रकम का वितरण कर देंगे।

(10) जहां तत्पश्चात् कोई बालक पैदा नहीं होता है या बालक मृत पैदा होता है, तो रोकी गई रकम का वितरण इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार की दशा, जब सदस्य के खाते में जमा रकम संदाय के योग्य हो जाती है, तो-

(i) स्कीम में किए गए उपबंध के अनुसार तुरंत संदाय करना आयुक्त की ज़िम्मेदारी होगी।

(ii) भारत और किसी अन्य देश के बीच सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आने वाले सदस्य और फायदाग्राहियों के संबंध में देय रकम, संदाय पाने वाले के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(iii) अन्य सभी मामलों में, देय रकम भारत में संदाय पाने वाले के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(54) **दावों को फाईल करना.** — (1) प्रत्येक सदस्य सेवा छोड़ने के समय पर, इस स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, इस प्रयोजन के लिए अभिहित पोर्टल पर दावा आवेदन फाईल कर सकता है।

(2) सदस्य द्वारा ई-नामनिर्देशन फाईल न करने की दशा में, नियोजक, सदस्य की मृत्यु होने पर, पात्र फायदाग्राहियों से दावा आवेदन प्राप्त करेगा और आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर, उसे अग्रेषित करेगा।

(3) यदि दावेदार किन्हीं भी तकनीकी कारणों से ऑनलाइन माध्यम से अभिहित पोर्टल पर दावा फाईल करने में असमर्थ होता है, तो दावाकर्ता वह दावा भौतिक प्ररूप में नियोजक को अग्रेषित कर सकता है, जो उसे, उचित सत्यापन और अनुप्रमाणन के पश्चात् आवेदन प्राप्ति के पांच दिन के भीतर, आयुक्त को प्रेषित करेगा।

(4) दावा आयुक्त को या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और यदि आयुक्त ऑनलाइन माध्यम से दावा दाखिल न करने के कारणों से संतुष्ट है तो आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस आवेदन को नियोजक को भेज सकते हैं और नियोजक को उचित सत्यापन और अनुप्रमाणन के पश्चात् आवेदन प्राप्ति के पांच दिन के भीतर, आयुक्त को वापस प्रेषित करना होगा।

(5) उस व्यक्ति जिसे संदाय किया जाना है, को संदाय, किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है।

(6) उप-पैरा (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, केन्द्रीय बोर्ड, उचित समझी जाने वाली मौद्रिक सीमा के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को भविष्य निधि खाते से यथास्थिति सदस्य या पात्र फायदाग्राहियों, को दावे की प्राप्ति के बिना संदाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(7) सभी तरह से पूर्ण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किए गए दावों का निपटारा किया जाएगा और आयुक्त को दावे प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर फायदाग्राहियों को फायदे की रकम का संदाय किया जाएगा।

(8) दावे में कोई कमी पाई जाती है, तो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से बीस दिनों के भीतर दावाकर्ता को इसकी जानकारी दी जाएगी।

(9) आयुक्त बिना किसी ठोस कारण के, सभी तरह से पूर्ण दावे का निपटारा बीस दिनों के अंदर नहीं कर पाते हैं, तो उक्त अवधि के पश्चात् हुई देरी के लिए आयुक्त उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति में, फायदे की रकम पर वार्षिक 12% की दर से दंडिक ब्याज लगाया जा सकता है, जिसे आयुक्त के वेतन से काटा जाएगा।

**(55) अप्रवर्तनीय खाता.** – निम्नलिखित कारणों से सदस्य को देय कोई भी रकम 'अप्रवर्तनीय खाता' ज्ञात खाते में अंतरित कर दी जाएगी:

(i) छुट्टी की मजदूरी/मजदूरी के बकाया के संबंध में नियोजक से प्राप्त पूरक अभिदाय, किसी ऐसे सदस्य के संबंध में प्राप्त बकाया अभिदाय की किस्त जिसका दावा पहले ही निपटाया जा चुका है, किंतु जिसका संदाय नवीनतम पते के अभाव में नहीं किया जा सका; या

(ii) किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जमा राशि, जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है, या स्थायी रूप से विदेश प्रवास चला गया है, या जिसकी मृत्यु हो गई है, किन्तु जिसके संबंध में संदाय योग्य होने की दिनांक से 36 मास के भीतर इस स्कीम के अधीन निकासी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है; या

(iii) किसी व्यक्ति को भेजी गई कोई रकम जो बिना परिदत्त हुए वापस आ गई हो और संदाय योग्य होने की तारीख से 36 महीनों के भीतर जिसका दावा न किया गया हो,

परंतु उक्त अतिशेष के संदाय की दशा में, अप्रवर्तनीय खाते से रकम का संदाय किया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि किसी सदस्य को कोई रकम देय हो जाती है तो विधिक वाद या स्थापन द्वारा व्यतिक्रम के कारण पूरक अभिदाय के परिणामस्वरूप या किसी ऐसे दावे के कारण देय कोई रकम जिसका निपटारा हो चुका है किन्तु जो सदस्य की किसी गलती के बिना ही परिदत्त हुए बिना वापस प्राप्त हो गई हो तो ऐसी रकम को अप्रवर्तनीय खाते में अंतरित नहीं किया जाएगा।

## अध्याय-9

### वार्षिक रिपोर्ट

**56. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट.** – (1) लेखापरीक्षित लेखों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित केंद्रीय बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया

जाएगा तथा संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 10 दिसंबर से पहले होने वाली केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु रखा जाएगा ।

परंतु कि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात दिसंबर के पहले दिन या सप्ताह तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो लेखापरीक्षित लेखों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित, वार्षिक रिपोर्ट से अलग बोर्ड की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अंगीकृत केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा केन्द्रीय बोर्ड के लेखापरीक्षित लेखों सहित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को केन्द्रीय बोर्ड की सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(3) वार्षिक रिपोर्ट की चार प्रतियां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर केन्द्रीय बोर्ड की टिप्पणियों सहित, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात बीस दिसंबर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को संसद के समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

परंतु कि यदि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पहली दिसंबर तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो लेखापरीक्षित लेखे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित और उस पर केन्द्रीय बोर्ड की टिप्पणियों के साथ, वार्षिक रिपोर्ट से अलग, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

**57. केन्द्रीय बोर्ड के कार्यों का संचालन.** – (1) सभी आदेश और अन्य लिखतें केन्द्रीय बोर्ड के नाम से बनाए और निष्पादित की जाएंगी तथा उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में प्रमाणित किए जाएंगे जैसा केन्द्रीय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

(2) संपत्ति की सभी संविदाएं और बीमा को केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया गया अभिव्यक्त किया जाएगा और केन्द्रीय बोर्ड की ओर से आयुक्त द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

**58. फायदों का दुरुपयोग.** – (1) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस स्कीम के अधीन किसी भी स्थापन या किसी भी व्यक्ति को उपबंधित फायदों के किसी भी दुरुपयोग का पता लगाने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) जहां समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापना या किसी व्यक्ति ने इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट फायदे का दुरुपयोग किया है, तो ऐसा अधिकारी यथास्थिति, ऐसी स्थापना या ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के लिए, जो वह ठीक समझे, ऐसे फायदे से वंचित कर सकेगा:

परंतु ऐसी स्थापना या ऐसे व्यक्ति को, सुनवाई का अवसर दिए बिना यथास्थिति पारित नहीं किया जाएगा।

**59. हानियों को बट्टे-खाते डालना.** – जहां केन्द्रीय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन उसे देय अभिदाय , उपकर, ब्याज या नुकसानी की कोई भी रकम वसूल न होने योग्य है, तो वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा निधि की समग्र वित्तीय स्थिति का सम्यक ध्यान रखते हुए, यथास्थिति, ऐसे अभिदाय , उपकर, ब्याज या नुकसानी को बट्टे-खाते डाल सकेगा।

**उपाबंध**  
**(विशेष उपबंध)**

**(क). कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026.** – (1) कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और 31 अक्टूबर, 2026 को समाप्त हो जाएगा।

(2) कोई भी नियोजक, चाहे वह पहले से संहिता के अधीन कवर हो या न हो, को निम्नलिखित की अनुज्ञा दी जाएगी-

(क) कवरेज के लिए आवेदन करना; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों को नामांकित करना, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2009 और 31 अक्टूबर, 2026 के बीच उक्त स्थापना में कार्यभार ग्रहण किया हो, जो घोषणा की तारीख तक कार्यरत हों, परंतु जो किसी कारणवश पहले इस स्कीम के अधीन नामांकित नहीं थे।

(3) ऐसे घोषित कर्मचारियों के संबंध में अनुपालन, नियोजक द्वारा इस अभियान के अधीन ऐसी घोषणा के मास से आरंभ होगा, परंतु कर्मचारियों के अभिदाय का हिस्सा, पहले से न काटा गया हो और नियोजक के पास न रखा गया हो।

(4) यदि, यथास्थिति, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952' की धारा 7क के अधीन या संहिता की धारा 125, या 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026' के पैरा-11 या 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952' के पैरा 26-ख, या 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026' के पैरा-8 या 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995' के पैरा-8 के अधीन जिसमें जांच चल रही है और नियोजक इस अभियान को चुनता है, तो कर्मचारी और नियोजक दोनों का अभिदाय संहिता और उसके अधीन बनी स्कीमों के उपबंधों के अनुसार संदेय होगा।

(5) इस अभियान का फायदा उठाने के इच्छुक नियोजक को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित किए जा रहे प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक द्वारा प्रमाणित यूनिवर्सल खाता संख्या बनाया जाए और इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी के माध्यम से उनके अभिदाय का संदाय किया जाए।

(6) इसके पश्चात् नियोजक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध करवाई गई ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस अभियान के अधीन घोषणा करेगा, जिसमें नियोजक नामांकित कर्मचारियों के ब्यौरे उपदर्शित करेगा और उसे उस इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी (अस्थायी विवरणी संदर्भ संख्या) से लिंक करेगा जिसके माध्यम से अभिदाय का संदाय किया गया है, और एक सौ रुपए की नुकसानी का संदाय करेगा;

परंतु कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सदस्यता, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित मजदूरी सीमा तक ही निर्बंधित रहेगी;

परंतु 1 सितंबर 2014 के पश्चात् नियुक्त कोई भी नया कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन स्कीम का सदस्य नहीं होगा, यदि उसका वेतन, मजदूरी अधिकतम सीमा से अधिक है।

(7) नियोजकों द्वारा की गई घोषणा केवल कर्मचारी भविष्य निधि पोर्टल के माध्यम से ही अभिहित की जाएगी।

(8) एक से अधिक वचन या घोषणा-पत्र जमा करना अनुज्ञात होगा।

- (9) इस अभियान के अधीन घोषणा की तारीख से, नियोक्ता संहिता के उपबंधों का नियमित अनुपालन करेगा।
- (10) सभी स्थापनाएं कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 में भाग लेने के लिए पात्र हैं, इस तथ्य को विचार में लाए बिना किसी स्थापना को संहिता की धारा 125 के अधीन या निरसित अधिनियम की धारा 7क के अधीन, इस स्कीम के पैराग्राफ-11 या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 26-बी, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के पैराग्राफ-8 या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैराग्राफ 8 के अधीन जांच का सामना करना पड़ रहा है।
- (11) जांच अधिकारी मामले का विनिश्चय करते समय इस अभियान के अधीन की गई घोषणा पर विचार करेगा।
- (12) यदि नियोक्ता द्वारा जांच की नियत अवधि के संबंध में घोषणा की जाती है, तो इस अभियान के अधीन मिलने वाले फायदा, सभी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में, उनके मजदूरी या हिस्सा की रकम और घोषित नियोजन की अवधि के संबंध में, इस अभियान के अधीन यथाउपबंधित काल्पनिक नुकसानी तक ही सीमित रहेंगे।
- (13) नियोक्ता अपने संबंधित कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पिछली अवधियों के लिए घोषित कर्मचारियों के संबंध में हिस्सा जमा करेगा, जो इस प्रकार होगा -
- (क) नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा ही देना होगा, परंतु कर्मचारियों का हिस्सा नहीं काटा गया हो और नियोक्ता के पास रखा गया हो;
- (ख) यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी का हिस्सा पहले से नहीं काटा गया है, तो कर्मचारी के अंशदान को अभिव्यक्त कर दिया जाएगा।
- (ग) नियोजक, संहिता की धारा 127 के अधीन पिछली अवधि के लिए लागू होने वाले प्रशासनिक प्रभारों सहित ब्याज का भुगतान करना होगा।
- (14) संहिता की धारा 125 के अधीन या निरसित अधिनियम की धारा 7क के अधीन पहले से ही संपन्न किए गए निर्धारण के मामले, यथास्थित इस स्कीम के पैराग्राफ-11 या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 26-ख, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के पैराग्राफ-8 या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैराग्राफ 8, लंबित हैं और नियोक्ता इस अभियान का विकल्प चुनता है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (15) इस अभियान के अधीन फायदे उठाने वाले नियोजकों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन कर्मचारियों के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जो घोषणा की तारीख से पहले ही स्थापना छोड़ चुके हैं, परंतु स्थापना द्वारा एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाए कि-
- (क) सभी विद्यमान और पात्र कर्मचारियों को घोषित किया गया है; और
- (ख) विद्यमान या पूर्ववर्ती कर्मचारियों के हिस्सा के हिस्से से संबंधित कोई रकम जो उसके संबंध में नियोक्ताओं के अंशदान की लागू रकम के साथ उसमें से काटा गया था, निधि में जमा करने के लिए लंबित नहीं है।
- (16) इस अभियान के अधीन पात्र कर्मचारियों की घोषणा, ऐसे घोषित कर्मचारियों के नियोजन और नियोजन निबंधनों से संबंधित तथ्यों का दुर्व्यदिशन किया गया है या दबाया गया है, ऐसी घोषणा शुरू से ही शून्य होगी और ऐसा समझा जाएगा कि घोषणा इस स्कीम के अधीन नहीं की गई है और ऐसी घोषणा करने वाला नियोक्ता संहिता के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(17) स्कीम के अधीन कवरेज और फायदों के विस्तार को बढ़ाने के प्रयोजनाधीन से, सदस्य का अंशदान इस अभियान के अधीन 1 अप्रैल, 2009 से शुरू होने वाली और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अधिव्यक्त कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि इस अभियान के अधीन ऐसा अधित्यजन तभी लागू होगी, जब सदस्य का अंशदान नहीं वसूला गया है।

(18) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी से नामांकन अभियान, 2026 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर नुकसानी के रूप में रकम का उदग्रहण और वसूली कर सकेगा।

### सारणी

चूक की अवधि	नुकसानी की दर
1 जुलाई 2009 के पहले दिन से 31 मार्च 2026 के बीच	कर्मचारी नामांकन अभियान-2026 के अधीन एक सौ रुपये।

**ख. विश्वास, 2026.-** (1) नुकसानी से संबंधित विशेष उपबंधों को विश्वास, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह स्कीम की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

(3) इस अवधि को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर अधिकतम छह मास तक बढ़ाया जा सकता है और इसे सूचनार्थ केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(4) 14 जून, 2024 से पहले की अवधि के लिए विश्वास, 2026 अंशदान के भुगतान में चूक के लिए नुकसानियों हेतु लागू होगी।

(5) विश्वास, 2026 को, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 32क के साथ निरसित अधिनियम की धारा 14ख और इस स्कीम के पैराग्राफ 23 के साथ संहिता की धारा 128 पठित जाएगा जो निम्नलिखित प्रवर्गों पर लागू होगी: -

(क) जहां, यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन या संहिता की धारा 128 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है और विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा किसी न्यायिक मंच के समक्ष विवादित हो।

(ख) जहां, यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन या संहिता की धारा 128 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, और वसूली योग्य रकम अभी उद्ग्रहित हो।

(ग) जहां, यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन या संहिता की धारा 128 के अधीन, नोटिस जारी किया गया हो और अंतिम आदेश अभी जारी किया जाना हो; या,

(घ) जहां, यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन या संहिता की धारा 128 के अधीन, अभी नोटिस जारी किया जाना हो।

(6) विश्वास 2026 ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन या संहिता की धारा 128 के अधीन, पूरी रकम पहले ही जमा की जा चुकी हो।

(7) अन्यथा लागू नुकसानी दर के होते हुए भी, विश्वास, 2026 के अधीन नुकसानी दर स्कीम के पैराग्राफ 23 के उप-पैराग्राफ (1) में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(8) किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष निरसित अधिनियम की धारा 7इ के अधीन उप-पैराग्राफ (5) में विनिर्दिष्ट फाइल की गई अपील या पारित किया आदेश नोटिस या आदेश के विरुद्ध, उप-पैराग्राफ (7) में यथाविनिर्दिष्ट की नुकसानियों ऐसी रकम के प्रेषण पर, स्थगित हो जाएगी।

(9) विश्वास, 2026 निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी: -

(क) निरसित अधिनियम की धारा 7थ या संहिता की धारा 127 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन अवधि के तत्स्थानी प्रेषण के विलंबित मास के लिए ब्याज पूर्ण रूप से जमा या वसूल किया गया;

(ख) नियोक्ता एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि इस स्कीम के अधीन विवाद के प्रकार समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप किसी भी मंच के समक्ष कोई और अपील फाइल नहीं की जाएगी।

(10) शोधों की वसूली, आंशिक रूप से भुगतान या वसूली निम्नानुसार होगी:

(क) निरसित अधिनियम की धारा 14स के अधीन कोई असंदत्त रकम निम्नानुसार विनियमित की जाएगी: -

(i) जहां आंशिक रूप से भुगतान की गई रकम, उप-पैराग्राफ (7) के अनुसार गणना की गई नुकसानी से अधिक है, वहां स्थापना को कोई भी रकम वापस नहीं की जाएगी और न ही इसे जमा करने में देरी की उक्त अवधि के लिए निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन जारी किसी अन्य आदेश या नोटिस के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा

(ii) जहां आंशिक रूप से संदत्त रकम उप-पैराग्राफ (7) के अनुसार नुकसानी से अधिक है, वहाँ स्थापना उप-पैराग्राफ (7) के अनुसार संगणित नुकसानियों की विभेदक रकम का भुगतान करेगी;

(ख) निरसित अधिनियम की धारा 7-ण या संहिता की धारा 23 के अधीन पूर्व-जमा रकम :-

यथास्थिति, निरसित अधिनियम की धारा 7-ण के अधीन या संहिता की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन निरसित अधिनियम की धारा 7स या संहिता की धारा 23 के अपील फाइल करने के लिए जमा रकम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जमा रकम को निरसित अधिनियम के अधीन स्थापना द्वारा विधिमान्य जमा माना जाएगा और इसके अधीन विनियमित किया जाएगा:

(i) उप-पैराग्राफ (7) के अधीन देय नुकसानियों के रूप में संगणित रकम और निरसित अधिनियम की धारा 7-ण के अधीन या संहिता की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन जमा रकम के बीच अंतर रकम स्थापना द्वारा संदत्त की जाएगी;

(ii) जहां निरसित अधिनियम की धारा 7-ण के अधीन या संहिता की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन जमा की गई अन्तर रकम, उपपैरा (7) के अधीन देय नुकसानियों के रूप में संगणित रकम से अधिक है, वहां अन्तर अतिरिक्त रकम का पहले निरसित अधिनियम की धारा 14ख के अधीन जारी किए गए किसी अन्य आदेश या संहिता की धारा 128 के अधीन जारी किए जाने वाले किसी नोटिस के विरुद्ध स्थापना द्वारा देय अंशदायों के प्रति प्रेषण में विलम्ब की किसी पश्चातवर्ती अवधि के लिए समायोजन किया जाएगा।

(11) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रचालन मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेंगे।

**ग. एमनेस्टी, 2026.-** (1) छूट प्राप्त स्थापनाओं से संबंधित अनुबंधों को एमनेस्टी, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह स्कीम की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

(3) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर अवधि को अधिकतम छह मास तक बढ़ाया जा सकता है।

(4) जिन छूट प्राप्त स्थापनाओं ने एमनेस्टी, 2026, छूट के लिए आवेदन किया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 और 27 क और संहिता की धारा 143 के साथ पठित निरसित अधिनियम की धारा 17 के अधीन भूतलक्षी रूप से प्रदान की जाएगी।

**स्पष्टीकरण:** इस पैरा के प्रयोजन के लिए, यह उपबंध उन स्थापनाओं पर लागू होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन मान्यता के आधार पर भविष्य निधि न्यास का प्रचालन कर रहे हैं, किंतु जिनके पास संहिता या निरसित अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा छूट के अनुदान की औपचारिक अधिसूचना नहीं है।

(5) निम्नलिखित प्रवर्गों की स्थापनाएं, 2026 के लिए छूट की पात्र हैं:

**(i) प्रवर्ग-1:** वे स्थापनाएं जो अपने भविष्य निधि न्यासों के लिए भूतलक्षी रूप में छूट नियमितीकरण चाहते हैं और पहले से ही एक गैर-छूट प्राप्त स्थापना के रूप में अनुपालन शुरू कर चुके हैं या एक गैर-छूट प्राप्त स्थापना के रूप में संभावित अनुपालन का विकल्प चुन रहे हैं और आगे निम्नलिखित के रूप में उप-वर्गीकृत हैं:

(क) अपवर्जित कर्मचारियों के लिए बनाए गए न्यास; या

(ख) गैर-अपवर्जित कर्मचारियों के लिए बनाए गए न्यास ,

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन ;

**(ii) प्रवर्ग-2:** वे स्थापनाएं जो अपने भविष्य निधि न्यासों के लिए भूतलक्षी रूप में नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और संहिता के अधीन छूट प्राप्त स्थापना के रूप में जारी रखने का विकल्प चुन रहे हैं।

(6) प्रवर्ग-1 की स्थापनाओं के लिए एमनेस्टी, 2026 के उपबंध :-

(i) स्थापना की भूतलक्षी छूट और न्यास की स्थापना और मान्यता को प्रारंभ से कट-ऑफ तारीख अर्थात् ऐसी तारीख तक जिससे गैर-छूट के रूप में अनुपालन किया जाता है या भविष्य की ऐसी तारीख (विधिमान्य अवधि से परे नहीं) जिससे इसे स्थापना द्वारा एक गैर-छूट वाली स्थापना के रूप में अनुपालन करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है;

(ii) वह अवधि जिसके लिए न्यास कार्य कर रहा है, यह समझा जाएगा कि वह तीन वर्ष के अनुपालना को पूरा करता है जो कि संहिता के अधीन सरकार द्वारा जारी छूट के अनुदान से संबंधित नियमों के अधीन अपेक्षित है;

(iii) संहिता के अधीन सरकार द्वारा जारी छूट देने से संबंधित नियमों के अधीन अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या और/या कोष की न्यूनतम अपेक्षा को अधित्यक्त कर दिया जाएगा;

(iv) भविष्य निधि शेष से कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 और/या कर्मचारी पेंशन स्कीम , 2026 में अंतरण की अनुज्ञा उन गैर-अपवर्जित कर्मचारियों के संबंध में दी जाएगी, जो कट-ऑफ तारीख पर सेवा में हैं और जिन्हें अनिवार्य रूप से कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 का सदस्य बनने की अपेक्षा थी, किंतु जिन्हें पहले सदस्य नहीं बनाया गया था;

(v) स्थापना को केवल इस आधार पर चूक में नहीं माना जाएगा कि स्थापना और न्यास की छूट का औपचारिक अनुमोदन और अधिसूचना नहीं थी और शोध के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी, परंतु सदस्य खातों में जमा किए गए अंशदान और ब्याज की दर वैधानिक दरों के बराबर या बेहतर हो:

परंतु ऐसी कोई कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में वापस ले ली जाएगी और समाप्त कर दी जाएगी;

(vi) स्थापना को केवल इस आधार पर चूक में नहीं माना जाएगा कि स्थापना और न्यास की छूट का औपचारिक अनुमोदन और अधिसूचना नहीं थी और की गई नुकसानी और ब्याज के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी, परंतु सदस्य खातों में जमा किए गए अंशदान और ब्याज की दर वैधानिक दरों के बराबर या बेहतर हो:

परंतु यदि ऐसी कोई कार्यवाही शुरू की गई है (किंतु पूरी नहीं हुई है) तो ऐसी स्थिति में वापस ले ली जाएगी और समाप्त कर दी जाएगी;

(vii) शोध और संबंधित नुकसानी और ब्याज का निर्धारण, किसी भी छूटे हुए कर्मचारी के संबंध में लागू होगा और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 28 के अधीन स्थापना से न्यास को निधि के अंतरण में या अंतरण में देरी की दशा में लागू होगा;

(viii) यदि, शोध, नुकसानियों, ब्याज के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही पूरी हो गई है और आदेश जारी किए गए हैं, ऐसे आदेशों को शुरू से ही शून्य माना जाएगा और कोई भी रकम जो वसूली गई है उसे भविष्य के शोध के विरुद्ध समायोजित करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(ix) स्थापना ऐसे अधिभार के लिए दायी होगा जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में सरकार द्वारा समय-समय पर न्यास की स्थापना से लेकर गैर-छूट प्राप्त स्थापना के रूप में अनुपालन की तारीख तक छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट निवेश के पैटर्न के किसी भी उल्लंघन या विचलन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए;

### **(7) एमनेस्टी, 2026 का लाभ उठाने वाली स्थापनाओं का उत्तरदायित्व**

(i) एमनेस्टी, 2026 के फायदों का लाभ उठाने के लिए स्थापना केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार को आवेदन करेंगी;

(ii) स्थापना उन कर्मचारियों की सूची प्रदान करेगी जो कट-ऑफ तारीख पर अंशदान दे रहे हैं या सेवा में हैं, साथ ही उन कर्मचारियों की सूची, जिन्होंने सेवा छोड़ दी है, किंतु जिनके खातों का उस तारीख को उनके प्रत्यय में संचय के साथ अभी तक निपटान नहीं हुआ है और कट-ऑफ तारीख से पहले की अवधि के लिए कर्मचारियों द्वारा सेवाओं और फायदों से संबंधित किसी भी विवाद से उत्पन्न होने वाला कोई भी दायित्व नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा;

(iii) स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्तिगत सदस्यों के खाता-पत्र सहित न्यास के खातों का लेखा-परीक्षण एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कट-ऑफ तारीख पर किया गया है;

(iv) उन कर्मचारियों के संबंध में सदस्यता, अंशदान और फायदों का कोई विवाद, जिन्होंने अतीत में सेवा छोड़ दी थी और जिनके खातों का निपटान न्यास द्वारा किया गया था या भूतकाल में सेवा के दावे स्थापना द्वारा निपटाये जाते रहेंगे और कट-ऑफ तारीख से पहले की अवधि के लिए कर्मचारियों द्वारा सेवाओं और फायदों से संबंधित किसी भी विवाद से उत्पन्न होने वाला कोई भी दायित्व नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा;

(v) स्थापना, न्यास की स्थापना की तारीख से कट-ऑफ तारीख तक किए गए निवेशों और आगे के संव्यवहार, यदि कोई हो, के ब्यौरे आयुक्त को ऐसे विशेषज्ञों या विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा सत्यापन के लिए प्रदान करेगी, जैसा कि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(vi) स्थापना, न्यास द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय में उत्पन्न किसी भी हानि की प्रतिपूर्ति करेगी और निवेश के पैटर्न से विचलन के लिए किसी भी अधिभार या शास्ति का भुगतान करेगी;

(vii) न्यास के लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के अनुक्रम में लेखाओं के प्रबंधन और निधियों और निवेशों के संचालन में किसी भी कमी या अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारी नियोजक द्वारा वहन किया जाएगा;

(viii) स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि न्यास से निधि में कोष का अंतरण, यदि पहले से नहीं किया गया है; आयुक्त द्वारा उन्हें सूचित की गई रीति और समय सीमा में किया गया है।

(ix) स्थापना ईपीएफ प्राधिकारियों की मांग पर, न्यास और स्थापना के अभिलेख प्रस्तुत करके पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगी;

(x) स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि ईपीएफ अधिकारियों द्वारा निदेशित कोई भी अनुपालन लेखा परीक्षा और विशेष लेखा परीक्षा, एमनेस्टी के लिए आवेदन की तारीख से तीन मास के भीतर पूरी हो जाए;

(xi) ईपीएफ अधिकारियों द्वारा सूचित विशेष लेखा परीक्षा के लिए प्रभार, स्थापना द्वारा वहन किए जाएंगे;

**(8) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निम्नानुसार विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा:

- (i) ईपीएफओ स्थापनाओं से आवेदन स्वीकार करेगा और औपचारिकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगा;
- (ii) ईपीएफओ समानांतर कार्रवाई करेगा और न्यास के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं को जमा करने और ईपीएफओ कार्यालयों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को जमा करने के छह मास के भीतर अनुपालन लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा अभिकरण के समनुदेशन और विशेष लेखापरीक्षा को पूरा करेगा;
- (iii) ईपीएफओ, कमियों और शोध, अधिभारों और शास्तियों के बारे में बताएगा जो स्थापना द्वारा समयबद्ध रीति से देय होंगे और स्थापना द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति और शिकायतों को भी संबोधित करेगा;
- (iv) ईपीएफओ, एक गैर-छूट प्राप्त स्थापना के रूप में अनुपालन करने के लिए स्थापना के आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करना और छूट की स्थिति को नियमित करना और प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति या शिकायत का समाधान करना सुनिश्चित करेगा;
- (v) स्थापनाओं के मामले में, जो एक संभावित कट-ऑफ तारीख के लिए आवेदन करती हैं, सरकार के आदेशों के पश्चात् एक विशेष कट-ऑफ तारीख से गैर-छूट वाली स्थापनाओं के रूप में अनुपालन की अनुज्ञा देती हैं, ईपीएफओ, न्यास से निधि में निधियों का सुचारू अंतरण और व्यक्तिगत खातों में शेष रकम का जमा करना सुनिश्चित करेगा;
- (vi) स्थापनाओं को उनके आवेदन की तारीख से लेखापरीक्षा और लेखों को अद्यतन करने के लिए छह मास की समय सीमा की अनुज्ञा दी जाएगी;

**(9) प्रवर्ग-2 स्थापनाओं के लिए एमनेस्टी, 2026 के उपबंध-**

प्रवर्ग-2 के रूप में वर्गीकृत स्थापनाएं, उप-पैराग्राफ 8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, संहिता के उपबंधों, के अधीन बनाए गए नियमों और इस स्कीम का भी पालन करेगी।

**(10) अतिरिक्त शर्तें-** एमनेस्टी के अनुदान के लिए अतिरिक्त शर्तों को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है:

- (i) अंशदान और उस पर ब्याज की दर गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भविष्य निधि फायदों से कम अनुकूल नहीं होगी और ब्याज या अंशदान में कमी, नियोजक द्वारा वहन की जाएगी;
- (ii) विश्वास स्कीम के उपबंध निरसित अधिनियम की धारा 14 ख और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 के अधीन शास्ति के रूप में नुकसानी के उद्ग्रहण के मामलों में लागू होंगे;
- (iii) कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 के उपबंध सदस्यता को छिपाने के मामलों में ऐसी स्थापनाओं पर लागू होंगे;
- (iv) भूतलक्षी तारीख से कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 की सदस्यता कर्मचारी पेंशन स्कीम , 1995 के अधीन पात्र मामलों को छोड़कर इस स्कीम के अधीन अनुज्ञा नहीं होगी:

परंतु ऐसे मामलों में नियोजक के भविष्य निधि के हिस्से से कर्मचारी पेंशन निधि, 1995 या कर्मचारी पेंशन स्कीम , 2026 में रकम के अपयोजन की अनुज्ञा दी जाएगी;

(v) स्थापना, न्यास में भाग लेने वाली स्थापनाओं के कर्मचारियों की केवाईसी अपेक्षाओं को अद्यतन करेगी।

**(11) आदेश जारी करना:** समुचित सरकार पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त होने के छह मास के भीतर एमनेस्टी, 2026 की स्वीकार्यता के संबंध में अंतिम आदेश जारी करेगी।

### प्रपत्र 1

[पैराग्राफ 12(1) देखें]

सेवा में,  
समुचित सरकार

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के सभी या निम्नलिखित उपबंधों के प्रचालन से छूट  
के लिए आवेदन

महोदय,

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के सभी या निम्नलिखित उपबंधों के प्रचालन से छूट के लिए आवेदन करता हूँ / करती हूँ

क \_\_\_\_\_  
ख \_\_\_\_\_

मेरे ब्यौरे निम्नानुसार हैं

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में

2. जन्म तिथि
  3. लिंग
  4. आधार संख्या
  5. यूएन
  6. सदस्य आईडी या ईपीएफ खाता संख्या
  7. पता
  8. स्थापन का नाम
  9. स्थापन का ईपीएफ कोड संख्या
1. मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि ऊपर बताए गए सभी विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
  2. मैं एताद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उपर्युक्त उपदर्शित प्रयोजन के लिए मेरी आधार जानकारी का उपयोग करने की सहमति देता हूँ / देती हूँ।

तारीख:

स्थान:

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत ब्यौरे स्थापन के अभिलेख के अनुसार सही हैं।

तारीख:

स्थान:

नियोक्ता का नाम और हस्ताक्षर /स्थापन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

## प्रपत्र 2

## [पैराग्राफ 12(2)(ii) देखें]

(किसी छूट प्राप्त स्थापन या स्थापन के कर्मचारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए ऑनलाइन विवरणी)  
फील्डवार निर्देश

## भाग क: स्थापन का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	डाटा का प्रकार	अभियुक्ति
क.	स्थापन आईडी	नियोक्ता द्वारा लॉग इन के आधार पर स्वतः भर जाएगा	बी और या सी के डाटा में किसी भी बदलाव के लिए नियोक्ता संबंधित क्षे.भ.नि.आ. को दस्तावेजों सहित ईमेल भेज सकता है
ख.	स्थापन का नाम	नियोक्ता द्वारा लॉग इन के आधार पर स्वतः भर जाएगा	
ग.	पता	नियोक्ता द्वारा लॉग इन के आधार पर स्वतः भर जाएगा	
घ.	स्थापन का पैन	डाटा प्रविष्टि	पैन और पैन के अनुसार नाम का सत्यापन आयकर डाटाबेस से किया जाएगा
ङ.	पैन के अनुसार स्थापन का नाम	डाटा प्रविष्टि	
च.	स्वामित्व का प्रकार	ड्रॉप डाउन सूची से चयन	सूची देखने के लिए कृपया उपाबंध क देखें
छ.	प्राथमिक गतिविधि	ड्रॉप डाउन सूची से चयन	सूची देखने के लिए कृपया उपाबंध ख देखें
ज.	धारा या पैरा के अधीन छूट	ड्रॉप डाउन सूची से चयन	सूची देखने के लिए कृपया उपाबंध ग देखें
झ.	i. शिथिलता आदेश संख्या ii. शिथिलता आदेश तारीख iii. जारीकर्ता v. शिथिलता प्रभावी होने की तारीख	डाटा प्रविष्टि डाटा प्रविष्टि ड्रॉप डाउन सूची से चयन डाटा प्रविष्टि	I(i) से (viii) तक के क्षेत्र प्रदर्शित किए जाएंगे
	v. अधिसूचना संख्या vi. अधिसूचना की तारीख vii. जारीकर्ता viii. अधिसूचना प्रभावी होने की तारीख	डाटा प्रविष्टि डाटा प्रविष्टि ड्रॉप डाउन सूची से चयन डाटा प्रविष्टि	अनिवार्य क्षेत्र अनिवार्य क्षेत्र

झ	पैरा 27 के अधीन छूट के मामले में, आदेश संख्या		यदि क्र. सं. ज के अधीन पैरा 27 है तो ये क्षेत्र दिखाई देंगे। नियोक्ता को किसी सदस्य को छूट प्रदान करने वाला पहला आदेश दर्ज करना आवश्यक है।
	i. आदेश की तारीख	डाटा प्रविष्टि	
	ii. प्रभावी तारीख	डाटा प्रविष्टि	यदि क्र. सं. ज के अधीन पैरा 27 है तो ये क्षेत्र दिखाई देंगे। नियोक्ता को किसी सदस्य को छूट प्रदान करने वाला पहला आदेश दर्ज करना आवश्यक है। लिंक पृथक कोड या उप कोड की सूची दिखाता है जिसे प्ररूप 5क में अद्यतन किया गया है।
	iii. जारीकर्ता	अद्यतन	
ञ	पृथक या उप कोड रखने वाली शाखाएं	लिंक पर क्लिक करें	नियोक्ता को अपनी उन सभी शाखाओं को भी सूचीबद्ध करना आवश्यक है जो स्थापन के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित हैं और जिनके पास कोई पृथक या उप कोड संख्या नहीं है जहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी न्यास के तहत अनुपालन कर रहे हैं। नियोक्ता प्ररूप 5क में नई शाखा जोड़ सकता है।
ट	पृथक या उप नंबर रखने वाली शाखाएं	यहाँ लिंक पर क्लिक करें	डिफॉल्ट वैल्यू 12 प्रतिशत होगी
ठ	अंशदान दर	यथानुसार (10% या 12%) से चयन	

**टिप्पण:** (भाग ग, घ, ङ केवल प्रविष्टि की अनुमति देंगे जब भाग क, ख भरे हों। भाग ङ और च केवल तभी प्रविष्टि की अनुमति देंगे जब विवरणी दाखिल करने वाली स्थापन मूल न्यास भी हो, (भाग ख देखें))

### भाग क में डाटा का संपादन

एक बार डाटा सहेजने के बाद डाटा में कोई भी बदलाव होने पर 'संशोधित करें' बटन पर क्लिक करके इसे बाद में संशोधित किया जा सकता है।

हालाँकि निम्नलिखित डाटा को संशोधित नहीं किया जा सकता है:

1. स्थापन का नाम और पता। यदि कोई बदलाव होता है तो नियोक्ता को सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित भविष्य निधि कार्यालय से अनुरोध करना होगा ताकि डाटा पहले ईपीएफओ एप्लिकेशन में बदला जाए और इसे स.भ.नि.आ. के स्तर पर एकीकृत पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।
2. स्थापन का पैन और पैन के अनुसार नाम यदि डाटा सत्यापित हो चुका है और स्थिति सत्यापित दिखाई दे रही है।
3. शिथिलता आदेश या अधिसूचना से संबंधित धारा या पैरा का चयन और ऐसे आदेश का विवरण, क्योंकि विवरणी का प्रारंभिक माह छूट की "प्रभावी होने की तारीख" के आधार पर निर्धारित होता है।

**भाग ख: न्यास का विवरण**

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	डाटा का प्रकार	अभियुक्ति
क.	न्यास का पैर	डाटा प्रविष्टि	पैर और पैर के अनुसार नाम का सत्यापन आयकर डाटाबेस से किया जाएगा
ख.	पैर के अनुसार न्यास का नाम	डाटा प्रविष्टि	
ग.	अभिलेख के अनुसार न्यास का नाम	प्रदर्शित	नाम ईपीएफओ के अभिलेख से प्रदर्शित किया जाएगा
घ.	पता पंक्ति 1	डाटा प्रविष्टि	
ङ.	पंक्ति 2	डाटा प्रविष्टि	
च.	शहर	डाटा प्रविष्टि	
छ.	जिला	चयन	
ज.	राज्य	चयन	
झ.	पिन	डाटा प्रविष्टि	
ञ.	न्यास को मान्यता देने वाली आयकर आदेश संख्या	डाटा प्रविष्टि	कृपया सूचित करें कि क्या न्यास को आयकर विभाग द्वारा मान्यता दी गई है
ट.	आयकर न्यास की तारीख	डाटा प्रविष्टि	यथोपरि
ठ.	आयकर आदेश की तारीख	सहभागी चयन	यदि न्यास एकल स्थापन है, उसकी उन सभी शाखाओं सहित जिन्हें पृथक छूट प्रदान नहीं की गई है, भविष्य निधि अंशदान को संभाल रहा है तो कृपया 'एकल' चुनें। यदि न्यास अन्य सहभागी इकाइयों के भी अंशदान संभाल रहा है तो 'सीपीएफ न्यास' चुनें
ड.	मूल न्यास रखने वाले स्थापन का विवरण यदि (ठ) सामान्य पीएफ न्यास है	क्षेत्र निम्नानुसार होंगे,	यदि विवरणी भरने वाले स्थापन न्यास को संभालने वाले स्थापन के रूप में अपना कोड संख्या दर्ज करता है तो वह भाग ड और च में विवरण दर्ज करने में सक्षम होगा। यदि न्यास को किसी अन्य कोड द्वारा संभाला जाता है और स्थापन इकाई दाखिल कर रही है तो वह भाग ड और च में मूल न्यास द्वारा दर्ज किए गए डाटा को देख सकेगी। मार्च 2012 के बाद शाखा द्वारा किए गए अनुपालन को देखने

			का एक लिंक भी दिखाई देगा। अधिक शाखाओं के लिए पंक्ति जोड़ने की सुविधा होगी
ढ	अध्यक्ष का विवरण	निम्नलिखित क्षेत्र होंगे	
	नाम	डाटा प्रविष्टि	
	अध्यक्ष का आधार या पैन या यूएएन	डाटा प्रविष्टि	
	पदनाम	डाटा प्रविष्टि	
ण	प्रतिनिधियों का विवरण	निम्नलिखित क्षेत्र होंगे	विवरण भरने वाले स्थापन के प्रतिनिधियों का विवरण दर्ज किया जा सकता है
	नाम	डाटा प्रविष्टि	
	प्रतिनिधि का आधार या पैन या यूएएन	डाटा प्रविष्टि	
	पदनाम	डाटा प्रविष्टि	
	कर्मचारी या नियोक्ता प्रतिनिधि	चयन	
	निर्वाचित या नामांकित सदस्य	चयन	
त	डिमैट खाता विवरण	क्षेत्र जोड़ने की सुविधा होगी	अधिक खातों के लिए पंक्तियाँ जोड़ने की सुविधा होगी
	खाता संख्या	चयन प्रविष्टि	
	डिपॉजिटरी प्रतिभागी	चयन प्रविष्टि	
	डिपॉजिटरी का प्रकार	चयन	
थ	सीएसजीएल या एसजीएल खाता विवरण	क्षेत्र जोड़ने की सुविधा होगी	अधिक खातों के लिए पंक्तियाँ जोड़ने की सुविधा होगी
	खाता संख्या	डाटा प्रविष्टि	
	डिपॉजिटरी प्रतिभागी	डाटा प्रविष्टि	
	खाते का प्रकार	चयन	
द	न्यास बैंक खाता	निम्नलिखित क्षेत्र होंगे	यह विवरण इसलिए एकत्र किया जा रहा है ताकि ईपीएफओ कार्यालय और अन्य न्यास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीएफ राशि स्थानांतरित कर सकें। केवल एक ही खाता जोड़ा जा सकता है ताकि सभी भुगतान उसी में भेजे जाएं। यह जानकारी ईपीएफओ कार्यालयों और पीएफ छूट प्राप्त न्यासों को उपलब्ध कराई जाएगी और ऑनलाइन अंतरण दावा प्रारूप में भी स्वतः प्रदर्शित होगी
एस	बोर्ड के अंतिम गठन की तारीख	डाटा प्रविष्टि	कृपया वह डाटा दर्ज करें जब न्यासी बोर्ड का अंतिम बार गठन किया गया था

**टिप्पण:** भाग ग, घ और ङ केवल तभी प्रविष्टि की अनुमति देंगे जब भाग क और ख भरे हों।  
भाग ङ और च केवल तभी प्रविष्टि की अनुमति देंगे जब विवरण दाखिल करने वाले स्थापन सामान्य पीएफ न्यास के मामले में मूल न्यास भी हो।

### भाग ख में डाटा का संपादन

एक बार डाटा सहेजने के बाद डाटा में कोई भी बदलाव होने पर एपीएफसी के स्तर पर संपादित करें बटन पर क्लिक करके इसे बाद में संपादित किया जा सकता है।

हालाँकि निम्नलिखित डाटा को संपादित नहीं किया जा सकता है:

1. न्यास का पैन और पैन के अनुसार नाम यदि डाटा सत्यापित हो चुका है और स्थिति सत्यापित दिखाई दे रही है।
2. एकल और सामान्य पीएफ न्यास के संबंध में चयन और बाद की प्रविष्टि क्योंकि यह भाग ङ और च के डाटा को प्रभावित करेगा।

### भाग ग, घ और ङ (मासिक भाग)

भाग ग और घ प्रत्येक माह सभी स्थापनों द्वारा भरे जाने हैं।

भाग ङ प्रत्येक माह केवल मूल न्यास द्वारा भरा जाना होगा और छूट प्राप्त सहभागी इकाइयों को इसे देखने का अधिकार होगा।

### भाग ग :(i) कर्मचारी विवरण (मासिक भाग)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का प्रकार	अभियुक्ति
क	पिछले मास की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	एक बार की डाटा प्रविष्टि (केवल प्रथम विवरण में।) अगले मास पिछले मास की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या स्वतः प्रदर्शित हो जाती है
ख	चालू मास में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	
ग	चालू मास के दौरान छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	क +ख +ग का योग। सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं
घ	चालू मास के अंत में कर्मचारियों की संख्या	प्रदर्शित	
ङ	उपर्युक्त घ में से अपवर्जित कर्मचारियों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	
च	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके लिए स्थापन को अनुपालन करना है	प्रदर्शित	च = क +ख -ङ
छ	अनुबंध कर्मचारी विवरण	न्यास के तहत अनुपालन स्थापन के किसी अन्य कोड के तहत गैर छूट प्राप्त के रूप में अनुपालन	डाटा प्रविष्टि
		ठेकेदार के संबंधित कोड	

		के माध्यम से अनुपालन	
ज	स्थापन के सीधे पेरोल पर कर्मचारी	छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में	डाटा प्रविष्टि। छ और ज का योग च के बराबर होना चाहिए
		गैर छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में	
झ	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की संख्या		डाटा प्रविष्टि
ञ	दिव्यांग श्रमिकों की संख्या		डाटा प्रविष्टि
ट	निष्क्रिय खातों की संख्या		
ठ	निष्क्रिय खातों में पीएफ शेष की कुल राशि		
ड	निष्क्रिय खाते में पीएफ शेष पर ब्याज की राशि		
ढ	गैर केवाईसी खातों की संख्या		
ण	गैर केवाईसी खातों में पीएफ शेष की राशि		
त	गैर केवाईसी खातों में पीएफ शेष पर ब्याज की राशि		

**भाग ग : (ii) कर्मचारियों का विवरण: अंशदान, ब्याज, निपटान और आंशिक निकासी (मासिक)**

क्र. सं.	सदस्य का नाम	यूएन	प्रारंभिक शेष		अंशदान		निपटान या आंशिक निकासी		जमा ब्याज		अंतिम शेष	
			EE	ER	EE	ER	EE	ER	EE	ER	EE	ER

EE कर्मचारी हिस्सा

ER नियोक्ता हिस्सा

**भाग घ : अंशदान विवरण (मासिक)**

क्र. सं.	फील्ड का नाम	फील्ड का प्रकार	अभियुक्ति
क	नियोक्ता से अभी भी देय पीएफ अंशदान का प्रारंभिक शेष	डाटा प्रविष्टि	प्रथम विवरण के साथ केवल एक बार डाटा प्रविष्टि। बाद के मास में यह स्वतः प्रदर्शित होगा
ख	अंशदान के लिए उत्तरदायी पीएफ वेतन	डाटा प्रविष्टि	
ग	EE हिस्सा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि
घ		डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि
ङ	ER हिस्सा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि
च		डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि
छ	प्रतिदाय	मास में देय	डाटा प्रविष्टि
ज		स्थानांतरित	डाटा प्रविष्टि
झ	कुल देय	स्वतः प्रदर्शन	यह कुल देय राशियों अर्थात् क+ख+ग+घ को जोड़कर राशि प्रदर्शित करेगा
ञ	अंशदान के अंतरण का विवरण	राशि/ डाटा	यदि निधियों का अंतरण भागों में किया गया हो, तो

		प्रविष्टि।	“पक्ति जोड़ो” बटन पर क्लिक करें और राशि दर्ज करें
		तारीख/ चयन	
ट	न्यासी बोर्ड को अंतरित कुल राशि	स्वतः प्रदर्शन	
ठ	भुगतान किया गया ब्याज	डाटा प्रविष्टि	न्यास को विलंबित अंतरण के लिए नियोक्ता द्वारा न्यास को भुगतान किया गया ब्याज

माह तक हर्जाना (रुपये).....

माह तक ब्याज (रुपये).....

### भाग ड : निवेश का विवरण (केवल मूल न्यास द्वारा मासिक भाग)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का प्रकार	अभियुक्ति	
क	प्रतिभूतियां	स्वतः प्रदर्शन	लिंक (प्रतिभूतियां) के माध्यम से प्रथम विवरण में डाटा प्रविष्टि के बाद प्रारंभिक शेष का अंकित मूल्य प्रदर्शित करें। अगले मास में स्वतः प्रदर्शन	
	प्रतिभूतियों का विवरण	डाटा प्रविष्टि	आईएसआईएन आदि सहित प्रतिभूतियों की विशिष्ट विशेषताएं	
ख	नकद	डाटा प्रविष्टि	एक बार डाटा प्रविष्टि	
ग	कुल	स्वतः प्रदर्शन	यह प्रतिभूतियों और नकद यानी क धन ख को जोड़कर राशि प्रदर्शित करेगा अर्थात (क+ख)	
<b>प्राप्तियां</b>				
घ	पीएफ अंशदान	डाटा प्रविष्टि		
ङ	प्रतिदाय (ऋण और अग्रिम)	डाटा प्रविष्टि		
च	आंतरिक अंतरण	डाटा प्रविष्टि		
छ	अन्य प्राप्तियां	डाटा प्रविष्टि		
ज	नियोक्ता द्वारा प्रतिप्राप्ति /निवेश पर पूंजीगत हानि	डाटा प्रविष्टि		
झ	न्यास द्वारा हानि का मामला में ब्याज में कमी के कारण राजस्व हानि	डाटा प्रविष्टि		
<b>निवेश से आय</b>				
ञ	ब्याज	पिछला बकाया	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि केवल एक बार करनी होगी। अगले मास यह स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा।"
ट		चालू मास में प्राप्य	डाटा प्रविष्टि	
ठ		चालू मास में प्राप्य	डाटा प्रविष्टि	
ड		शेष	प्रदर्शित	यह सूत्र (ञ+ट- ठ) का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा।

ढ	परिपक्वता	पिछला देय	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि केवल एक बार करनी होगी। अगले महीने यह स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगा।"
ण		चालू माह में प्राप्य	स्वतः भरा जायेगा	यह राशि "माह के दौरान परिपक्व" लिंक के माध्यम से दर्ज विवरण से प्रदर्शित होगी। इसमें परिपक्व हुई सभी प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का कुल योग प्रदर्शित किया जाएगा।
त		चालू माह में प्राप्य	डाटा प्रविष्टि	
थ		शेष	स्वतः प्रदर्शित	यह सूत्र का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा जाएगा (ढ+ण- त).
द	अन्य	प्राप्त देय	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि केवल एक बार करनी होगी। अगले महीने यह स्वचालित रूप से प्रदर्शित होने लगेगा।
ध		चालू माह में प्राप्त	डाटा प्रविष्टि	
न		चालू माह में प्राप्त	डाटा प्रविष्टि	
प		शेष	स्वतः प्रदर्शित	यह सूत्र का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा। (द+ध- न).
फ	कुल प्राप्तियां		स्वतः प्रदर्शित	"निम्नलिखित फ्रील्ड्स के कुल योग के आधार पर राशि प्रदर्शित की जाएगी।" (घ+ङ+च+छ+ज+झ+ठ+त+न)
<b>भुगतान</b>				
ब	बाह्य अंतरण सहित दावे		डाटा प्रविष्टि	
भ	ऋण और अग्रिम		डाटा प्रविष्टि	
म	अन्य भुगतान		डाटा प्रविष्टि	
य		स्वतः प्रदर्शित		यह बाह्य अंतरण , ऋण एवं अग्रिम, और अन्य भुगतानों सहित दावों को जोड़कर कुल राशि प्रदर्शित करेगा (ब+भ+म).
य क	निवेश के लिए उपलब्ध राशि (ख+फ-य)	स्वतः प्रदर्शित		यह सूत्र का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा। (ख+फ-य)
य ख.	न्यास के बोर्ड द्वारा निवेशित कुल राशि	स्वतः प्रदर्शित		यह राशि "महीने के दौरान निवेश का विवरण "लिंक के माध्यम से दर्ज किए गए विवरण से प्रदर्शित होगी। यह सूत्र )च+छ-ज) का उपयोग करके प्रतिभूति स्क्रीन से राशि के कुल योग को स्वचालित रूप से प्रदर्शित करेगा। इसमें सौदा मूल्य को लिया जाएगा।
य ग	रोकड़ शेष	स्वतः प्रदर्शित		यह सूत्र का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा। कक-खख
य घ.	उपलब्ध के संबंध में रोकड़ का प्रतिशत	स्वतः प्रदर्शित		यह सूत्र का उपयोग करके राशि प्रदर्शित करेगा। (कग * 100/कक).

य ड.	अनिवेशित राशि के कारण	डाटा प्रविष्टि	
------	-----------------------	----------------	--

हाइपरलिंक प्रतिभूतियां या परिपक्व राशि या निवेशित राशि के माध्यम से खोली गई स्क्रीन निवेश विवरण प्रतिभूतियां:

क. सं.	प्रतिभूतियों का प्रकार जिसमें आईएसआईएन आदि शामिल हैं	प्रथम विवरणी के अनुसार प्रारंभिक शेष अंकित मूल्य	माह के दौरान परिपक्व अंकित मूल्य	मास के दौरान निवेशित समापन शेष				समापन शेष	प्रतिभूतियों के प्रकार का प्रतिशत	निवेश का विचलन प्रतिशत	अभियुक्ति
क्र. सं.	डाटा प्रविष्टि	अंकित मूल्य	अंकित मूल्य	अंकित मूल्य	डील वैल्यू	भुगतान किया गया संचित ब्याज	प्राप्त हुआ संचित ब्याज	अंकित मूल्य			
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ			समापन शेष का अंकित मूल्य, सूत्र का उपयोग कर राशि स्वतः प्रदशिती होगी; प्रारम्भिक शेष का अंकित मूल्य - परिपक्व निवेश का अंकित मूल्य + निवेश का अंकित मूल्य, अर्थात (ग+घ-ङ)
1.	अधिसूचना की मद(i) की केंद्र सरकार की प्रतिभूति	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
2.	अधिसूचना की मद (II) (क) की राज्य सरकार की प्रतिभूतियां या एसओएल	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
3.	अधिसूचना की	एक बार	डाटा	डाटा	डाटा	डाटा	डाटा	स्वतः			

	मद (ii) (ख) की केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियां	का डाटा	प्रविष्टि	प्रविष्टि	प्रविष्टि	प्रविष्टि	प्रविष्टि	प्रविष्टि	प्रदर्शन			
4.	अधिसूचना की मद (iii) (क) की सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के बॉन्ड या प्रतिभूतियां	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
5.	अधिसूचना की मद (iii) (क) की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बॉन्ड या प्रतिभूतियां	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
6.	अधिसूचना की मद (iii) (क) की सार्वजनिक बैंक के बॉन्ड या प्रतिभूतियां	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
7.	अधिसूचना की मद (iii) (क) की राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉन्ड या प्रतिभूतियां	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
8.	अधिसूचना की मद (iii) (ख) की पीएसबी की टीडीआर एक वर्ष से कम	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
9.	अधिसूचना की मद (iii) (ग) की कोलेटरल उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ)	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
10.	अधिसूचना की मद (v) की निजी क्षेत्र के बॉन्ड या प्रतिभूतियां	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
11.	एसडीएस	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
12.	अन्य	एक बार का डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
			तारीख	29.05.2015से प्रभावी नई निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की श्रेणियां								
13.	श्रेणी (i) (क) सरकारी	एक बार डाटा	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			केवल मई 2015 से

	प्रतिभूतियां	प्रविष्टि									खुलेगा
14.	श्रेणी (i) (ख) अन्य प्रतिभूतियां	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
15.	श्रेणी (i) ग गिल्ट म्यूचुअल फंड	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
16.	श्रेणी (ii) (क) सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
17.	श्रेणी (ii)(ख) बेसल III टियर 1 बॉन्ड	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
18.	श्रेणी (ii)(ग) आईबीआरडी, आईएफसी और एडीबी के रुपया बॉन्ड	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
19.	श्रेणी (ii)(घ) सावधि जमा रसीदें (टीडीआर) जो एक वर्ष से कम अवधि की न हों	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
20.	श्रेणी (ii)(ड) ऋण म्यूचुअल फंड	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
21.	श्रेणी (ii)(च) अवसंरचना ऋण लिखत	एक बार डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
22.	श्रेणी (iii) (ख) लिक्विड म्यूचुअल फंड	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
23.	श्रेणी (iii) (ख) लिक्विड म्यूचुअल फंड	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
24.	श्रेणी (iii)(ग) एक वर्ष तक की अवधि की सावधि जमा रसीदें टीडीआर	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
25.	श्रेणी (iv) (क) बीएसई या एनएसई पर सूचीबद्ध कॉर्पोरेट निकायों के शेयर	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		
26.	श्रेणी (iv)(ख) सेबी द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन		

27.	श्रेणी (iv)(ग) सेंसेक्स सूचकांक या निफ्टी 50 सूचकांक का ईटीएफ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
28.	श्रेणी (iv) (घ) कॉर्पोरेट निकाय में भारत सरकार द्वारा विनिवेश के ईटीएफ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
29.	श्रेणी (iv)(ङ) हेजिंग के उद्देश्य से ईटीएफ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
30.	श्रेणी (iv)(च) हेजिंग के उद्देश्य से ईटीएफ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
31.	श्रेणी (v) (ख) रीट्स द्वारा जारी इकाइयाँ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
32.	श्रेणी (v) (ग) सेबी द्वारा विनियमित एबीएस	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
33.	श्रेणी (v) (घ) सेबी द्वारा विनियमित अवसंरचना निवेश ट्रस्टों की इकाइयाँ	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	डाटा प्रविष्टि	स्वतः प्रदर्शन			
34.		योग	योग	योग	योग	योग	योग	योग			

### पावती पत्र रजिस्टर

क्र. सं.	लेनदेन आईडी	लेनदेन की तिथि	मूल्य की तिथि	टी टी	आई एस आई एन	को ड	अंकित मूल्य	क्रय मूल्य	संचित ब्याज	वाईटीए एम	परिपक्वता तिथि	प्रतिभूति का विवरण - समीक्षा	श्रेणी	लागत	फण्ड मैनेजर-संदर्भ

भाग ई से दो और हाइपरलिंक

1. स्थापन में दावा निपटान और शिकायत निवारण के संबंध में। पॉप अप स्क्रीन प्रत्येक महीने निम्नलिखित डाटा मांगेगी।

क्र. सं.	डाटा क्षेत्र	क्षेत्र का प्रकार	अभियुक्ति
<b>दावे</b>			
1.	दावों का प्रारंभिक शेष	एक बार डाटा प्रविष्टि	
2.	महीने में प्राप्त दावे	डाटा प्रविष्टि	
3.	महीने में कुल दावा कार्यभार	प्रदर्शित	1 +2

4.	20 दिनों के भीतर निपटाए गए दावे	डाटा प्रविष्टि	
5.	महीने में 20 दिनों के भीतर निपटाए गए दावों का प्रतिशत	प्रदर्शित	4 x 100 /3
6.	20 दिनों के बाद निपटाए गए दावे	डाटा प्रविष्टि	
7.	महीने में 20 दिनों के बाद निपटाए गए दावों का प्रतिशत	प्रदर्शित	6 x 100 /3
8.	लंबित दावों की संख्या	प्रदर्शित	3 -4 - 6 अगले महीने के प्रारंभिक शेष के रूप में आगे जाएगा
9.	लंबित दावों का प्रतिशत	प्रदर्शित	8 x100 /3
10.	दावों के लंबित होने के कारण	डाटा प्रविष्टि	
<b>शिकायतें</b>			
11.	प्रारंभिक शेष	एक बार डाटा प्रविष्टि	
12.	महीने में प्राप्त शिकायतें	डाटा प्रविष्टि	
13.	कुल कार्यभार	प्रदर्शित	11 +12
14.	निपटाई गई शिकायतें	डाटा प्रविष्टि	
15.	निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत	प्रदर्शित	14 x 100/13
16.	अंतिम शेष	प्रदर्शित	अगले महीने के प्रारंभिक शेष के रूप में आगे जाएगा
17.	लंबित शिकायतों का प्रतिशत	प्रदर्शित	16 x 100/13

### भाग एफ-वार्षिक सूचना (होलडिंग) (केवल मूल न्यास द्वारा वार्षिक भाग)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का प्रकार	समीक्षा
<b>खातों का संपरीक्षा</b>			
क.	वित्तीय वर्ष जिस तक खातों का ऑडिट किया गया	चयन	वित्तीय वर्ष
ख	अंतिम छह वर्षों के लिए ऑडिटर का नाम और पता	वर्ष	डाटा प्रविष्टि पिछले 6 वर्षों की प्रविष्टि
		नाम	
		पता	
		सीए पंजीकरण संख्या	
		पैन	
ग	क्या नवीनतम संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति क्षेभनिआ को भेजी गई है	चयन	हाँ/नहीं
घ	यदि हाँ	वर्ष	डाटा प्रविष्टि
		पत्र संख्या के साथ भेजा गया	
		तारीख	
		क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्ति की तिथि	
<b>II खाते के वार्षिक विवरण का ब्यौरा</b>			
ङ	खाते का वार्षिक विवरण इस तिथि तक जारी किया गया	डाटा प्रविष्टि	

च	अंशदाता सदस्यों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	
	अंशदाता सदस्यों की अंतिम शेष राशि		
छ	गैर अंशदाता सदस्यों की संख्या	डाटा प्रविष्टि	
	गैर अंशदाता सदस्यों की अंतिम शेष राशि		
ज	ब्याज के वितरण के लिए उपलब्ध राशि	डाटा प्रविष्टि	
झ	घोषित और जमा की ब्याज दर	डाटा प्रविष्टि	
ञ	क्या ब्याज में कमी को नियोक्ता द्वारा पूरा किया गया था	चयन	
ट	क्या ब्याज शेष राशि के मासिक संचय पर है	चयन	
ठ	क्या खाते इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जा रहे हैं	चयन	
ड	क्या सदस्य अपने खाते का शेष ऑनलाइन देख पा रहे हैं	चयन	
ढ	क्या निधि के नियम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं	चयन	
<b>III धृतियों का वित्तीय स्वास्थ्य</b>			
ण	वित्तीय वर्ष के अंत में न्यास की कुल धृतियां	डाटा प्रविष्टि	
त	वित्तीय वर्ष के अंत में न्यास की होल्डिंग का बाजार मूल्य	डाटा प्रविष्टि	
<b>IV न्यास का परिशोधन खाता</b>			
थ	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि या कमी		
	अंतिम शेष		
#	(-)चिह्न में दर्ज की जाने वाली कमी		
<b>V परिपक्वता व्यतिक्रम में</b>			
द	प्रतिभूति का व्यतिक्रम	डाटा प्रविष्टि	
ध	आईएसआईएन	डाटा प्रविष्टि	
न	अंकित मूल्य	डाटा प्रविष्टि	
प	खरीद के समय सौदा मूल्य	डाटा प्रविष्टि	
फ	प्राप्य राशि	डाटा प्रविष्टि	
ब	प्राप्त राशि	डाटा प्रविष्टि	
भ	व्यतिक्रम राशि	डाटा प्रविष्टि	
	कुल	बराबर ड ऋण च	
<b>VI व्यतिक्रम में ब्याज</b>			
म	प्रतिभूति का व्यतिक्रम	डाटा प्रविष्टि	
य	आईएसआईएन	डाटा प्रविष्टि	
र	प्राप्य ब्याज	डाटा प्रविष्टि	
ल	प्राप्त ब्याज	डाटा प्रविष्टि	
व	व्यतिक्रम में ब्याज	डाटा प्रविष्टि	
	कुल	=ग-घ	

नियोक्ता या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा

प्रपत्र 3  
[पैराग्राफ 13(3) देखें]  
न्यासियों के बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

1(क) स्थापन का नाम और  
कोड संख्या

(ख) स्थापन का पता :

(ग) ई-मेल पता

2 न्यासी बोर्ड के बैठक के विवरण

(i) बैठक की तिथि

(ii) बैठक का स्थान :

(iii) बैठक के अध्यक्ष नामित किये गए थे

हाँ  नहीं

(iv) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या

(v) क्या कोरम पूरा था

हाँ  नहीं

(vi) बैठक में क्या कारवाई की गई और क्या परिणाम निकले

(vii) बैठक के स्थगित होने या स्थान बदलने के संबंध में विवरण

(viii) बैठक मुलतवी होने या स्थान बदलने के संबंध में विवरण

(ix) कोई अन्य सुसंगत बिंदु जो शामिल किया जाना है

बैठक की कार्रवाई का सही सार

4.पुष्टि की जाती है कि बैठक अधिनियम, नियमों और उसके तहत बनाए गए सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई, आयोजित की गई और संचालित की गई।

### घोषणा

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्रपत्र और इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।

अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

अथवा

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

पदनाम

निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या  
सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन  
या आधार अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

## प्रपत्र 4

[पैराग्राफ 13(27) देखें]

वचनबद्धता का प्रमाण पत्र

सेवा में

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

महोदय

हम, नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 143(1) के अधीन छूट प्रदान करने की शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

यह ..... (स्थापन का नाम, पैन और ईपीएफ कोड संख्या), (और ..... पीएफ न्यास का नाम) के न्यासी बोर्ड पर विधिक रूप से बाध्यकारी होगा, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती या ऐसी शर्तें शामिल हैं जो छूट जारी रखने के लिए बाद में विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

हम छूट रद्द होने की स्थिति में समय-समय पर विहित समय सीमा के भीतर और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निर्देशानुसार तुरंत धन स्थानांतरित करने का भी वचन देते हैं।

हम, नियोक्ता और न्यासी बोर्ड छूट रद्द होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय निधि द्वारा विहित समय सीमा के भीतर तुरंत धन स्थानांतरित करने का वचन देते हैं, ऐसा न करने पर संहिता की धारा 127 और 128 के प्रावधान लागू होंगे।

(हस्ताक्षर)

(नाम.....)

आधार संख्या- \_\_\_\_\_

पैन \_\_\_\_\_

यूएन \_\_\_\_\_

नियोक्ता या न्यास के अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)

(नाम.....)

आधार संख्या- \_\_\_\_\_

पैन \_\_\_\_\_

यूएन \_\_\_\_\_

न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य

**प्रपत्र 5**

[कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 का पैराग्राफ 24(1) देखें]

[कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 का पैराग्राफ 18(1) देखें]

[कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 2026 का पैराग्राफ 11(1) देखें]

(निधियों के सदस्य बनने के लिए आवश्यक या पात्र कर्मचारियों के विवरण और ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन की विवरणी)

स्थापन का नाम और पता.....

स्थापन की ईपीएफ कोड संख्या.....

संहिता के लागू होने की तिथि.....

क्र. सं.	सदस्य आईडी या ईपीएफ खाता संख्या	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	आधार संख्या	पैन	यूएएन	लिंग	निधि में शामिल होने की तिथि	पिछली सेवा की कुल अवधि	सकल वेतन	ईपीएफ वेतन	ईपीएस वेतन	ईडीएलआई वेतन

नियोक्ता का हस्ताक्षर या  
स्थापन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
स्थापन की मुहर

## प्रपत्र 6

[पैराग्राफ 24(2)(vi) देखें]

स्वामित्व विवरणी

स्थापन प्रोफ़ाइल

क्र .सं.	स्थापन प्रोफ़ाइल क्षेत्र	विवरण प्रकार
1	स्थापन का नाम	स्वतः भरा जायेगा
2	स्थापन की ईपीएफ कोड संख्या	स्वतः भरा जायेगा
3	धारा के अधीन कवरेज	स्वतः भरा जायेगा
4	एलआईएन	स्वतः भरा जायेगा
5	सीआईएन	स्वतः भरा जायेगा
6	स्थापन का पैन	स्वतः भरा जायेगा
7	स्थापन का टैन	
8	जीएसटी संख्या	
9	संहिता के अधीन पंजीकरण की तिथि	स्वतः भरा जायेगा
10	व्यवसाय शुरू होने की तिथि	
11	पता	स्वतः भरा जायेगा
12	फ़ोन नंबर	स्वतः भरा जायेगा या डाटा प्रविष्टि
13	फ़ैक्स नंबर	स्वतः भरा जायेगा या डाटा प्रविष्टि
14	ईमेल आईडी	स्वतः भरा जायेगा या डाटा प्रविष्टि
15	वेब पता, यदि कोई हो	स्वतः भरा जायेगा या डाटा प्रविष्टि
16	स्थापन वर्गीकरण	स्वतः भरा जायेगा निजी या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार
17	एनआईसी कोड	स्वतः भरा जायेगा या डाटा प्रविष्टि

## भाग-क:

स्वामित्व विवरणी

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	लिंग	पिता का नाम	आधार संख्या	डीआईएन	पैन	पता	मोबाइल, ईमेल	स्थापन में स्थिति या पदनाम	वह तिथि जब से पद संभाला है	बैंक खाते का ब्यौरा

- आधार या डीआईएन या पैन

उत्तरदायी व्यक्ति के पहचान प्रमाण के रूप में चुना गया दस्तावेज़ :

**भाग-ख**  
**पट्टा का विवरण**

क्र. सं.	नाम	आधार संख्या	लिंग	डीआईएन	पैन	जन्म तिथि	बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड	पता	मोबाइल, ईमेल	पट्टा की तिथि
----------	-----	-------------	------	--------	-----	-----------	--------------------------------	-----	--------------	---------------

लीज के पहचान प्रमाण के रूप में चुना गया दस्तावेज़

- पट्टे के प्रमाण के लिए दस्तावेज़

**भाग-ग**

**भाग-क में विनिर्दिष्ट स्थापन के सभी बैंक ब्यौरा**

क्र.सं.	स्थापन का नाम	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाते का प्रकार
---------	---------------	-------------	-------------	--------------	-------------	----------------

**घोषणा**

- मैं, घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यहाँ प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
- मैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उपर्युक्त दर्शाए गए उद्देश्य के लिए मेरी आधार जानकारी का उपयोग करने की सहमति देता हूँ या देती हूँ।

नियोक्ता का हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

नियोक्ता का नाम : \_\_\_\_\_

नियोक्ता का पदनाम : \_\_\_\_\_

**प्रपत्र 7**

**(ईपीएफ स्कीम के पैराग्राफ 24(2)(ix) के अधीन**

**इलेक्ट्रॉनिक चालान सह विवरणी**

क्र.सं.	स्तंभ का नाम
1	स्थापन की ईपीएफ कोड संख्या
2	यूएएन
3	यूएएन के अनुसार सदस्य का नाम
4	सकल मजदूरी
5	ईपीएफ मजदूरी
6	ईपीएस मजदूरी
7	ईडीएलआई मजदूरी
8	कर्मचारी पीएफ अंशदान
9	नियोक्ता ईपीएस अंशदान
10	नियोक्ता पीएफ अंशदान
11	एनसीपी दिन यानी गैर अंशदायी अवधि
12	मुख्य नियोक्ता की ईपीएफ कोड संख्या (जहाँ कहीं भी लागू हो)
13	मुख्य नियोक्ता के साथ अनुबंधीय कर्मचारी के जुड़ाव की अवधि तारीख से जहाँ भी लागू हो

14	मुख्य नियोक्ता के साथ अनुबंधीय कर्मचारी के जुड़ाव की अवधि तारीख तक जहाँ भी लागू हो
----	--

नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा

### प्रपत्र 8

[पैराग्राफ 26(1)(i) देखें]

स्थापन की शाखाओं के ब्यौरा और शाखा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण

स्थापन प्रोफाइल		
1	स्थापन का नाम	स्वतः भरा जाएगा
2	स्थापन की ईपीएफ कोड संख्या	स्वतः भरा जाएगा
3	धारा के अधीन कवरेज	स्वतः भरा जाएगा
4	एलआईएन	स्वतः भरा जाएगा
5	सीआईएन	स्वतः भरा जाएगा
6	स्थापन का पैन	स्वतः भरा जाएगा
7	स्थापन का टैन	
8	जीएसटी संख्या	
9	संहिता के अधीन पंजीकरण की तिथि	स्वतः भरा जाएगा
10	व्यवसाय शुरू होने की तिथि	
11	पता	स्वतः भरा जाएगा
12	फ़ोन नंबर	स्वतः भरा जाएगा या डाटा प्रविष्टि
13	फ़ैक्स नंबर	स्वतः भरा जाएगा या डाटा प्रविष्टि
14	ईमेल आईडी	स्वतः भरा जाएगा या डाटा प्रविष्टि
15	वेब पता यदि कोई हो	स्वतः भरा जाएगा या डाटा प्रविष्टि
16	स्थापन वर्गीकरण	स्वतः भरा जाएगा - निजी या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार
17	एनआईसी कोड	स्वतः भरा जाएगा या डाटा प्रविष्टि

### शाखा का विवरण

प्रत्येक शाखा के लिए अलग प्रविष्टि

क्र. सं.	शाखा का नाम	शाखा की ईपीएफ कोड संख्या	पता	शाखा का प्रकार (कारखाना या क्षेत्र कार्यालय आदि)	शाखा के समर्थन में दस्तावेज़	वह तिथि जब से शाखा कार्यात्मक है	शाखा का बैंक विवरण		
					किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र या संख्या		बैंक खाता संख्या	आईएफएस कोड	बैंक शाखा का नाम

उस व्यक्ति का विवरण जिसका शाखा के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है

प्रत्येक शाखा के लिए अलग प्रविष्टि

क्र. सं.	शाखा का नाम	शाखा की ईपीएफ कोड संख्या	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	लिंग	जन्म तिथि	पिता का नाम	आधार संख्या	डीआईएन	पैन	पता *	मोबाइल	ईमेल	जिम्मेदार व्यक्ति का पदनाम	जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यभार धारण करने की तिथि

\*जिम्मेदार व्यक्ति के पते वाला कोई भी एक दस्तावेज़: आधार या डीआईएन या बिजली बिल या गैस बिल या किराया या पट्टा करार

### पट्टा धारक का विवरण

[प्रत्येक शाखा के लिए अलग प्रविष्टि]

क्र. सं.	शाखा का नाम	शाखा की ईपीएफ कोड संख्या	नाम	लिंग	जन्म तिथि	पिता का नाम	आधार संख्या	डीआईएन	पैन	पता*	मोबाइल	ईमेल	पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि

\*: जिम्मेदार व्यक्ति के पते वाला कोई भी एक दस्तावेज़: आधार या डीआईएन या बिजली बिल या बिल या किराया या पट्टा करार

### घोषणा

मैं, घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नियोक्ता का नाम \_\_\_\_\_

नियोक्ता का पदनाम \_\_\_\_\_

प्रपत्र 9

[पैराग्राफ 26(1)(ii) देखें]

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरे

निम्नलिखित अधिकारी/अधिकारियों को स्थापना) नाम \_\_\_\_\_ (और ईपीएफ कोड संख्या \_\_\_\_\_ के लिए ईपीएफओ को प्रस्तुत करने हेतु नियोक्ता की ओर से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और विवरणी जमा करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	पदनाम	यूएन	आधार संख्या	पैन	मोबाइल नंबर	नमूना हस्ताक्षर
1							
2							
3							
4							
5							

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पहचान प्रमाण के रूप में चुना गया दस्तावेज़

- यू ए एन और आधार/पैन

:

### घोषणा

1. मैं, घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरे वाले इस प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
2. मैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मेरी पहचान के सत्यापन के लिए मेरी आधार जानकारी का उपयोग करने की सहमति देता हूँ / देती हूँ।

तारीख: \_\_\_\_\_ नियोक्ता का हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_ नियोक्ता का नाम \_\_\_\_\_

नियोक्ता का पदनाम \_\_\_\_\_

स्थापन की मुहर \_\_\_\_\_

प्रपत्र 10

[पैराग्राफ 27(1) देखें]

(मुख्य नियोक्ता की स्थापन का पंजीकरण और ठेकेदारों की घोषणा)

भाग क — स्थापन विवरण स्वतः भरा जायेगा

1	स्थापन का नाम		2.ईपीएफ कोड संख्या	
3	स्थापन का पैना	10 अंकीय पैना	4.जीएसटीआईएन	
5	पिन सहित पता			
6	गठन प्रकार	स्वत्वाधिकार / भागीदारी/ कंपनी / एलएलपी / न्यास / सोसाइटी / सरकार / पीएसयू	7. एनआईसी कोड	
8	व्यवसाय/ उद्योग की प्रकृति		9. कवरेज की तारीख	तारीख/मास/ वर्ष

### भाग-ख :कर्मचारियों की संख्या की घोषणा

1	सीधे कर्मचारियों की संख्या		2संविदा श्रमिकों की संख्या	
---	----------------------------	--	----------------------------	--

### भाग ग — लगाए गए ठेकेदारों की घोषणा

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	पैना	ठेकेदार ईपीएफ कोड यदि कोई हो	कार्य की प्रकृति	संविदा की अवधि (से-तक)	श्रमिकों की संख्या	संविदा रकम	प्रपत्र 10 प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)
1								
2								
3								

### घोषणा

मैं ).....नियोक्ता/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम( घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य और सही है। मैं नए ठेकेदारों को सम्मिलित करने सहित उपरोक्त जानकारी में किसी भी बदलाव के 15 दिनों के भीतर इस प्रपत्र को अपडेट करने का वचन देता हूँ/ देती हूँ।

स्थान : \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

मुख्य नियोक्ता के  
हस्ताक्षर और मुहर

प्रपत्र 11

[पैराग्राफ 27(3) देखें]

संविदा कर्मकारों से वसूलियों पर ठेकेदार का विवरण

ठेकेदार का नाम		ठेकेदार का ईपीएफ कोड संख्या	
----------------	--	-----------------------------	--

ठेकेदार का पैन		वेतन मास	मास/वर्ष
ठेकेदार का जीएसटी		मुख्य नियोक्ता ईपीएफ कोड	
मुख्य नियोक्ता का नाम		कार्य आदेश संदर्भ संख्या	
संविदा का मूल्य		संविदा की अवधि (से-तक)	
लगाए गए कुल कर्मचारियों की संख्या		अपवर्जित कर्मचारियों की संख्या	

क्र. सं.	संविदा कर्मकार का नाम	यूएएन	मजदूरी	मजदूरी से काटा गया ईपीएफ का कर्मचारी हिस्सा (रुपये) *	नियोक्ता ईपीएफ+ईपीएस+ईडीएलआई अंशदान रुपये	प्रशासनिक प्रभार रुपये	कुल शोध भुगतान रुपये
1							
2							
3							
4							
<b>कुल</b>							

### घोषणा

मैं..... ठेकेदार, घोषणा करता हूँ कि (1)ऊपर दिखाया गया कर्मचारी का ईपीएफ अंशदान मजदूरी से काटा गया है और ईपीएफओ को प्रेषित किया गया है।

(2)सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान : नाम \_\_\_\_\_

तारीख : पदनाम \_\_\_\_\_

ठेकेदार के  
हस्ताक्षर और मुहर

प्रपत्र 12

[पैराग्राफ 27(4) देखें]

मुख्य नियोक्ता द्वारा मासिक सार

## (संविदा कर्मकार और नियोक्ता के अंशदान से कुल वसूलियाँ)

स्थापन का नाम		ईपीएफ कोड संख्या	
पता		मास मास/वर्ष	
लगाए गए कुल ठेकेदार		कुल अनुबंध श्रमिक	

## ठेकेदार-वार सार:

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	कर्मकारों की संख्या	कर्मचारी से कुल वसूली	ठेकेदार द्वारा देय कुल रकम (रुपये)	ठेकेदार द्वारा भुगतान का ब्यौरा टीआरआरएन		मुख्य नियोक्ता द्वारा भुगतान का विवरण शेष देय राशि के संबंध में यदि कोई हो टीआरआरएन	
					टी आर आर एन	राशि	टी आर आर एन	रकम
1			प्रपत्र 11-का उद्धरण					
2								
<b>कुल योग</b>								

## घोषणा

1 मैं..... मुख्य नियोक्ता, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिखाए गए कुल अंक सही हैं और प्रत्येक ठेकेदार से प्राप्त प्रपत्र 11 के विवरणों से संकलित किए गए हैं।

2 मैं आगे घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है।

स्थान : \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_

मुख्य नियोक्ता के हस्ताक्षर  
और मुहर

[फा.सं. एस-35025/04/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2026

**G.S.R. 525(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following Scheme, namely.

**CHAPTER I****Preliminary**

**1. Short title, commencement and application.**— (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Subject to the provisions of sections 20, 21 and 143 of the Code, this Scheme shall apply –

(i) to every establishment, to which the Chapter III of the Code applies; and

(ii) to every establishment belonging to or under the control of the Central Government or State Government or set up under any Central Act or State Act or any other law for the time being in force, employing such number of employees as specified in the First Schedule to the Code and whose employees are not entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rules framed under that law.

**2. Definitions.**— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires: —

(a) "authorised signatory" means an employee of the establishment concerned legally empowered by the employer of an establishment to sign any return or document on behalf of the employer or the establishment, as the case may be and such actions shall be legally binding on the employer as well as the establishment;

(b) "board of trustee" means the legal entity consisting of the Chairperson and members of the trust constituted under sub- section (5) of section 143 of the Code;

(c) "child" means the legitimate child and includes adopted child, if the Commissioner is satisfied that adoption of a child is legally recognized under the personal law of the member;

(d) "Code" means the Code on Social Security, 2020;

(e) "Commissioner " means a Commissioner for Employees' Provident Fund appointed under section 14 of the Code;

(f) "Excluded employee" means,-

(i) an employee whose wage at the time he is otherwise entitled to become a member of the Fund, exceeds wage ceiling as prescribed under the Code;

(ii) in case of an International Worker who, as a citizen or resident of their country of origin, contributes to a social security programme of that country with which India has entered—

(A) into a social security agreement on a reciprocity basis, and who enjoys the status of a detached worker for the period and terms specified in such agreement; or

(B) into a bilateral comprehensive economic agreement containing a clause on social security prior to the 1st day of October, 2008, which specifically exempts natural persons of either country from contributing to the social security fund of the host country;

- (g) “exempted establishment” means an establishment exempted under section 143 of the Code;
- (h) "financial year" means the year commencing on the first day of April;
- (i) “Fund” means the Provident Fund established under this Scheme;
- (j) “International Worker” means—
  - (i) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian Passport, working for an establishment in India, to which the Code applies;
  - (ii) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;

Provided that the worker, who is a Nepalese national on account of Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the worker, who is a Bhutanese national on account of India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, shall be deemed to be an Indian worker;

- (k) “member” means a member of the Fund;
- (l) “principal employer” means an employer with whom employees are engaged by or through a contractor and shall include.—
  - (i) in relation to any office or Department of the Government or a local authority, the head of that office or Department or such other officer as the Government or the local authority, may specify in this behalf;
  - (ii) in a factory, the owner or occupier of the factory and where a person has been named as the manager of the factory, the person so named;
  - (iii) in a mine, the owner or agent of the mine;
  - (iv) in relation to any other establishment, any person who has the ultimate control over affairs of the establishment.
- (m) “Repealed Act” means the Employees’ Provident & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);
- (n) “Scheme” means the Employees Provident Funds Scheme framed under section 15 of the Code;
- (o) “SEBI” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)
- (p) "trustee" means a member of the “board of trustees; and
- (q) “Universal Account Number” (UAN) means an identity number allotted to an employee on a permanent basis in the form and manner specified by the Central Provident Fund Commissioner.

(2) All the other words and expressions used and not defined in this Scheme, but defined in the Code, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Code and rules framed thereunder.

**CHAPTER II**  
**OFFICERS OF CENTRAL BOARD**

- 3. Central Provident Fund Commissioner and Financial Adviser and Chief Accounts Officer.**—The Central Provident Fund Commissioner and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer shall not undertake any work unconnected with their office without the previous sanction of the Central Government.
- 4. Regional and local offices.**—The Central Board may, establish such regional and local offices as it may consider necessary for the implementation of the Scheme and may specify the functions and duties of such offices.
- 5. Appointment of officers and employees of the Central Board.**—The Central Board shall appoint officers and employees up to the level of posts equivalent to Joint Secretary of the Government of India.
- 6. Information of appointment to Central Board.**—Appointment of officers of the level of the Regional Provident Fund Commissioners and above made by the Chairperson, Central Board shall be placed before the next meeting of the Central Board for information.
- 7. Administrative and financial powers of Commissioner.**— (1) Subject to the budget allocation and limits authorised by the Central Board, the Commissioner shall, sanction expenditure on contingencies, supplies and services and purchases essential for administering the Fund.
- (2) The Commissioner may exercise such administrative and financial powers other than those specified in subparagraph (1), as may be delegated to him from time to time by the Central Board.
- 8. Staff Provident Fund and other benefits.** The Staff Provident Fund established under the Provident Fund Act, 1925 in respect of officers and employees of the Central Board and Pension-cum-Gratuity Fund and any other fund constituted for the benefit of the employees of the Central Board under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be deemed to be constituted under sub section (4) of section 120 of the Code.

**CHAPTER III**  
**MEMBERSHIP**

**9. Membership of the fund.**—

Subject to clause (f) of paragraph 2 of this Scheme,—

- (1) Every employee, who was a member or was required to be a member of the EPF Scheme, 1952 till the date of cessation of the said Scheme, shall be a member of this Scheme.
- (2) Every employee, employed in or in connection with the work of an establishment, to which this Scheme applies, is entitled and required to become a member of the Fund from the day this Scheme comes into force in such establishment or from the date of joining the establishment, whichever is later.

- (3) Every excluded employee or an exempted employee shall become a member of this Fund forthwith on ceasing to be an excluded employee or an exempted employee.
- (4) Notwithstanding anything contained in this paragraph, any employee and his employer may jointly opt in writing, to enrol such employee as a member or allow him to contribute on such wages exceeding wage ceiling limit and thereupon such employee shall be entitled to the benefits and be subject to the conditions of the Fund:

Provided that the employer shall pay the administrative charges and comply with all statutory provisions in respect of such employee.

- (5) Every International Worker,—
- (i) who was a member of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 shall be a member of this Scheme;
  - (ii) employed in or in connection with the work of an establishment to which this Scheme applies shall be entitled and required to become a member of this Scheme in such establishment or from the date of joining the establishment, whichever is later;
  - (iii) excluded employee or exempted employee shall become a member of this Scheme forthwith on ceasing to be an excluded employee or an exempted employee.
- (6) In case of an International Worker, an employee carrying out an employed activity in a country listed in the Table below, having signed a bilateral agreement on social security contributions with India and being subject to the Code, shall, along with the employer, pay contributions on the total wages as defined in sub-section (88) of section 2 of the Code, if they are willing to take benefit of detachment under the said agreement.

Table

Sl. No.	Name of country
1.	<b>The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</b>

**10. Retention of membership.**— (1) A member of this Scheme shall continue to be a member until he withdraws under paragraph 49, the amount standing to his credit in the Fund or is covered by a notification of exemption under section 143 of the Code or paragraph 12 of this Scheme;

(2) An International Worker shall continue to be a member of this Scheme, until,—

(i) withdraw under paragraph 49, the amount standing to the credit in the Fund;

(ii) covered by a notification of exemption under section 143 of the Code or an order of exemption under paragraph 12 of this Scheme; or

(iii) settled the benefits in terms of the provisions under a social security agreement entered into between India and the country of origin.

**11. Resolution of questions about membership.**— (1) Where any question arises as to whether an employee is entitled or required to become or continue as a member, or to the date from which the member is entitled or required to become a member, the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner, who shall decide the question after giving an opportunity of being heard to both the employer and the employee:

Provided that if such dispute also involves whether an employee working in or in connection with the work of an establishment covered or coverable under the Employees Provident Fund Scheme, 1952, was entitled or required to become a member of the Fund up to the date of cessation of the said Scheme, the same shall be resolved in accordance with the rules of membership of the ceased Scheme for such period.

(2) In case of International Worker, any question which arises whether an International Worker is entitled or required to become or continue as a member, or as regards the date from which the worker is so entitled or required to become a member, the same shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner, who shall decide the matter after giving opportunity of hearing to both the employer and the International Worker and such hearing, if any, shall be held in India:

**Provided that** if such dispute involves the question whether an International Worker, working in or in connection with the work of an establishment covered or coverable under the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, was entitled or required to become a member of the Fund up to the date of cessation of the said Scheme, the same shall be resolved in accordance with the provisions of the ceased Scheme and shall be treated as membership for benefits under this Scheme.

(3) No proceeding under sub-paragraph (1) and (2) shall be initiated after the expiry of the period of five years on which the dispute is alleged to have arisen:

Provided that all existing inquiries or hearing under paragraph 26B of the EPF Scheme, 1952 at the time of commencement of this Scheme shall be concluded within two years from the date of coming into force of the Code.

#### CHAPTER-IV

#### EXEMPTION

**12. Exemption of employee or class of employees.** — (1) Upon receipt of an application in **Form-I** from the employee, the appropriate Government may, by notification and subject to such conditions as may be specified in the order, exempt from the operation of all or any of the provisions of this Scheme:

Provided that such exemption shall be granted where the employee is entitled to benefits under the rules of the establishment which separately or jointly are substantially similar or superior to the benefits provided under the Code and this Scheme.

Provided further that an employee exempted under sub-paragraph (1) may, by an application to the Commissioner, make a declaration that he shall become a member of the Fund;

Provided further that no employee shall be granted exemption or permitted to opt out of such exemption more than once on the same account.

(2) Where exemption is granted, the employer shall—

- (i) maintain accounts;
- (ii) submit returns in electronic format in **Form-II**;
- (iii) provide facilities for inspection;
- (iv) pay inspection charges; and
- (v) invest provident fund collections in the manner directed by the Central Government.

(3) No exemption for a class of employees shall be granted unless consent of the majority of such employees is submitted by the establishment.

**13. Terms and conditions after exemption.**— (1)The employer shall establish a board of trustees under his Chairmanship for the management of the Provident Fund.

(2) The board of trustees shall be responsible and accountable to the Employees' Provident Fund Organisation for accounting of the receipts and payments and the balances.

(3) The board of trustees shall meet at least once every three months and shall function in accordance with the guidelines issued by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner and the minutes of the meeting of the board of trustees shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner in **Form-III**.

(4) The employer of an exempted establishment shall comply with sections 16, 125, 128 and 129 of the Code, in addition to conditions specified in the notification granting exemption and any contravention shall attract penalties provided under section 133 of the Code.

(5) The employer shall pay inspection charges at the rate notified by the Central Government.

(6) The employees who would have been eligible to become members of the Provident Fund, had the establishment not been granted exemption, shall be enrolled as members.

(7) The employer shall transfer contributions payable by the employer and employees to the board of trustees by the 15th of each month following the month for which contributions are due, failing which the employer shall be liable for interest and damages under sections 127 and 128 of the Code.

(8) The employer shall bear the expenses of administration of the Provident Fund and make good any loss caused to the Trust Fund.

(9) The board of trustees shall declare the rate of interest annually, commensurate with the income earned for the said year, and the same shall not exceed 200 basis points above the rate of interest declared by the Central Government.

(10) The interest shall be credited to the account of each member on the monthly running balance of the member and any deficiency shall be made good by the employer.

(11) The employer shall circulate the rules of the Fund to the employees electronically, along with a translation thereof in the language of the majority of the employees.

(12) The trustees shall maintain accounts electronically, issue annual statements within two months of the close of the financial year and provide facilities for employees to access their balances online.

(13) Any amendment in the rules made by the employer which is more beneficial than the existing rules of the establishment shall automatically apply to the employee and shall be informed to the Regional Provident Fund Commissioner.

(14) The employer shall inform the Regional Provident Fund Commissioner of any rule that does not appear to be more beneficial than the existing rules of the establishment and thereupon, a reasoned order shall be passed by the Regional Provident Fund Commissioner after issuing a notice to both the employer and the employee.

(15) All claims for withdrawals, advances and transfers shall be filed electronically in the manner specified by the Central Provident Fund Commissioner.

(16) The establishment shall provide facilities for online claim settlement which shall be settled within the time limit specified in this Scheme.

(17) The board of trustees shall maintain detailed electronic account showing contributions credited, withdrawals made and interest accrued and the establishment shall periodically transmit the same to the account of the member electronically.

(18) The board of trustees and the employer shall file electronically the monthly and annual returns as specified by the Central Provident Fund Commissioner, failing which the employer and the board of trustees shall be issued a notice for improvement in the first instance, after which in case of subsequent contravention, a fee of two hundred rupees per day and in case of further contraventions, a fee of five hundred rupees per day shall be levied, subject to a maximum of the inspection charges payable for the month to which such return relates to.

(19) The board of trustees shall invest the Fund as per the directions of the Central Government and failure to comply shall render the employer and the board of trustees jointly and severally liable to surcharge as may be fixed by the Central Provident Fund Commissioner.

(20) The securities shall be obtained in the name of the trust and shall be in the dematerialised form.

(21) A scrip-wise register shall be maintained to ensure timely realisation of interest.

(22) A dematerialised account shall be opened through depository participants approved by the Securities Exchange Board of India.

(23) The costs of maintaining the dematerialised account and other investment costs shall be treated as incidental costs of investment by the trust.

(24) All investments, including securities and bonds shall be lodged with depository participants approved by the Securities and Exchange Board of India who shall act as custodian and on closure or liquidation of the establishment or cancellation of exemption from this Scheme, employer shall transfer the investments standing in the name of the trust to the concerned Regional Provident Fund Commissioner in cash.

(25) The exempted establishment shall intimate to the concerned Regional Provident Fund Commissioner, the details of the depository participants with whom investments are lodged and the board of trustees may raise sums required for obligatory expenses, such as settlement of claims, grant of advances, transfer of accumulations or cancellation of exemption, subject to online intimation to the Regional Provident Fund Commissioner.

(26) Any commission, incentive, bonus or other pecuniary rewards received from financial institutions for investments made by the trust shall be credited to the trust account.

(27) At the time of grant of exemption, the employer and the board of trustees shall furnish a written undertaking to the Regional Provident Fund Commissioner in **Form-IV**, to abide by the conditions and such undertaking shall be legally binding on the employer, the board of trustees and their successors and assignees.

(28) The employer and the board of trustees shall undertake to transfer funds promptly within the time limit specified by the Regional Provident Fund Commissioner.

(29) In event of retrospective cancellation or withdrawal of relaxation orders, no damages or interest shall be levied provided there is no delay in transfer of funds from the establishment to the board of trustees or transfer of accumulations to the credit of each employee, surplus or reserves to the Employees' Provident Fund Organisation.

(30) The employer and the board of trustees shall transfer the cumulative balance in any Inoperative Account and non-KYC (Know Your Customer) account along with interest to the Employees' Provident Fund Organisation within a month.

(31) The accounts of the Provident Fund shall be audited annually by a chartered accountant and the Regional Provident Fund Commissioner may order a re-audit where necessary and the same auditor shall not be appointed for two consecutive years and not for more than two years in a block of six years.

(32) The report of the auditor and audited balance sheet shall be submitted electronically within six months from the close of the financial year.

(33) The accounting format shall be determined by the Central Provident Fund Commissioner in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India.

(34) The exemption shall be cancelled as a last measure in case of violation of conditions, including where the rate of contribution or interest declared is inferior to that under the Code or claims are not settled within the specified time, but shall not be cancelled where deficiencies are rectified within the time given in the improvement notice and may also be cancelled in the event of closure or liquidation of the establishment.

(35) Any loss to the trust due to fraud, defalcation, or wrong investment decisions shall be made good by the employer and principal or interest losses shall be recouped within two months from the date of loss or the end of the financial year, whichever is earlier.

(36) On cancellation or surrender of exemption, all accumulations, surplus, reserves and employee balance shall be transferred to the Employees' Provident Fund Organisation.

(37) Where a merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, or formation of a subsidiary occurs, exemption status shall be governed by the order of the competent legal forum and the employer of the new establishment shall be at liberty to continue exemption or surrender exemption by following the procedure specified by the Central Provident Fund Commissioner.

(38) Where more than one unit participates in a common provident fund trust granted exemption, the employers and all trustees shall be jointly and severally liable for any default.

(39) The order of exemption shall be initially for a period of three years and renewal of exemption shall be based on application by the employer and the trust and shall normally be automatic, if conditions continue to be satisfied, provided the net worth of the establishment is positive during each of the last three years.

(40) The establishments with exemption under the repealed Act shall apply for continuation within two years from the date of notification of the Social Security (Central) Rules, 2026 specifying eligibility conditions for grant of exemption.

**14. Composition of board of trustees.** —(1) The board of trustees of an establishment granted exemption shall consist of not less than two and not more than six representatives, each of the employers and the employees:

Provided that in case of a common provident fund for a group of two or more establishments, there shall be at least one representative from each participating establishment.

(2) The employer shall nominate representatives on the board of trustees from among the officers employed in managerial capacity.

(3) The representatives of employees on the board of trustees shall be nominated or elected in the following manner namely:—

- (a) where a union is recognised by the employer under the Code of Discipline in industry or under any other Act, such union shall nominate the representatives of employees;
- (b) where more than one trade union is recognised by the employer, the representatives of employees shall be elected by members of the unions in an election held for the purpose on a working day;
- (c) where no union is recognised but more than one registered union functions in the establishment, the union having the largest membership, subject to a minimum of fifteen per cent, shall have the right to nominate representatives; and
- (d) where there is only one registered union, it shall have the right to nominate representatives provided it has a minimum of fifteen per cent membership.

(4) The employer shall be the Chairperson of the board of trustees and in the event of equality of votes, the Chairperson shall exercise a casting vote.

(5) The term of office of a trustee shall be five years from the date of election or nomination.

(6) An outgoing trustee shall be eligible for re-election or re-nomination and a trustee elected or nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remainder of the term of the trustee in whose place the election or nomination was made.

(7) A person shall be disqualified from being a trustee, if such person—

- (i) is declared to be of unsound mind by a competent court;
- (ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (iii) is an undischarged insolvent; or
- (iv) is an employer of an exempted or un-exempted establishment that has defaulted in payment of any dues under the Code.

(8) A person shall cease to be a trustee, if such person—

- (i) ceases to be an employee of the establishment;
- (ii) ceases to be a member of the provident fund of the establishment;
- (iii) represents a union which ceases to be recognised by the employer; or
- (iv) fails to attend three consecutive meetings of the board without obtaining leave of absence from the Chairperson, unless the Chairperson is satisfied that reasonable grounds existed for such absence.

(9) The procedure for election or nomination of trustee, quorum at meetings, records of business transactions and other matters not specifically provided for in this Scheme shall be regulated by the approved provident fund rules of the establishment and by guidelines for the functioning of board of trustees of exempted establishments as may be specified by the Commissioner.

(10) Where any dispute or doubt arises, the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner having jurisdiction over the head office of the establishment, whose decision shall be final and binding.

**15. Extension of exemption.** — (1) The order of exemption together with its conditions shall initially operate for a period of three years from the date of publication of such notification.

(2) An application for extension of exemption under section 143 of the Code shall be made on the specified portal at least six months before expiry of the exemption.

(3) The exemption shall stand renewed, provided that the condition for the grant of the exemption continues to be satisfied by the establishment and the Trust.

(4) The renewal shall remain in operation so long as the condition for the grant of exemption continues to be satisfied and the net worth of the establishment does not remain negative for three or more consecutive years.

(5) The renewal shall remain in operation until the establishment applies for cancellation or surrender of exemption and such application is accepted or until the Central Government issues a reasoned order specifying a date beyond which the renewal shall cease to operate and be void:

Provided that no such order shall be made by the Central Government without affording the establishment an opportunity of being heard.

**16. Cessation and surrender of exemption.** —(1) Notwithstanding anything contained in this Scheme, the employer of an exempted establishment, whether exempted for all employees, a class of employees or any employee under Chapter III of the Code, as the case may be, may make an application to the appropriate Government for the surrender of exemption granted, irrespective of whether condition of exemption has been violated or not:

Provided that before making an application, the establishment and the concerned Regional Provident Fund Commissioner shall issue a public notice to this effect for the information of the employees.

(2) The appropriate Government may, on receipt of such application, allow the employer to remit contributions into the Fund from the date specified in the application and process the application for cancellation of exemption:

Provided that the Regional Provident Fund Commissioner may permit the employer and the board of trustees to transfer accumulation of each employee, together with past accumulations, surplus and reserves from the fund referred to in sub-section (5) of section 143 of the Code, to the Fund.

(3) The employer and the board of trustees shall transfer the accumulations of each employee, together with surplus and reserves, from the exempted fund to the statutory fund under this Scheme, pending issuance of the cancellation order by the appropriate Government and thereupon such exempted employee shall become member of the Fund.

(4) No employee or class of employees shall be granted exemption or permitted to opt out of exemption more than once on the same account.

(5) No establishment shall be granted exemption or permitted to apply for exemption more than once on same account within a period of ten years.

(6) At the time of a subsequent request for exemption, the establishment shall demonstrate compliance with the condition for grant of exemption for a continuous period of three years preceding the date of such request.

**17. Transfer of accumulation from existing provident fund.** —

(1) Every authority in charge of, or entrusted with, the management of, any provident fund whose accumulations are to be transferred to the Fund under this Scheme shall—

(i) send to the Commissioner, within twenty-five days of the application of this Scheme or cancellation of exemption, a statement showing the amount standing to the credit of each subscriber on the date of the transfer, the total accumulations to the credit of subscribers generally on that date and the advances, if any, taken by the subscribers;

(ii) transfer to the Fund, in the manner specified in sub-paragraph (2), the total accumulations standing to the credit of the subscribers in relation to each establishment within ten days of the application of this Scheme or cancellation of exemption, in case of liquid cash in bank and within thirty days in case of securities; and

(iii) transfer to the Central Board all pass books, books of account and other documents relating to the said accumulations.

(2) All accumulations standing to the credit of the subscribers, howsoever invested, shall be transferred to the Fund in cash :

Provided that if the whole or any part of such accumulations is invested in National Savings Certificates or National Plan Savings Certificates, the appreciated value of such certificates at the time of the transfer shall be taken into account in determining the amount of the accumulations to be transferred, provided that the difference between the face value of such certificate and their appreciated value at the time of the transfer has already been credited to the accounts of the subscribers:

Provided further that where the whole or any part of such accumulations consists of investments in securities, the Central Government may, in exceptional cases, allow acceptance of the transfer of such securities at the price for which they were actually purchased.

*Explanation: For the removal of doubts, the total amount of provident fund accumulation includes interest thereon and the authority in charge of the Fund shall transfer in cash any balance of interest on investments which remains undistributed on the date of the transfer or realised or realisable for the period prior to the registration of the securities in the name of the Central Board.*

- (3) Any cash transferred under sub-paragraph (2) shall be deposited in the bank account of the Central Board.
- (4) The accumulations transferred to the Fund in accordance with this paragraph shall be credited to the account of each of the members of the Fund to the extent to which he may be entitled, having regard to the statement furnished by the authority.

## CHAPTER V

### CONTRIBUTIONS AND CHARGES

**18. Contributions.** — (1) The contribution payable under this paragraph in respect of a member shall comprise of contribution payable by the employer (hereinafter referred to as the employer's contribution) and contribution payable by the employee (hereinafter referred to as the employee's contribution).

- (2) The employer's contribution, under this Scheme shall be at the rate of twelve per cent of the wages payable to the employee, to whom this Scheme applies and the employees' contribution shall be equal to the employer's contribution in respect of such employee:

Provided that the rate of contribution shall be ten per cent in respect of the class of establishments notified by the Central Government in this regard:

Provided further that the Central Government, after making such inquiry as it deems fit, may, by notification, specify rates of employees' contributions and the period for which such rates shall apply for any class of employee:

Provided also that the Central Government may by order, defer or reduce the employer's contribution, or employee's contribution, or both, for a period up to three months at a time, for whole of India or part thereof in the event of pandemic, endemic or national disaster.

(3) The contribution payable in respect of a member shall be subject to the wage ceiling limit, notified by the Central Government from time to time:

Provided that subject to the provisions contained in sub-paragraph (4) of paragraph 9, where the monthly wage of such a member exceeds the wage ceiling, the employer and employee's contribution shall be limited to the contribution payable on the wage ceiling:

Provided further that an employer may make such contribution for wages beyond the wage ceiling to the Pension Fund in respect of such cases, which have been permitted for contribution on higher wages under the Employee's Pension Scheme, 1995.

(4) The contributions shall be calculated on the basis of wages actually drawn or payable during the month whether paid on a daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(5) Each contribution shall be calculated to the nearest rupee, with fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored.

*Explanation: - For the removal of doubts, in case, wages are paid in a currency other than the Indian Rupee, the rate of conversion of that currency shall be the telegraphic transfer buying rate offered by the State Bank of India established under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) for buying such currency on the last working day of the month for which the wages are due.*

**19. Additional voluntary contributions.** — (1) Notwithstanding anything contained in this scheme, an employee may opt to contribute on a voluntary basis, an additional contribution on wages exceeding the statutory wage ceiling at statutory rate or at any rate in excess of statutory rate and the employer shall accordingly transfer such voluntary contributions to the Commissioner through the Electronic Challan-cum>Returns:

Provided that the additional voluntary contributions shall not exceed wages after such deductions as permitted under sub-section 2 of section 18 of the Code.

(2) The employer may if he so desires, make a matching contribution on such employees' voluntary contribution; however the employer shall be under no obligation to match the additional voluntary contributions made by employee under this paragraph.

(3) The employer shall be liable to pay additional administrative charges on such wages, on which voluntary contributions are paid under this paragraph.

(4) The employee or employer may at any time, opt to reduce or stop making such additional voluntary contributions.

(5) Any voluntary contribution by the employer shall be credited to the Provident Fund.

**20. Responsibility for payment of contribution.** — (1) The employer shall, in the first instance, pay both the employer's contribution and the employee's contribution, together with administrative charges or other fees or charges

payable under this Scheme in respect of an employee directly employed by him or through a contractor [in respect of such establishment, which is not registered independently], within fifteen days of the close of every month in the manner specified by the Central Board.

- (2) In respect of an employee employed by or through a contractor, [in respect of such establishment, which is not registered independently], the contractor shall recover the contribution payable by such employee and pay to the principal employer, the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contribution.
- (3) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions, together with administrative charges, payable in respect of the employees directly employed as specified in sub-paragraph (1) and those employed by or through a contractor, as specified in sub-paragraph (2).
- (4) Notwithstanding anything contained herein, the principal employer shall remain responsible to pay contributions and administrative charges or other fee in respect of an employee directly employed by him or through a contractor.

**21. Employer's share not to be deducted from members.** — Notwithstanding any contract to the contrary, the employer shall not be entitled to deduct the employer's contribution from the wages of a member or otherwise to recover it from him.

**22. Recovery of member's share of Contributions.** — (1) The amount of a member's contribution paid by the employer or a contractor shall, notwithstanding the provisions in this Scheme or any law for the time being in force or any contract to the contrary, be recoverable by means of deduction from the wages of the member and not otherwise:

Provided that no such deduction shall be made from any wages other than which is paid in respect of the period or part of the period in respect of which the contribution is payable:

Provided further that the employer or a contractor may recover the share of employee from wages other than those paid in respect of the period for which the contribution has been paid or is payable, in writing, given a false declaration at the time of joining service that the employee was not already a member of the Fund:

Provided also that where no such deduction has been made on account of an accidental mistake or a clerical error, such deduction may with the consent in writing of the Inspector-cum-Facilitator, be made from the subsequent wages.

- (2) Deductions made from the wages of a member paid on a daily, weekly or fortnightly basis shall be totalled to indicate the monthly deductions.
- (3) Any sum deducted by an employer or a contractor from the wages of an employee under this Scheme shall be deemed to have been entrusted to the employer or contractor for the purpose of paying the contribution in respect of which it was deducted.

**23. Levy and Recovery of damages for default.** — (1) Where any employer makes default—

- (a) in the payment of any contribution to the Fund, which they are liable to pay in accordance with the provisions of Chapter III of the Code; or
- (b) in the transfer of accumulations required to be transferred under sub-sections (8) and (9) of section 143 of the Code; or

(c) in the payment of any charges payable under the provisions of this scheme or under any of the conditions specified in section 143 of the Code,

the Central Provident Fund Commissioner or such other officer as may be authorised by the Central Government may levy an amount and recover from the employer, by way of damages at the rates specified in the Table below, not exceeding the amount of arrears.

Sl. No.	Period of default	Rate of Damages (Percentage of arrears per month)
1	Less than two months	0.25%
2	More than two months and less than four months	0.50%
3	More than four months	1%

(2) The damages specified under sub-paragraph (1) shall also apply in case of any default specified under paragraph 32-A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 with effect from the 14<sup>th</sup> June, 2024.

## CHAPTER VI

### RESPONSIBILITIES, FORMS & RETURNS

**24. Duties of employers.** — (1) Every employer shall, within fifteen days of the application of this Scheme to the establishment, send to the Commissioner a consolidated return in **FORM V**:

Provided that if there is no employee, who is required or entitled to become a member of the Fund, the employer shall file a 'Nil' return.

(2) Every employer shall, within fifteen days of the close of each month, upload electronically on the designated portal,-

- (i) details of the employees qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month
- (ii) details of the employees enrolled as members of the Fund upon joining employment in his establishment consequent upon transfer from another establishment during the preceding month by way of linkage of UANs in respect of such employees with the establishment.
- (iii) The employer shall facilitate generation of UAN by any employee, in case the employee fails to do so on the portal, to which the member account shall be linked.
- (iv) Every employer shall, upon an employee becoming a member of the Fund provide digital facility and technical support as may be required, to every such member to download the e-Passbook made available electronically by the Central Board.

- (v) Every employer shall, within fifteen days of the close of each month, upload electronically on the designated portal details of the employees leaving the service of the employer during the preceding month.
- (vi) Every employer in relation to an establishment to which the Code applies shall file an ownership return after registration of the establishment in **FORM VI** containing details of occupiers, directors, partners, manager or any other person, who has the ultimate control over the administration of the establishment along with documentary proof for authenticating identity on the portal specified for the purpose.
- (vii) Every employer in relation to an establishment to which the Code applies shall file such particulars relating to ownership in sub-paragraph (6), within fifteen days of such change on the portal specified for the purpose;
- (viii) The employer shall display the extract of the ownership return at the entrance of the establishment and on the website;
- (ix) The employer shall upload within fifteen days of close of the month details relating to contributions payable in respect of each employee on the designated portal through Electronic challan-cum-Return in **Form-VII** and thereafter pay the dues as specified under sub-paragraph 3 of paragraph 28 of this Scheme.
- (x) An employer of an establishment shall maintain records and registers in the form prescribed by the appropriate Government, electronically or otherwise, containing such particulars and details concerning persons employed, muster roll, wages and other particulars including those listed in clause (a) of section 123 of the Code.
- (xi) The employer shall make all registers and books of accounts, relating to the details of employees or workers and payments made to them maintained under any other law for the time being in force, available electronically under due authentication or shall provide physical record for verification to Inspector-cum-Facilitator appointed under the Code at the time of inspection of the establishment.
- (xii) Every employer shall, whenever the Commissioner or any other officer authorised by him on his behalf or an Inspector-cum-Facilitator so requires, produce the records of any employee employed by him and if so required, he shall deliver such records to the Commissioner or officer so authorised or Inspector-cum-facilitator, as the case may be, in accordance with the procedure envisaged under the inspection scheme, who may, if he deems necessary, retain the records with due acknowledgement.
- (3) In the case of an international worker,—
- (i) every employer shall, within fifteen days of the application of this Scheme to the establishment, send to the Commissioner a consolidated return in the form specified by the Commissioner, containing details of International Workers indicating the nationality of each International Worker distinctly, required or entitled to become members of the Fund, showing the wages paid to each such International Worker:  
**Provided that** if there is no International Worker required or entitled to become a member of the Fund, the employer shall file a 'Nil' return;
- (ii) every employer shall, within fifteen days of the close of each month, upload in electronic mode on the portal specified for the purpose,—
- (a) details of International Workers qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month;
- (b) details of International Workers enrolled as members of the Fund upon joining employment in the establishment, consequent upon transfer from another establishment during the preceding month;

- (c) details of International Workers leaving the service of the employer during the preceding month.

(4) Notwithstanding anything hereinbefore contained in this paragraph, the Central Board may issue such directions to employers generally as it may consider necessary or proper for the purpose of implementation of this Scheme, and it shall be the duty of every employer to carry out such directions.

**25. Duties of employee.** — (1) Every person who is required or entitled to become a member of the Fund shall furnish to the employer or the Employees' Provident Fund Organisation, as the case may be, particulars concerning himself including Aadhaar Number as defined in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (The Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016, an Aadhaar seeded Bank account number of any scheduled Bank in India, or Co-operative Bank, the Permanent account Number issued under the Income Tax Act, 2025 (30 of 2025) and the Universal Account Number.

(2) Every person who is required or entitled to become a member of the Fund shall furnish to the Commissioner, particulars concerning his family members including Aadhaar Number, for purpose of nomination on the portal specified for the purpose.

(3) Every person who is required or entitled to become a member of the Fund shall furnish particulars of his past employment or membership under the Code or the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or any other recognised provident Fund on the portal specified for the purpose.

**26. Employer to furnish particulars of ownership and authorised signatories.** — (1) Every employer of a registered establishment shall, —

(i) submit **FORM VIII** containing details of the branches and departments, and the person/persons having ultimate control over the administration of the branch along with documentary proof for authenticating the identity of such person/persons, who has/have ultimate control over the administration of the establishment;

(ii) authorise not more than five persons from amongst the employees of the establishment, to sign documents and submit returns on behalf of the employer and details of such authorisation shall be submitted in **FORM -IX**:

Provided that in case of closure, liquidation or similar circumstances, where another person discharges the duties and responsibilities of the employer, such person may authorise any person, including a person not being an employee of the establishment, as an authorised signatory;

(iii) notwithstanding such authorisation, the employer or any other person discharging the duties and responsibilities of the employer, as the case may be, shall remain responsible under the provisions of the Code and this Scheme.

(iv) furnish change in particulars of ownership and authorised signatories every financial year or as and when there is any change or in advance, as the case may be, within thirty days of such change:

Provided that in the case of any employer of an establishment to which the pension scheme or insurance scheme framed under the Code or the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 applies, the aforesaid Form may be deemed to satisfy the requirements.

**27. Duties of principal employer and contractor.** — (1) The principal employer shall ensure registration of the establishment and declare all contractors engaged on the portal specified for the purpose in the **FORM X**.

(2) The contractor shall be responsible, jointly and severally with the principal employer, for payment of contributions and charges payable under this Scheme in respect of the contractual employee engaged and such contributions and charges shall be remitted before the expiry of the period specified under this Scheme.

(3) Every contractor shall within ten days of the close of each month, inform the principal employer electronically in **FORM-XI**, the name, Universal Account Number, wages and contributions payable in respect of such contractual employee.

(4) The principal employer shall furnish to the Commissioner, within twenty days of the close of the month, a monthly abstract in **FORM XII** showing the aggregate amount of recoveries made from the wages of the contractual employee and the aggregate amount contributed by the employer in respect of such members.

(5) In the event information as specified in Form- (X), (XI) and (XII) under sub-Paragraph (1),(3) and (4) is made available through a dedicated portal provided by the EPFO, the compliance in this regard shall be deemed to have been made.

**28. Payment of contributions etc.** — (1) The employer shall, before paying wages to a member in respect of any period or part of a period for which contributions are payable, deduct the employee's contribution from such wages.

(2) The employer shall together with the employee's contribution, pay the employer's contribution and administrative charge of such percentage of wages.

(3) The employer shall, within fifteen days of the close of every month, remit the contributions to the Fund through electronic mode of payment authorised for such collection on account of contributions and administrative charges:

Provided that the Central Provident Fund Commissioner may for reasons to be recorded in writing, allow any employer or class of employer to deposit the contributions by any other mode:

Provided further that in exceptional circumstances, the Central Provident Fund Commissioner, may extend the prescribed time available to the employer to file Returns and deposit contribution and charges through Electronic Challan-cum-Return.

**29. Fixation of administrative charges or other fee:**

(1)The Central Government may, in consultation with the Central Board and having regard to the resources of the Fund available for meeting its normal administrative expenses, fix the percentage of administrative charges payable under sub-paragraph (2) of paragraph 28.

(2) The employer shall be liable to pay a late fee of five hundred rupees per day for delay in filing any return required to be filed under this Scheme:

Provided that the total late fee payable shall not exceed the amount of administrative charges payable by the employer for the month, which such return relates to.

**30. Annual statement of member's account and e-Pass Book.** — (1) As soon as possible, after the close of each financial year, the Commissioner shall make available a statement of member's account in the Fund in electronic format on the portal specified for the purpose showing the opening balance at the beginning of the period, amount contributed during the year, the total amount of interest credited at the end of the period or debited during the period and the closing balance at the end of the period.

(2) Members shall satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and any error shall be brought to the notice of the Commissioner within three months of the date of publication of the statement on the portal.

## Chapter-VII

### MAINTENANCE OF ACCOUNTS

**31. Current Account.** — The Commissioner shall deposit the contributions received from the employers electronically through internet banking or any other mode other than internet banking in the Reserve Bank or the State Bank of India or any other nationalised bank or through PayGov platform or through the scheduled banks in India including private sector banks in the Current Account of the Fund.

**32. Administration Account.** — A separate account to be called the Central Administration Account shall be established for recording all administration expenses of the Fund including such administrative charges as the Fund may be authorised to levy.

**33. Provident Fund Account.** — (1) A Provident Fund Account shall be established for the purposes of this Scheme into which shall be credited all amounts received as contributions or charges and from which shall be debited all benefits to be paid to the subscribers.

(2) All the assets and liabilities of the Provident Fund under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, shall be transferred to the Fund constituted under sub-paragraph (1).

**34. Interest Account.** — All interest, rent and other income realised, and net profits or losses, if any, from the sale or investments not including therein the transactions of the Administration Account, shall be credited or debited, as the case may be, to the account called the "Interest Account" and the brokerage and commission of the purchase and sale of securities and other investments, shall be included in the purchase or sale price, as the case may be, and not separately charged to the "Interest Account".

**35. Investment of moneys belonging to Employees' Provident Fund.** — (1) All moneys belonging to the Fund shall be deposited in the Reserve Bank or the State Bank of India or in such other scheduled banks as may be

approved by the Central Government from time to time or shall be invested, subject to such directions as the Central Government may from time to time give, in the securities mentioned or referred to in section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (11 of 1882), provided that such securities are payable both in respect of capital and in respect of interest in India.

(2) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Fund.

**36. Disposal of the fund.** — (1) Subject to the provisions of the Code and this Scheme, the Fund, not including therein the Administration Account, shall not, except with the previous sanction of the Central Government, be expended for any purpose other than the payment of the sums standing to the credit of individual members of the Fund or to their nominees or heirs or legal representatives in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The Fund shall be operated upon by such officers as may be authorised in this behalf by the Central Board.

**37. Expenses of administration.** — (1) All expenses relating to the administration of the Fund shall be met from the Fund.

(2) All expenses of the Fund, including the fees and allowances, of the trustees of the Central Board and salaries, leave and joining time allowances, travelling and compensatory allowances, gratuity and compassionate allowances, pensions, contributions to provident fund and other benefit fund instituted for the officers and employees of the Central Board, the cost of audit of the accounts, legal expenses and cost of all stationery and forms incurred in respect of the Central Board, cost and all expenses incurred in connection with the construction of office buildings and staff quarters shall be met from the Administration Account of the Fund.

**38. Form and manner of maintenance of accounts.** — The accounts of the Fund and Administration Account shall be maintained by the Central Provident Fund Commissioner in the form and manner specified by the Central Board with the approval of the Central Government.

**39. Audit.** — (1) The accounts of the Fund, including the Administration Account shall be audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The charges on account of audit shall be paid out of the Administration Account.

**40. Budget.** — (1) The Central Provident Fund Commissioner shall, each year before the first fortnight of February, place before the Central Board, a budget showing separately, —

- (i) the probable receipts from the contributions and from the levy of administrative charges; and
- (ii) the expenditure proposed to be incurred during the following financial year.

(2) The budget as approved by the Central Board, shall be submitted for sanction to the Central Government within a month of its being placed before the Central Board.

(3) The Central Government may make modifications in the budget as it considers necessary before sanctioning the budget.

(4) The Central Provident Fund Commissioner may, at any time during the year, make budgetary re-appropriation of funds sanctioned in the budget by the Central Government:

Provided that—

(a) the total amount sanctioned in the budget is not exceeded;

(b) such re-appropriation shall be made only for meeting expenses of administration to be met from the Administration Account; and

(c) every re-appropriation so made shall be reported to the Central Board at its next meeting.

(5) The Central Provident Fund Commissioner shall place before the Central Board, a supplementary budget for a financial year, giving detailed estimates and reasons of inescapable expenditure likely to be incurred during the year, for which no provision has been made in the sanctioned budget and which cannot be covered under sub-paragraph (4).

(6) The supplementary budget, as approved by the Central Board, shall be submitted for the sanction of the Central Government within one month of its being placed before the Central Board.

(7) Any expenditure incurred by the Central Provident Fund Commissioner over and above the sanctioned budget in a financial year and not covered under sub-paragraphs (4) and (5) shall be reported to the Central Board without delay after the excess is established for its consideration and obtaining sanction of the Central Government.

**41. Accounts of members.** — (1) An account shall be opened in the Fund in the name of each member to which shall be credited, —

(i) the contributions made by the member;

(ii) the contributions made by the employer in respect of the member; and

(iii) the interest as specified in paragraph 42.

(2) All items of account shall be calculated to the nearest rupee, (fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored).

**42. Interest.** — (1) The Commissioner shall credit to the account of each member interest at such rate as may be determined by the Central Government in consultation with the Central Board in the following manner namely:-

(a). interest shall be credited to the member's account on monthly running balance basis with effect from the last day in each year in the following manner: —

(i) on the amount at the credit of a member on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year -- interest for twelve months;

(ii) on sums withdrawn during the current year— interest from the beginning of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) on all the sums credited to the member's account after the last day of the preceding year—interest from the 1st day of the month succeeding the month of credit to the end of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee (fifty paise or more to be counted as the next higher rupee).

(b) In the case of a claim for the withdrawal under paragraph 49 or paragraph 50 of the Scheme, interest shall be payable up to the date on which the final payment is authorised, irrespective of the date of receipt of the claim from the claimant concerned:

Provided that the rate of interest to be allowed on claims for withdrawal of the current year shall be the rate fixed for the financial year in which the withdrawal is authorised.

Provided further that the rate of interest to be allowed on claims for withdrawal for the current year shall be the last declared rate on the Employees' Provident Fund and if the rate declared for any current year happens to be less than the previous year's declared rate, then it shall accrue as bonus to the outgoing members and shall be incorporated into calculation for deriving the current year's rate of interest at the end of the year and the claims settled under this proviso shall be final.

*Explanation.* — (a) if an establishment is covered for the first time under the Code during the course of the current year, the interest shall be allowed on all the sums credited to the member's account on and from the first day of the month succeeding the month of credit to the end of the current year;

(b) in case of transfer of past accumulations consequent upon cancellation or surrender of exemption and the establishment is covered for the first time under the Scheme during the course of the current year, the interest shall be allowed on all the sums credited to the member's account on and from the first day of the month succeeding the month of credit to the end of the current year.

(2) The aggregate amount of interest credited to the accounts of the members shall be debited to "Interest Account".

(3) In determining the rate of interest, the Central Government shall satisfy itself that there is no overdrawing on the Interest Suspense Account as a result of the debit thereto of the interest credited to the accounts of members.

(4) Interest shall not be credited to the account of a member if he informs the Commissioner in writing that he does not wish to receive it. If, however, the member subsequently asks for interest, it shall be credited to his account with effect from the first day of the period of currency in which he makes a request therefor.

(5) Interest shall not be credited to the account of a member from the date on which it has become inoperative account under the provisions of paragraph 54.

## Chapter-VIII

### Transfers, Nominations, Payments and Withdrawals

**43. Transfer of membership.** — (1) Where a member of the Fund relinquishes employment in an establishment and secures employment in—

(i) another establishment to which this Scheme applies;

- (ii) an exempted establishment; or
- (iii) an establishment not covered under Chapter-III of the Code, but has a provident fund scheme of its own, the member may apply on the designated portal, for the purpose for transfer of balance of the provident fund from the existing account to the new account.

(2) Where an employee relinquishes employment in—

- (i) an establishment to which Chapter III of the Code does not apply; or
- (ii) an exempted establishment,

and thereafter obtains employment in an establishment to which Chapter III of the Code or this Scheme applies, as the case may be, the employee may apply in the form and manner as the Central Provident Fund Commissioner may specify, for transfer of the balance of the provident fund from the existing account to the Fund.

(3) The Commissioner may provide for facilities for the transfer of funds in an automated manner, subject to the condition that the identity of the member and ownership of the provident fund accounts are confirmed in accordance with the procedure specified for the purpose:

Provided that in case of non-confirmation of the identity of the member of the provident fund account through online mode, the employer shall forward the application for transfer after confirming the identity of the member to the Commissioner.

**44. Nomination.** — (1) Each member shall make a declaration on the designated portal, a nomination conferring the right to receive the amount that may stand to the credit, in the event of death before the amount standing to credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made.

(2) A member may in the nomination, distribute the amount standing to the credit in the Fund amongst nominees at the discretion of the member.

(3) Where a member has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to the family and any nomination made by such member in favour of a person not belonging to his family shall be invalid:

Provided that any nomination made by a member under the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, shall be void to the extent, it is inconsistent with the provisions of this Scheme and the member shall be required to file a nomination in accordance with this Scheme:

Provided further that a fresh nomination shall be made by the member upon marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(4) Where a member has no family at the time of making a nomination, the nomination may be in favour of any person, but if the member subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination in favour of family members.

(5) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the member may appoint a person major of the family to be the guardian of the minor nominee in the event of the member predeceasing the nominee and the guardian so appointed:

Provided that where there is no major person in the family, the member may appoint any other person to be the guardian of the minor nominee.

(6) A nomination made under sub-paragraph (1) may at any time be modified by a member on the e-nomination portal.

(7) If a nominee predeceases the member, the interest of the nominee shall revert to the member, who may make a fresh nomination in respect of such interest.

(8) A nomination or its modification shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the Commissioner.

**45. Financing of existing members' Life Insurance Policy.** — (1) Notwithstanding anything contained in this Scheme, any active life insurance policy that was being financed at the time of commencement of the Scheme under the provisions of paragraph 62 to 67 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, shall continue to be financed according to the terms and conditions specified therein.

(2) The Employees' Provident Fund Organisation shall continue to process and facilitate the payment of premia for such active policy, and all benefits under these policies shall remain payable as per the policy's terms until the maturity or termination:

Provided that any inactive life insurance policy that was being financed at the time of commencement of this scheme under the provisions of paragraphs 62 to 67 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, , shall be re-assigned to the member forthwith:

Provided further that, in case, the member dies before the policy has been re-assigned in accordance with the first proviso, the Commissioner shall re-assign by the endorsement thereon, the policy to the nominee of the member, if a valid nomination subsists, and if there is no such nominee, to such person, as may be legally entitled to receive it, together with a signed notice of re-assignment addressed to the Life Insurance Corporation.

**46. Partial withdrawals from Fund.** —(1) The Commissioner may, on an application from a member on the designated portal sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, a partial withdrawal not less than rupees one thousand for the purposes and subject to the eligibility and frequency specified in sub-paragraphs (2), (3) and (4) and subject to the requirement of maintaining in the member's account, the Minimum Balance.

Explanation: For the purposes of this paragraph, (a)“minimum balance” means an amount equivalent to twenty-five per cent of the aggregate of the total contributions made to the Fund to the credit of the member (inclusive of both the employee's and the employer's share and interest thereon) up to the date of such withdrawal, which shall remain to the credit of the member after giving effect to any partial withdrawal under this paragraph; and

- (2) A member may be allowed withdrawal from the Fund for the following purposes and to the extent specified—
- (a) in case of illness of self and family members, an amount up to one hundred per cent of the Eligible Member Balance, after completion of twelve months' total membership of the Fund;
  - (b) for the education of self and family members, an amount up to one hundred per cent of the Eligible Member Balance, after completion of twelve months' total membership of the Fund and partial withdrawal on this account shall not exceed ten times during the membership;
  - (c) for the marriage of self and family members an amount up to one hundred per cent of the Eligible Member Balance, after completion of twelve months' total membership of the Fund and partial withdrawal on this account shall not exceed five times during the membership of the Fund.

(3) For housing-related requirements, a member may be allowed partial withdrawal from the Fund for the following purposes and to the extent specified—

- (i) purchase of a flat, house;
- (ii) site for construction of a house;
- (iii) construction of a house;
- (iv) repayment of a home loan obtained for purchase, construction of a flat or house or for acquisition of a site;  
and
- (v) additions, alterations, renovations or improvements to an existing house or flat:

Provided that the amount of such withdrawal shall not exceed one hundred per cent of the Eligible Member Balance after completion of twelve months of total membership in the Fund and partial withdrawal on this account shall not exceed five times during the membership.

(4) A member may, in special circumstances be allowed partial withdrawal from the Fund, up to one hundred per cent of the Eligible Member Balance after completion of twelve months of total membership of the Fund and partial withdrawals from this account shall not exceed two times in a financial year.

(5) A member exiting employment before completing twelve months membership shall be eligible to avail the partial withdrawal under this paragraph, subject to the condition that the amount of such withdrawal shall not exceed the Eligible Member Balance on the date of such withdrawal.

(6) The permissible number of times for availing partial withdrawal under sub-paragraphs (2), (3) and (4) shall be calculated afresh in respect of each member on and from the date of commencement of this Scheme.

Explanation.— For the purpose of this paragraph, “Eligible Member Balance” means the amount standing to the credit of the member in the Fund after deducting the Minimum Balance required to be maintained.

**47. Computation of period of membership.** — In computing the period of membership of the Fund for partial withdrawal, there shall be included—

- (i) the total service, exclusive of periods of breaks, under the same employer of a factory or establishment before this Scheme applied to them;
- (ii) the periods of membership of the Fund;
- (iii) the periods of membership of a private provident fund of exempted factories or establishments; and
- (iv) the periods of membership as an employee exempted under section 143 of the Code, immediately preceding the current membership of the Fund:

Provided that the member has not severed membership by withdrawal of his provident fund during such period.

**48. Payment of partial withdrawal,** — The payment of any partial withdrawal sanctioned under paragraph 46 of this Scheme may be made, at the option of the member by deposit in the payee's bank account in any Scheduled Bank or in a Co-operative Bank (including an Urban Co-operative Bank) or in any post office.

**49. Circumstances in which accumulations in Fund are payable to member.** — (1) A member may withdraw the full amount standing to his credit in the Fund —

- (i) on retirement from service after attaining of the age of fifty-five years:

Provided that a member, who has not attained the age of fifty-five years at the time of termination of his service, shall also be entitled to withdraw the full amount standing in the Fund if he attains the age of fifty-five years before the payment is authorised;

- (ii) on retirement on account of permanent and total incapacity for work due to bodily or mental infirmity duly certified by the medical officer of the establishment or where an establishment has no regular medical officer, by a registered medical practitioner designated by the establishment;
- (iii) immediately before migration from India for permanent settlement abroad or for taking employment abroad;
- (iv) on termination of service in the case of mass or individual retrenchment;
- (v) on termination of service under a voluntary scheme of retirement framed by the employer and the employee under a mutual agreement;
- (vi) in any of the following contingencies, provided the actual payment shall be made only after completing a continuous period of not less than two months immediately preceding the date on which a member makes the application for withdrawal, —

- (a) where a factory or other establishment is closed but certain employees who are not retrenched, are transferred by the employer to other factory or establishment, not covered under the Code;
- (b) where a member is transferred from a covered factory or other establishment to another factory or other establishment not covered under the Code, but is under the same employer; and
- (c) where a member is discharged and is given retrenchment compensation under the Code on Industrial Relations, 2020 (35 of 2020);

*Explanation.*—For the purpose of clause (ii) of sub-paragraph (1):

- (a) where an establishment has been closed, the certificate of any registered medical practitioner may be accepted;
- (b) where there is no medical officer in the establishment, the employer shall designate a registered medical practitioner stationed in the vicinity of the establishment; or
- (c) where the establishment is covered by the Employees' State Insurance Scheme, a medical certificate from a medical officer of the Employees' State Insurance Dispensary with which, or from the Insurance Medical Practitioner with whom, the employee is registered under that Scheme, shall be produced:

Provided that where by mutual agreement of employers and employees, a Medical Board exists for any establishment or a group of establishments, a certificate issued by such Medical Board may be accepted for this paragraph:

Provided further that it shall be open to the Regional Provident Fund Commissioner to demand from the member, a fresh certificate from a civil surgeon or any doctor acting on his behalf where the original certificate produced gives rise to suspicion regarding its genuineness:

Provided also that the fee of the civil surgeon or doctor acting on his behalf shall be paid from the Fund, in case the findings are in agreement with the original certificate and that where such findings do not agree with the original certificate, only half of the fee shall be paid from the Fund and the remaining half shall be debited from the account of the member;

- (d) a member suffering from tuberculosis or leprosy or cancer, even if contracted after leaving the service of an establishment on grounds of illness but before payment has been authorised, shall be deemed to have been permanently and totally incapacitated for work.

(2) In cases other than those specified in sub-paragraph (1), the Central Provident Fund Commissioner or any officer, so authorised by him, may permit a member to withdraw the full amount standing to the credit in the Fund on ceasing to be an employee in any establishment to which the Code applies:

**Provided that** a member shall not be eligible to withdraw unless the member has not been employed in any factory or other establishment to which the Code applies for a continuous period of not less than twelve months immediately preceding the date of application for withdrawal:

Provided further that the requirement of waiting period shall not, however, apply in cases of female members resigning from the services of the establishment for the purpose of getting married.

(3) Any member who withdraws the amount due to him under subparagraph (2) shall, upon obtaining re-employment in another establishment to which this Scheme applies, be required to qualify again for the membership of the Fund and on qualifying for membership shall be treated as a fresh member thereof.

**50. Accumulations of deceased member to whom payable.** —On the death of a member before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable before payment has been made-

- (i) if a nomination made by the member in accordance with paragraph 44 of the Scheme subsists, the amount standing to his credit in the Fund or that part thereof to which the nomination relates, shall become payable to the nominee in accordance with such nomination; or
- (ii) if no nomination subsists or if the nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall become payable to the members of his family in equal shares in the following manner namely: —
  - (a) a spouse;
  - (b) a minor legitimate or adopted son dependent upon the employee;
  - (c) an unmarried daughter who is wholly dependent on the earning of the employee;
  - (d) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee so long as the infirmity continues;
  - (e) dependent parents including father-in-law and mother-in-law of a woman employee;
  - (f) in case the employee is unmarried and his parents are not alive, a minor brother or sister wholly dependent upon the earning of the member;
- (iii) in any other case to which the provisions of clauses (i) and (ii) do not apply, the whole amount standing to the credit of the deceased member shall be payable to the person legally entitled to it.

**Explanation.** — For the purpose of this paragraph, a posthumous child, if born alive, shall be treated in the same manner as a surviving child born before the death.

**51. Payment of Accumulations of funds of International Workers.**— (1) An International Worker may withdraw the full amount standing to the credit in the Fund,—

- (a) on retirement from service in the establishment at any time after attainment of fifty-eight years;
- (b) on retirement on account of permanent and total incapacity for work due to bodily or mental infirmity duly certified by the medical officer of the establishment, or, where the establishment has no regular medical officer, by a registered medical practitioner designated by the establishment:

**Provided that—**

- (i) where an establishment has been closed, the certificate of any registered medical practitioner may be accepted;
- (ii) where the establishment is covered by the Employees' State Insurance Scheme, a medical certificate from a medical officer of the Employees' State Insurance Dispensary or from the Insurance Medical Practitioner with whom the employee is registered under the Scheme shall be produced;
- (iii) where, by mutual agreement of employers and employees, a Medical Board exists for any establishment or group of establishments, a certificate issued by such Medical Board may also be accepted.

(2) The Regional Commissioner may demand from the member, a fresh certificate from a Civil Surgeon or any doctor acting on his behalf where the original certificate produced under clause (b) of sub-paragraph (1) gives rise to suspicion regarding its genuineness:

**Provided that** the fee of the Civil Surgeon or such doctor shall be paid from the Fund, if the findings agree with the original certificate and where such findings do not agree, half of the fee shall be paid from the Fund and the remaining half shall be debited to the account of member.

(3) A member suffering from tuberculosis or leprosy or cancer, even if contracted after leaving the service of an establishment on grounds of illness but before payment has been authorised, shall be deemed to have been permanently and totally incapacitated for work.

(4) In respect of a member covered under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country, accumulations shall be payable on ceasing to be an employee in an establishment covered under the Code.

**52. Payment to person charged with offence of murder.** — (1) Where a person, who in the event of the death of a member of the fund is eligible to receive provident fund accumulations of the deceased member, is charged with the offence of murdering the member or abetting in the commission of such an offence, the claim of such person to receive the share of provident fund shall remain suspended until the conclusion of the criminal proceedings initiated against him for such offence.

(2) Upon the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-paragraph (1), if the person, —

- (i) is convicted of murdering or abetting the murder of the member, the person shall be debarred from receiving the share of provident fund accumulations, which shall be payable to other eligible members, if any, of the deceased member; or
- (ii) is acquitted of the charge, the share of the provident fund shall be payable to the person.

**53. Payment of Provident Fund.** — (1) When the amount standing to the credit of a member becomes payable, it shall be the duty of the Commissioner to make prompt payment under this Scheme.

(2) Where there is no nominee in accordance with this Scheme or there is no person entitled to receive such amount, the Commissioner may, if the amount to the credit of the Fund does not exceed ten thousand rupees and if satisfied after enquiry about the title of the claimant, pay such amount to the claimant.

(3) Where any portion of the amount standing to the credit of a member has become payable and is in dispute or doubt, the Commissioner shall make prompt payment of that portion of the amount in respect of which there is no dispute or doubt and the balance shall be adjusted.

(4) Where the person to whom any amount is to be paid under this Scheme is a minor for whose estate, a guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), has been appointed, the payment shall be made to such guardian.

(5) Where no guardian under the Guardians and Wards Act, 1890, has been appointed, the payment shall be made to the guardian, if any, appointed under sub-paragraph (5) of paragraph 44 of this Scheme.

(6) Where no guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 or under sub-paragraph (5) of paragraph 44 of the Scheme has been appointed, the payment shall be made to the natural guardian and in the absence of a natural guardian, to such person, as the Commissioner, where the amount does not exceed twenty thousand rupees or the Chairperson of the Central Board, if the amount exceeds twenty thousand rupees, considers to be the proper person representing the minor and the receipt of such person for the amount paid shall be a sufficient discharge thereof.

(7) Where the person to whom any amount is to be paid under this Scheme is a lunatic for whose estate a manager under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), has been appointed, the payment shall be made to such manager.

(8) Where no such manager has been appointed under sub-paragraph (7), the payment shall be made to the natural guardian of the lunatic and in the absence of any such natural guardian, to such person as the Commissioner, where the amount does not exceed twenty thousand rupees or the Chairperson of the Central Board, if the amount exceeds twenty thousand rupees considers to be the proper person representing the lunatic and the receipt of such person for the amount paid shall be a sufficient discharge thereof.

(9) Where it is brought to the notice of the Commissioner that a posthumous child is to be born to the deceased member, the Commissioner shall retain the amount which shall be due to the child in the event of its being born alive and distribute the balance.

(10) Where subsequently, no child is born or the child is stillborn, the amount retained shall be distributed in accordance with the provisions of this Scheme.

(11) In case of an International Worker, when the amount standing to the credit of a member becomes payable,-

(i) It shall be the duty of the Commissioner to make prompt payment as provided in the Scheme.

(ii) The due amount in respect of the member and the beneficiary covered under a social security agreement between India and another country, shall be payable in the payees' bank account.

(iii) In all the other cases, the amount due shall be payable to the credit of the payee's bank account in India.

**54. Filing of claims.** — (1) Every member may, at the time of leaving service, subject to provisions contained in this Scheme, file a claim application on the designated portal created for the purpose.

(2) In case of non-filing of e-nomination by the member, the employer shall on the death of the member, obtain the claim application from eligible beneficiaries and forward it within five days of the receipt of the application

(3) In case the claimant is unable to file claim through the designated portal in online mode due to any technical reasons, the claimant may, forward claim in physical form to the employer, who shall in turn, forward it after due verification and attestation to the Commissioner within five days of its receipt.

(4) forward it to the Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf, and the Commissioner is satisfied of the reasons for non-filing of claim through online mode, the Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf may forward such application to the employer and the employer shall be required, to return it within five days of its receipt after due verification and attestation.

(5) The payment may be made to the person to whom payment is to be made, through electronic or digital fund transfer system of any Scheduled bank or Co-operative bank or post office.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-paras (1) to (5), the Central Board may authorise, subject to monetary ceiling as it may deem fit, the Central Provident Fund Commissioner or any other officer to make payment from a Provident Fund account to the member or the eligible beneficiary, as the case may be, without receipt of a claim.

(7) The claims, complete in all respects and submitted along with the requisite documents, shall be settled and the benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of receipt by the Commissioner.

(8) Where any deficiency is found in the claim, the same shall be communicated to the claimant within twenty days from the date of receipt of such application.

(9) Where the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within twenty days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and penal interest at the rate of twelve per cent per annum may be charged on the benefit amount, which shall be deducted from the salary of the Commissioner.

**55. Inoperative Account.** — Any amount becoming due to a member as a result of the following shall be transferred to an account to be called the Inoperative Account:

(i) supplementary contribution from the employer in respect of leave wages or arrears of pay, instalment of arrear contribution received in respect of a member whose claim has been settled, but which could not be remitted for want of the latest address; or

(ii) accumulation in respect of any member, who has retired from service after attaining the age of fifty-five years, or migrated abroad permanently, or died, but in respect of whom no application for withdrawal under this Scheme has been preferred within thirty-six months from the date it becomes payable; or

(iii) any amount remitted to a person which is received back undelivered and not claimed within thirty-six months from the date it becomes payable,

Provided that in the case of payment of the said balance, the amount shall be paid by debiting the Inoperative Account;

Provided further that if any amount becomes due to a member, as a result of supplementary contributions on account of litigation or default by the establishment or a claim which has been settled but is received back undelivered not attributable to the member, shall not be transferred to the Inoperative Account.

## Chapter-IX ANNUAL REPORT

**56. Annual report of Board.** — (1) The annual report on the pursuits of the Central Board, together with audited accounts and the report of the Comptroller and Auditor General of India, shall be considered by the Executive Committee and placed for adoption at a meeting of the Central Board to be held before the tenth day of December following the close of the financial year concerned:

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General is not received by the first day or week of December following the close of the financial year to which it pertains, the audited accounts together with report of the Comptroller and Auditor General may be placed before the Executive Committee of the Board separately from the annual report.

(2) The annual report and the audited accounts of the Central Board, together with the report of the Comptroller and Auditor General of India, as adopted by it, shall be authenticated by affixing the common seal of the Central Board.

(3) Four copies of the annual report with the comments of the Central Board on the report of the Comptroller and Auditor General shall be submitted to the Central Government not later than the twentieth day of December following the close of the financial year concerned for being placed before Parliament:

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General is not received by the first day of December following the close of the financial year to which it pertains, the audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General and the comments of the Central Board thereon shall be submitted to the Central Government separately from the annual report.

**57. Conduct of business of Central Board.** — (1) All orders and other instruments shall be made and executed in the name of the Central Board and shall be authenticated by the person in the manner as the Central Board may specify.

(2) All contracts and assurances of property shall be expressed to be made by the Central Board and shall be executed on behalf of the Central Board by the Commissioner.

**58. Misuse of benefits.** — (1) The Central Provident Fund Commissioner shall specify the manner of ascertaining any misuse of benefits provided to any establishment or any person under this Scheme.

(2) Where any officer authorised by the appropriate Government is satisfied that any establishment or any person has misused benefit specified under this Scheme, then such officer may deprive such establishment or such person, as the case may be, of such benefit for such time as deemed fit:

Provided that no such order shall be passed unless an opportunity of being heard is given to such establishment or such person, as the case may be.

**59. Writing off losses.** — Where the Central Board is satisfied that any amount of contribution, cess, interest or damages due to it under this Scheme is irrecoverable, it may, having due regard to the facts and circumstances of each case and the overall financial condition of the Fund, write off such contribution, cess, interest, or damages, as the case may be.

## ANNEXURE

[See paragraph 60]

## (SPECIAL PROVISIONS)

**A. Employees' Enrolment Campaign, 2026.** — (1) The Employees' Enrolment Campaign, 2026 shall come into force on the date of publication of this Scheme and shall cease to operate on the 31<sup>st</sup> day of October, 2026.

(2) Any employer, whether previously covered or not under the Code, shall be permitted to-

(a) apply for coverage; and

(b) enrol such employees who joined the establishment between 1<sup>st</sup> day of April, 2009 and 31<sup>st</sup> day of March, 2026, who are employed as on date of declaration, but who, for any reason, were not enrolled under the Scheme earlier.

(3) The compliance in respect of such declared employees shall commence from the month of such declaration by the employer under this Campaign provided that the employees' share of contribution, has not been previously deducted and kept with the employer.

(4) In cases wherein inquiries under section 7A of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or under section 125 of the Code, Para-11 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or paragraph 26-B of Employees' Provident Funds Scheme, 1952, paragraph-8 of the Employees' Pension Scheme, 2026 or paragraph-8 of Employees' Pension Scheme, 1995, as the case may be, are pending and the employer opts for this Campaign, both the employee and the employer contribution shall be payable as per provisions of the Code and Schemes made thereunder.

(5) The employer intending to avail benefit of this Campaign, shall, at the first instance, ensure to create Universal Account Number authenticated with Face Authentication Technology through UMANG Application for each of the eligible employees being declared and make payment of their contribution through an Electronic Challan-cum-Return.

(6) The employer shall thereafter make the declaration under this Campaign through an online facility provided by Employees Provident Fund Organisation, where employer shall indicate the details of the employees enrolled and link it to the Electronic Challan-cum-Return (Temporary Return Reference Number) through which, payment of contributions has been made and pay damages of one hundred rupees;

Provided that the membership under Employees' Pension Scheme shall be restricted to the wage ceiling as notified by the Central Government:

Provided further that any new employee after 1st day of September, 2014 shall not be a member of this Scheme in case the salary exceeds the wage ceiling.

(7) The declaration by employer shall be accepted only through the designated portal of the Employees Provident Fund Organisation.

(8) The submission of multiple undertaking or declaration shall be allowed.

(9) On and from the date of declaration under this Campaign, the employer shall make regular compliance of the provisions of the Code.

(10) All establishments are eligible to participate in the Employees' Enrolment Campaign, 2026, irrespective of the fact whether any establishment is facing inquiries under section 125 of the Code or under section 7A of the Repealed Act, paragraph-11 of this Scheme or paragraph 26-B of Employees' Provident Funds Scheme, 1952, paragraph-8 of the Employees' Pension Scheme, 2026 or paragraph 8 of Employees' Pension Scheme, 1995, as the case may be, are pending.

(11) The inquiry officer shall take into consideration the declaration made under this Campaign while deciding the matter.

(12) In case declaration is given by the employer pertaining to the stipulated period of inquiry, the benefits under this Campaign shall be confined to limiting the damages to the extent of notional damages as provided for under this Campaign in respect of all existing employees, their wages or amount of contributions and duration of their employment so declared.

(13) The employer shall deposit contributions in respect of declared employees for past periods from their respective date of joining, that-

(a) the employer shall only be required to pay their share, provided the employees' share has not been deducted and kept with the employer;

(b) the employees' share shall be waived, if not deducted by employer earlier;

(c) the employer shall pay interest for the past period under section 127 of the Code, along with administrative charges, as applicable.

(14) The cases of assessments already concluded under section 125 of the Code or under Section 7A of the Repealed Act, paragraph-11 of this Scheme or paragraph 26-B of Employees' Provident Funds Scheme, 1952, paragraph-8 of the Employees' Pension Scheme, 2026 or paragraph 8 of Employees' Pension Scheme, 1995, as the case may be, are pending and the employer opts for this Campaign shall not be considered.

(15) No action shall be initiated by the Employees' Provident Fund Organisation against the employers who avail the benefits of this Campaign, in respect of such employees who have already left the establishment as on the date of declaration, subject to submission of an undertaking by the establishment declaring that-

(a) all the existing and eligible employees have been declared; and

- (b) no amount pertaining to the existing or earlier employees' share of contribution which was deducted therefrom along with applicable amount of employers' contributions in respect thereof, is pending for depositing in the fund.

(16) Where a declaration under this Campaign has been made by misrepresentation or suppression of facts relating to declaration of eligible employees, employment and terms of employment of such declared employee, such declaration shall be void ab-initio and shall be deemed to have not been made under this Scheme and the employer making such declaration shall be liable to action in accordance with the provisions of the Code and the Schemes made thereunder.

(17) For the purpose of increasing coverage and extension of benefits under the Scheme, the member's contribution shall stand waived under this Campaign for the period beginning the 1<sup>st</sup> day of April, 2009 and ending the 31<sup>st</sup> day of March, 2026:

Provided further that such waiver under this Campaign, shall be applicable, only if the member's contribution has not been recovered.

(18) The Central Provident Fund Commissioner or such other officer authorised, may levy an amount and recover from the employer by way of damages at the rates specified in the Table under Employees' Enrolment Campaign, 2026:

**TABLE**

<b>Period of Default</b>	<b>Rate of damages</b>
Between the 1 <sup>st</sup> day of July 2009 to the 31 <sup>st</sup> day of March 2026	One hundred rupees under the Employees' Enrolment Campaign-2026 .

**B. VISHWAS, 2026.**— (1) The special provisions relating to damages shall be called “VISHWAS, 2026”.

- (2) It shall remain valid for a period of six months from the date of notification of this Scheme.
- (3) The duration may be further extended for a period not exceeding six months by Central Provident Fund Commissioner for reasons to be recorded in writing and shall be placed before the Central Board for information.
- (4) VISHWAS, 2026 shall be applicable for damages for default in payment of contribution for the period prior to 14<sup>th</sup> June, 2024.
- (5) VISHWAS, 2026 shall be applicable to following categories of cases under section 14B of the

Repealed Act read with paragraph 32A of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 and section 128 of the Code read with paragraph 23 of this Scheme: -

- (a) where order under section 14B of the Repealed Act or under section 128 of the Code, as the case may be, has been issued and is under dispute before any judicial forum by either party to the dispute;
  - (b) where any order under section 14B of the Repealed Act or under section 128 of the Code, as the case may be, has been issued and amount to be levied is yet to be recovered;
  - (c) where notice under section 14B of the Repealed Act or under section 128 of the Code, as the case may be, has been issued and final order is yet to be issued; or,
  - (d) where notice under section 14B of the Repealed Act or under section 128 of the Code, as the case may be, is yet to be issued.
- (6) The VISHWAS 2026 shall not be applicable to such cases, where entire amount under section 14B of the Repealed Act or under section 128 of the Code, as the case may be, has already been deposited.
- (7) Notwithstanding the rate of damages otherwise applicable at the relevant point of time, the rate of damages under the VISHWAS, 2026 shall be as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 23 of the Scheme.
- (8) An appeal filed or an order passed under section 7-I of the Repealed Act or before any judicial forum, against a notice or an order referred in sub-paragraph (5), shall stand abated, on the remittance of such amount of damages as specified in sub-paragraph (7).
- (9) The VISHWAS, 2026 shall be applicable subject to following conditions: -
- (a) the interest under section 7Q of the Repealed Act or section 127 of the Code for the specific period or delayed months of remittances corresponding to the period under section 14B of the Repealed Act, is fully remitted or recovered;
  - (b) the employer shall submit an undertaking that no further appeal before any forum shall be filed consequent upon such abatement of dispute under this Scheme.
- (10) The recovery of dues, paid or recovered in part shall be as under, -
- (a) any unpaid amount under section 14B of the Repealed Act shall be regulated as under: -
    - (i) where the amount paid in part is greater than the damages calculated as per sub-paragraph (7), there shall be no refund to the establishment nor shall it be adjusted against any other order or a notice issued under section 14B of the Repealed Act for the said period of delay of remittances;
    - (ii) where the amount paid in part is lesser than the damages calculated as per sub-paragraph (7), the establishment shall remit the differential amount of the damages calculated as per sub-paragraph (7);
  - (b) pre-deposit under section 7-O of the Repealed Act or section 23 of the Code:-

any amount deposited under section 7-O of the Repealed Act or under sub-section (3) of section 23 of the Code for preferring an appeal under section 7-I of the Repealed Act or section 23 of the Code, as the case may be, and deposited with the Employees' Provident Fund Organisation shall be considered as valid deposit by the establishment under the Repealed Act and shall be regulated as under:

- (i) the differential amount between the amount calculated as damages payable under sub-paragraph (7) and the deposited amount under section 7-O of the Repealed Act or under sub-section (3) of section 23 of the Code shall be paid by the establishment;
  - (ii) where the differential amount deposited under section 7-O of the Repealed Act or under sub-section (3) of section 23 of the Code exceeds the amount calculated as damages payable under sub-paragraph (7) is more, the differential excess of amount shall be adjusted first against any other order issued under section 14 B of the Repealed Act or any notice to be issued under section 128 of the Code for any subsequent period of delay in remittances towards the contributions payable by the establishment.
- (11) The Central Provident Fund Commissioner shall issue operational guidelines.

**C. AMNESTY, 2026.**— (1) The provisions relating to exempted establishments shall be called “AMNESTY, 2026”.

- (2) It shall remain valid for a period of six months from the date of notification of this Scheme.
- (3) The duration may further be extended for a period not exceeding six months on the recommendations of the Central Board.
- (4) The exempted establishments which have applied for the Amnesty, 2026, amnesty shall be granted retrospectively under section 17 of the Repealed Act read with paragraphs 27 and 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and section 143 of the Code.

*Explanation:* For the purpose of this paragraph, this provision shall apply to establishments that have been operating a Provident Fund Trust on the basis of recognition under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) but do not have a formal notification of grant of exemption by the appropriate Government under the Code or the Repealed Act.

- (5) The following categories of establishments are eligible for Amnesty, 2026:
  - (i) **Category-I:** The establishments seeking exemption regularisation retrospectively for their Provident Fund Trusts and have already started compliance as an un-exempted establishment or are opting for prospective compliance as an un-exempted establishment and are further sub-categorised as under:
    - (a) Trusts maintained for excluded employees; or
    - (b) Trusts maintained for non-excluded employees,

under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952;

- (ii) **Category-II:** The establishments seeking exemption regularisation retrospectively for their Provident Fund Trusts and opting for continuance as an exempted establishment under the Code.

(6) Provisions of Amnesty, 2026 for Category- I establishment: -

- (i) retrospective exemption of the establishment and recognition of the Trust from inception to the cut-off date i.e. the date from which complying as un-exempted or such future date (not beyond the validity period) from which it is proposed by the establishment to comply as an un-exempted establishment;
- (ii) the period for which the Trust has been operating shall be deemed to satisfy the three-year compliance as un-exempted that is required under the rules pertaining to grant of exemption issued by the Government under the Code;
- (iii) the minimum requirement for the number of employees and / or corpus required under the rules pertaining to grant of exemption issued by the Government under the Code shall be waived;
- (iv) transfer from Provident Fund balances to the Employees' Pension Scheme, 1995 and /or the Employees' Pension Scheme, 2026 shall be allowed in respect of non-excluded employees who are in service as on the cut-off date and who were mandatorily required to become members of Employees' Pension Scheme, 1995, but had not been made a member earlier;
- (v) the establishment shall not be treated in default merely on the grounds that exemption of the establishment and the Trust did not have a formal approval and notification and there shall be no proceedings for assessment of dues provided that the rate of contributions and interest credited to member accounts are at par or better than the statutory rates:

Provided that in case any such proceeding has been pending shall be withdrawn and stand abated;

- (vi) the establishment shall not be treated in default merely on the grounds that exemption of the establishment and the Trust did not have a formal approval and notification and there shall be no proceedings for assessment of damages and interest carried out provided the rate of contributions and interest credited to member accounts are at par or better than the statutory rates:

Provided that in case any such proceeding has been commenced (but not completed) they will be withdrawn and stand abated;

- (vii) the assessment of dues and related damages and interest shall be applicable in respect of any left-out employees and apply in case of delay in transfer of Funds from the establishment to the Trust or in transfer of Funds under paragraph 28 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952;
- (viii) in case, any proceeding for assessment of dues, damages, interest has been completed and orders issued, such orders shall be held void *ab-initio* and any amount that has been recovered shall be allowed to be adjusted against future dues of the establishment, subject to appeal under section 23 of the Code;
- (ix) the establishment shall be liable for such surcharge as may be specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 for any violation or deviation from the pattern of investment specified by the

Government from time to time in respect of exempted establishments from the inception of the Trust till the date of compliance as un-exempted establishment;

**(7) Responsibility of establishments availing Amnesty, 2026:**

- (i) the establishments shall make an application to the Central Government specified by the Central Provident Fund Commissioner for availing the benefits of the Amnesty, 2026;
- (ii) the establishment shall provide the list of employees who are contributing or are in service as on the cut-off date as well as those employees, who have left service but whose accounts are not yet settled along with the accumulations in their credit as on that date and any liability arising out of any dispute related to services and benefits by employees for the period prior to the cut-off date, shall be borne by the employer;
- (iii) the establishment shall ensure that the accounts of the Trust including the ledger account of individual members have been audited by a Chartered Accountant as on the cut-off date;
- (iv) any disputes of membership, contributions and benefits paid in respect of employees who left service in the past and whose accounts were settled by the Trust or claims of service in the past will continue to be handled by the establishment and any liability arising out of any dispute related to services and benefits by employees for the period prior to the cut-off date shall be borne by the employer;
- (v) the establishment shall provide the details of investments made and further transaction, if any, from date of inception of the trust till the cut-off date to Commissioner for verification by such experts or expert agencies, as may be specified by Commissioner;
- (vi) the establishment shall make good any losses that had arisen in the sale and purchase of securities by the trust and to pay any surcharge or penalty for deviation from the pattern of investment;
- (vii) any liability arising out of any short comings and / or irregularities noticed in the management of accounts and handling of funds and investments in the course of Audits and Compliance Audit of the trust shall be borne by the employer;
- (viii) the establishment shall ensure that transfer of corpus from Trust to the Fund is carried out in the manner and in the time frame communicated to them by the Commissioner, if not already done;
- (ix) the establishment shall render full co-operation and assistance by production of records of the Trust and Establishment on demand by the EPF authorities;
- (x) the establishment shall ensure that any Compliance Audit and Special Audit directed by the EPF authorities are completed within three months from the date of application for the Amnesty;
- (xi) the charges for the Special Audit as intimated by the EPF authorities shall be borne by the establishment;

**(8) Procedure to be followed by Employees' Provident Fund Organisation.-** The Employees' Provident Fund Organisation (the EPFO) shall follow the procedure specified as under:

- (i) the EPFO shall accept the application from the establishments and provide guidance and support in completing the formalities;

- (ii) the EPFO shall take parallel actions and complete the Compliance Audit and assignment of Special Audit agency and completion of special audit within six months of the establishment submitting the audited accounts of the Trust and submitting all the documents sought by the EPFO offices;
- (iii) the EPFO shall communicate shortcomings and dues, surcharges and penalties that would be payable by the establishment in a time bound manner and also address any objections and grievances raised by the establishment;
- (iv) the EPFO shall ensure the issuance of public notice of the intention of the establishment to comply as an un-exempted establishment and regularization of the exemption status and address any objection or grievance raised by affected persons;
- (v) in the case of establishments, which apply for a prospective cut-off date, after orders of the Government allowing compliance as un-exempted establishment from a particular cut-off date, the EPFO shall ensure smooth transfer of funds from Trust to Fund and crediting of balances to individual accounts;
- (vi) a time frame of six months shall be allowed to the establishment to complete audits and updating of accounts from the date of their applications;

(9) Provisions of Amnesty, 2026 for Category- II establishment .-

The establishments classified as Category-II, in addition to the conditions specified in sub-paragraph 8, shall also comply with the provisions of the Code, the rules framed thereunder and this Scheme.

(10) **Additional conditions.**- The additional conditions for grant of Amnesty are specified as under:

- (i) the rate of contributions and interest thereon shall not be less favourable than the Provident Fund benefits extended to employees of un-exempted establishments and the deficiency in interest or the contributions shall be borne by the employer;
- (ii) the provisions of paragraph ..... shall apply in cases of levy of damages by way of penalty under section 14B of the Repealed Act and the Employees' Provident Funds Scheme, 1952;
- (iii) the provisions of paragraph ..... shall be applicable on such establishments in cases of evasion in membership;
- (iv) the membership to the Employees' Pension Scheme, 1995 from a retrospective date shall not be permissible under this scheme except in eligible cases under the Employees' Pension Scheme, 1995:

Provided that diversion of funds from the employer's Provident Fund share to the Employees' Pension Fund, 1995 and / or the Employees' Pension Scheme, 2026 shall be allowed in such cases;

- (v) the establishment shall update KYC requirements of the employees of the establishments participating in the Trust.

(11) **Issuance of order:** The appropriate Government shall issue final orders regarding admissibility of the Amnesty, 2026 within six months of receipt of application in complete form.

FORM-I  
[See paragraph 12(1)]

To,  
The Appropriate Government

Subject: Application for exemption from operation of all or the following provisions of the Employees Provident Fund Scheme,2026:

Sir,

I, \_\_\_\_\_(Name) hereby apply for exemption from the operation of all or the following provisions of the Employees Provident Fund Scheme,2026:

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

My details are as follows: -

1. Name:  
(in block letters)
2. Date of birth
3. Gender:
4. Aadhaar number:
5. UAN:
6. Member ID/EPF Account no.: -
7. Address:
8. Name of the establishment:
9. EPF Code No. of the establishment:

1. I declare that all the particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief.
2. I hereby give my consent to Employees' Provident Fund Organisation to use my Aadhaar information for the purpose indicated above.

Date:

Place:

(Name and signature of the applicant)

It is certified that the details furnished above are correct as per record of the establishment.

Date:

Place:

Name & signature of the employer/  
Authorised signatory of the establishment

**Form II**  
**[See Paragraph 12(2) (ii)]**

(Online Returns for any exempted establishment or class of establishment or employee or class of employee)

FIELD WISE INSTRUCTIONS

**PART A: ESTABLISHMENT DETAILS**

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
A.	Establishment ID	Will be auto populated based on log in by the employer	For any change in the data against B and/or C the employer may send an email to the concerned RPFC along with documents.
B.	Name of the establishment		
C.	Address		
D.	PAN of the establishment	Data entry	The PAN and the name as per PAN will be verified from the Income Tax Database.
E.	Name of establishment as per PAN	Data entry	
F.	Ownership type	Selection from a drop down list	Please see Annexure A to view the list.
G.	Primary activity	Selection from a drop down list	Please see Annexure B to view the list.
H.	Exemption under section/para	Selection from a drop down list	Please see Annexure C to view the list.
	a. Relaxation order number	Data entry	Fields for I (i) to (viii) will be displayed.
	ii. Relaxation order date	Data entry	
	iii. issued by	Selection from a drop down list	
	iv. Relaxation with effect from	Data entry	
	v. Notification number	Data entry	Mandatory field.
	vi. Notification date	Data entry	Mandatory fields.
	vii. Issued By	Selection from a drop down list	
	viii. Notification with effect from	Data entry	
I.	In case of exemption under paragraph 27, Order number		These fields will appear if the section under SL H is paragraph 27. The employer is required to enter the first order granting exemption to a member.
	i. Order date	Data entry	These fields will appear if the section under SL H is paragraph 27. The employer is required to enter the first order granting exemption to a member.  Link shows the list of separate code/sub code which is updated in Form 5A.
	ii. With effect from	Data entry	
	iii. Issued by		
J.	Branches having separate/sub-	Click here link	The employer is also required

	code		to list out all its branches located at places other than the establishment and not having any separate or sub code number (employees working where are also complying under the trust. Employer can add new branch in form 5A.
K.	Branches having separate/sub-number	Click here link	Default value will be 12%
L.	Contribution rate	Selection from 10 or 12% as applicable.	

**Note:** Parts C, D and E will allow entry only when the Part A and B are filled in, Part E and F will allow entry only if the establishment filing the return is also the parent trust in case of common PF Trust (refer Part B).

### **EDITING OF DATA IN PART A**

Once the data is saved, it can be edited later when there is any change in the date by click of the EDIT Button.

However, the following data cannot be edited:

1. Name and address of the establishment. If any change is there the employer is required to request the concerned PF Office with supporting documents so that the data is first changed in the EPFO application and it will be updated on the unified portal at the level of APFC.
2. The PAN and name as per PAN of the establishment if the data is verified and the status is shown as verified.
3. Selection of the section/paragraph regarding the relaxation order/notification and the details of such order, as the start month of the return is based on the 'with effect from' - date of exemption.

### **PART B: TRUST DETAILS**

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
A.	PAN of the trust	Data entry	The PAN and the name as per PAN will be verified from the Income Tax Database.
B.	Name of the trust as per PAN	Data entry	
C.	Name of the Trust as per records	Display	The name will be displayed from the records of EPFO.
D.	Address Line 1	Data entry	
E.	Line 2	Data entry	
F.	City	Data entry	
G.	District	Selection	
H.	State	Selection	
I.	PIN	Data entry	
J.	Income tax order number recognizing the trust	Data entry	Please inform if the trust has been recognized by the IT Department.
K.	Date of income tax trust	Data entry	- Do -
L.	Date of income tax order	Selection	Please select single if the trust is handling the PF Contributions of single establishment (including the branches, not having been granted any separate exemption). Select CPF Trust if the Trust is handling contributions from other participating units also.
M.	Details of establishment having the	The fields will	In case the establishment that is filling

	parent trust (In case L is common PF Trust)	be as follows:	the return enters own code number as the Establishment handling the Trust, it will be able to enter the details in Part E and F. In case the Trust is handled by another code and the establishment filing the unit, he will be able to view the data in Part E and F if entered by the Parent Trust.
			A link to view the compliance by the Branch post March 2012 will also appear. There will be facility to add row for more branches.
N.	Details of Chairman	Following fields will be there	
	Name	Data entry	
	Aadhaar/PAN/UAN of Chairman	Data entry	
	Designation	Data entry	
O.	Details of representatives	Following fields will be there	The details of the representatives from the establishment which is filling the return may be entered.
	Name	Data entry	
	Aadhaar/PAN/UAN of the representative	Data entry	
	Designation	Data entry	
	Whether employee or employer representative	Selection	
	Whether elected or nominated member	Selection	
P.	DEMAT Account details	There will be facility to add fields.	There will be facility to add rows for more accounts.
	Account Number	Data entry	
	Depository participant	Data entry	
	Depository type	Selection	
Q.	CSGL/SGL Account details	There will be facility to add fields.	There will be facility to add rows for more accounts.
	Account number	Data entry	
	Depository participant	Data entry	
	Account type	Selection	
R.	Trust bank account	Following fields will be there	The details is being collected so that the EPFO offices and the other trusts may transfer the PF Amounts through-electronic mode. Only one account can be added, so that all payments are sent to it. This information will be made available to the EPFO Offices and the PF exempted trusts and will also be auto displayed in the online transfer claim form.
S.	Date of last constitution of the Board	Data entry	Please enter the data when the Boards of Trustees was last constituted.

**Note:** The parts C, D and E will allow entry only when the Part A and B are filled in.

Parts E and F will allow entry only if the establishment filing the return is also the parent trust in case of common PF trust.

### EDITING OF DATA IN PART B

Once the data is saved, it can be edited later at level of APFC when there is any change in the data by click of the EDIT Button.

However, the following data cannot be edited:

1. The PAN and name as per PAN of the trust if the data is verified and the status is shown as verified.
2. The selection and subsequent entry regarding the single and common PF trust since it will affect the data in the Parts E and F.

### PARTS C, D and E (MONTHLY PARTS)

Parts C and D are to be filled in by all establishments each month.

Part E will have to be filled in by the parent trust only each month and the participating units having exemption granted will have the view rights.

#### Part C: (i) Employees Details (Monthly Parts)

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks	
A.	Number of employees as on close of previous month	Data entry	One-time data entry (only in the first return). On the next month the number of employees as on close of previous month is automatically displayed.	
B.	Number of employees who joined in the current month	Data entry		
C.	Number of employees who left during the current month	Data entry	Sum of (A+B+C) All types of employees are included.	
D.	Number of employees as at the end of current month	Display		
E.	Number of excluded employees out of D above	Data entry		
F.	Number of employees for whom establishment has to comply	Display	F=A+B-E	
G.	Contract employee details	Complying under trust	Data entry	
		Complying as unexempted under another code of establishment		
		Complying through respective code of contractor		
H.	Employees on direct payroll of establishment	As exempted employee	Data entry	The sum of G and H should be equal to F.
		As unexempted employee		
I.	Number of International Workers		Data entry	
J.	Number of disabled workers		Data entry	
K.	Number of inoperative accounts			
L.	Total amount of PF balance in			

	inoperative accounts			
M.	Amount of interest on PF balance in inoperative account			
N.	Number of non-KYC accounts			
O.	Amount of PF balance in non-KYC accounts			
P.	Amount of interest on PF balance in non-KYC Accounts			

**Part C: (ii) Employees' Details: Contributions, Interest, Settlement & Part-withdrawals (Monthly)**

Sl. No.	Name of member	UAN	Opening balance		Contributions		Settlement /part-withdrawals		Interest credited		Closing balance	
			EE#	ER*	EE	ER	EE	ER	EE	ER	EE	ER

#EE-Employee Share

\*ER-Employer Share

**PART D: Contribution Details (Monthly)**

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
A.	OB of PF contribution still due from employer	Data entry	Only one-time data entry with first return. On subsequent months it will be automatically displayed.
B.	PF wages liable for contribution	Data entry	
C.	EE share	Data entry	
D.		Data entry	
E.	ER share	Data entry	
F.		Data entry	
G.	Refunds	Due in the month	
H.		Transferred	
I.	Total due	Auto display	It will display the amount by adding total due amounts i.e. (A+B+E+G)
J.	Details of transfer of contribution	Amount	Click on add row button and fill the amount in case the funds were transferred in parts.
		Date	
K.	Total amount transferred to BoT	Auto display	
L.	Interest paid	Data entry	Interest paid to trust by the employer for any belated transfer to Trust

Damages (Rs.) upto the month.....

Interest (Rs.) upto the month.....

**PART E: INVESTMENT DETAILS (MONTHLY PART by PARENT TRUST ONLY)**

Sl. No.	Field name	Field type	Remarks
A.	Securities	Auto display	Display the face value of opening balance after data entry in the first return through link (securities). In subsequent month, auto display

	Details of securities	Data entry	Unique attributes of Securities including ISIN etc.	
B.	Cash	Data entry	One time data entry	
C.	Total	Auto display	It will display the amount by adding securities and cash i.e.(A+B)	
<b>RECEIPTS</b>				
D.	PF Contribution	Data entry		
E.	Refunds (loans and advances)	Data entry		
F.	Transfer in	Data entry		
G.	Other receipts	Data entry		
H.	Recoup by employer in	For capital loss on investment	Data entry	
I.	Case of loss by trust	For revenue loss on account of interest shortfall	Data entry	
<b>Return from Investments:</b>				
J.	Interest	Previous due	Data entry	One-time data entry. On next month it will be automatically displayed.
K.		Receivable in the current month	Data entry	
L.		Receivable in the current month	Data entry	
M.		Balance	Auto display	It will display the amount by using the formula (J+K-L).
N.	Maturity	Previous due	Data entry	One-time data entry. On next month it will be automatically displayed.
O.		Receivable in the current month	Auto display	The amount will appear from the details entered through the link " Matured During the Month". The sum of face value of all securities matured will be displayed.
P.		Received in the current month	Data entry	
Q.		Balance	Auto display	It will display the amount by using the formula (N+O-P).
R.	Others	Received due	Data entry	One-time data entry. On next month it will be automatically displayed.
S.		Receivable in the current month due	Data entry	
T.		Received in the current month	Data entry	
U.		Balance	Auto display	It will display the amount by using the formula(R+S-T).
V.	Total Receipts		Auto display	It will display the amount by adding the following fields. (D+E+F+G+H+I+L+P+T)
<b>Payments</b>				
W.	Claim including transfer out	Data entry		
X.	Loans and advances	Data entry		
Y.	Other payments	Data entry		

Z.		Auto display	It will display the amount by adding the claims including transfer out, loans and advances and other payments (W+X+Y).
ZA.	Amount available for Investment (B+V-Z)	Auto display	It will display the amount by using the formula (B+V-Z).
ZB.	Total amount invested by BoT	Auto display	The amount will appear from the details entered through the link "Investment Details During the Month" It will automatically display the sum of amount from securities screen by using the formula (F+G-H). The deal value will be taken.
ZC.	Cash balance	Auto display	It will display the amount by using the formula (AA-AB).
ZD.	% of cash balance against available	Auto display	It will display the amount by using the formula (AC*100/AA).
ZE.	Reason for uninvested amount	Data entry	

**Screen opened through Hyperlink Securities/Matured Amount/Invested Amount  
INVESTMENT DETAILS SECURITIES:**

Sl. No.	Type of securities including ISIN etc.	Opening balance as on first return	Matured during The month	Invested during the month closing balance				Closing Balance	%age of types of securities	Deviation %age of investments	Remarks
				Face value	Deal value	Accrued Interest Paid	Accrued Interest Received				
a	b	c	d	e	f	g	h	i			
1.	Central Government security item (i) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			The face value of closing balance is auto display the amount by using the formula face value of opening balance-face value of mature + face value of investment i.e. (CD+E)
2.	State Government securities/SOL item (II) (a) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
3.	Central/State Government guaranteed securities Item (ii) (b) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
4.	Bonds/ Securities of Public Financial Institution item (iii) (a) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
5.	Bonds/securities of Central public sector undertaking item (iii) (a) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
6.	Bonds/securities of public bank item (iii) (a) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
7.	Bonds/securities	One	Data	Data	Data	Data	Data	Auto			

	of State public sector undertakings item (iii) (a) of the notification	time data	entry	entry	entry	entry	entry	display			
8.	TDR (less than a year) of PSB item (iii) (b) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
9.	Collateral Borrowing & Lending Obligation (CBLO) item (iii) (c) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
10.	Bonds/securities of Private Sector item (v) of the notification	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
11.	SDS	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
12.	Others	One time data	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
categories for Investment as per New Pattern w.e.f. 29.05.2015											
13.	Category (i) (a)Government securities	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			Will open only from May 2015
14.	Category (i)(b)Other securities	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
15.	Category (i)(c)Gilt Mutual Funds	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
16.	Category (ii)(a)Listed Debt securities	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
17.	Category (11)(b)Baselll Tier 1Bonds	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
18.	Category (ii)(c)Rupee Bonds of IBRD, IFC and ADB	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
19.	Category (ii)(d)Term Deposit Receipts (TDRs)not less than one year duration.	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
20.	Category (ii) (e)Debt Mutual Funds	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
21.	Category (ii) (f) Infrastructure debt. Instruments	One time data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
22.	Category (iii) (b) Category (iii) (b) Liquid Mutual Fund	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
23.	Category (iii) (	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Auto			

	b) Liquid Mutual Fund	entry	entry	entry	entry	entry	entry	entry	display			
24.	Category (iii) (c) Term Deposit Receipts (TDRs) of up to one year duration.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
25.	Category (iv) (a) Shares of Body Corporates list on BSE/NSE.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
26.	Category (iv) (b) Mutual Funds regulated by SEBI.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
27.	Category (iv) (C)ETF of either Sensex index or Nifty 50 index.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
28.	Category (iv) (d)ETF's of Disinvestment by Govt. of India in body corporate	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
29.	Category (iv) (e)ETF for the purpose of hedging	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
30.	Category (V) (a) CMB5 or RMBS.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
31.	Category (v)(b) Unite issued by REITs.	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
32.	Category (v)(c) ABS regulated by SEBI	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
33.	Category (v) (d)Units of Infrastructure Investment Trusts regulated by SEBI	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Data entry	Auto display			
34.		Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	Sum			

**Scrip Register:**

Sl. No.	Transact ion ID	Transact ion date	Val ue date	T T	ISI N	Co de	Fac e Val ue	Purch ase Price	Accru ed intere st	YT M	Matur ity Date	Remark s- Descript ion of security	categ ory	Co st	Ref- Fund mana ger

**Two more hyperlinks from Part E**

- Regarding the claim settlements in the establishment and on the grievance redressal. The pop up screen will ask each month the following data.

Sl. No.	Data field		
<b>CLAIMS</b>			
1.	Opening Balance of Claims	One time data entry	
2.	Claims received in the month	Data entry	
3.	Total claims workload in the month	Display	1 plus 2
4.	Claims disposed within 20 days	Data entry	

5.	% of claims settled in the month within 20 days	Display	4 *100/3
6.	Claims disposed beyond 20 days	Data entry	
7.	% of claims settled in the month beyond 20 days	Display	6* 100/3
8.	No of claims pending	Display	3 - 4-6 Will carry as OB to next month
9.	% of claims pending		8*100/3
10.	Reasons for pending claims	Data entry	
<b>GRIEVANCES</b>			
11.	Opening balance	One time data entry	
12.	Grievances received in the month	Data entry	
13.	Net workload	Display	11 plus 12
14.	Grievances disposed	Data entry	
15.	% of grievances disposed	Display	14*100/13
16.	Closing balance	Display	Will carry as OB to next month
17.	% of Grievances pending	Display	16*100/13

**Part F-ANNUAL INFORMATION (HOLDING) (YEARLY PART BY PARENT TRUST ONLY)**

Sl. No.	Field Name	Field Type	Remarks
<b>I AUDIT OF ACCOUNTS</b>			
A.	Financial Year up to which accounts audited	Selection	Financial Year
B.	Name & Address of the Auditor for last Six Years	Year	Entry of previous 6 Years
		Name	
		Address	
		CAs Registration Number	
		PAN	
C.	Whether copy of the latest Audit Report Sent to the RPF	Selection	Yes/No
D.	If Yes	Year	Data entry
		Sent vide letter No	
		Date	
		Date of Receipt by RO	
<b>II. Details of annual statement of account</b>			
E.	Annual Statement of account issued upto	Data entry	
F.	No. of contributing members	Data entry	
	Closing Balance Amount of Contributory members		
G.	No. of Non-contributory Members	Data entry	
	Closing Balance Amount of Non Contributory members		

H.	Amount available for Distribution of interest	Data entry	
I.	Rate of interest declared and credited	Data entry	
J.	Whether the deficiency in interest was made good by the employer.	Selection	
K.	Whether the interest is on monthly accrual of balance	Selection	
L.	Whether the accounts are being maintained electronically	Selection	
M.	Whether the members are able to see their Account Balance online.	Selection	
N.	Whether the rules of the fund are displayed on a notice board/made available electronically.	Selection	
<b>III.</b>	<b>Financial Health of Holdings</b>		
O.	Total Holding of the trust at the end of Financial Year	Data entry	
P.	Market value of the holding of trust at the end of financial Year	Data entry	
<b>IV. Amortization Account of trust</b>			
Q.	Opening Balance		
	Addition/Reduction during the year		
	Closing balance		
	#Reduction to be entered in(-)		
<b>V. Maturity In Defaults</b>			
R.	Default of Security	Data entry	
S.	ISIN	Data entry	
T.	Face Value	Data entry	
U.	Deal value at the time of purchase	Data entry	
V.	Amount Receivable	Data entry	
W.	Amount Received	Data entry	
X.	Amount in default	Data entry	
	Total	=(e-f)	
<b>VI. Interest In Defaults</b>			
Y.	Default of Security	Data entry	
Z.	ISIN	Data entry	
ZA.	Interest receivable	Data entry	
ZB.	Interest Received	Data entry	
ZC.	Interest in Default	Data entry	
	Total	=(c-d)	

**To be signed digitally by employer/authorised signatory**

Form -III  
[See Paragraph 13(3)]  
(Minutes of the meeting of board of trustees)

1. (a) Name & Code Number  
of the establishment:

(b) Address of the establishment:

(c) E-mail id:

2. Details of the meeting of board of trustees:

(i) Date of the meeting:

(ii) Venue of the Meeting:

(iii) Whether chairman of the meeting appointed

Yes  No

(iv) Number of members attended the meeting

(v) Whether the requisite quorum is present

Yes  No

(vi) Business transacted at the meeting and result thereof

(vii) Particulars with respect to any adjournment of meeting and change in venue

(viii) Particulars with respect of postponement of meeting and change in venue

(ix) Any other points relevant for inclusion in the report

3. Fair summary of proceedings of the meeting

4. Confirmed that the meeting was called, convened, held and conducted as per the provisions of the Act, the rules and secretarial standards made thereunder.

**Declaration**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete

**To be digitally signed by the Chairman**

**OR**

**To be digitally signed by**

Designation

DIN of the director; or DIN or PAN/ Aadhaar of the manager or CEO or CFO; or membership number of the company secretary

**FORM IV**  
**[See paragraph 13(27)]**  
CERTIFICATE OF UNDERTAKING

To  
 The Regional Provident Fund  
 Commissioner,

\_\_\_\_\_

Sir,

We, the employer, and the board of trustees, undertake to abide by the conditions for grant of exemption under section 143(1) of Code on Social Security, 2020.

This shall be legally binding on . . . . . (Name, PAN & EPF Code no of the Establishment) (, and the board of trustees of ..... (Name of the PF Trust) including their successors and assignees or such conditions as may be specified later for continuation of exemption.

We, also undertake to transfer the funds promptly within the time limit prescribed from time to time and as directed by the Regional Provident Fund Commissioner in the event of cancellation of exemption.

We, the employer and the board of trustees also undertake to transfer the funds promptly within the time limit prescribed by the concerned RPFC in the event of cancellation of exemption, failing which provisions of sections 127 and 128 of the Code shall apply.

*(SIGNATURE)*

*(NAME.....)*

Aadhaar No.- \_\_\_\_\_

PAN \_\_\_\_\_

UAN \_\_\_\_\_

*(SIGNATURE)*

*(NAME.....)*

Aadhaar No.- \_\_\_\_\_

PAN \_\_\_\_\_

UAN \_\_\_\_\_

**EMPLOYER/CHAIRMAN OF THE TRUST**

**ALL MEMBERS OF BOARD OF TRUSTEES**

**FORM-V**

[See paragraph 24(1) of THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 2026]

[ See paragraph 18(1) of THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 2026]

[ See paragraph 11(1) of THE EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 2026]

(Return of details of Employees required or entitled to become members of funds and Wages paid to each of such employee)

Name and address of the establishment.....

EPF Code No. of-establishment.....

Date of applicability of the

Code.....

Sl. No.	Member ID/ EPF Account No.	Name of the employee	Date of birth	Aadhaar number	PAN	UAN	Gender	Date of joining the Fund	Total period of previous service	Gross wages	EPF wages	EPS wages	EDL I wages

Signature of the employer or  
 Authorised signatory of the establishment  
 Seal of the establishment

**Form VI**  
**[See paragraph 24(2)(vi)]**  
**(Ownership Return)**

Establishment Profile		
1	Name of the Establishment	Auto seeded
2	EPF Code Number of the Establishment	Auto seeded
3	Coverage Under Section	Auto seeded
4	LIN	Auto seeded
5	CIN	Auto Seeded
6	PAN of the Establishment	Auto Seeded
7	TAN of the establishment	
8	GST number	
9	Date of Registration under Code	Auto seeded
10	Date of Commencement of Business	
11	Address:	Auto Seeded
12	Phone Number	Auto Seeded/Data Entry
13	Fax number	Auto Seeded/Data Entry
14	Email Id	Auto Seeded/Data Entry
15	Web Address, if any	Auto Seeded/Data Entry
16	Establishment classification	Auto seeded- Private/Public Sector/Government
17	NIC Code	Auto Seeded/Data Entry

**PART-A**

**PARTICULARS OF OWNERS**

S. No.	Name	Date of Birth	Gender	Father's Name	Aadhaar number	DIN	PAN	Address	Mobile, email	Status/ Designation in establishment	The Date from which position held	Details of Bank Account/ ISFC

Document chosen as identity proof of Responsible Person

:

- Aadhaar/ DIN/ PAN

**PART-B****PARTICULARS OF LESSEE**

S.No.	Name	Aadhaar number	Gender	DIN	PAN	Date of birth	Bank Account no & IFS Code	Address	Mobile, email	Date of lease

Document chosen as identity proof of lease

:

- Document for proof of lease.

**PART-C****All BANK DETAILS OF ESTABLISHMENT SPECIFIED IN PART-A**

S. No.	Name of the establishment	Name of bank	Address of the branch	IFSC Code	Account number	Type of account

**DECLARATION**

1. I hereby declare that the information furnished herein is true to the best of my knowledge and belief.
2. I hereby give my consent to Employees' Provident Fund Organisation to use my Aadhaar information for the purpose indicated above.

Signature of employer: \_\_\_\_\_

Name of employer: \_\_\_\_\_

Designation of employer: \_\_\_\_\_

**Form VII**  
**(Under Para 24(2)(ix) of EPF Scheme)**  
**Electronic Challan-Cum-Return**

Sr No	Column Name
1	EPF Code number of the establishment
2	UAN
3	Member name as per UAN
4	Gross wages
5	EPF wages
6	EPS wages
7	EDLI wages
8	Employee PF contribution
9	Employer EPS contribution
10	Employer PF contribution
11	NCP Days (Non-contributory period)
12	EPF Code number of Principal Employer(Wherever applicable)
13	Period of engagement of Contractual employee with Principal Employer- From (date) (Wherever applicable)
14	Period of Engagement of contractual employee with Principal Employer- Upto (date) (Wherever applicable)

To be digitally Signed by the employer



**PARTICULARS OF PERSON WHO HAVE ULTIMATE CONTROL OVER AFFAIRS OF  
BRANCH**

**(Separate entry for each branch)**

N o.	Bra nch nam e	EPF Cod e num ber of the bran ch	Name of respon sible person	Gen der	Da te of bir th	Fath er's nam e	Aadh aar num ber	DI N	PA N	Addr ess*	Mo bile	em ail	Design ation of the respon sible person	Date of incumb ency of the respon sible person

\* Any one of the documents having address of the responsible person: Aadhaar/ DIN/Electricity bill/Gas bill/Rent or Lease agreement

**PARTICULARS OF LESSEE**  
**(Separate entry for each branch)**

Sl. No.	Bra nch nam e	EPF Code numb er of the bran ch	Na me	Gen der	Da te of bir th	Fathe r's name	Aadh aar numb er	DI N	PA N	Addres s*	Mobi le	ema il	Date of commence ment of lease

\* Any one of the documents having address of the responsible person: Aadhaar/ DIN/Electricity bill/Gas bill/Rent or Lease agreement

**DECLARATION**

I hereby declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of employer: \_\_\_\_\_

Name of employer: \_\_\_\_\_

Designation of employer: \_\_\_\_\_

**Form IX**  
**[See paragraph 26(1)(ii)]**  
**(Details of authorised signatories)**

The following official/officials is/are hereby authorized to sign all documents and submit returns on behalf of the employer for the establishment [Name \_\_\_\_\_] and EPF Code No \_\_\_\_\_ for submission to the EPFO.

The details of Authorized Signatory are given below:

Sl. No.	Name of authorized signatory	Designation	UAN	Aadhaar number	PAN	Mobile No.	Specimen signature
1							
2							
3							
4							
5							

Document chosen as identity proof of authorised signatory \_\_\_\_\_ :

- UAN & Aadhaar/ PAN

**DECLARATION**

1. I hereby declare that the information furnished by me in this form containing details of authorised signatories is true to the best of my knowledge and belief.
2. I hereby give my consent to Employees' Provident Fund Organisation to use my Aadhaar information for authentication of my identity.

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature of employer: \_\_\_\_\_  
Name of employer: \_\_\_\_\_  
Designation of employer: \_\_\_\_\_  
Seal of the establishment: \_\_\_\_\_

**Form X**  
**[See paragraph 27(1)]**  
**(Registration of principal employer's establishment and declaration of contractors)**

**PART A — ESTABLISHMENT DETAILS (Auto Seeded)**

<b>1. Name of establishment</b>		<b>2. EPF Code No.</b>	
<b>3. PAN of establishment</b>	<i>10-digit PAN</i>	<b>4. GSTIN</b>	
<b>5. Address (with PIN)</b>			
<b>6. Constitution</b>	<i>Proprietorship / Partnership / Company / LLP / Trust / Society / Govt. / PSU</i>	<b>7. NIC Code</b>	
<b>8. Nature of business / industry</b>		<b>9. Date of Coverage</b>	<i>DD/MM/YYYY</i>

**PART-B: Declaration of number of employees**

<b>1. No. of direct employees</b>		<b>2. No. of Contract Workers</b>	
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

**PART C — DECLARATION OF CONTRACTORS ENGAGED**

Sl. No.	Name of contractor	PAN	Contractor EPF Code (if any)	Nature of work	Contract period (From-To)	Number of workers	Contract amount	Form X received (Y/N)
1.								
2.								
3.								

**DECLARATION:**

I------(Name and designation of employer/authorised signatory) declare that the information furnished above is true and correct. I undertake to update this form within 15 days of any change in the above information including engagement of new contractors.

**Place:** \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Designation:** \_\_\_\_\_

**Signature and seal of principal employer**

**Form XI**  
**[See paragraph 27(3)]**  
**(Contractor's statement on recoveries from contract workers)**

<b>Name of Contractor</b>		<b>Contractor's EPF Code No</b>	
<b>Contractor's PAN</b>		<b>Wage month</b>	<i>MM/YYYY</i>
<b>Contractor's GST</b>		<b>Principal employer EPF Code</b>	
<b>Name of principal employer</b>		<b>Work order reference No.</b>	
<b>Value of contract</b>		<b>Period of contract (From---to---)</b>	
<b>Total number of employees engaged.</b>		<b>Number of excluded employees</b>	

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of contract worker</b>	<b>UAN</b>	<b>Wages</b>	<b>Employee share of EPF deducted from wages (Rs.) *</b>	<b>Employer EPF+EPS+EDLI Contribution (Rs.)</b>	<b>Admin charges (Rs.)</b>	<b>Total dues payable (Rs.)</b>
1.							
2.							
3.							
4.							
Total							

**DECLARATION:**

I, \_\_\_\_\_ the contractor, declare that:

- (1) Employee's EPF contribution shown above has been deducted from wages and remitted to EPFO.
- (2) All information is true and correct to the best of my knowledge.

**Place:** \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Designation:** \_\_\_\_\_

**Signature and seal of contractor**

## Form XII

[See paragraph 27(4)]

## Monthly abstract by principal employer

**(Aggregate recoveries from contract workers and employer's contributions)**

Name of establishment		EPF Code No.	
Address		Month (MM/YYYY)	
Total contractors engaged		Total contract workers	

**CONTRACTOR-WISE ABSTRACT:**

Sl. No.	Name of contractor	Number of workers	Aggregate recovery from employee	Aggregate amount payable by the contractor (Rs.)	Details of payment by contractor		Details of payment by principal employer, in respect of balance dues, if any	
					TRRN	Amount	TRRN	Amount
	Extract of Form-XI				TRRN	Amount	TRRN	Amount
1.								
2.								
<b>GRAND TOTAL</b>								

**DECLARATION:**

- I \_\_\_\_\_ the principal employer, declare that the aggregate figures shown above are correct and have been compiled from Form XI statements received from each contractor.
- I further declare that the above information is correct and true to the best of my knowledge.

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

Signature and seal of principal employer

[F. No. S-35025/04/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Joint Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273951  
CG-DL-E-30062026-273951

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 475]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

सा.का.नि. 527(अ).—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020 का 36) की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 है।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।  
(3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 20 के अधीन रहते हुए, यह स्कीम उन सभी स्थापनाओं के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन पर अध्याय 3 के उपबंध, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन लागू होते हैं या उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन लागू किए गए हैं।
- परिभाषाएं.— (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (क) "वास्तविक सेवा" से 16 नवंबर, 1995 से या किसी भी स्थापना में सम्मिलित होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से लेकर संहिता के अधीन आवृत्त स्थापना से रोजगार छोड़ने की तारीख तक, की कुल सेवा अवधि अभिप्रेत है;
- (ख) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) अभिप्रेत है;
- (ग) "आयुक्त" से कोड की धारा 14 के अधीन नियुक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और सहायक भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है;
- (घ) "अंशदायी सेवा" से किसी सदस्य द्वारा दी गई ऐसी अवधि से अभिप्रेत है, जिसके लिए निधि में अंशदान प्राप्त कर लिया गया है या प्राप्त किया जाना है;
- (ङ) "पात्र कुटुंब" से -
- पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी;
  - महिला सदस्य के मामले में पति; और
  - सदस्य के पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत है;

**स्पष्टीकरण - "पुत्र" और "पुत्रियों" पद में सदस्य द्वारा विधिक रूप से दत्तक लिए गए बच्चे भी सम्मिलित होंगे;**

- (च) "विद्यमान सदस्य" से, विद्यमान कर्मचारी जो "कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 का सदस्य" था अभिप्रेत है;
- (छ) "अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार" से—
- भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई ऐसा कर्मचारी, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, जो भारत में किसी ऐसी स्थापना में कार्यरत है जिस पर यह संहिता लागू होती है;
  - कोई ऐसा भारतीय कर्मचारी जिसने किसी ऐसे विदेशी देश में कार्य किया है या करने जा रहा है जिसके साथ भारत ने सुरक्षा समझौता किया है और जो उक्त समझौते के अधीन मिली या मिलने वाली पात्रता के कारण उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ पाने का पात्र है; परंतु 1950 की शांति और मैत्री संधि के कारण नेपाली नागरिक होने वाला कर्मकार और 2007 की भारत-भूटान मैत्री संधि के कारण भूटानी नागरिक होने वाला कर्मकार, भारतीय कर्मकार माना जाएगा अभिप्रेत है;
- (ज) सदस्य" से, वह कर्मचारी, जो पेंशन निधि का सदस्य बन जाता है अभिप्रेत है।
- स्पष्टीकरण -** कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से या स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फायदे प्राप्त करने की तारीख से, जो भी पहले हो, पेंशन निधि का सदस्य नहीं रहेगा।
- (झ) "गैर-अंशदायी सेवा" से किसी सदस्य द्वारा दी गई वास्तविक सेवा की वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए पेंशन निधि में कोई अंशदान प्राप्त नहीं किया गया है या प्राप्त नहीं किया जाना है;
- (ञ) "अनाथ" से ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता जीवित नहीं अभिप्रेत है;
- (ट) "पिछली सेवा" से किसी विद्यमान सदस्य द्वारा कर्मचारी कुटुंब पेंशन निधि में सम्मिलित होने की तारीख से लेकर 15 नवम्बर, 1995 तक की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है;
- (ठ) "पेंशन" से 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 के अधीन देय पेंशन और इसमें वह पेंशन सम्मिलित है जो इस स्कीम के शुरू होने से ठीक पहले की कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन अनुज्ञेय तथा देय थी ;
- (ड) "स्कीम" से कर्मचारी पेंशन स्कीम, 2026 अभिप्रेत है;
- (ढ) "सारणी" से इस स्कीम के साथ संलग्न सारणी अभिप्रेत है;
- (ण) "मजदूरी की अधिकतम सीमा अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई विशिष्ट मजदूरी की अधिकतम सीमा लागू थी।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस स्कीम में परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो संहिता और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में हैं।

**3. पेंशन निधि लेखा.—** कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन निधि लेखा का रखरखाव इस स्कीम के अधीन पेंशन निधि लेखा के रूप में किया जाएगा।

**4. पेंशन निधि.— (1)** नियोजक द्वारा संहिता की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के नियमों के अधीन प्रत्येक मास देय अंशदान में से, कर्मचारी की वेतन का आठ दशमलव तैंतीस प्रतिशत हिस्सा, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन सीमा तक, नियोजक द्वारा प्रत्येक मास की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर पेंशन निधि में जमा की जाएगी केंद्रीय बोर्ड और प्रेषण की लागत, यदि कोई हो, तो नियोजक द्वारा वहन की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार, कर्मचारी पेंशन स्कीम के सदस्यों के वेतन की एक दशमलव सोलह प्रतिशत की दर से इस स्कीम में अंशदान करेगी, लेकिन यह अंशदान ऐसी राशि तक ही सीमित होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु जहां सदस्य की वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन की अधिकतम सीमा से अधिक हो, तो नियोजक और केंद्रीय सरकार द्वारा देय अंशदान केवल उसकी वेतन की अधिकतम सीमा तक की वेतन पर देय रकम तक ही सीमित होगा।

परंतु यह और कि 1 सितंबर 2014 से, उन सदस्यों के मामले में जिन्होंने पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 11 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प चुना है और जो पात्र पाए गए हैं, नियोजक का अंशदान प्रत्येक सदस्य की वेतन का नौ दशमलव उनचास प्रतिशत होगा जो विद्यमान आठ दशमलव तैंतीस प्रतिशत में एक दशमलव सोलह प्रतिशत की बढ़ोतरी करके तय किया जाएगा; और यह बड़ा हुआ अंशदान पंद्रह हजार रुपए प्रति मास से अधिक मजदूरी पर लागू होगा।

(3) उप पैरा (1) और उप पैरा(2) के अधीन देय प्रत्येक अंशदान की गणना निकटतम रूपए में की जाएगी, पचास पैसे या इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपए के रूप में गिना जाएगा तथा पचास पैसे से कम रूपए के अंश को छोड़ दिया जा रहा है।

(4) पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 की कुल आस्तियां, पेंशन निधि में निहित होंगी और अंतरित मानी जाएंगी।

**5. अंशदान का भुगतान.— (1)** नियोजक, उस नियोजक द्वारा नियोजित प्रत्येक सदस्य चाहे वह सीधे तौर पर हो या किसी ठेकेदार के माध्यम से, के लिए पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान करेगा।

(2) पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान करना मुख्य नियोजक का उत्तरदायित्व होगा।

**6. किसी भी अंशदान के भुगतान में चूक के लिए नुकसानी की वसूली.—** जहां कोई नियोजक पेंशन निधि में अंशदान या संहिता या इस स्कीम के किसी उपबंध के अधीन देय किसी भी प्रकार के भुगतान में चूक करता है, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या प्राधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट दर से नियोजक पर नुकसानी लगा सकता है और शास्ति के रूप में वसूली कर सकेगा।

**7. कर्मचारी पेंशन स्कीम की सदस्यता.— (1)** यह स्कीम प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होगी –

(i) जो इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि का सदस्य बनता है, और जिसकी मजदूरी ऐसी तारीख को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की अधिकतम, जो उस तारीख को लागू है, से कम या उसके बराबर है;

(ii) जो पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का सदस्य रहा हो अथवा जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व, पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 अथवा कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 का सदस्य बनने का पात्र था।

**स्पष्टीकरण-** कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से, या स्कीम के अधीन अनुज्ञेय फ़ायदों के निहित होने की तारीख से, जो भी पहले हो, से पेंशन निधि का सदस्य नहीं रहेगा।

- (2) पेंशन निधि का कोई सदस्य निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी पहले हो, तक सदस्य बना रहेगा -
- (क) अधिवर्षिता की आयु की प्राप्ति;
- (ख) पैरा 13 के अधीन प्रत्याहरण फ़ायदा प्राप्त करना;
- (ग) सदस्य की मृत्यु;
- (घ) पैरा 12 के अधीन सदस्य में पेंशन का निहित होना।

**8. शंकाओं का समाधान.**— यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने का पात्र है या नहीं, तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा जाएगा, जो इसे विनिश्चित करेगा:

परंतु इस मामले में अंतिम आदेश पारित करने से पहले नियोजक और कर्मचारी दोनों को सुना जाएगा।

**9. पात्र सेवा का अवधारण.**— (1) विद्यमान सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य के मामले में, "अंशदायी सेवा" को पात्र सेवा माना जाएगा। कुल अंशदायी सेवा को निकटतम पूर्ण वर्ष में गिना जाएगा। छह मास या उससे अधिक की सेवा के भाग को एक वर्ष माना जाएगा और छह मास से कम की सेवा को अनदेखा किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण-** किसी स्थापना में मौसमीय आधार पर नियोजित कर्मचारियों के मामले में किसी भी वर्ष में "अंशदायी सेवा" की अवधि को पूरा एक वर्ष माना जाएगा, ऐसी सेवा के होते हुए भी एक वर्ष से कम है।

(2) विद्यमान सदस्य के मामले में अंशदायी सेवा और पिछली सेवा के कुल जोड़ को पात्र सेवा माना जाएगा:

परंतु जहां पिछली सेवा की ऐसी कोई अवधि हो, जिसके लिए कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के लिए अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उस अवधि तक ही पात्र सेवा के रूप में गिनी जाएगी, जिस अवधि के लिए पेंशन निधि में उसका अभिदाय प्राप्त हो गया हो।

**स्पष्टीकरण -** इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, अंशदायी सेवा और पिछली सेवा का कुल समय अगर छह मास से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और छह मास या उससे अधिक की सेवा को एक वर्ष माना जाएगा।

**10. पेंशनयोग्य सेवा का अवधारण.**— (1) किसी सदस्य की पेंशनयोग्य सेवा का अवधारण पेंशन निधि में प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अंशदानों के आधार पर किया जाएगा।

(2) जहां सदस्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, और जिसने बीस वर्ष या उससे अधिक की पेंशनयोग्य सेवा की है, तो उसकी पेंशनयोग्य सेवा दो वर्ष का लाभांश जोड़कर बढ़ा दी जाएगी।

**11. पेंशनयोग्य मजदूरी का अवधारण.**— (1) पेंशन योग्य मजदूरी, पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ने की तारीख से ठीक पहले के साठ मास की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक मजदूरी, चाहे समय दर आधार पर हो या प्रति वस्तु दर पर मिलने वाली मजदूरी सहित, के आधार पर अवधारित की जाएगी। यह मजदूरी प्रत्येक मजदूरी अधिकतम सीमा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अवधारित होगी।

परंतु ये उस अवधि के लिए लागू अधिकतम मजदूरी अधिकतम सीमा के अधीन होगा:

परंतु यह और कि सदस्य ने पेंशन निधि की सदस्यता की समाप्ति के दिन से पिछले साठ मास की अवधि के दौरान पूर्ण मजदूरी प्राप्त नहीं की है, तो पेंशन की गणना के लिए पेंशन योग्य मजदूरी के तौर पर उन पिछले साठ मास में मिले पूरी मजदूरी का औसत माना जाएगा, जिनके लिए पेंशन निधि में अभिदाय लिया गया था।

(2) औसत मासिक मजदूरी की गणना के लिए उक्त साठ मास की अवधि के दौरान जहां बिना अभिदाय के सेवा की अवधि हो ऐसे मामलों सहित जिनमें सदस्य ने ही मजदूरी ली हो, तो साठ मास की अवधि के कुल मजदूरी को उन वास्तविक दिनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा, जिनके लिए मजदूरी लिया गया हो और इस प्रकार प्राप्त रकम को 30 से गुणा किया जाएगा।

(3) अधिकतम पेंशनयोग्य मजदूरी प्रति मास अधिसूचित मजदूरी अधिकतम सीमा तक सीमित रहेगी।

## 12. मासिक पेंशन.— (1) कोई सदस्य -

(i) यदि वह दस वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, तो अधिवर्षिता पेंशन का;

(ii) यदि वह 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होता है या अन्य कारण से नियोजन छोड़ देता है, तो समय पूर्व पेंशन का, पात्र होगा।

(2) विद्यमान सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य के मामले में, यथास्थिति, मासिक अधिवर्षिता पेंशन या समय-पूर्व पेंशन, की रकम की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :-

मासिक सदस्य पेंशन = (पेंशनयोग्य मजदूरी X पेंशनयोग्य सेवा) / 70

परंतु सदस्य की मासिक पेंशन का अवधारण प्रत्येक ऐसे मजदूरी अधिकतम सीमा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अवधारित की जाएगी।

परंतु यह और भी कि पेंशनयोग्य मजदूरी ऐसी प्रत्येक अवधि के लिए लागू अधिकतम मजदूरी अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

(3) किसी विद्यमान सदस्य, जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2005 के पश्चात् है, के मामले में अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन निम्न के कुल जोड़ बराबर होगी -

(क) 16 नवंबर, 1995 से की गई पेंशनयोग्य सेवा की अवधि के लिए उप पैरा (2) के अधीन यथा अवधारित पेंशन या छह सौ पैंतीस रु. प्रति मास, जो भी अधिक हो ;

(ख) तारीख 16 नवंबर, 1995 को संहिता की धारा 2 की उप धारा (82) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की समाप्ति पर देय पिछली सेवा पेंशन नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी,-

## सारणी

क्रम संख्या	पिछली सेवा के वर्ष	मजदूरी रु. 2500/- प्रति मास तक	मजदूरी रु. 2500/- प्रति मास से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	11 वर्ष तक	80	85
(ii)	11 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष तक	95	105
(iii)	15 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	120	135
(iv)	20 वर्ष से अधिक	150	170

टिप्पण :

- (i) देय पिछली सेवा पेंशन आंकने के लिए यथास्थिति, उपर्युक्त स्तंभ (3) या स्तंभ (4) के अधीन, देय फायदा को 16.11.1995 तथा नियोजन छोड़ने की तारीख के बीच की अवधि के लिए सारणी 2 में दिए गए गुणांक से गुणा किया जाएगा।
- (ii) इस उप पैरा के अधीन की गई गणना के अनुसार खंड (क) और खंड (ख) का कुल योग न्यूनतम आठ सौ रुपये प्रति मास के अधीन होगा।

परंतु पात्रता सेवा चौबीस वर्ष है :

परंतु यह और कि अवधि चौबीस वर्ष से कम है, तो उपर्युक्त नियमानुसार तय की गई पेंशन को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा, किंतु यह पेंशन प्रत्येक मास कम से कम चार सौ पचास रुपये अवश्य होगी।

(4) किसी विद्यमान सदस्य के मामले में और जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2000 और 16 नवंबर, 2005 के बीच की है, -

(क) अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन निम्नलिखित के योग के बराबर होगी,-

(i) 16 नवंबर, 1995 से की गई सेवा की अवधि के लिए उपपैरा (2) के अधीन यथावधारित पेंशन या चार सौ अड़तीस रुपए प्रति मास, जो भी अधिक हो;

(ii) उप-पैरा (3) में यथाउपबंधित पिछली सेवा पेंशन-

(ख) उप पैरा (3) के अधीन परिकलित खंड (क) और (ख) का कुल योग न्यूनतम छह सौ रुपए प्रतिमास के अधीन होगा:

परंतु पात्र सेवा चौबीस वर्ष हो:

परंतु यह और कि यदि यह चौबीस वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी, जो तीन सौ पच्चीस रूपए की न्यूनतम रकम के अधीन प्रतिमास होगी।

(5) किसी विद्यमान सदस्य के मामले में और, जिसकी पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 16 नवंबर, 2000 से पूर्व की है,-

(क) अधिवर्षिता या समयपूर्व पेंशन की रकम निम्नलिखित के योग के बराबर होगी

(i) 16 नवंबर, 1995 से की गई सेवा की अवधि के लिए उप पैरा (2) के अधीन यथाअवधारित पेंशन या तीन सौ पैंतीस रूपए प्रतिमास, जो भी अधिक हो;

(ii) उप पैरा (3) में यथाउपबंधित अनुसार पिछली सेवा पेंशन

(ख) ऊपर की गई गणना के अनुसार उप खंड (i) और उपखंड (ii) का कुल योग पांच सौ रूपए प्रतिमास की न्यूनतम रकम के अधीन होगा:

परंतु सदस्य की पात्र सेवा चौबीस वर्ष की है:

परंतु यह और कि यदि यह चौबीस वर्ष से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी किंतु दो सौ पैंसठ रूपए प्रतिमास की न्यूनतम रकम के अधीन होगी।

(6) किंतु इसमें इसके पश्चात् अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप पैरा (2) से उप पैरा (5) के अधीन मासिक पेंशन, अधिवर्षिता आयु पूरी होने की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से देय होगी, बावजूद इस तथ्य के कि सदस्य उस तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो या नियोजन छोड़ दिया हो।

(7) किसी सदस्य को अधिवर्षिता की आयु से पहले की तारीख से, समयपूर्व पेंशन लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु यह पचास वर्ष की आयु से पहले नहीं होगी और अधिवर्षिता की आयु से जितने वर्ष कम होंगे, उस प्रत्येक वर्ष के लिए चार प्रतिशत, की दर से कटौती की जाएगी।

(8) किसी भी विद्यमान या भविष्य के सदस्य को इस पैरा के अधीन देय किसी भी राहत सहित सदस्य की मासिक पेंशन एक हजार रूपए से कम नहीं होगी।

परंतु, 1 सितंबर, 2014 से, इस उप पैरा के अधीन देय एक हजार रूपए की न्यूनतम पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(i) तत्कालीन कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के उपबंधों के अधीन 26 सितंबर, 2008 से पूर्व के सदस्यों द्वारा लिए गए लघुकरण और पूंजी के प्रतिलाभ के फायदों के कारण कटौती; और

(ii) उप-पैरा (7) के अधीन समय-पूर्व पेंशन के कारण कटौती।

(9) (क) कोई सदस्य, जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है और जो अन्यथा उप पैरा (1) के खंड (क) के अधीन पेंशन के लिए पात्र है, उसे अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् पेंशन प्राप्त करने की आयु को विलंबित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, परंतु साठ वर्ष की आयु से अधिक तक नहीं।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों में- (i) अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् पेंशन की रकम में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए चार प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी की जाएगी, जो पैरा 4 के उप पैरा (2) के उपबंध के अधीन दी गई अधिकतम मजदूरी सीमा तक प्रतिबंधित होगी;

(ii) यदि कोई सदस्य अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् भी नियोजन में बना रहता है; तो सदस्य को, उसके विकल्प पर, उस अवधि के लिए, जिसके लिए पेंशन की निकासी को आस्थगित किया गया है, पेंशन निधि में पैरा 4 के अधीन

अभिदाय जारी रखने हेतु अनुज्ञा दी जा सकती है, और उप पैरा (2) के अधीन पेंशन के अवधारण के प्रयोजन के लिए पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य मजदूरी में ऐसे अभिदाय सम्मिलित होंगे, किंतु यह साठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा;

(iii) जहां किसी सदस्य ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और स्थगित पेंशन के प्रारंभ होने से पहले पेंशन शोध के आहरण को आस्थगित करने का विकल्प चुना है, पात्र कुटुंब पैरा 15 के उप पैरा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य की मृत्यु की तारीख से पेंशन का हकदार होगा, मानो सदस्य की मासिक पेंशन मृत्यु की तारीख से प्रारंभ हो गई हो।

(10) जहां कोई सदस्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति या अन्यथा नियोजन से अलग हो जाता है,-

(i) सदस्य को विकल्प के अनुसार या तो

(क) पचास वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् इस स्कीम के अधीन यथा अनुज्ञेय पेंशन दी जाए; या

(ख) आयुक्त द्वारा स्कीम प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिसमें नियोजन से अलग होने के समय की, की गई पेंशनयोग्य सेवा, पेंशनयोग्य मजदूरी और पेंशन की देय रकम का उल्लेख हो।

(11) जहां ऐसे सदस्य पश्चात्वर्ती रूप में इस स्कीम के अधीन आवृत्ति योग्य किसी स्थापना में नियोजित हो जाता है, तो स्कीम प्रमाणपत्र में अभिलिखित पहले की सेवा को पेंशनयोग्य सेवाओं के नए भाग के साथ पेंशन के लिए गिना जाएगा।

(12) इस पैरा के अधीन पेंशन के प्रारंभ किए जाने को स्थगित करने वाला सदस्य इस स्कीम के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त राहत का पात्र होगा।

परंतु-

(क) जहां कोई सदस्य इस स्कीम के अधीन आवृत्ति नियोजन प्राप्त नहीं करता है और नियोजन छोड़ने की तारीख को उसकी पात्र सेवा दस वर्ष से कम रही हो, किंतु अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले तथा जिसके दौरान निरंतर छत्तीस मास की अवधि बीतने से पहले पेंशन निधि में सदस्य के संबंध में कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में प्राप्त अभिदाय की रकम को मासिक विधवा पेंशन या बाल पेंशन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों में विधवा पेंशन की गणना सारणी-3 में अधिकथित सूत्र के अनुसार की जाएगी और उसके पच्चीस प्रतिशत की दर से प्रत्येक बच्चे के लिए बाल पेंशन की गणना की जाएगी।

(ख) जहां कोई विधवा नहीं हो, वहां पैरा-15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधवा पेंशन के रूप में दी जा सकने वाली रकम के पचहत्तर प्रतिशत की दर से अनाथ पेंशन देय होगी;

(ग) यदि सदस्य इस स्कीम के अधीन कवर कोई नियोजन नहीं करता है और नियोजन छोड़ने की तारीख तक उसने दस वर्ष से कम की पात्र सेवा की है, किंतु अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और इस दौरान निरंतर छत्तीस मास की अवधि तक पेंशन निधि में कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है तो पैरा 13 के अधीन पात्र कुटुंब फायदों का पात्र होगा।

**13. पेंशन के लिए पात्र होने से पूर्व नौकरी छोड़ने पर फायदा.—** (1) जहां यदि किसी सदस्य ने नियोजन छोड़ने की तारीख को या अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, पैरा 12(1) में विनिर्दिष्ट पात्र सेवा पूरी नहीं की है, तो ऐसे सदस्य सारणी '4' के अनुसार प्रत्याहरण फायदा पाने का हकदार होगा या योजना प्रमाण-पत्र लेने का विकल्प चुन सकता है, परंतु सदस्य ने अधिवर्षिता आयु प्राप्त न की हो।

परंतु, ऐसे प्रत्याहरण फायदे की गणना के प्रयोजन के लिए, नियोजन छोड़ने पर वेतन प्रत्येक वेतन की अधिकतम सीमा अवधि के अंत में प्राप्त वेतन का भारित औसत होगी;

परंतु यह और कि, मौजूदा सदस्य को कर्मचारी कुटुंब पेंशन योजना, 1971 के अधीन उसकी पूर्व सेवा के लिए अंशदान पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जिसकी गणना सारणी '1' के अनुसार प्रत्याहरण-सह-सेवानिवृत्ति फायदे को सारणी '2' में दिए गए गुणांक से गुणा करके की जाएगी।

परंतु यह भी कि, अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व नियोजन छोड़ने की स्थिति में, सदस्य अंतिम अंशदान देय होने की तारीख से छत्तीस मास की अवधि बीत जाने अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही, जो भी पहले हो, से प्रत्याहरण फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

**14. स्थाई और पूर्ण निःशक्तता पर फायदा.—** (1) सदस्य जो सेवा के दौरान स्थाई और पूर्ण रूप से निःशक्त हो जाता है, पैरा 12 के अधीन न्यूनतम ₹250 प्रति मास पेंशन का पात्र होगा इस तथ्य के होते हुए भी कि पैरा 12 के अधीन पेंशन का पात्र बनने हेतु उसने पेंशन योग्य सेवा पूरी न की हो।

परंतु सदस्य द्वारा पेंशन निधि में कम से कम एक मास का अंशदान किया गया हो।

- (2) उप पैरा (1) के अधीन मासिक सदस्य पेंशन स्थाई और पूर्ण निःशक्तता की तारीख की अगली तारीख से देय होगी तथा वह सदस्य के जीवनपर्यन्त जारी रहेगी।
- (3) इस पैरा के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले सदस्य को केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा, जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वह ऐसी निःशक्तता के समय जो कार्य कर रहा था, उसके लिए स्थाई और पूर्ण रूप से अयोग्य है या नहीं।

**15. सदस्य की मृत्यु पर फायदा.—** (1) पात्र कुटुंब को पेंशन सदस्य की मृत्यु की तारीख से अगली तारीख से देय होगी, यदि सदस्य की मृत्यु—

(क) सेवा में रहते हुए;

परंतु पेंशन निधि में कम से कम एक मास का अंशदान जमा किया गया हो; या

(ख) नौकरी छोड़ने की तारीख के उपरांत किंतु अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व, और ऐसी सेवा प्रदान की हो जिससे सदस्य मासिक पेंशन का पात्र हो जाता, परंतु पेंशन का भुगतान प्रारंभ होने से पूर्व; या

(ग) मासिक पेंशन का भुगतान प्रारंभ होने के पश्चात्।

**स्पष्टीकरण:** इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, जहाँ किसी सदस्य ने नौकरी छोड़ने की तारीख को 10 वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, किंतु पेंशन निधि की सदस्यता बनाए रखी हो और अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे मामलों का विनियमन पैरा 12 के उप पैरा (12) के खंड (क) के अधीन जाएगा। :

**(2) (क) मासिक विधवा पेंशन निम्नानुसार होगी:—**

- (i) उप पैरा (1) के खंड (क) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य को मृत्यु की तारीख पर सेवानिवृत्त मानकर देय होती अथवा चार सौ पचास रुपए प्रतिमास अथवा सारणी '3' में दर्शाई गई राशि, जो भी अधिक हो।
- (ii) उप पैरा (1) के खंड (ख) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो सदस्य को सेवा से निकासी होने की तारीख पर सेवानिवृत्त मानकर देय होती या चार सौ पचास रुपए प्रति मास अथवा सारणी '3' में दर्शाई गई राशि, जो भी अधिक हो होगी
- (iii) उप पैरा (1) के खंड (ग) में आने वाले मामलों में, सदस्य की मृत्यु की तारीख पर देय मासिक सदस्य पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर, परंतु न्यूनतम चार सौ पचास रुपए प्रति मास।
- (iv) ऐसे मामलों में, जहां कुटुंब पेंशन योजना, 1971 के तहत स्वीकृत कुटुंब पेंशन की राशि, जो इस योजना के अधीन देय है, चार सौ पचास रुपए प्रति मास से कम है, ऐसी पेंशन की राशि बढ़ाकर चार सौ पचास रुपए प्रति मास कर दी जाएगी।
- (v) ऐसे मामलों में, जहां मासिक विधवा पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, एक हजार रुपए प्रति मास से कम है, ऐसी पेंशन की राशि बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति मास कर दी जाएगी।
- (ख) मासिक विधवा पेंशन विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

**स्पष्टीकरण:-** इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए, जाहं दो या अधिक विधवाएं हों, वहां पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवित विधवा को और उसकी मृत्यु के पश्चात्, अगली उत्तरजीवित विधवा यदि कोई हो, तो उसे पेंशन देय होगी। यहाँ "ज्येष्ठतम" से विवाह की तारीख के आधार पर ज्येष्ठता अभिप्रेत है।

(3) मासिक बाल पेंशन:—

- (क) मृतक सदस्य के कोई जीवित बच्चे हों, जो पात्र कुटुंब की परिभाषा के अधीन आते हों, तो विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त मासिक बाल पेंशन के पात्र होंगे।
- (ख) प्रत्येक बच्चे के लिए मासिक बाल पेंशन, उप पैरा (2) के खंड (क) के अधीन विधवा को देय राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी:

परंतु न्यूनतम मासिक बाल पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, प्रति बालक दो सौ पचास रुपए से कम नहीं होगी।

- (i) बालक की आयु 25 वर्ष होने तक देय होगी।
- (ii) एक समय में अधिकतम दो बालकों को देय होगी और सबसे बड़े से सबसे छोटे बालक के क्रम में देय होगी।

(iii) जहां किसी मृतक सदस्य का ऐसा पुत्र या पुत्री है जो स्थाई और पूर्ण रूप से दिव्यांग हो, तो ऐसे, यथास्थिति, बालक आयु और कुटुंब में बालकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, खंड (ii) में दी गई पेंशन के अतिरिक्त, मासिक बाल पेंशन या अनाथ पेंशन, का हकदार होगा।

(4) (क) जहां मृतक सदस्य की कोई विधवा उत्तरजीवित न हो, परंतु हकदार कुटुंब की परिभाषा में आने वाले बालक उत्तरजीवित हैं, और जहां विधवा पेंशन देय नहीं है, तो बालक उप पैरा (2) के खंड (क) के अधीन देय मासिक विधवा पेंशन की रकम के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होंगे:

परंतु न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन राहत सहित, यदि कोई हो, तो प्रति अनाथ सात सौ पचास रुपए से कम नहीं होगी।

(ख) अनाथ पेंशन प्रत्येक अनाथ को तब तक संदेय होगी जब तक फायदाग्राही पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता:

परंतु यदि फायदाग्राही मानसिक विकार या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त हो, तो पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात भी जारी रहेगी।

(ग) विधवा या विधुर पेंशन स्वीकृत होने के पश्चात उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह की दशा में, बालक बाल पेंशन के स्थान पर, ऐसी मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख के अगले दिन से अनाथ पेंशन के हकदार होंगे।

(घ) अनाथ पेंशन एक समय में अधिकतम दो अनाथों को संदेय होगी, ज्येष्ठतम से कनिष्ठतम के क्रम में।

(5)(क) सदस्य जो अविवाहित हो या जिसके कोई पति/पत्नी या हकदार बच्चा न हो, फायदे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकता है:

परंतु तत्पश्चात हकदार कुटुंब बना लेने पर ऐसा नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा।

परंतु सदस्य की मृत्यु पर ऐसा नामनिर्देशिनी उप-पैरा (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन ग्राह्य विधवा पेंशन के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ख) जहां किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात कोई पति/पत्नी या हकदार बालक नहीं है और कोई नामनिर्देशन भी नहीं किया है, तो उप-पैरा (2) के खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) के अधीन विधवा पेंशन यथास्थिति आश्रित पिता या आश्रित माता, को संदेय होगी और आश्रित पिता को पेंशन अनुदत्त होने पर और उनकी मृत्यु होने पर, पेंशन आजीवन जीवित माता को संदेय होगी।

(ग) जहां मृतक सदस्य ने नियोजन छोड़ने की तारीख पर ऐसी पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की थी, जोकि उसे पैरा 12 के अधीन मासिक पेंशन का हकदार बनाती, लेकिन उसने पैरा 12 के उप-पैरा (8) के अधीन सदस्यता बनाए रखने का विकल्प चुना था, तो यथास्थिति नामनिर्देशिनी या आश्रित पिता या आश्रित माता, पैरा 12 के अधीन प्रत्याहरण फायदाप्राप्त करने के हकदार होंगे।

**16. पेंशन फायदों की गारंटी.**—इस स्कीम के अधीन किसी भी सदस्य या फायदाग्राही को, पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अधीन नियोजक द्वारा अपेक्षाओं की अनुपालन न किए जाने के कारण, पेंशन फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, नियोजक को इस स्कीम के अधीन अधिरोपित दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

**17. पेंशन का संदाय.**— (1) दावे, जो हर प्रकार से पूर्ण हो और आवश्यक दस्तावेजों, के साथ प्रस्तुत किए गए थे, आयुक्त द्वारा प्राप्त करने की तारीख से बीस दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा और फायदाग्राहियोंको फायदा की रकम का संदाय कर दिया जाएगा।

(2) जहां दावे में कोई कमी हो, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बीस दिन के भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(3) जहां, आयुक्त, बिना पर्याप्त कारण के, पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए दावे का निपटान बीस दिन के भीतर करने में विफल रहता है, तो उक्त अवधि से अधिक विलंब के लिए आयुक्त उत्तरदायी होगा तथा फायदे की रकम पर बारह प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसे आयुक्त के वेतन से काटा जाएगा।

**18. नियोजक के कर्तव्य.**— (1) प्रत्येक नियोजक, इस स्कीम के स्थापन पर लागू होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में बताए गए अनुसार आयुक्त को एक समेकित विवरण प्रेषित करेगा, जिसमें पेंशन निधि के सदस्य बनने के लिए आवश्यक या हकदार कर्मचारी के विवरण सहित ऐसे कर्मचारी को दिया जाने वाला मजदूरी भी शामिल होगा।

परंतु जहां किसी कर्मचारी को पेंशन निधि का सदस्य बनने की आवश्यकता या हकदारता हो नियोजक 'शून्य' विवरणी दाखिल करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक स्थापन के निरीक्षण के दौरान संहिता की धारा 122 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए, कर्मचारियों के ब्यौरे तथा उनको किए गए संदाय से संबंधित सभी रजिस्ट्रों तथा लेखा-पुस्तको, जो किसी अन्य विधि के अधीन अनुरक्षित हैं, उचित प्रमाणीकरण के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

(3) इस पैरा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन से नियोजकों को सामान्यतः ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे, और प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन निदेशों का पालन करे।

(4) किसी स्थापन का प्रत्येक नियोजक, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा, अभिलेखों और रजिस्ट्रों का रखरखाव करेगा जिनमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी और संहिता की धारा 123 के खंड (क) के अधीन अपेक्षित अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित हो।

**19. नियोजक द्वारा स्वामित्व की विशिष्टियाँ प्रस्तुत करना.**— प्रत्येक नियोजक, ऐसे स्थापन के संबंध में जिस पर यह संहिता और यह स्कीम लागू होती है, आयुक्त को सभी शाखाओं और विभागों, मालिकों, अधिभोगियों, निदेशकों,

साझेदारों, प्रबंधकों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिनका ऐसे स्थापन के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है।

**20. पेंशन निधि का विनिद्वान.—** (1) केंद्रीय सरकार के अधिदाय के सिवाय, पेंशन निधि लेखे में जमा होने वाली सभी धनरकम का विनिद्वान कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के पैरा 35 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) पेंशन निधि की वे आस्तियों जो पहले से भारत सरकार के लोक लेखे में विनिहित हैं, उसी खाते में विनिहित रहेंगी।

(3) 1 अप्रैल, 2026 से केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा किया जाने वाला भविष्य का अधिदाय भारत सरकार के लोक लेखे में विनिहित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार 8.5 प्रतिशत से कम की दर से ब्याज की अनुमति नहीं देगी।

**21. निधि का व्ययन.—** (1) संहिता और इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, पेंशन निधि को निम्नलिखित के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं किया जाएगा।-

(i) इस स्कीम में परिकल्पित संदाय

(ii) इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पहले पूर्ववर्ती कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन स्वीकृत फायदों का निरंतर संदाय या 1 अप्रैल, 2026 से पहले उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उसके बाद स्वीकृत; और

(iii) कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन 16 नवंबर, 1995 से पहले स्वीकृत कुटुंब पेंशन, जीवन बीमा फायदा और सेवानिवृत्ति-सह-प्रत्याहरण फायदों का निरंतर संदाय या उस तारीख से पहले उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में उसके बाद स्वीकृत फायदों का निरंतर संदाय।

(2) सभी प्रशासनिक व्यय कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के पैरा 32 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय प्रशासन खाते से पूरे किए जाएंगे :

परंतु पेंशन प्रेषण की लागत पेंशन निधि पर प्रभारित की जाएगी।

**22. लेखों का रखरखाव.—** केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों के सामान्य रूपविधान में इस स्कीम के संबंध में एक समेकित आय और व्यय लेखा तथा एक समेकित तुलन पत्र बनाए रखेगा।

**23. लेखापरीक्षा.—** इस स्कीम के संचालन में किए गए प्रशासनिक व्यय सहित पेंशन निधि के लेखों, की लेखापरीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

**24. फायदों का पूर्णांक निर्धारण.—** सभी फायदा मदों की गणना निकटतम रुपये तक की जाएगी; पचास पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम को अनदेखा किया जाएगा।

**25. पेंशन निधि का मूल्यांकन.—** (1) केंद्रीय सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाएगी।

(2) किसी भी समय, जब पेंशन निधि इसकी अनुमति दे, केंद्रीय सरकार-

(i) इस स्कीम के अधीन संदेय अधिदाय की दर में बदलाव कर सकती है

(ii) इस स्कीम के अधीन स्वीकार्य किसी भी फायदे की मात्रा में बदलाव कर सकती है; या

(iii) ऐसे फायदा दिए जाने की अवधि में परिवर्तन कर सकती है।

- 26. पेंशन और अन्य फायदों का वितरण.—** (1) आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से, डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या कोषागार या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक सहित अनुसूचित बैंक जैसी किसी भी वितरण अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से पेंशन और अन्य फायदों के वितरण की व्यवस्था करेगा।
- (2) वितरण अभिकरणों को संदेय कमीशन और उससे संबंधित अन्य प्रभार स्कीम के पैरा 21 के अनुसार संदत किए जाएंगे।
- 27. रजिस्टर, अभिलेख आदि.—** आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा-
- (i) कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख
- (ii) किसी कर्मचारी या उसके नामनिर्देशिती व्यक्ति या पेंशन प्राप्त करने के पात्र कुटुंब सदस्य की पहचान के लिए पहचान पत्र, टोकन या डिस्क का प्रारूप या डिजाइन; तथा
- (iii) पेंशन और अन्य फायदों के अनुदान या उनकी निरंतरता से संबंधित अन्य प्ररूप या औपचारिकताएँ अपेक्षित करेगा, जो समय-समय पर आवश्यक सत्यापन के अधीन होंगी।
- 28. वार्षिक रिपोर्ट.—** केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के संचालन की वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के संचालन पर एक रिपोर्ट सम्मिलित करेगा।
- 29. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 का लागू होना.—** जिन मामलों के लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं हैं, उनके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के संबंधित उपबंध लागू होंगे।
- 30. स्कीम के संचालन से छूट.—** समुचित सरकार संहिता की धारा 143 के अधीन किसी भी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को इस स्कीम के संचालन से छूट दे सकती है, यदि उन स्थापनों के कर्मचारी-
- (i) किसी अन्य पेंशन स्कीम के सदस्य हैं,
- (ii) ऐसी पेंशन स्कीम के सदस्य बनने का प्रस्ताव रखते हैं, जो इस स्कीम के अधीन दिए गए फायदों के बराबर या उनसे अधिक अनुकूल पेंशन फायदा प्रदान करते हों।
- (2) जहां उप-पैरा (1) के अधीन छूट दी जाती है, वहाँ कुटुंब पेंशन स्कीम, 1971 या कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन ऐसी स्थापनों के कर्मचारियों के खाते में उपलब्ध प्रत्याहरण फायदा, कर्मचारियों की सहमति के अधीन, स्थापनों के पेंशन निधि में स्थानांतरित किए जाएंगे।
- (3) इस पैरा के अधीन छूट के लिए एक आवेदन, संबंधित अधिकारिता वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को, स्थापन की पेंशन स्कीम की एक प्रति और अन्य सुसंगत दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे, जिनकी मांग की जाए।
- (4) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उसकी जांच करेगा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सिफारिशें प्राप्त करेगा, और निर्णय के लिए उन्हें समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (5) इस पैरा के अधीन छूट के आवेदन के निपटारे तक, पैरा 4 के उप-पैरा (1) में परिकल्पित नियोजक का अभिदाय पेंशन निधि में प्रेषित नहीं किया जाएगा।
- (6) छूट के आवेदन का निपटारा, उसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर किया जाएगा, जिसे अभिलिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- (7) जहां छूट के आवेदन का निपटारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो मांगी गई छूट को प्रदान किया गया मान लिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण** - इस पैरा के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को छूट का आवेदन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समाधान के अनुसार पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया हो।

**31. विवरणी प्रस्तुत करना .—** छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग का नियोजक और ऐसे छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग का न्यासी बोर्ड , इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप में आयुक्त को एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

**32. अंतरण मूल्य.— (1) जहां किसी स्थापन को छूट प्रदान की जाती है या जहां किसी सदस्य को किसी छूट प्राप्त स्थापन की पेंशन निधि से अन्य छूट प्राप्त स्थापन या कानूनी पेंशन निधि में या इसके विपरीत स्थानांतरित किया जाता है, तो अंतरण मूल्य का संदाय निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जाएगा:—**

(i) 15 नवंबर 1995 तक की पूर्व सेवा अवधि से संबंधित प्रत्याहरण फायदा, जो सारणी -1 के अनुसार, 16 नवंबर 1995 से यथास्थिति छूट या अंतरण की तारीख तक की अवधि के लिए सारणी-2 के गुणक से गुणा किया जाएगा; तथा

(ii) पेंशन योग्य सेवा के लिए अंतरण मूल्य सारणी -5 के अनुसार होगा, जो 16 नवंबर, 1995 से या स्थापन में शामिल होने की तारीख से यथास्थिति छूट या अंतरण की तारीख तक की गई सेवा के लिए संदेय होगा।

(2) पैरा 30 के अधीन अनुदत्त की गई छूट के रद्दकरण की स्थिति में, निधि का अंतरण छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

**33. केंद्रीय सरकार को सूचना.—** केंद्रीय बोर्ड, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निदेशित पेंशन निधि खाते से आय और व्यय के संबंध में, केंद्रीय सरकार को जानकारी प्रदान करेगा।

**34. निर्वचन—** जहां इस स्कीम के उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहां उसे केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा, जो इस विषय पर विनिश्चय करेगी।

**35. हत्या के अपराध में आरोपित व्यक्ति की दशा में पेंशन का संदाय.— (1) जहां कोई व्यक्ति, जो पेंशन निधि के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पैरा 12 या पैरा 15 के अधीन पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, उस पर सदस्य की हत्या करने या ऐसी हत्या में सहयोग करने का आरोप लगता है, तो उसके विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के समाप्ति तक पेंशन प्राप्त करने के दावे स्थगित रहेंगे।**

**(2) उप-पैरा (1), में विनिर्दिष्ट आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति पर,—**

(i) यदि संबंधित व्यक्ति सदस्य की हत्या या हत्या में सहयोग के लिए दोषी सिद्ध होता है, तो व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा, जो कि मृतक सदस्य के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी; या

(ii) यदि वह व्यक्ति सदस्य की हत्या या हत्या में सहयोग के आरोप से बरी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पेंशन फायदा संदेय होगा।

**36. अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध.—** इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, निम्नलिखित उपबंध अंतरराष्ट्रीय कर्मकार पर लागू होंगे, अर्थात्:-

(1) पात्र सेवा का अवधारणा निम्नानुसार किया जाएगा,

(i) "विद्यमान सदस्य" या "विद्यमान सदस्य से भिन्न अन्य सदस्य" की दशा में, "वास्तविक सेवा" को पात्र सेवा माना जाएगा;

(ii) सामाजिक सुरक्षा करार द्वारा कवर किए गए सदस्य की दशा में, किसी अन्य देश में सुसंगत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन आने की अवधि को वास्तविक सेवा में जोड़ा जाएगा और उन दोनों के योग को सामाजिक सुरक्षा करार में उपबंध की जा सकने वाली पात्र सेवा के रूप में माना जाएगा।

(2) पेंशन योग्य वेतन, पेंशन निधि में सदस्यता की सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन होगा, चाहे वह समय-दर या कार्य-दर के आधार पर।

(3) भारत और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार, जिसने नियोजन छोड़ने की तारीख से या अधिवर्षिता की आयु होने तक जो भी पहले हो, पैरा 9 में विहित पात्र सेवा पूरी नहीं की है, वह उस सामाजिक सुरक्षा करार में दिए गए अनुसार पूर्णता फायदे का पात्र होगा:

परंतु यदि उक्त करार के उपबंध के अधीन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार ने उक्त करार में दिए गए अनुसार समग्रीकरण फायदे को शामिल करने के पश्चात भी पात्र सेवा पूरी नहीं की है, तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार सारणी '4' में दिए गए प्रत्याहरण फायदे का पात्र होगा।

परंतु सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार प्रत्याहरण फायदे प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा, जब अंतिम अभिदाय संदेय होने की तारीख से छत्तीस मास पूरे हो गए हों, या जब वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ले, इसमें से जो भी पूर्वतर हो।

(4) (i) आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से, इस स्कीम के अधीन पेंशन और अन्य फायदों के लिए वितरण अभिकरणों जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक सहित डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या कोषागार या अनुसूचित बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से व्यवस्था करेगा।

(ii) वितरण अभिकरणों को संदेय कमीशन और उससे संबंधित अन्य प्रभारों का वहन इस स्कीम के पैरा 21 में दिए गए उपबंध के अनुसार किया जाएगा।

परंतु यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही भारत और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन आता है, तो इस स्कीम के अधीन पेंशन और अन्य फायदों का वितरण उक्त करार में विनिर्दिष्ट रीति और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(5) आयुक्त, भारत सरकार और किसी अन्य देश के बीच हुए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंपे गए ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन, उसमें दी गई रीति और विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेंगे।

### सारणी – 1

[पैरा 13(1) और 32(1)(i) देखिए]

(प्रत्याहरण फायदा)

संदत अभिदाय के पूर्ण वर्षों की संख्या	सदस्यता समाप्त होने पर संदेय मजदूरी का अनुपात
(1)	(2)
1	0.2
2	0.41
3	0.62

4	0.84
5	1.06
6	1.29
7	1.51
8	1.75
9	1.98
10	2.23
11	2.47
12	2.72
13	2.98
14	3.24
15	3.51
16	3.78
17	4.05
18	4.34
19	4.62
20	4.92
21	5.21
22	5.52
23	5.83
24	6.14
25	6.46
26	6.79

27	7.12
28	7.46
29	7.81
30	8.16
31	8.52
32	8.89
33	9.26
34	9.64
35	10.03
36	10.43
37	10.83
38	11.24
39	11.66
40	12.08

सारणी – 2

[पैरा 12(3), 13(1), 32(1)(i) देखिए ]

(नियोजन छोड़ने पर विद्यमान सदस्यों के लिए समाप्त पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पिछली सर्विस के फायदा की गणना के लिए गुणक)

(1)	(2)
वर्ष	गुणक
1 से कम	1.039
2 से कम	1.122
3 से कम	1.212

4 से कम	1.309
5 से कम	1.413
6 से कम	1.526
7 से कम	1.649
8 से कम	1.781
9 से कम	1.923
10 से कम	2.077
11 से कम	2.243
12 से कम	2.423
13 से कम	2.616
14 से कम	2.826
15 से कम	3.052
16 से कम	3.296
17 से कम	3.560
18 से कम	3.845
19 से कम	4.152
20 से कम	4.485
21 से कम	4.843
22 से कम	5.231
23 से कम	5.649
24 से कम	6.101
25 से कम	6.589
26 से कम	7.117
27 से कम	7.686

28 से कम	8.301
29 से कम	8.965
30 से कम	9.682
31 से कम	10.487
32 से कम	11.294
33 से कम	12.197
34 से कम	13.173
35 से कम	14.2271
36 से कम	15.36555
37 से कम	16.59509
38 से कम	17.92303
39 से कम	19.35722
40 से कम	20.90618
41 से कम	22.57909
42 से कम	24.38586]

## सारणी - 3

[पैरा 15(2)(क)(i) और 15(2)(क)(ii) देखें]

(समतुल्य विधवा पेंशन)

मृत्यु के दिन मजदूरी इससे अधिक नहीं (1)	समतुल्य विधवा पेंशन (2)
(रुपए)	(रुपए)
300 तक	250
350	327
400	343

450	359
500	375
550	391
600	408
650	425
700	442
750	459
800	476
850	493
900	510
950	527
1000	544
1050	561
1100	578
1150	595
1200	612
1250	629
1300	646
1350	664
1400	682
1450	700
1500	718
1550	736
1600	754

1650	772
1700	797
1750	808
1800	826
1850	844
1900	862
1950	880
2000	898
2050	916
2100	935
2150	954
2200	973
2250	992
2300	1011
2350	1030
2400	1049
2450	1068
2500	1087
2550	1106
2600	1125
2650	1144
2700	1163
2750	1182
2800	1201

2850	1221
2900	1241
2950	1261
3000	1281
3050	1301
3100	1321
3150	1341
3200	1361
3250	1381
3300	1401
3350	1421
3400	1441
3450	1461
3500	1481
3550	1501
3600	1521
3650	1541
3700	1561
3750	1581
3800	1601
3850	1621
3900	1641
3950	1661
4000	1681

4050	1701
4100	1721
4150	1741
4200	1751
4250	1761
4300	1771
4350	1781
4400	1791
4450	1801
4500	1811
4550	1821
4600	1831
4650	1841
4700	1851
4750	1861
4800	1871
4850	1881
4900	1891
4950	1896
5000	1901
5050	1906
5100	1911
5150	1916
5200	1921

5250	1926
5300	1931
5350	1936
5400	1941
5450	1946
5500	1951
5550	1956
5600	1961
5650	1966
5700	1971
5750	1976
5800	1981
5850	1986
5900	1991
5950	1996
6000	2001
6050	2006
6100	2011
6150	2016
6200	2021
6250	2026
6300	2031
6350	2036
6400	2041

6450	2046
6500	2051.]
[6,550	2,056
6,600	2,061
6,650	2,066
6,700	2,071
6,750	2,076
6,800	2,081
6,850	2,086
6,900	2,091
6,950	2,096
7,000	2,101
7,050	2,106
7,100	2,111
7,150	2,116
7,200	2,121
7,250	2,126
7,300	2,131
7,350	2,136
7,400	2,141
7,450	2,146
7,500	2,151
7,550	2,156
7,600	2,161

7,650	2,166
7,700	2,171
7,750	2,176
7,800	2,181
7850	2,186
7,900	2,191
7,950	2,196
8,000	2,201
8,050	2,206
8,100	2,211
8,150	2,216
8,200	2,221
8,250	2,226
8,300	2,231
8,350	2,236
8,400	2,241
8,450	2,246
8,500	2,251
8,550	2,256
8,600	2,261
8,650	2,266
8,700	2,271
8,750	2,276
8,800	2,281

8,850	2,286
8,900	2,291
8,950	2,296
9,000	2,301
9,050	2,306
9,100	2,311
9,150	2,316
9,200	2,321
9,250	2,326
9,300	2,331
9,350	2,336
9,400	2,341
9,450	2,346
9,500	2,351
9,550	2,356
9,600	2,361
9,650	2,366
9,700	2,371
9,750	2,376
9,800	2,381
9,850	2,386
9,900	2,391
9,950	2,396
10,000	2,401

10,050	2,406
10,100	2,411
10,150	2,416
10,200	2,421
10,250	2,426
10,300	2,431
10,350	2,436
10,400	2,441
10,450	2,446
10,500	2,451
10,550	2,456
10,600	2,461
10,65b	2,466
10,700	2,471
10,750	2,476
10,800	2,481
10,850	2,486
10,900	2,491
10,950	2,496
11,000	2,501
11,050	2,506
11,100	2,511
11,150	2,516
11,200	2,521

11,250	2,526
11,300	2,531
11,350	2,536
11,400	2,541
11,450	2,546
11,500	2,551
11,550	2,556
11,600	2,561
11,650	2,566
11,700	2,571
11,750	2,576
11,800	2,581
11,850	2,586
11,900	2,591
11,950	2,596
12,000	2,601
12,050	2,606
12,100	2,611
12,150	2,616
12,200	2,621
12,250	2,626
12,300	2,631
12,350	2,636
12,400	2,641

12,450	2,646
12,500	2,651
12,550	2,656
12,600	2,661
12,650	2,666
12,700	2,671
12,750	2,676
12,800	2,681
12,850	2,686
12,900	2,691
12,950	2,696
13,000	2,701
13,050	2,706
13,100	2,711
13,150	2,716
13,200	2,721
13,250	2,726
13,300	2,731
13,350	2,736
13,400	2,741
13,450	2,746
13,500	2,751
13,550	2,756
13,600	2,761

13,650	2,766
13,700	2,771
13,750	2,776
13,800	2,781
13,850	2,786
13,900	2,791
13,950	2,796
14,000	2,801
14,050	2,806
14,100	2,811
14,150	2,816
14,200	2,821
14,250	2,826
14,300	2,831
14,350	2,836
14,400	2,841
14,450	2,846
14,500	2,851
14,550	2,856
14,600	2,861
14,650	2,866
14,700	2,871
14,750	2,876
14,800	2,881

14,850	2,886
14,900	2,891
14,950	2,896
15,000 या अधिक	2,901.

## सारणी - 4

[पैरा 13 (1) और 36 (3) देखें]

रोजगार निकास पर अभिदाय की वापसी

सेवा के मास	निकास पर मजदूरी का अनुपात
1	0.08
2	0.17
3	0.25
4	0.33
5	0.42
6	0.51
7	0.60
8	0.68
9	0.77
10	0.85
11	0.94
12	1.02
13	1.10

14	1.18
15	1.26
16	1.34
17	1.42
18	1.51
19	1.59
20	1.67
21	1.75
22	1.83
23	1.91
24	1.99
25	2.07
26	2.16
27	2.24
28	2.32
29	2.40
30	2.49
31	2.57
32	2.65
33	2.73

34	2.82
35	2.90
36	2.98
37	3.06
38	3.15
39	3.23
40	3.32
41	3.40
42	3.49
43	3.57
44	3.65
45	3.74
46	3.82
47	3.91
48	3.99
49	4.08
50	4.16
51	4.25
52	4.33
53	4.42

54	4.51
55	4.59
56	4.68
57	4.76
58	4.85
59	4.93
60	5.02
61	5.11
62	5.20
63	5.28
64	5.37
65	5.46
66	5.55
67	5.63
68	5.72
69	5.81
70	5.90
71	5.98
72	6.07
73	6.16

74	6.25
75	6.34
76	6.42
77	6.51
78	6.60
79	6.69
80	6.78
81	6.87
82	6.95
83	7.04
84	7.13
85	7.22
86	7.31
87	7.40
88	7.49
89	7.58
90	7.68
91	7.77
92	7.86
93	7.95

94	8.04
95	8.13
96	8.22
97	8.31
98	8.41
99	8.50
100	8.59
101	8.68
102	8.78
103	8.87
104	8.96
105	9.05
106	9.15
107	9.24
108	9.33
109	9.33
110	9.33
111	9.33
112	9.33
113	9.33.]

**सारणी – 5**  
**[पैरा 32(1)(ii) देखिए]**

(कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 से छूट प्राप्त या अन्य पेंशन निधि में अंशदान का अंतरण और इसके विपरीत)

पूरे वर्ष की अंशदान अवधि की संख्या	अंतिम अंशदान मास में देय मजदूरी का अनुपात
1	0.987
2	1.998
3	3.033
4	4.093
5	5.178
6	6.289
7	7.426
8	8.590
9	9.782
10	11.003
11	12.252
12	13.531
13	14.841
14	16.182
15	17.554
16	18.960
17	20.399
18	21.872
19	23.380
20	24.924

21	26.505
22	28.123
23	29.780
24	31.477

प्ररूप-1

(पैरा 31 देखें)

छूट प्राप्त स्थापनाओं / स्थापनाओं के वर्ग / न्यासी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण।

<b>1. स्थापना का विवरण:</b>				
(क)	स्थापना का नाम व पूरा पता			
(ख)	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आवंटित कोड संख्या			
<b>2. कर्मचारियों का विवरण (सभी शाखाओं / ईकाइयों आदि सहित)</b>				
(क)	पिछले मास के अंत तक कर्मचारियों की संख्या			
(ख)	मास के दौरान नियोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या			
(ग)	मास के दौरान सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या			
(घ)	मास के अंत तक कर्मचारियों की संख्या [[क) + (ख) - (ग)]			
(ङ)	उपर्युक्त (घ) में से, अपवर्जित कर्मचारियों की संख्या			
(च)	मास के अंत में पेंशन निधि सदस्यों की संख्या [ विभिन्न स्थानों पर स्थित इकाईवार उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करें। यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें।]			
<b>3. न्यासी बोर्ड का गठन</b>				
(क)	वर्तमान बोर्ड के गठन की तारीख	दिन	मास	वर्ष
(ख)	बोर्ड का कार्यकाल			वर्ष
(ग)	न्यासियों की कुल संख्या			
	(i)	कर्मचारियों के प्रतिनिधि		
	(ii)	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		
<b>4. मजदूरी, अंशदान, आदि</b>				
(क)	पेंशन अंशदान के लिए उत्तरदायी सकल वेतन की राशि	रु.		
(ख)	पेंशन निधि के अंशदान की दर		%	

(ग)	चालू मास के लिए हस्तांतरित की जाने वाली पेंशन अंशदान की राशि	रु.
(घ)	पिछले मास के अंत में न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित की जाने वाली बकाया राशि, यदि कोई हो	रु.
(ङ)	(ग) व (घ) का योग	रु.
(च)	न्यासी बोर्ड को वास्तव में हस्तांतरित की गई राशि	रु.
(छ)	न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करने हेतु देय राशि, यदि कोई हो [(ङ)-(च)]	रु.
(ज)	क्या निधि के विलंबित हस्तांतरण के लिए संहिता की धारा 127 के तहत देय ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान किया गया है?	हाँ नहीं
(झ)	मास के अंत में भुगतान योग्य ब्याज की राशि	रु.
<b>5. पेंशन भोगियों का विवरण</b>		
(क)	मास के अंत में पेंशन भोगियों की संख्या	
	(i) सदस्य (स्वयं) पेंशनभोगी	
	- सेवानिवृत्ति पेंशन	
	- समय पूर्व पेंशन	
	- दिव्यांग पेंशन	
	(ii) जीवनसाथी पेंशनभोगी	
	- सेवा के दौरान मृत्यु	
	- सेवा छोड़ने के बाद मृत्यु	
	- पेंशनभोगी के रूप में मृत्यु	
	(iii) संतान पेंशनभोगी	
	- सामान्य संतान	
	- दिव्यांग संतान (जीवनपर्यंत पेंशन)	
	(iv) अनाथ पेंशनभोगी	
	(v) नामिति पेंशनभोगी	
	(vi) आश्रित माता-पिता पेंशनभोगी	
(ख)	मास के दौरान भुगतान की गई पेंशन की कुल राशि	रु.
<b>6. निकासी मामलों का विवरण</b>		
(क)	मास के दौरान निकासी लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	
(ख)	मास के दौरान भुगतान की गई राशि	रु.
	निकासी मामलों की संख्या जहां योजना प्रमाणपत्र जारी किए गए।	

7. निवेश का विवरण		
(क)	मास की शुरुआत में पेंशन निधि में निवेशित राशि	रु.
(ख)	मास के दौरान प्राप्त राशि	
	(i) नियोजक के अंशदान के रूप में	
	चालू मास	रु.
	बकाया, यदि कोई हो	रु.
	(ii) परिपक्व प्रतिभूतियों/जमाओं का नकदीकरण	रु.
	(iii) निवेश पर ब्याज/लाभांश	रु.
	(iv) अन्य अंतः अंतरित-मामले	रु.
	(v) नुकसानी, यदि कोई हो	रु.
	(vi) विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो	रु.
(vii) विविध, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)	रु.	
(ग)	मास के दौरान किए गए भुगतान	रु.
(घ)	मास के दौरान निवेश की गई राशि	रु.
प्रतिभूतियाँ		
	- केंद्रीय सरकार	रु.
	- राज्य सरकार	रु.
	-अन्य, यदि कोई हो	रु.
जमा		
	- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बैंक	रु.
(ड)	क्या निवेश पैटर्न का अनुसरण किया गया?	हाँ नहीं
(च)	यदि हां, तो प्रतिशत को वर्गीकृत करें।	
	(i) प्रतिभूतियाँ	
	केंद्र सरकार	%
	राज्य सरकार	%
	अन्य	%
	(ii) जमा	
	- सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बैंक	%
	(iii) जीवन बीमा निगम से खरीदी गई वार्षिकी	रु.
(छ)	नकद/बैंक में बिना निवेश की हुई राशि	रु.
8. संवितरण का तरीका [एक विकल्प चुने]		
	- बैंक के माध्यम से	
	- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से	

	- एलआईसी के माध्यम से वार्षिकी खरीदकर	
	- अन्य, यदि कोई हो, (कृपया निर्दिष्ट करें)	
<b>9. स्थापना के पेंशन निधि के नियम</b>		
	मास के दौरान नियमों को सांविधिक पेंशन योजना (कर्मचारी पेंशन योजना, 2026) के समकक्ष बनाने के लिए यदि कोई संशोधन किया गया है, तो उसका विवरण।	

तारीख

बोर्ड के न्यासी/नियोजक के आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर

[फा.सं. एस-35025/25/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2026

**G.S.R. 527(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 and the Employees' Pension Scheme, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. **Short title, commencement and application.** - (1) This Scheme may be called the Employees' Pension Scheme, 2026.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
  - (3) Subject to the provisions of section 20 of the Code on Social Security, 2020, this Scheme shall apply to the employees of all establishments to which the provisions of Chapter III apply under sub-section (4) or are applied under sub-section (5) or sub-section (6) or sub-section (8) of section 1 of the Code on Social Security, 2020.
2. **Definitions.** - (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires;
  - (a) " actual service " means the aggregate of period of service rendered from the 16<sup>th</sup> November, 1995 or from the date of joining any establishment whichever is later to the date of exit from the employment of the establishment covered under the Code;

- (b) "Code" means Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (c) "Commissioner " means a Central Provident Fund Commissioner, an Additional Central Provident Fund Commissioner, a Deputy Provident Fund Commissioner, a Regional Provident Fund Commissioner and an Assistant Provident Fund Commissioner appointed under section 14 of the Code;
- (d) "contributory service" means the period of actual service rendered by a member for which the contributions to the fund have been received or are receivable;
- (e) " eligible family " means –
  - (i) wife in the case of male member;
  - (ii) husband in the case of a female member; and
  - (iii) sons and daughters of a member

**Explanation.** - The expression " sons " and " daughters " shall include children legally adopted by the member;

- (f) " existing member " means an employee who is a member of the Employees' Family Pension Scheme,1971;
- (g) "International Worker" means—
  - (i) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian Passport, working for an establishment in India, to which the Code applies;
  - (ii) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement:

Provided that the worker, who is a Nepalese national on account of Treaty of Peace and Friendship of 1950 and the worker who is a Bhutanese national on account of India-Bhutan Friendship Treaty of 2007, shall be deemed to be an Indian worker;

- (h) " member " means an employee who becomes a member of the Pension Fund;
 

**Explanation.** - An employee shall cease to be the member of the Pension Fund from the date of superannuation or from the date of vesting admissible benefits under the Scheme, whichever is earlier;
- (i) " non-contributory service " is the period of actual service rendered by a member for which no contribution to the Pension Fund has been received or is receivable;
- (j) " orphan " means a person whose parents are not alive;

- (k) " past service " means the period of service rendered by an existing member from the date of joining the Employees' Family Pension Fund till the 15<sup>th</sup> November, 1995;
- (l) " pension " means the pension payable under the Employees' Pension Scheme, 2026 and includes the pension admissible and payable under the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees' Family Pension Scheme, 1971 immediately preceding the commencement of this Scheme;
- (m) "Scheme" means the Employees' Pension Scheme, 2026;
- (n) "Table" means a table appended to this Scheme;
- (o) "wage ceiling period" means the period during which particular wage ceiling was applicable.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this Scheme, shall have the same meaning as assigned to them in the Code and the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

3. **Pension Fund Account.** -The erstwhile Employees' Pension Fund Account under Employees' Pension Scheme, 1995 shall continue to be maintained as the Pension Fund Account under this Scheme.
4. **Pension Fund.** - (1) From and out of the contributions payable by the employer in each month under clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Code or under the rules of the Provident Fund of the establishment which is exempted under section 143 of the Code, a part of contribution of eight and thirty-three hundredths per cent. of the wages of employee up to wage ceiling notified by the Central Government, shall be remitted by the employer to the Pension Fund within fifteen days of the close of every month in the account of the Central Board and the cost of the remittance, if any, shall be borne by the employer.

(2) The Central Government shall contribute to the Scheme at the rate of one and sixteen hundredths per cent. of the pay of the members of the Employees' Pension Scheme, limited to such sum as may be specified by the Central Government :

Provided that where the wage of the member exceeds the wage ceiling notified by the Central Government, the contribution payable by the employer and the Central Government shall be limited to the amount payable on wages up to such wage ceiling :

Provided further that with effect from 1st of September, 2014, in respect of members who have exercised joint option for contributing under the provisions of paragraph 11 of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 and are found eligible, the contribution of the employer shall be nine and forty-nine hundredths per cent. of the wages of each member by increasing it by one and sixteen hundredths per cent. from the extant eight and thirty-

three hundredths per cent. and such increased contribution shall be applicable to wages exceeding fifteen thousand rupees per month.

(3) Each contribution payable under sub-paragraphs (1) and (2) shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise being ignored.

(4) The net assets of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 shall vest in and stand transferred to the Pension Fund.

5. **Payment of contribution.** - (1) The employer shall pay the contribution payable to the Pension Fund in respect of each member employed by such employer, whether directly or through a contractor.

(2) It shall be the responsibility of the principal employer to pay the contributions payable to the Pension Fund.

6. **Recovery of damages for default in payment of any contributions.** - Where any employer makes default in the payment of contribution to the Pension Fund or in the payment of any charges payable under any provisions of the Code or this Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officers as may be authorised in this behalf, may levy and recover from the employer, by way of penalty, damages at the rates specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

7. **Membership of Employees' Pension Scheme.** - (1) This Scheme shall apply to every employee –

- (i) who, on or after the date of notification of this Scheme, becomes a member of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or the Provident Fund of the establishment which is exempted under section 143 of the Code and whose wages on such date is less than or equal to wage ceiling notified by the Central Government;
- (ii) who has been a member of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 or was entitled to become a member of the Employees' Pension Scheme, 1995 or Employees' Family Pension Scheme, 1971 before the date of commencement of this Scheme.

**Explanation.** - An employee shall cease to be the member of Pension Fund from the date on attaining the age of superannuation or from the date of vesting admissible benefits under this Scheme, whichever is earlier.

(2) A member of the Pension Fund shall continue to be such member until the earliest of the following events, namely:—

- (a) attainment of age of superannuation;
- (b) availing of the withdrawal benefit under paragraph 13;
- (c) death of the member;

(d) vesting of pension in the member under paragraph 12.

8. **Resolution of doubts.** - Where a doubt arises as to whether an employee is entitled to become a member of the Pension Fund, the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner, who shall decide the same:

Provided that both the employer and the employee shall be afforded an opportunity of being heard before passing the final order in the matter.

9. **Determination of eligible service.** - (1) In the case of a member other than an existing member, the contributory service shall be treated as eligible service and the total contributory service shall be rounded off to the nearest year, with a fraction of service of six months or more shall be treated as one year and the service less than six months shall be ignored.

**Explanation.** - In the case of employees employed seasonally in any establishment, the period of contributory service in any year, notwithstanding that such service is less than a year, shall be treated as a full year.

(2) In the case of the existing member the aggregate of contributory service and the past service shall be treated as eligible service:

Provided that where any period in the past service is one in respect of which the contributions towards the Family Pension Scheme, 1971 has not been received, the said period shall count as eligible service if the contributions thereof have been received in the Pension Fund.

**Explanation.** - For the purposes of this paragraph, any aggregate of contributory service and past service of less than six months shall be ignored and six months or more shall be rounded off to one year.

10. **Determination of pensionable service.** - (1) The pensionable service of the member shall be determined with reference to the contributions received or receivable in the Pension Fund.

(2) Where the member who superannuates on attaining the age of superannuation and who has rendered twenty years of pensionable service or more, the pensionable service shall be increased by adding a weightage of two years.

11. **Determination of pensionable wages.** - (1) The pensionable wages shall be the average monthly wages drawn, whether on time-rate or on piece-rate basis, during the contributory period of service in the span of sixty months immediately preceding the date of exit from the membership and the pensionable wages shall be determined on a *pro rata* basis for every wage ceiling:

Provided that these shall be subject to the maximum of wage ceiling applicable to each of such period:

Provided further that where a member was not in receipt of full wages during the said period of sixty months, the average of the full wages drawn during the preceding sixty months, for which contribution to the Pension Fund was recovered, shall be considered as pensionable wages for calculating pension.

(2) Where, during the said span of sixty months, there are non-contributory periods of service, including cases where wages drawn during the span of sixty months shall be divided by the actual number of days for which wages were drawn and the amount so derived shall be multiplied by thirty to determine the average monthly wages.

(3) The maximum pensionable wages shall be limited to the notified wage ceiling per month.

12. **Monthly pension.** - (1) A member shall be entitled to-

- (i) superannuation pension, where the member has rendered eligible service of not less than ten years and retires on attaining the age of superannuation;
- (ii) early pension, where the member has rendered eligible service of not less than ten years and retires or otherwise ceases to be in the employment before attaining the age of superannuation.

(2) Where a member other than an existing member, the amount of monthly superannuation pension or early pension, as the case may be, shall be computed in accordance with the following formula: -

$$\text{Monthly member's pension} = \frac{(\text{Pensionable wages X Pensionable service})}{70}$$

Provided that the monthly pension of a member shall be determined on a *pro rata* basis for every wage ceiling period.

Provided further that pensionable wages shall be subject to a maximum of the wage ceiling applicable to each such period.

(3) Where an existing member in respect of whom the date of commencement of pension is after the 16<sup>th</sup> November, 2005, superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of,—

- (a) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of pensionable service rendered from the 16<sup>th</sup> November, 1995 or six hundred and thirty-five rupees per month, whichever is more;
- (b) past service pension payable on completion of superannuation as specified in sub-section (82) of section 2 of the Code on the 16<sup>th</sup> November, 1995, shall be as given as provided in the table below,—

**Table**

Sl. No.	Years of past service	Wages upto Rs. 2500/- per month	Wages more than Rs. 2500/- per month
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	upto 11 years	80	85
(ii)	more than 11 years but upto 15 years	95	105
(iii)	more than 15 years but less than 20 years	120	135
(iv)	beyond 20 years	150	170

Note:

the amount specified in column (3) or (4) of the table, as the case may be, shall be multiplied by

- (i) the factor given in Table - II corresponding to the period between the 16<sup>th</sup> November, 1995 and the date of exit to arrive at past service pension payable;
- (ii) the aggregate of clauses (a) and (b) calculated under this sub-paragraph shall be subject to a minimum of eight hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that if it is less than twenty-four years, the pension as computed above shall be reduced proportionately subject to a minimum of four hundred and fifty rupees per month.

(4) In the case of an existing member and in respect of whom the date of commencement of pension is between the 16<sup>th</sup> November, 2000 and the 16<sup>th</sup> November, 2005,—

- (a) superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of,—
  - (i) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of service rendered from the 16<sup>th</sup> November, 1995 or four hundred and thirty-eight rupees per month, whichever is more;
  - (ii) past service pension as provided in sub- paragraph (3).

- (b) the aggregate clauses of (a) and (b) calculated under sub-paragraph (3) shall be subject to a minimum of six hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that if it is less than twenty-four years, the pension shall be proportionately reduced subject to a minimum of three hundred and twenty-five rupees per month.

(5) In the case of an existing member and in respect of whom the date of commencement of pension is before the 16<sup>th</sup> November, 2000,—

- (a) the superannuation or early pension shall be equal to the aggregate of—
  - (i) pension as determined under sub-paragraph (2) for the period of service rendered from the 16<sup>th</sup> November, 1995 or three hundred and thirty-five rupees per month, whichever is more;
  - (ii) past service pension as provided in sub-paragraph (3).
- (b) The aggregate of sub-clauses (i) and (ii) calculated as above shall be subject to a minimum of five hundred rupees per month:

Provided that the eligible service is twenty-four years:

Provided further that it is less than twenty-four years, the pension shall be proportionately reduced but subject to the minimum of two hundred and sixty-five rupees per month.

(6) Except as otherwise expressly provided hereinafter the monthly pension under sub-paragraphs (2) to (5) shall be payable from a date immediately following the date of completion of the age of superannuation, even if the member has retired or ceased to be in the employment before that date.

(7) A member may be allowed to draw an early pension from a date earlier than the age of superannuation, but not earlier than fifty years of age, and the amount of pension shall be reduced at the rate of four per cent., for every year the age falls short of age of superannuation.

(8) the member's monthly pension including any relief payable to any existing or future member under this paragraph, shall not be less than one thousand rupees.

Provided that, on and from the first day of September, 2014, the minimum pension of one thousand rupees payable under this sub-paragraph shall be subject to –

- (i) deductions on account of benefits of commutation and return of capital taken by members under the provisions of the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995 prior to 26<sup>th</sup> September, 2008; and
- (ii) deductions on account of early pension under sub-paragraph (7).

(9) (a) A member who has attained the age of superannuation and is otherwise eligible for pension under clause (a) of sub-paragraph (1) may be allowed to defer the age of drawing pension later than the age of superannuation, but not beyond sixty years of age.

(b) In such cases as is referred to in clause (a), -

- (i) the amount of pension shall be increased at the rate of four per cent. for every completed year after the age of superannuation subject to the wage ceiling under the proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 4;

- (ii) the member, at their option, may be allowed to continue contributions under paragraph 4 to the Pension Fund for the period for which the drawing of pension has been deferred, if the member is continuing in employment after the age of superannuation and the pensionable service and pensionable wages for the purpose of determining the pension under sub-paragraph (2) shall include such contributions, but not beyond the age of sixty years;
- (iii) where a member who has opted to defer the withdrawal of pension dues after attaining the age of superannuation and before the commencement of the deferred pension, the eligible family shall be entitled to pension under clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 15 from the date of death of the member, as if the member's monthly pension had commenced on the date of death.

(10) Where a member ceases to be in the employment by way of retirement or otherwise before the age of superannuation, -

- (i) the member may, on option, either-
  - (a) be paid pension as admissible under this Scheme on attaining an age exceeding fifty years; or
  - (b) be issued a scheme certificate by the Commissioner indicating the pensionable service, the pensionable wages and the amount of pension due on the date of exit from the employment.

(11) Where such a member is subsequently employed in an establishment covered under this Scheme, the earlier service as recorded in the scheme certificate shall be reckoned together with the fresh spell of pensionable service.

(12) A member postponing the commencement of pension under this paragraph shall be entitled to such additional relief as may be sanctioned under this Scheme:

Provided that-

- (a) Where a member does not take up an employment covered under this Scheme and has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of superannuation and before a continuous period of thirty-six months has elapsed during which contributions have not been received in respect of the member in the Pension Fund, the amount of contributions received in this case shall be converted into a monthly widow pension or children's pension and the widow pension in such cases shall be calculated at the scale laid down in Table - III and the children's pension at twenty-five per cent. thereof for each child;

- (b) Where there is no widow, an orphan pension shall be payable at the rate of seventy-five per cent. of the amount which would have been payable as a widow pension, subject to the provisions of the paragraph 15;
- (c) Where the member does not take up an employment covered under this Scheme and has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit, but dies before attaining the age of superannuation after a continuous period of thirty-six months has elapsed during which no contributions have been received in respect of the member in the Pension Fund, the eligible family shall be entitled to benefits under paragraph 13.

**13. Benefits on leaving service before being eligible for pension.** - (1) Where a member has not rendered the eligible service specified in sub-paragraph (1) of paragraph 12, on the date of exit, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier, such member shall be entitled to a withdrawal benefit as laid down in Table-IV or may opt to receive the scheme certificate, provided the member has not attained the age of superannuation:

Provided that for the purpose of calculating the withdrawal benefit, the wages at exit shall be the weighted average of wages at the end of every wage ceiling period:

Provided further that an existing member shall receive additional return of contributions for past service under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, computed as withdrawal-cum-retirement benefits as per Table-I multiplied by the factor given in Table-II:

Provided also that in the case of exit from service before attaining the age of superannuation, the member shall become eligible to avail the withdrawal benefit only after the lapse of thirty-six months from the date on which the last contribution became due or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier.

**14. Benefits on permanent and total disablement.** - (1) Where a member becomes permanently and totally disabled during the course of employment, such a member shall be entitled to pension as admissible under paragraph 12, subject to a minimum of two hundred and fifty rupees per month, notwithstanding the fact that the member has not rendered the pensionable service required under paragraph 12:

Provided that the member has made at least one month's contribution.

(2) The monthly pension payable under sub-paragraph (1) shall commence from the date immediately following the date of the permanent total disablement and shall continue for the lifetime of the member.

(3) A member claiming benefits under this paragraph shall undergo such a medical examination as may be specified by the Central Board, for the purpose of determining whether the member is permanently and totally unfit for the employment which the member was performing at the time of disablement.

15. **Benefits on death of member.** - (1) Pension to the eligible family shall be admissible from the date immediately following the date of death of the member, where the member dies-

(a) while in service;

Provided that at least one month's contribution has been paid into the Pension Fund; or

(b) after the date of exit but before attaining the age of superannuation, having rendered service entitling the member to a monthly pension but before the commencement of the pension payment; or

(c) after the commencement of payment of the monthly pension.

Explanation.— For the purpose of this sub-paragraph, where a member has rendered less than ten years of eligible service on the date of exit but has retained the membership of the Pension Fund and dies before attaining the age of superannuation, such cases shall be regulated under clause (a) of sub-paragraph (12) of paragraph 12.

(2) (a) The monthly widow pension shall be -

(i) in cases under clause (a) of sub-paragraph (1), equal to the monthly pension which would have been admissible if the member had retired on the date of death or four hundred and fifty rupees per month or the amount indicated in Table-III whichever is higher;

(ii) in cases under clause (b) of sub-paragraph (1), equal to the monthly pension which would have been admissible as if the member had retired on the date of exit or four hundred and fifty rupees per month or the amount indicated in Table-III whichever is higher;

(iii) in cases under clause (c) of sub-paragraph (1), equal to fifty per cent. of the monthly pension payable to the member on the date of his death subject to a minimum of four hundred and fifty rupees per month;

(iv) in cases where the amount of family pension sanctioned under the Family Pension Scheme, 1971 and payable under this Scheme is less than four hundred and fifty rupees per month, such pension shall be enhanced to four hundred and fifty rupees per month;

- (v) in cases, where the monthly widow pension including relief, if any, is less than one thousand rupees per month, such pension shall be enhanced to one thousand rupees per month.

- (b) The monthly widow pension shall be payable upto the date of death of the widow or her remarriage, whichever is earlier.

Explanation.— For the purpose of this sub-paragraph, where there are two or more widows, the pension shall be payable to the eldest surviving widow and upon her death, to the next surviving widow, if any, and the term "eldest" shall mean seniority with reference to the date of marriage.

- (3) The monthly children's pension-

- (a) any surviving child of the deceased member, falling within the definition of eligible family, shall be entitled to a monthly children's pension in addition to the widow or widower pension.
- (b) the monthly children's pension for each child shall be equal to twenty-five per cent. of the amount admissible to the widow under clause (a) of sub- paragraph (2):

Provided that the minimum monthly children's pension, including relief, if any, shall not be less than two hundred and fifty rupees per child.—

- (i) shall be payable until the child attains the age of twenty-five years;
- (ii) shall be admissible to a maximum of two children at a time, in order from eldest to youngest;
- (iii) where a deceased member leaves behind a son or daughter who is permanently and totally disabled, such a child shall be entitled to monthly children pension or orphan pension, as the case may be, irrespective of age and the number of children in the family, in addition to the pension under clause (ii).

(4)(a) Where deceased member is not survived by any widow, but is survived by children falling within the definition of eligible family and where the widow pension is not payable, the children shall be entitled to a monthly orphan pension equal to seventy-five percent of the monthly widow pension under clause (a) of sub-paragraph (2):

Provided that the minimum monthly orphan pension including relief, if any, shall not be less than seven hundred and fifty rupees per orphan;

- (b) an orphan pension shall be payable to each orphan until the beneficiary attains the age of twenty-five years:

Provided that the pension shall continue beyond twenty-five years, if the beneficiary is suffering from mental disorder or physical disability;

- (c) in the event of death or remarriage of the widow or widower after sanctioning of widow or widower pension, the children shall be entitled, in lieu of the children pension, to an orphan pension from the date following the date of such death or remarriage;
- (d) an orphan pension shall be admissible to a maximum of two orphans at a time, in order from the eldest to youngest.

(5) (a) A member who is unmarried or without a spouse or an eligible child may nominate a person to receive the benefits:

Provided that upon subsequently acquiring an eligible family, such nomination shall become void:

Provided further that on death of the member, the nominee shall be entitled to monthly pension equal to widow pension, as admissible under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub- paragraph (2);

- (b) where a member dies leaving behind no spouse or eligible child and no nomination exists, the widow pension under sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-paragraph (2) shall be payable to the dependent father or dependent mother, as the case may be and on the grant of pension to the father and upon his death, pension shall be extended to the surviving mother for life;
- (c) where the deceased member had not rendered pensionable service on the date of exit entitling the member to monthly pension under paragraph 12, but had opted to retain the membership under sub- paragraph (8) of paragraph 12, the nominee or dependent father or mother, as the case may be, shall be entitled to withdrawal benefit under paragraph 12.

16. **Guarantee of pensionary benefits.** - No pensionary benefits under this Scheme shall be denied to any member or beneficiary on account of non-compliance with the requirements by the employer under sub-paragraph (1) of paragraph 4:

Provided that nothing contained in this paragraph shall absolve the employer from the liabilities imposed under this Scheme.

17. **Payment of pension.** - (1) The claims, complete in all respects and submitted along with the requisite documents, shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of its receipt by the Commissioner.

(2) Where there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within twenty days from the date of receipt of such an application.

(3) Where the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within twenty days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and interest at the rate of twelve per cent. per annum may be charged on the benefit amount, which may be deducted from the salary of the Commissioner.

18. **Duties of employer.** - (1) Every employer shall, within fifteen days of the application of this Scheme to the establishment, send to Commissioner a consolidated return as specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026, containing the details of employees required or entitled to become members of the Pension Fund, including wages paid to such employee:

Provided that where no employee is required or entitled to become a member of the Pension Fund, the employer shall file a 'Nil' return.

(2) Every employer shall make available electronically under due authentication, all registers and books of accounts relating to details of employees and payments made to them, maintained under any other law for the time being in force, for verification by the Inspector-cum-Facilitator appointed under sub-section (1) of section 122 of the Code during inspection of the establishment.

(3) Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Central Board may issue such directions to employers generally, as it may consider necessary or proper for the purpose of implementing this Scheme and it shall be the duty of every employer to comply with such directions.

(4) Every employer of an establishment shall maintain records and registers, electronically or otherwise, containing particulars with regard to persons employed, the muster roll, wages and such other details required under clause (a) of section 123 of the Code.

19. **Employer to furnish particulars of ownership.** - Every employer in relation to an establishment to which the Code and this Scheme applies or is applied shall furnish to the Commissioner, details of all the branches and departments, owners, occupiers, directors, partners, managers or any other person or persons who have the ultimate control over the affairs of such establishment.

20. **Investment of Pension Fund.** - (1) All moneys accruing to Pension Fund Account, other than the contributions of the Central Government, shall be invested in accordance with the provisions of paragraph 35 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(2) The assets of the Pension Fund already invested in the Public Account of the Government of India shall remain so invested.

(3) The future contributions of the Central Government accruing to the Pension Fund from 1<sup>st</sup> April, 2026 onwards shall be invested in the Public Account of the Government of India and the Central Government shall pay interest at a rate not less than eight and one-half per cent.

21. **Disposal of Fund.** - (1) Subject to the provisions of the Code and of this Scheme, the Pension Fund shall not, except with the prior sanction of the Central Government, be expended for any purpose other than.—

- (i) the payments envisaged in this Scheme;
- (ii) continued payment of benefits sanctioned under the erstwhile Employees' Pension Scheme, 1995, prior to the date of notification of this Scheme or sanctioned thereafter in respect of cases arising before 1<sup>st</sup> April, 2026; and
- (iii) continued payment of family pension, life assurance benefit and retirement-cum-withdrawal benefits sanctioned under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, prior to 16<sup>th</sup> November, 1995 or sanctioned thereafter in respect of cases arising before that date.

(2) All administrative expenses shall be met from the Central Administration Account as specified in paragraph 32 of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026:

Provided that the cost of remittance of pension shall be charged to the Pension Fund.

22. **Maintenance of accounts.** -The Central Board shall maintain, in respect of this Scheme, a consolidated income and expenditure account and a consolidated balance sheet, in the common format of annual accounts approved by the Central Government.

23. **Audit.** -The accounts of the Pension Fund, including the administrative expenses incurred in the operation of this Scheme, shall be audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

24. **Rounding up of benefits.** - All items of benefits shall be calculated to the nearest rupee, with fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and any fraction of a rupee less than fifty paise being ignored.

25. **Valuation of Pension Fund.** - (1) The Central Government shall have an annual valuation of the Pension Fund made by a valuer appointed by it.

(2) At any time, when the Pension Fund so permits, the Central Government may –

- (i) alter the rate of contributions payable under this Scheme;
- (ii) the scale of any benefit admissible under this Scheme; or
- (iii) the period for which such benefit may be given.

26. **Disbursement of pension and other benefits.** - (1) The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, enter into arrangements for the disbursement of pension and other benefits under this Scheme with disbursing agencies, including but not limited to the Post Office or nationalised banks or treasuries or scheduled banks including Regional Rural Banks or Co-operative Banks *through electronic or digital funds transfer system.*

(2) The Commission payable to the disbursing agencies and other charges incidental thereto shall be met in accordance with paragraph 21 of this Scheme.

27. **Registers, records, etc.** - The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, specify.—
- (i) the registers and records to be maintained in respect of the employees;
  - (ii) the form or design of any identity card, token or disc for the purpose of identifying any employee or nominee or a member of a family entitled to receive the pension; and
  - (iii) such other forms or formalities as may be required in connection with the grant or continuance of pension and other benefits, subject to such periodical verification as may be considered necessary.
28. **Annual report.** - The Central Board shall cause to be included in the Annual Report, the working of the Employees' Provident Fund Scheme, 2026, a report on the working of this Scheme during the previous financial year.
29. **Application of Employees' Provident Funds Scheme, 2026.** - In respect of matters for which there are no provisions in this Scheme, the corresponding provisions of the Employees' Provident Funds Scheme, 2026, shall apply.
30. **Exemption from operation of Scheme.** - (1) The appropriate Government may grant exemption to any establishment or class of establishments from the operation of this Scheme under section 143 of the Code, if the employees of the establishments-
- (i) are members of any other pension scheme;
  - (ii) are proposed to be members of a pension scheme providing pensionary benefits at par with or more favourable than, the benefits provided under this Scheme.
- (2) Where exemption is granted under sub-paragraph (1), the withdrawal benefits standing to the credit of the employees of such establishment under the Family Pension Scheme, 1971 or Employees' Pension Scheme 1995, shall, subject to the consent of the employees, be transferred to the pension fund of the establishment.
- (3) An application for exemption under this paragraph shall be presented to the Regional Provident Fund Commissioner having jurisdiction, together with a copy of the pension scheme of the establishment and other relevant documents, as may be called for.
- (4) The Regional Provident Fund Commissioner shall scrutinise the application, obtain the recommendations of the Central Provident Fund Commissioner and submit to the appropriate Government for decision.
- (5) Pending disposal of an application for exemption under this paragraph, the share of employer shall not be remitted to the Pension Fund as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 4.
- (6) An application for exemption shall be disposed of within a period of six months from the date of its receipt or with such further time as may be extended for reasons to be recorded in writing.

(7) Where the application for exemption is not disposed of within the period so specified, the exemption applied for shall be deemed to have been granted.

**Explanation.** - For the purpose of this paragraph, the period of six months shall be reckoned from the date on which the application for exemption is given in complete form to the satisfaction of the Regional Provident Fund Commissioner.

**31. Submission of return.** - The employer of the exempted establishment or class of establishments and the board of trustees of such exempted establishment or class of establishments, shall submit to the Commissioner a monthly return in the Form appended to this Scheme.

**32. Transfer value.**— (1) Where exemption is granted to any establishment or where a member is transferred from pension fund of one exempted establishment to another pension fund of exempted establishment or statutory pension fund or *vice-versa*, a transfer value payment shall be made consisting of -

- (i) withdrawal benefit relating to past service period up to 15<sup>th</sup> November, 1995, as per Table-I multiplied by the factors specified in Table-II for the period between 16<sup>th</sup> November, 1995 to the date of exemption or transfer, as the case may be; and
- (ii) transfer value for pensionable service as per Table-V, for the service rendered from 16<sup>th</sup> November, 1995 or from the date of joining the establishment, upto the date of exemption or transfer as the case may be.

(2) In the event of cancellation of exemption granted under paragraph 30, transfer of Fund shall be made in accordance with the conditions specified in the exemption notification.

**33. Information to Central Government.** -The Central Board shall furnish to the Central Government, from time to time, information in respect of the income and expenditure from the Pension Fund Account, directed by the Central Government.

**34. Interpretation.** - Where any doubt arises with regard to the interpretation of the provisions of this Scheme, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

**35. Payment of pension in case of person charged with murder.** - (1) Where a person, who in the event of the death of a member of the Pension Fund is eligible to receive pension under paragraph 12 or paragraph 15, is charged with the offence of murdering the member or abetting the commission of such an offence, the claims to receive pension shall remain suspended until the conclusion of the criminal proceedings instituted against the person for such offence.

(2) Upon conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-paragraph (1),—

- (i) if the person concerned is convicted for the murdering or abetting in the murder of the member, the person shall be debarred from receiving pension, which shall be payable to other eligible members of the family of the deceased member; or
- (ii) if the person is acquitted of the charge of murdering or abetting the murder of the member, pension benefit shall be payable to the person.

**36. Special provisions in respect of International Workers.** – Notwithstanding anything contained in this Scheme, the following provisions shall be applicable to International worker, namely:-

(1) The eligible service shall be determined as follows, namely:-

- (i) in the case of “existing member” or the “member other than an existing member”, the “actual service” shall be treated as eligible service;
- (ii) in the case of the member covered by a social security agreement, the period of coverage under relevant social security programme in another country shall be added to actual service and the aggregate thereof shall be treated as eligible service as may be provided in the social security agreement.

(2) The pensionable wages shall be the average monthly wages drawn whether on time-rate or on piece-rate basis during the contributory period of service of the membership of the Pension Fund.

(3) An International Worker covered under a social security agreement entered into between India and another country who has not rendered the eligible service prescribed in paragraph 9 on the date of exit, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier, shall be entitled to a totalisation benefit as provided in the said social security agreement:

Provided that if the International Worker covered under the provisions of the said agreement has not rendered the eligible service even after including the totalisation benefit as provided in the said agreement, then such International Worker shall be entitled to a withdrawal benefit as specified in Table-IV:

Provided further that in case of exit from service before attaining the age of superannuation, the International Worker shall become eligible to avail withdrawal benefit only after the lapse of thirty-six months from the date on which the last contribution became due, or on attaining the age of superannuation, whichever is earlier.

(4) (i) The Commissioner shall, with the approval of the Central Board, enter into arrangement for the disbursement of pension and other benefits under this Scheme with disbursing agencies, including but not limited to Post Office or nationalised banks or treasuries or scheduled banks including Regional Rural Banks or Co-operative Banks *through electronic or digital funds transfer system;*

(ii) the Commission payable to the disbursing agencies and other charges incidental thereto shall be met in accordance with paragraph 21 of this Scheme:

Provided that if the beneficiary under this Scheme is covered under a social security agreement between India and another country, the pension and other benefits under the Scheme shall be disbursed as per the terms and conditions specified in the said agreement.

(5) The Commissioner shall perform all such functions as are assigned to the Employees' Provident Fund Organisation under a social security agreement entered into between the Government of India and any other country as per the terms and conditions specified therein.

**TABLE - I**  
[See paragraph 13(1) and 32(1)(i)]  
**(WITHDRAWAL BENEFIT)**

No. of full years' contribution paid	Proportion of wage payable at cessation of membership
(1)	(2)
1	0.2
2	0.41
3	0.62
4	0.84
5	1.06
6	1.29
7	1.51
8	1.75
9	1.98
10	2.23
11	2.47
12	2.72
13	2.98
14	3.24
15	3.51

16	3.78
17	4.05
18	4.34
19	4.62
20	4.92
21	5.21
22	5.52
23	5.83
24	6.14
25	6.46
26	6.79
27	7.12
28	7.46
29	7.81
30	8.16
31	8.52
32	8.89
33	9.26
34	9.64
35	10.03
36	10.43
37	10.83
38	11.24
39	11.66
40	12.08

TABLE - II

[See paragraphs 12(3), 13(1), 32(1)(i)]

**(FACTOR FOR COMPUTATION OF PAST SERVICE BENEFIT UNDER THE CEASED FAMILY PENSION SCHEME FOR EXISTING MEMBERS ON EXIT FROM THE EMPLOYMENT)**

(1)	(2)
YEARS	FACTOR
Less than 1	1.039
Less than 2	1.122
Less than 3	1.212
Less than 4	1.309
<b>Less than 5</b>	<b>1.413</b>
Less than 6	1.526
Less than 7	1.649
Less than 8	1.781
Less than 9	1.923
<b>Less than 10</b>	<b>2.077</b>
Less than 11	2.243
Less than 12	2.423
Less than 13	2.616
Less than 14	2.826
<b>Less than 15</b>	<b>3.052</b>
Less than 16	3.296
Less than 17	3.560
Less than 18	3.845
Less than 19	4.152
<b>Less than 20</b>	<b>4.485</b>
Less than 21	4.843
Less than 22	5.231
Less than 23	5.649
Less than 24	6.101
<b>Less than 25</b>	<b>6.589</b>
Less than 26	7.117
Less than 27	7.686
Less than 28	8.301
Less than 29	8.965

<b>Less than 30</b>	<b>9.682</b>
Less than 31	10.487
Less than 32	11.294
Less than 33	12.197
Less than 34	13.173
<b>Less than 35</b>	<b>14.2271</b>
Less than 36	15.36555
Less than 37	16.59509
Less than 38	17.92303
Less than 39	19.35722
<b>Less than 40</b>	<b>20.90618</b>
Less than 41	22.57909
Less than 42	24.38586]

TABLE - III

[See paragraphs 15(2)(a)(i) and 15(2)(a)(ii)]  
(EQUIVALENT WIDOW PENSION)

<b>Wages at day of death not more than (1) (Rupees)</b>	<b>Equivalent widow pension (2) (Rupees)</b>
Upto 300	250
350	327
400	343
450	359
500	375
550	391
600	408
650	425
700	442

750	459
800	476
850	493
900	510
950	527
1000	544
1050	561
1100	578
1150	595
1200	612
1250	629
1300	646
1350	664
1400	682
1450	700
1500	718
1550	736
1600	754
1650	772
1700	797
1750	808
1800	826
1850	844
1900	862
1950	880
2000	898
2050	916
2100	935
2150	954

2200	973
2250	992
2300	1011
2350	1030
2400	1049
2450	1068
2500	1087
2550	1106
2600	1125
2650	1144
2700	1163
2750	1182
2800	1201
2850	1221
2900	1241
2950	1261
3000	1281
3050	1301
3100	1321
3150	1341
3200	1361
3250	1381
3300	1401
3350	1421
3400	1441
3450	1461
3500	1481
3550	1501
3600	1521

3650	1541
3700	1561
3750	1581
3800	1601
3850	1621
3900	1641
3950	1661
4000	1681
4050	1701
4100	1721
4150	1741
4200	1751
4250	1761
4300	1771
4350	1781
4400	1791
4450	1801
4500	1811
4550	1821
4600	1831
4650	1841
4700	1851
4750	1861
4800	1871
4850	1881
4900	1891
4950	1896
5000	1901
5050	1906

5100	1911
5150	1916
5200	1921
5250	1926
5300	1931
5350	1936
5400	1941
5450	1946
5500	1951
5550	1956
5600	1961
5650	1966
5700	1971
5750	1976
5800	1981
5850	1986
5900	1991
5950	1996
6000	2001
6050	2006
6100	2011
6150	2016
6200	2021
6250	2026
6300	2031
6350	2036
6400	2041
6450	2046
6500	2051.]

[6,550	2,056
6,600	2,061
6,650	2,066
6,700	2,071
6,750	2,076
6,800	2,081
6,850	2,086
6,900	2,091
6,950	2,096
7,000	2,101
7,050	2,106
7,100	2,111
7,150	2,116
7,200	2,121
7,250	2,126
7,300	2,131
7,350	2,136
7,400	2,141
7,450	2,146
7,500	2,151
7,550	2,156
7,600	2,161
7,650	2,166
7,700	2,171
7,750	2,176
7,800	2,181
7850	2,186
7,900	2,191
7,950	2,196

8,000	2,201
8,050	2,206
8,100	2,211
8,150	2,216
8,200	2,221
8,250	2,226
8,300	2,231
8,350	2,236
8,400	2,241
8,450	2,246
8,500	2,251
8,550	2,256
8,600	2,261
8,650	2,266
8,700	2,271
8,750	2,276
8,800	2,281
8,850	2,286
8,900	2,291
8,950	2,296
9,000	2,301
9,050	2,306
9,100	2,311
9,150	2,316
9,200	2,321
9,250	2,326
9,300	2,331
9,350	2,336
9,400	2,341

9,450	2,346
9,500	2,351
9,550	2,356
9,600	2,361
9,650	2,366
9,700	2,371
9,750	2,376
9,800	2,381
9,850	2,386
9,900	2,391
9,950	2,396
10,000	2,401
10,050	2,406
10,100	2,411
10,150	2,416
10,200	2,421
10,250	2,426
10,300	2,431
10,350	2,436
10,400	2,441
10,450	2,446
10,500	2,451
10,550	2,456
10,600	2,461
10,65b	2,466
10,700	2,471
10,750	2,476
10,800	2,481
10,850	2,486

10,900	2,491
10,950	2,496
11,000	2,501
11,050	2,506
11,100	2,511
11,150	2,516
11,200	2,521
11,250	2,526
11,300	2,531
11,350	2,536
11,400	2,541
11,450	2,546
11,500	2,551
11,550	2,556
11,600	2,561
11,650	2,566
11,700	2,571
11,750	2,576
11,800	2,581
11,850	2,586
11,900	2,591
11,950	2,596
12,000	2,601
12,050	2,606
12,100	2,611
12,150	2,616
12,200	2,621
12,250	2,626
12,300	2,631

12,350	2,636
12,400	2,641
12,450	2,646
12,500	2,651
12,550	2,656
12,600	2,661
12,650	2,666
12,700	2,671
12,750	2,676
12,800	2,681
12,850	2,686
12,900	2,691
12,950	2,696
13,000	2,701
13,050	2,706
13,100	2,711
13,150	2,716
13,200	2,721
13,250	2,726
13,300	2,731
13,350	2,736
13,400	2,741
13,450	2,746
13,500	2,751
13,550	2,756
13,600	2,761
13,650	2,766
13,700	2,771
13,750	2,776

13,800	2,781
13,850	2,786
13,900	2,791
13,950	2,796
14,000	2,801
14,050	2,806
14,100	2,811
14,150	2,816
14,200	2,821
14,250	2,826
14,300	2,831
14,350	2,836
14,400	2,841
14,450	2,846
14,500	2,851
14,550	2,856
14,600	2,861
14,650	2,866
14,700	2,871
14,750	2,876
14,800	2,881
14,850	2,886
14,900	2,891
14,950	2,896
15,000 or more	2,901.]

TABLE - IV

[See paragraphs 13(1) and 36(3)]

**Return of contribution on exit from the employment**

<b>Months of Service</b>	<b>Proportion of wages at exit</b>
1	0.08
2	0.17
3	0.25
4	0.33
5	0.42
6	0.51
7	0.60
8	0.68
9	0.77
10	0.85
11	0.94
12	1.02
13	1.10
14	1.18
15	1.26
16	1.34
17	1.42
18	1.51
19	1.59
20	1.67
21	1.75
22	1.83
23	1.91
24	1.99

25	2.07
26	2.16
27	2.24
28	2.32
29	2.40
30	2.49
31	2.57
32	2.65
33	2.73
34	2.82
35	2.90
36	2.98
37	3.06
38	3.15
39	3.23
40	3.32
41	3.40
42	3.49
43	3.57
44	3.65
45	3.74
46	3.82
47	3.91
48	3.99
49	4.08
50	4.16
51	4.25
52	4.33

53	4.42
54	4.51
55	4.59
56	4.68
57	4.76
58	4.85
59	4.93
60	5.02
61	5.11
62	5.20
63	5.28
64	5.37
65	5.46
66	5.55
67	5.63
68	5.72
69	5.81
70	5.90
71	5.98
72	6.07
73	6.16
74	6.25
75	6.34
76	6.42
77	6.51
78	6.60
79	6.69
80	6.78
81	6.87

82	6.95
83	7.04
84	7.13
85	7.22
86	7.31
87	7.40
88	7.49
89	7.58
90	7.68
91	7.77
92	7.86
93	7.95
94	8.04
95	8.13
96	8.22
97	8.31
98	8.41
99	8.50
100	8.59
101	8.68
102	8.78
103	8.87
104	8.96
105	9.05
106	9.15
107	9.24
108	9.33
109	9.33
110	9.33

111	9.33
112	9.33
113	9.33.]

TABLE - V

[See paragraph 32(1)(ii)]

**(TRANSFER OF CONTRIBUTION FROM EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 2026 TO EXEMPTED OR OTHER PENSION FUND AND VICE –VERSA)**

<b>Number of full year's contribution period</b>	<b>Proportion of wage payable on last contribution month</b>
1	0.987
2	1.998
3	3.033
4	4.093
5	5.178
6	6.289
7	7.426
8	8.590
9	9.782
10	11.003
11	12.252
12	13.531
13	14.841
14	16.182
15	17.554
16	18.960
17	20.399
18	21.872
19	23.380

20	24.924
21	26.505
22	28.123
23	29.780
24	31.477

**FORM**

[See paragraph 31]

**(Monthly Return to be submitted by the exempted establishments/class of establishments/board of trustees.)**

<b>1. DETAILS OF ESTABLISHMENT :</b>		
(a)	Name of the establishment with full address	
(b)	Code No. allotted by the Employees' Provident Fund Organization	
<b>2. DETAILS OF EMPLOYEES (INCLUDE ALL BRANCHES/UNITS ETC.)</b>		
(a)	No. of employees as at the end of previous month	
(b)	No. of employees who joined during the month	
(c)	No. of employees who left service during the month	
(d)	No. of employees as at the end of the month [(a) + (b) – (c)]	
(e)	Out of (d) above, No. of excluded employees	
(f)	No. of Pension Fund members as at the end of the month [Please furnish the above-mentioned details unit wise situated as different places. Attach separate sheet, if necessary]	

<b>3. CONSTITUTION OF BOARD OF TRUSTEES</b>				
(a)	Date on which the present Board was Constituted	DD	MM	YYYY
(b)	Its term			YEARS
(c)	Total number of Trustees			
	(i)	Employees' Representatives		
	(ii)	Employer's Representatives		
<b>4. WAGES, CONTRIBUTIONS, ETC.</b>				
(a)	Amount of gross wages liable to Pension Contribution	Rs.		
(b)	Rate of contribution to Pension Fund		%	
(c)	Amount of Pension contribution to be transferred for the current month	Rs.		
(d)	Amount of arrears due, if any, for transfer to the Board of Trustees at the end of the previous month	Rs.		
(e)	Total of (c) & (d)	Rs.		
(f)	Amount actually transferred to the Board of Trustees	Rs.		
(g)	Balance due, if any, for transfer to the Board of Trustees [(e) – (f)]	Rs.		
(h)	Whether the interest payable under section 127 of the code for the belated transfer of Funds, if any, has been paid?	YES	NO	
(i)	Amount of interest still payable at the end of the month	Rs.		
<b>5. DETAILS OF PENSIONERS</b>				
(a)	No. of Pensioners at the end of the month			
	(i)	Member (Self) Pensioners		
		- Superannuation Pension		
		- Early Pension		
		- Disablement Pension		
	(ii)	Spouse Pensioners		
		- Death in service		
		- Death away from service		
		- Death as pensioners		
	(iii)	Children Pensioners		

		- Normal Children	
		- Disabled Children (Life-long pension)	
	(iv)	Orphan Pensioner	
	(v)	Nominee Pensioner	
	(vi)	Dependent Parents Pensioner	
(b)	Total amount of Pension paid during the month		Rs.
<b>6. DETAILS OF EXIT CASES</b>			
(a)	No. of Persons who have taken Withdrawal benefit during the month		
(b)	Amount paid during the month		Rs.
	No. of exit cases where Scheme certificate has been issued.		
<b>7. DETAILS OF INVESTMENT</b>			
(a)	Amount lying invested in the Pension Fund in the beginning of the month		Rs.
(b)	Amount received during the month		
	(i)	By way of contribution from the employer	
		Current month	Rs.
		Arrears, if any	Rs.
	(ii)	Encashment of matured securities/deposits	
		Interest/dividend on investments	Rs.
	(iv)	Other transfer-in-cases	
	(v)	Damages, if any	
	(vi)	Interest on belated payments, if any	
		(vii)	Miscellaneous, if any (Please specify)
(c)	Payments made during the month		Rs.
(d)	Amount invested during the month		Rs.
<b>Securities</b>			
	- Central Government		Rs.
	- State Governments		Rs.

	- Others, if any	Rs.
	<b>Deposits</b>	
	- Public Financial Institutions/Banks	Rs.
(e)	Whether pattern of investment followed?	YES NO
(f)	If so, classify the percentage	
	(i) Securities	
	- Central Government	%
	- State Government	%
	- Others	%
	(ii) Deposits	
	- Public Financial Institutions/Banks	%
	(iii) Annuity purchased from Life Insurance Corporation	Rs.
(g)	Amount lying un-invested in Cash/Bank	Rs.
<b>8.</b>	<b>MODE OF DISBURSEMENT [Tick one]</b>	
	- Through Bank	
	- Through Post Offices	
	- Through LIC by purchase of Annuity	
	- Others, if any, (Please specify)	
<b>9. RULES OF ESTABLISHMENT'S PENSION FUND</b>		
	Details of amendment, if any carried out during the month to make the Rules at par with the Statutory Pension Scheme (Employees' Pension Scheme, 2026)	

Date

**Signature with official seal of the  
Employer/Trustees of the Board**

[F.No. S-35025/25/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273942  
CG-DL-E-30062026-273942

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 474]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

सा.का.नि. 526 (अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना. — (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 2026 है।  
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।  
(3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 20 और धारा 143 के उपबंधों के अध्याधीन, यह स्कीम प्रत्येक ऐसे स्थापना के कर्मचारियों पर लागू होगी जिन पर उक्त संहिता का अध्याय 3 लागू होता है।
- परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “संहिता” से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) आश्वासन लाभ” से कर्मचारी के भविष्य निधि लेखा में औसत शेष रकम से समबद्ध उस भुगतान से अभिप्रेत है, जो कर्मचारी के भविष्य निधि का सदस्य रहते हुए उसकी मृत्यु होने की स्थिति में देय होता है;

(ग) “बीमा पॉलिसी” से किसी बीमा सेवा प्रदाता द्वारा जारी की गई समूह बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है;

(घ) “आयुक्त” से संहिता की धारा 14 के अध्यक्षीन नियुक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) “सदस्य” से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 का कोई सदस्य अथवा संहिता की धारा 143 के अध्यक्षीन छूट प्राप्त किसी भविष्य निधि का कोई सदस्य अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम का सदस्य बनना अपेक्षित है।

(च) “नामिति” से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के पैरा 46 के अध्यक्षीन नामित व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) ऐसे सभी शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता, उसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों अथवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में हैं।

**3. आयुक्त की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां.** — आयुक्त, केंद्रीय बोर्ड को संदर्भित किए बिना, बीमा निधि के प्रशासन हेतु आवश्यक आकस्मिक व्ययों, सामग्री एवं सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद पर व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सकता है, जो बजट में वित्तीय उपबंध तथा किसी एक मद पर व्यय की स्वीकृति देने के लिए आयुक्त को अधिकृत की गई सीमा के अध्यक्षीन होगा।

**4. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के उपबंधों का लागू होना.** — इस योजना में जिन विषयों के संबंध में कोई उपबंध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबंध हैं, उनके लिए 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026' के उपबंध लागू होंगे।

**5. अंशदान.—** (1) संहिता की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियोक्ता द्वारा निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि में देय अंशदान की गणना, संहिता की धारा 2 के खंड 88 में परिभाषित मजदूरी के आधार पर की जाएगी, जो इस संहिता की धारा 2 की के खंड 89 में विनिर्दिष्ट मजदूरी-सीमा के अध्यक्षीन होगी।

(2) बीमा निधि के वीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अंशदान की दर समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) प्रत्येक अंशदान की गणना निकटतम रूपए तक की जाएगी, पचास पैसे या उससे अधिक रकम को अगले पूर्ण रूपए के रूप में गिना जाएगा तथा पचास पैसे से कम के राशि के अंश को उपेक्षित किया जाएगा।

**6. अंशदान के भुगतान का माध्यम.** — (1) प्रत्येक माह की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता बीमा निधि में देय अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जिसमें डिजिटल भुगतान भी सम्मिलित है) से करेगा। यह भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक में सूचीबद्ध अभिकरण बैंकों अथवा अनुसूचित बैंकों या ऐसे संग्रहण हेतु अधिकृत भुगतान गेटवे अथवा पेगोव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और प्रेषण की लागत, यदि कोई हो, नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(2) नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में स्वयं द्वारा देय अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।

**7. किसी अंशदान के भुगतान में चूक करने पर नुकसानी की वसूली.** — (1) यदि कोई नियोक्ता बीमा निधि में देय किसी अंशदान के भुगतान में, अथवा संहिता, उसके अधीन बनाए गए नियमों या इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार देय किसी प्रभार के भुगतान में चूक करता है, तो आयुक्त या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, नियोक्ता से दंड के रूप में नुकसानी वसूल कर सकता है, ऐसी नुकसानी की दरें और उनका निर्धारण 'कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026' में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) नुकसानी की रकम की गणना निकटतम रूप तक की जाएगी, गणना के दौरान यदि राशि में पचास पैसे या उससे अधिक का अंश हो, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में गिना जाएगा; तथा यदि राशि में पचास पैसे से कम का अंश हो, तो उसकी गणना नहीं की जाएगी।

**8. नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी की मजदूरी से नहीं काटा जाएगा.** — किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, नियोक्ता इस स्कीम के अधीन अपने द्वारा देय अंशदान को कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटेगा और न ही किसी अन्य रीति से उसकी वसूली कर्मचारियों से करेगा।

**9. नियोक्ता के कर्तव्य.** — (1) प्रत्येक नियोक्ता, इस स्कीम के प्रारंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 2026 के उपबंधों के अनुसार या संहिता की धारा 143 के अधीन या प्रतिष्ठान की भविष्य निधि के नियमों के अधीन झूट प्राप्त स्थापना के मामले में बीमा स्कीम के सदस्य बनने के पात्र और नामित कर्मचारियों का एक समेकित रिटर्न आयुक्त को भेजेगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक महीने के समापन के पंद्रह दिनों के भीतर, पिछले महीने के दौरान पहली बार फंड के सदस्य बनने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा और पिछले महीने के दौरान नियोक्ता की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा।

(3) प्रत्येक नियोक्ता, केंद्रीय बोर्ड द्वारा या उसके अधिकार के अधीन स्वीकृत बीमा निधि से ऐसा भुगतान करने में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करेगा।

(4) प्रत्येक नियोक्ता द्वारा आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश, जैसा कि वह इस स्कीम के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, का पालन किया जाएगा।

**10. अभिलेखों और रजिस्ट्रों का निरीक्षण.** — प्रत्येक नियोक्ता, जब कभी आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अपेक्षा की जाती है तब निरीक्षण के लिए भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए अभिलेखों और अन्य रजिस्ट्रों को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

**11. प्रशासन लेखा.** — (1) संहिता की धारा-16 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन नियोक्ताओं से प्राप्त रकम और संहिता की धारा 143 की उप-धारा 6 के अधीन प्राप्त निरीक्षण प्रभार को "बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा" नामक लेखा में जमा किया जाएगा, और इस स्कीम के प्रशासन के प्रति सभी खर्चों का भुगतान इसी लेखा से किया जाएगा।

(2) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा की निवल आस्तियां इस स्कीम के अधीन बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा में निहित एवं उसमें स्थानांतरित हो जाएंगी।

**12. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा.** — (1) नियोक्ता के अंशदान के रूप में प्राप्त रकम को "निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा" नामक लेखा में जमा किया जाएगा और इस स्कीम द्वारा या इसके अधीन प्रदान किए जाने वाले किसी भी लाभ की लागत के प्रति सभी खर्चों का भुगतान इसी लेखा से किया जाएगा।

(2) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 की निवल आस्तियां, इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख को, बीमा निधि लेखा में निहित होंगी और उसमें स्थानांतरित हो जाएंगी।

**13. बीमा निधि के धन का निवेश.** — (1) इस स्कीम की अधिसूचना के समय, लोक लेखा में केंद्रीय सरकार के पास जमा के रूप में विद्यमान बीमा निधि का पूरा धन उसी लेखा में रखा जाना जारी रहेगा और केंद्रीय सरकार प्रति वर्ष कम से कम साढ़े आठ प्रतिशत की दर से ब्याज देगी।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अध्यक्षीन, बीमा निधि के लेखा में जमा सारा धन और इसके बाद बीमा निधि में जमा होने वाला सारा धन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के अनुसार निवेश किया जाएगा।

(3) उप-पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार बीमा निधि के लिए विशिष्ट निवेश पद्धति का उपबंध कर सकती है।

**14. ब्याज.** — निवेश के विक्रय से प्राप्त सभी ब्याज, किराया और अन्य आय तथा निवल लाभ या हानि, यदि कोई हो, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा के संव्यवहार शामिल नहीं है, को यथास्थिति, बीमा निधि में जमा या विकलन किया जाएगा।

**15. बीमा निधि का निपटान.** — (1) संहिता तथा बीमा स्कीम के उपबंधों के अध्यक्षीन, बीमा निधि, जिसमें बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा शामिल नहीं है, केंद्रीय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार लाभों के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय नहीं की जाएगी।

(2) बीमा निधि का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए जाएं।

**16. प्रशासनिक व्यय.** — इस स्कीम के प्रशासन से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से किया जाएगा।

**17. लेखों के प्ररूप.** — कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन लेखा का रखरखाव आयुक्त द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से किया जाएगा।

**18. लेखापरीक्षा.** — (1) बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा सहित बीमा निधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(2) लेखापरीक्षा की मद में आने वाले खर्चों का भुगतान बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से किया जाएगा।

**19. बीमा निधि का मूल्यांकन.** — (1) केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अंशदान की दर और लाभ संरचना की निरंतरता, शोधनक्षमता और पर्याप्तता का आकलन करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में बीमा निधि के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे किसी अन्य समय पर मूल्यांकन कराने का निर्देश दे सके जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से, इस स्कीम के अधीन देय अंशदान की दर या स्वीकार्य लाभों के पैमाने में या उस अवधि में परिवर्तन कर सकती है, जिसके लिए ऐसा लाभ दिया जा सकता है।

**20. बजट.** — (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम पखवाड़े से पहले केंद्रीय बोर्ड के समक्ष एक बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों से होने वाली संभावित प्राप्तियों तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को अलग-अलग दर्शाया जाएगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखे जाने के एक माह के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार बजट में, ऐसे संशोधन कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(4) आयुक्त, वर्ष के दौरान किसी भी समय, केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत निधियों का बजटीय पुनर्विनियोजन कर सकता है, परंतु,

केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत कुल रकम से अधिक न हो;

यह केवल प्रशासन के ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाए जो बीमा निधि केंद्रीय प्रशासन लेखा से पूरे किए जाने हैं; और

इस प्रकार किए गए प्रत्येक पुनर्विनियोजन की रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड को उसकी अगली बैठक में दी जाएगी।

(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बोर्ड के समक्ष एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपरिहार्य व्यय के विस्तृत अनुमान और कारण दिए जाएंगे, जिसके चालू वर्ष के दौरान होने की सम्भावना है, जिसके लिए स्वीकृत बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है और जिसे उप-पैराग्राफ (4) के उपबंधों के अधीन कवर नहीं किया जा सकता है।

(6) वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक और उप-पैराग्राफ (4) व (5) के उपबंधों के अधीन कवर न होने वाले किसी भी व्यय के लिए, जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया गया हो, अधिकता स्थापित होने के बाद यथाशीघ्र केंद्रीय बोर्ड के समक्ष उसके विचारार्थ और केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।

**21. आश्वासन लाभ के पैमाने और कर्मचारी द्वारा बनाए रखा गया न्यूनतम औसत अतिशेष.** — (1) किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर, जो यथास्थिति, निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, मृतक के भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति/(व्यक्तियों) को, ऐसे संचय के अतिरिक्त, रकम का भुगतान किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, निधि में या भविष्य निधि में मृत व्यक्ति के खाते में औसत अतिशेष के बराबर होगी, सिवाय वहां के जहां औसत शेष पचास हजार रूपए से अधिक हो, तो देय राशि पचास हजार रूपये और पचास हजार रूपये से अधिक की राशि का 40% होगी, जो अधिकतम एक लाख रूपए की सीमा के अध्यक्षीन होगी।

(2) पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान उप-पैराग्राफ (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, भले ही यथास्थिति, निधि के या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी का औसत भविष्य निधि अतिशेष पचास हजार रूपये से कम हो, पचास हजार रूपये के न्यूनतम आश्वासन लाभ का भुगतान किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 1.**— किसी कर्मचारी के संबंध में, निधि में औसत अतिशेष राशि निर्धारित करने के प्रयोजन से या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति, कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा सुसंगत अवधि के लिए और उस तक देय अंशदान का कुल योग, चाहे वह निधि में या छूट प्राप्त भविष्य निधि में भुगतान किया गया हो या भुगतान न किया गया हो, उस पर व्याज सहित, शामिल किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 2.**— इस स्कीम के अधीन लाभों की गणना के लिए बारह माह की अवधि की गणना उस माह से पीछे की ओर की जाएगी, जो उस माह से ठीक पहले का हो जिसमें सदस्य की मृत्यु हुई है।

(3) एक अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, जो एक से अधिक कारखाने या प्रतिष्ठान में सेवा करने के दौरान, निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य था, यथास्थिति, इस स्कीम के अधीन लाभ की मात्रा पिछले बारह माह के दौरान निधि या भविष्य निधि में उसके सभी खातों के कुल शेष के औसत के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(4) ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, और अपनी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले निरंतर बारह माह की अवधि तक रोजगार में था, मृतक की भविष्य निधि संचय प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को, ऐसे संचय के अतिरिक्त, निम्नलिखित के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा: -

(i) उसकी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले के बारह माह के दौरान प्राप्त औसत मासिक मजदूरी (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी सीमा की अधिकतम राशि के अध्याधीन), जिसे पैंतीस गुणा किया जाएगा, और साथ ही पिछले बारह माह के दौरान निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति हो, मृतक के खाते में औसत शेष राशि का पचास प्रतिशत, जो कि एक लाख पचहत्तर हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्याधीन होगा:

परन्तु आश्वासन लाभ दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा और सात लाख रुपये से अधिक नहीं होगा;

(ii) उप-पैराग्राफ (1) के अधीन लाभ की राशि, जो भी अधिक हो;

परन्तु इस स्कीम के उप-पैराग्राफ (4) के अधीन देय न्यूनतम आश्वासन लाभों की पात्रता के लिए आवश्यक बारह माह की निरंतर अवधि के अवधारण के उद्देश्य से, रोजगार की दो अवधियों के बीच साठ दिनों के अंतर को छोड़ दिया जाएगा और ऐसी भिन्न-भिन्न सेवाओं को निरंतर सेवा मानते हुए जोड़ा जाएगा।

स्पष्टीकरण - एक अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, जो अपनी मृत्यु वाले माह से ठीक पहले निरंतर बारह माह की अवधि के लिए एक से अधिक कारखाने या स्थापन में सेवा कर रहा था, इस स्कीम के अधीन लाभ की मात्रा उन सभी मजदूरी के कुल योग के औसत मजदूरी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जहां वह बारह माह से अधिक समय से निरंतर काम कर रहा था, जो कि संहिता की धारा 2 के खंड (89) में परिभाषित मजदूरी सीमा के अध्याधीन होगी।

(5) इस स्कीम के अधीन लाभ में, उप-पैराग्राफ (1) या (3) के अधीन स्वीकार्य लाभों के अतिरिक्त, यथास्थिति, बीस प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।

(6) यदि कोई कर्मचारी, जो निधि का या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, यथास्थिति, नियोक्ता के रोल पर रहते हुए अंतिम अंशदान प्राप्त होने के छह माह के भीतर सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कर्मचारी को इस स्कीम के अनुसार आश्वासन लाभ प्राप्त होगा।

**22. आश्वासन लाभ किसे देय होगा.** — (1) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के अनुसार या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के अधीन, यथास्थिति, सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इस स्कीम के अधीन नामांकन माना जाएगा और आश्वासन राशि ऐसे नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्तियों को देय होगी।

(2) यदि कोई नामांकन मौजूद नहीं है या यदि नामांकन निधि में या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि में, यथास्थिति, उसके क्रेडिट में जमा राशि के केवल एक हिस्से से संबंधित है, तो पूरी राशि या उसका वह हिस्सा जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला हो, उसके परिवार के सदस्यों को समान हिस्सों में देय होगी।

(3) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें उप-पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, पूरी राशि विधिक रूप से इसके हकदार व्यक्ति को देय होगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जो उप-पैराग्राफ (1), (2) या (3) के संदर्भ में मृतक सदस्य का आश्वासन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उस पर सदस्य की हत्या का या ऐसी हत्या के लिए उकसाने का आरोप है, तो आश्वासन लाभ प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध आरंभ की गई आपराधिक कार्यवाही के समापन तक निलंबित रहेगा।

(5) यदि आपराधिक कार्यवाही के समापन पर, संबंधित व्यक्ति: -

(क) सदस्य की हत्या या हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है, तो उसे निक्षेप सहबद्ध आश्वासन लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जो परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगा; या

(ख) सदस्य की हत्या या हत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी हो जाता है, तो उसका हिस्सा उसे देय होगा।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के उद्देश्य से, सदस्य के मरणोपरान्त बच्चे को, यदि वह जीवित पैदा होता है, तो उसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जैसे सदस्य की मृत्यु से पहले पैदा हुए जीवित बच्चे के साथ किया जाता है।

**23. आश्वासन राशि के भुगतान की रीति.** — (1) इस स्कीम के अधीन भुगतान का दावा करने के लिए प्रत्येक दावेदार को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र और रीति में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आयुक्त के समक्ष दावा दायर करना होगा।

(2) भुगतान व्यक्ति को किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक सहित) के बचत बैंक खाते में या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट किसी भी डाकघर में निधि-अंतरण पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण दावे, जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, आयुक्त द्वारा प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे और लाभ की राशि लाभार्थियों को भुगतान की जाएगी।

(4) यदि दावे में कोई कमी है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(5) यदि आयुक्त बिना किसी पर्याप्त कारण के बीस दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में विफल रहता है, तो आयुक्त निर्धारित अवधि से अधिक की देरी के लिए उत्तरदायी होगा और लाभ की राशि पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शास्तिक ब्याज लगाया जा सकता है और उसे आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है।

(6) उप-पैराग्राफ (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय बोर्ड, ऐसी मुद्रा सीमा के अध्यक्ष रहते हुए, जिसे वह उचित समझे, आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को बिना दावा प्राप्त किए बीमा निधि से नामांकित व्यक्ति या पात्र लाभार्थी को, यथास्थिति, भुगतान करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

**24. रजिस्टर, अभिलेख, आदि.** — किसी प्रतिष्ठान का नियोजित इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में ऐसे अभिलेख और रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी के संबंध में ऐसे विवरण और ब्यौरे तथा नियमों से संबंधित ऐसे अन्य विवरण और ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

**25. वार्षिक रिपोर्ट.** — केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष दस दिसंबर से पहले अनुमोदित करेगा और बीस दिसंबर से पहले केंद्रीय सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**26. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन दावों के लिए विशेष उपबंध.** — कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन जिसे भी बीमा लाभ मिलना है, उसे वही लाभ मिलेगा जो उसकी पात्रता की तारीख को लागू था।

स्पष्टीकरण: यदि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का कोई सदस्य इस स्कीम के प्रारंभ होने से पहले मर जाता है, लेकिन दावा इस स्कीम के प्रारंभ होने के बाद प्राप्त होता है, तो सदस्य की मृत्यु की तारीख पर लागू स्कीम के अनुसार पात्रता के अधीन बीमा निधि से वही लाभ प्राप्त होगा जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन देय था, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

**27. छूट प्रदान करने के निबंधन और शर्तें.** — इस स्कीम के उपबंधों से सभी छूटें निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेंगी, अर्थात्:-

(i) छूट प्रदान करने के लिए ऐसा आवेदन करने वाला प्रतिष्ठान बहुसंख्यक कर्मचारियों की सहमति प्रस्तुत करेगा;

(ii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम से छूट या छूट के विस्तार की मांग करने वाला प्रतिष्ठान अपने सभी कर्मचारियों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समूह बीमा पॉलिसी खरीदेगा और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि यह लाभ इस स्कीम में उपलब्ध लाभ से अधिक लाभकारी है और कर्मचारी अंशदान या प्रीमियम का कोई अलग भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम से छूट या छूट के विस्तार की मांग करने वाला प्रतिष्ठान छूट की प्रस्तावित तारीख या छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले आवेदन करेगा;

(iv) संहिता की धारा 143 के अधीन दी गई छूट भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी;

(v) वे सभी कर्मचारी, जो भविष्य निधि या संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र थे, बीमा निधि के सदस्य के रूप में नामांकित किए जाएंगे;

(vi) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान का नियोक्ता उस स्थिति में कर्मचारियों के लाभार्थी को देय आश्वासन लाभ का भुगतान करने का वचन देगा, यदि बीमा सेवा प्रदाता पात्र लाभार्थी को ऐसे आश्वासन लाभ का भुगतान करने में विफल रहता है;

(vii) जहाँ किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग या प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के अधीन छूट दी गई है, वहाँ नियोक्ता ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के संबंध में ऐसा खाता बनाए रखेगा, निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा, और ऐसे निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि आयुक्त निर्देश दे;

(viii) इस स्कीम के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप में मासिक ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(ix) आश्वासन लाभों के सभी दावों का निपटान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्वरित रूप से किया जाएगा;

(x) प्रदान की गई छूट इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी, जब तक कि इसे समुचित सरकार द्वारा रद्द न कर दिया जाए या प्रतिष्ठान द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाए;

(xi) इस स्कीम में कोई भी ऐसा संशोधन, जो प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई बीमा पॉलिसी की तुलना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, बीमा सेवा प्रदाता द्वारा पॉलिसी के औपचारिक संशोधन लंबित रहने तक, उन पर स्वतः लागू हो जाएगा;

(xii) इस स्कीम से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान एक निरीक्षक-सह-सुविधादाता द्वारा प्रतिष्ठान के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा और उन दरों पर निरीक्षण शुल्क का भुगतान करेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे;

(xiii) कर्मचारी या नियोक्ता द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रदान की गई छूट को रद्द किया जा सकता है;

(xiv) केंद्रीय सरकार या आयुक्त छूट को जारी रखने के लिए कोई और शर्त प्रदान कर सकते हैं।

**28. छूट का नवीनीकरण.** — (1) संहिता की धारा 143 के अधीन पहले से दी गई छूट के विस्तार के लिए आवेदन छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले विनिर्दिष्ट पोर्टल पर किया जाएगा।

(2) छूट का नवीनीकरण माना जाएगा, बशर्ते कि प्रतिष्ठान और ट्रस्ट द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों को निरंतर पूरा किया जाता रहे।

(3) नवीनीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक प्रतिष्ठान द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों को पूरा किया जाता रहता है या उस समय तक जब तक प्रतिष्ठान छूट को रद्द करने या अभ्यर्षण के लिए आवेदन नहीं करता और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता या समुचित सरकार इसके कारणों को बताते हुए एक आदेश जारी नहीं करती, जिसमें एक ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसके बाद नवीनीकरण का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और शून्य हो जाएगा।

**29. कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 के संबंध में विशेष उपबंध.** — कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 में विनिर्दिष्ट 'कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026' आवश्यक परिवर्तनों सहित यथापरिवर्तित रूप में इस स्कीम पर लागू होगा।

**30. संक्रमणकालीन उपबंध.** — (1) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अधीन जिन प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है, वे वैध बनी रहेंगी और ऐसे प्रतिष्ठान नवीनीकरण के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।

(2) जो प्रतिष्ठान उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन शुरू करेंगे और छूट की वैधता समाप्त होने के अगले महीने के पहले दिन से या इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख से मासिक अंशदान जमा करना शुरू करेंगे।

**31. हानियों को बट्टे खाते में डालना.** — अगर केंद्रीय बोर्ड को लगता है कि संहिता के अधीन उसे देय अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसान की राशि वसूल नहीं की जा सकती है, वहाँ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा निधि की समग्र वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, ऐसे अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसानी को बट्टे खाते में डाल सकता है।

प्रपत्र

[पैरा 27(viii) देखें]

(किसी भी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों)/कर्मचारी(कर्मचारियों) के लिए ऑनलाइन विवरणीभाग क :स्थापना विवरण

क्र. सं.	फ़ील्ड का नाम	फ़ील्ड प्रकार	टिप्पणी
1	स्थापना आईडी	नियोक्ता की लॉग इन आईडी के आधार पर	आंकड़े में किसी भी बदलाव के लिए नियोक्ता दस्तावेजों के साथ संबंधित
2	स्थापना का नाम		

3	पता	डेटाबेस से स्वतः भरी जाएगी	क्षे.भ.नि.आ. को एक ईमेल भेज सकता है।
4	स्थापना का स्थायी खाता संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	पैन और पैन के अनुसार नाम आयकर डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।
5	स्थायी खाता संख्या के अनुसार स्थापना का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	
6	छूट का प्रकार	ड्रॉप डाउन सूची से चयन करें	कर्मचारी, कर्मचारियों का वर्ग, संपूर्ण स्थापना या स्थापना का वर्ग
	i. अधिसूचना संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	अनिवार्य क्षेत्र
	ii. अधिसूचना तारीख	आंकड़े प्रविष्टि	अनिवार्य क्षेत्र
	iii. द्वारा जारी किया गया	आंकड़े प्रविष्टि	
	iv. वैधता	आंकड़े प्रविष्टि ___ से ___ तक	
7	छूट का नवीनीकरण।		
	i. अधिसूचना संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	ii. अधिसूचना तारीख	आंकड़े प्रविष्टि	
	iii. द्वारा जारी किया गया	आंकड़े प्रविष्टि	
	iv. वैधता	___ से ___ तक आंकड़े प्रविष्टि	
8	पृथक/उप कोड वाली शाखाएं	यहां लिंक क्लिक करें	नियोक्ता को अपनी उन सभी शाखाओं को सूचीबद्ध करनी अनिवार्य है जिनके पास पृथक या उप कोड संख्या है। नियोक्ता नई शाखा जोड़ सकता है।

**भाग ख : बीमा प्रदाता का ब्यौरा**

क्र. सं	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र प्रकार	टिप्पणियां
1	बीमाकर्ता का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	नाम और पंजीकरण संख्या का सत्यापन आईआरडीए आंकड़ेबेस से किया जाएगा।
2.	आईआरडीए पंजीकरण सं	आंकड़े प्रविष्टि	
3.	पता पंक्ति 1	आंकड़े प्रविष्टि	
	पंक्ति 2	आंकड़े प्रविष्टि	
	शहर	आंकड़े प्रविष्टि	
	जिला	चयन	
	राज्य	चयन	
	पिन	आंकड़े प्रविष्टि	
4.	नीति का नाम	आंकड़े प्रविष्टि	
5.	पॉलिसी संख्या (यूआईएन)	आंकड़े प्रविष्टि	

6.	वैधता	आंकड़े प्रविष्टि	___ से ___ तक
7	आश्वासन लाभ		
	न्यूनतम	आंकड़े प्रविष्टि	
	न्यूनतम	आंकड़े प्रविष्टि	
8	नीति अपवर्जन, यदि कोई हो	आंकड़े प्रविष्टि	

**भाग ग: (i) कर्मचारियों का विवरण (मासिक)**

क्र. सं.	फ़ील्ड का नाम	फ़ील्ड प्रकार	टिप्पणी
1.	पिछले महीने के अंत तक कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	एक बार आंकड़े प्रविष्टि (केवल पहले रिटर्न में)। अगले महीने, पिछले महीने की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या स्वतः प्रदर्शित हो जाती है।
2.	चालू महीने में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	ईसीआर के अनुसार समान होना
3.	वर्तमान माह के दौरान बाहर निकले/नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	ईसीआर के अनुसार समान होना
4.	चालू महीने के अंत तक कर्मचारियों की संख्या	दर्शाएं	(क+ख-ग) का योग सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
5.	उपरोक्त क्रम संख्या 3 से, सेवा के दौरान कर्मचारियों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
6	दावों की प्रारंभिक शेष	एक बार आंकड़े प्रविष्टि	
	प्राप्त दावों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	निपटायें गए दावों की संख्या	आंकड़े प्रविष्टि	
	लंबित दावों की संख्या.	दर्शाएं	अगले महीने तक ओबी के रूप में ले लिया जाएगा
	लंबित दावों का कारण	आंकड़े प्रविष्टि	

**भाग ग: (ii) : आश्वासन लाभ (मासिक)**

क्र.सं	सदस्य का नाम	यूएएन	भुगतान किए गए आश्वासन लाभ की राशि	भुगतान की तारीख
1				
2				
3				
4				

**भाग ग: (iii) शिकायतें (मासिक)**

क्र.सं	शिकायतें		
1	प्रारंभिक शेष	एक बार की आंकड़े प्रविष्टि	
2	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	आंकड़े प्रविष्टि	
3	कुल कार्यभार	दर्शाएं	1 एवं 2 का योग
4	निपटाए गए शिकायत मामले	आंकड़े प्रविष्टि	
5	निपटाए गए शिकायत मामलों का प्रतिशत	दर्शाएं	4*100/3
6	अंतिम शेष	दर्शाएं	अगले महीने तक ओबी के रूप में ले लिया जाएगा
7	लंबित शिकायत मामलों का प्रतिशत	दर्शाएं	6*100/3

**नोट्स:निर्देश/**

- भाग ग में आंकड़े प्रविष्टि की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भाग क और ख भरे जा चुके हों।
- सभी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रत्येक माह भाग ग भरा जाना अनिवार्य है।
- एक बार डेटा सेव करने के बाद, डेटा में कोई भी बदलाव होने पर बटन पर क्लिक करके इसे बाद में 'संपादित करें' संशोधित किया जा सकता है।
- हालाँकि, निम्नलिखित डेटा को संपादित नहीं किया जा सकता है:
  1. प्रतिष्ठान का नाम और पता। यदि कोई बदलाव होता है, तो नियोक्ता को सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित भविष्य निधि कार्यालय से अनुरोध करना आवश्यक है ताकि ईपीएफओ एप्लीकेशन में डेटा बदला जा सके और इसे सहायक भविष्य निधि आयुक्त के स्तर पर एकीकृत पोर्टल पर अपडेट किया जा सके।
  2. प्रतिष्ठान का स्थायी खाता संख्या और स्थायी खाता संख्या के अनुसार नाम, यदि डेटा सत्यापित हो चुका है और स्थिति सत्यापित 'दिखाई दे रही है।
  3. अधिसूचना से संबंधित धारा/पैराग्राफ का चयन और ऐसे आदेश का विवरण, क्योंकि विवरणी का प्रारंभिक महीना छूट की प्रभावी तिथि 'पर आधारित होता है।

[फा. सं. एस-35026/06/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2026

**G.S.R. 526(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 15 of the Code on Social Security (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely: -

1. **Short title, commencement and application.** -(1) This scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) Subject to the provisions of sections 20 and 143 of the Code on Social Security, 2020, this scheme shall apply to employees of every establishment to which Chapter III of the said Code applies.

**2. Definitions.-** (1) In this scheme, unless the context otherwise requires –

- (a) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
  - (b) “assurance benefit” means a payment linked to the average balance in the Provident Fund Account of an employee, payable in the event of death of the employee while being a member of the Provident Fund;
  - (c) “Insurance Policy” means a Group Insurance policy issued by an Insurance Service Provider;
  - (d) “Commissioner” means the Central Provident Fund Commissioner, Additional Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner and Assistant Provident Fund Commissioner appointed under section 14 of the Code;
  - (e) “member” means a member of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026 or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, who is required to become a member of this scheme;
  - (f) “nominee” means a person nominated in paragraph 46 of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026;
- (2) All words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Code or the rules framed thereunder or the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026.

**3. Administrative and financial powers of Commissioner.-** The Commissioner may, without reference to the Central Board, sanction expenditure on contingencies, supplies and services and purchase of articles required for administration of the Insurance Fund, subject to financial provision in the budget and the limits up to which the Commissioner may be authorised to sanction expenditure on any single item.

**4. Applications of provisions of Employees’ Provident Funds Scheme, 2026.-** With regard to matters for which there is either no provision or inadequate provisions in this scheme, the provision of the Employees’ Provident Funds Scheme, 2026, shall apply.

**5. Contribution. -** (1) The contribution payable by the employer under clause (c) of sub-section (1) of section 16 of the Code to the Deposit Linked Insurance Fund, shall be calculated on the basis of the wages as defined in clause (88) of section 2 of the Code, subject to the wage ceiling specified in clause (89) of section 2 of the Code.

(2) The rate of contribution shall be notified by the Central Government in consultation with the Central Board from time to time taking into account the actuarial valuation of the Insurance Fund.

(3) Each contribution shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored.

**6. Mode of payment of contribution. -** (1) The employer shall, within fifteen days of the close of every month pay the contribution and administrative charges to the Insurance Fund through electronic mode (including digital payment) of agency banks listed with the Reserve Bank of India or scheduled banks or payment gateway or through the PayGov platform, authorised for such collection and cost of remittance, if any, shall be borne by the employer.

(2) The employer shall be responsible to pay the contribution payable by himself in respect of the employees directly employed by him and the employees employed by or through a contractor.

**7. Recovery of damages for default in payment of contribution. -** (1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the Insurance Fund or in the payment of any charges payable under the provisions of the Code or the rules framed thereunder or this Scheme, the Commissioner or such officer as may be authorised by

the Central Government, in this behalf, may recover from the employer by way of penalty, damages at the rate and specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(2) The damages shall be calculated to the nearest rupee, fifty paise or more to be counted as the nearest higher rupee and fraction of a rupee less than fifty paise to be ignored.

**8. Employer's contribution not to be deducted from wages of employee.** - Notwithstanding any contract to the contrary, the employer shall not deduct the employer's contribution payable by him under this scheme from the wages of the employees or to recover it from them in any other manner.

**9. Duty of employer.** - (1) Every employer shall send to the Commissioner, within fifteen days of the commencement of this scheme, a consolidated return, of the employees who are entitled and required to become members of the Insurance Scheme as per provisions of Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or in case of exempted establishment under section 143 of the Code or under the rules of the provident fund of the establishment.

(2) Every employer shall, within fifteen days of the close of each month, upload electronically on the designated portal, details of the employees qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month and also details of the employees leaving the service of the employer during the preceding month.

(3) Every employer shall assist the Central Board in making such payment from the Insurance Fund as are sanctioned by or under the authority of the Central Board.

(4) Any other directions issued by the Commissioner, as he may consider necessary for proper implementation of this scheme, shall be carried out by every employer.

**10. Inspection of records and registers.**- Every employer shall, whenever the Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf or an Inspector-cum-Facilitator so require, produce before him, the records and other registers, maintained either in physical form or in electronic form for inspection.

**11. Administration Account.** - (1) The amount received from the employers under proviso to clause (c) of sub-section (1) of Section-16 of the Code and the inspection charges received under sub-section 6 of section 143 of the Code, shall be credited to an account called the Insurance Fund Central Administration Account and all expenses towards the administration of this scheme shall be met out of this account.

(2) Net Assets of the Insurance Fund Central Administration Account under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 shall vest in and stand transferred to the Insurance Fund Central Administration Account under this Scheme.

**12. Deposit-Linked Insurance Fund Account.** - (1) The amount received as the employer's contribution shall be credited to an account to be called the Deposit-Linked Insurance Fund Account and all expenses towards the cost of any benefits provided by or under this scheme shall be met out of this account.

(2) Net Assets of the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, as on the date of notification of this scheme, shall vest in and stand transferred to the Insurance Fund Account.

**13. Investment of money of Insurance Fund.** - (1) All money of the Insurance Fund standing in deposit with the Central Government in the public account, as on the notification of this scheme, shall continue to be held in the

same account and the Central Government shall give interest at a rate not less than eight and one-half per cent. per annum.

(2) Subject to sub-paragraph (1), all monies standing in the credit of the Insurance Fund and all monies credited into the Insurance Fund hereinafter shall be invested in accordance with the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(3) Notwithstanding sub-paragraph (2), the Central Government may provide for specific investment pattern for the Insurance Fund.

**14. Interest.** - All interest, rent and other income realised and net profits or losses, if any, from the sale of investments, not including therein the transaction of the Insurance Fund Central Administration Account, shall be credited or debited, as the case may be, to the Insurance Fund.

**15. Disposal of Insurance Fund.-** (1) Subject to the provisions of the Code and the Insurance Scheme, the Insurance Fund, not including therein the Insurance Fund Central Administration Account, shall not, except with the previous sanction of the Central Board, be expended for any purpose other than the payment of the benefits in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) The Insurance Fund shall be operated by such officers as may be authorised in this behalf by the Central Board.

**16. Administrative expenses.** - All expenses relating to the administration of this Scheme shall be met out of the Insurance Fund Central Administration Account.

**17. Forms of accounts.** - The accounts of the Employees' Deposit Linked Insurance Fund and the Employees' Deposit Linked Insurance Administration Account shall be maintained by the Commissioner in the form and manner specified by the Central Board with the approval of Central Government.

**18. Audit.** - (1) The accounts of the Insurance Fund, including the Insurance Fund Central Administration Account, shall be audited in accordance with the instructions issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The charges on account of audit shall be paid out of the Insurance Fund Central Administration Account

**19. Valuation of Insurance Fund.** - (1) The Central Board, with the prior approval of the Central Government shall appoint a valuer for valuation of the Insurance fund every three years to assess the sustainability, solvency and adequacy of the rate of contribution and the benefit structure:

Provided that it shall be open to the Central Government to direct a valuation to be made at such other times as it may consider necessary.

(2) The Central Government may alter the rate of contribution payable or the scale of benefits admissible under this scheme or the period for which such benefit may be given, in consultation with the Central Board.

**20. Budget.** - (1) The Central Provident Fund Commissioner shall place before the Central Board each year before the first fortnight of February, a budget showing separately the probable receipts from the contributions and the administrative charges and the expenditure, which is proposed to be incurred during the following financial year.

(2) The budget approved by the Central Board shall be submitted to the Central Government within a month of its being placed before the Central Board.

- (3) The Central Government may make such modification in the budget as it considers necessary.
- (4) The Commissioner may at any time during the year, make budgetary re-appropriation of funds sanctioned in the budget, by the Central Government provided that,
- (i) the total amount sanctioned in the budget by the Central Government is not exceeded;
  - (ii) it is made only for meeting such expenses of administration as are to be met from the Insurance Fund Central Administration Account; and
  - (iii) every re-appropriation so made shall be reported to the Central Board at its next meeting.
- (5) The Central Provident Fund Commissioner shall place before the Central Board, a supplementary budget for a financial year giving detailed estimates and reasons of inescapable expenditure which is likely to be incurred during the year for which no provision has been made in the sanctioned budget and which cannot be covered under the provisions of sub-paragraph (4).
- (6) Any expenditure incurred by the Central Provident Fund Commissioner over and above the sanctioned budget of the financial year not covered under the provisions of sub-paragraphs (4) and (5), shall be reported to the Central Board at the earliest after the excess is established for its consideration and for obtaining sanction of the Central Government.

**21. Scales of assurance benefit and minimum average balance maintained by employee.-** (1) On the death of an employee, who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, the person/(s) entitled to receive the provident fund accumulations of the deceased shall, in addition to such accumulations be paid an amount, equal to the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a Provident Fund during preceding twelve months or during the period of his membership, whichever is less, except where the average balance exceeds rupees fifty thousand, the amount payable shall be rupees fifty thousand plus 40% of the amount in excess of rupees fifty thousand subject to a ceiling of rupees one lakh.

- (2) In the event of death of an employee under sub-paragraph (1) during the preceding twelve months or during the period of his membership, even if the average provident fund balance of an employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, is less than rupees fifty thousand, a minimum assurance benefit of rupees fifty thousand shall be payable.

*Explanation 1.* – For the purpose of determining the average balance in the Fund or in the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case maybe, in relation to any employee, the sum total of contributions by the employee and the employer, due for and up to the relevant period, whether paid or unpaid in the Fund or in the Provident Fund exempted together with interest thereon, shall be included.

*Explanation 2.* – The period of twelve months for calculation of benefits under this scheme shall be computed backwards from the month preceding the month in which death of the member occurs.

- (3) In the case of a part-time employee who was a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case maybe, while serving in more than one factory or establishment, the quantum of benefit under this scheme shall be determined with reference to the average of the aggregate balance in all his accounts in the Fund or of a Provident Fund during the preceding twelve months.

(4) On the death of an employee, who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, was in employment for a continuous period of twelve months preceding the month in which he died, the persons entitled to receive the provident fund accumulations of the deceased shall, in addition to such accumulations to be paid an amount, equal to: -

(i) the average monthly wages drawn (subject to a maximum of the wage ceiling notified by the Central Government), during the twelve months preceding the month in which he died, multiplied by thirty-five times plus fifty per cent. of the average balance in the account of the deceased in the fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, during the preceding twelve months subject to a ceiling of one lakh and seventy-five thousand rupees:

Provided that the assurance benefit shall not be less than two lakh and fifty thousand rupees and shall not exceed seven lakh rupees;

(ii) the amount of benefit under sub-paragraph (1), whichever is higher:

Provided that for the purpose of determination of continuous period of twelve months required for eligibility of minimum assurance benefits payable under sub-paragraph (4) of this scheme, the gap of sixty days between two spells of employment shall be ignored and such multiple services shall be added being treated as continuous service.

*Explanation.-* In the case of a part-time employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, who was serving in more than one factory or establishment for a continuous period of twelve months, preceding the month in which he died, the quantum of benefit under this scheme shall be determined with reference to the average wage of the aggregate of all the wage wherever he was continuously working for more than twelve months, subject to the wage ceiling defined in clause (89) of section 2 of the Code.

(5) The benefit under this scheme shall be further increased by twenty per cent in addition to the benefits admissible under sub-paragraph (1) or (3), as the case may be.

(6) In the event an employee who is a member of the Fund or of a Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, dies in service within six months of the last contribution received while still being on the rolls of the employer, such an employee shall get the assurance benefit as per this scheme.

**22. Assurance benefit to whom payable.** - (1) The nomination made by the member in accordance with the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 or under the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, shall be treated as nominations under this scheme and the assurance amount shall be payable to such nominee or nominees.

(2) If no nomination subsists or if the nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, or under the Provident Fund exempted under section 143 of the Code, as the case may be, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall become payable to the members of his family in equal shares.

(3) In any case to which the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) do not apply, the whole amount shall be payable to the person legally entitled to it.

- (4) If a person who is eligible to receive assurance benefit of the deceased member in terms of sub-paragraphs (1), (2) or (3) is charged with the offence of murder of the member or for abetment in the commission of such an offence, his claim to receive assurance benefit shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.
- (5) If on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is: -
- (a) convicted for the murder or abetting the murder of the member, he shall be debarred from receiving his share of deposit linked assurance benefit which shall be payable to other eligible members of the family; or
  - (b) acquitted of the charge of murder or abetment in the murder of the member, his share shall be payable to him.

*Explanation:* For the purpose of this paragraph, a member's posthumous child, if born alive, shall be treated in the same way as a surviving child born before the member's death.

**23. Mode of payment of assurance amount.** – (1) Every claimant shall file a claim to the Commissioner in the form and manner specified by the Central Provident Fund Commissioner, either online or offline, to claim payment under this Scheme.

(2) The payment shall be made to the person through electronic funds transfer system in savings bank account of any scheduled bank or co-operative bank (including an Urban Co-operative Bank) or in any post office as specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026.

(3) The claims, complete in all respects submitted along with the requisite documents shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within twenty days from the date of its receipt by the Commissioner.

(4) In case there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within twenty days from the date of receipt of such application.

(5) In case the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within twenty days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the set period and penal interest at the rate of twelve per cent. per annum may be charged on the benefit amount and the same may be deducted from the salary of the Commissioner.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Central Board may authorize, subject to such monetary ceiling as it may deem fit, the Commissioner or any other officer to make payment from the Insurance Fund to the nominee or the eligible beneficiary, as the case may be, without receipt of a claim.

**24. Registers, records, etc.** - The employer of an establishment shall maintain records and registers in the form and manner specified by the appropriate Government electronically or otherwise, containing such particulars and details with regard to persons employed, muster roll, wages and such other particulars and details pertaining to rules.

**25. Annual Report.**- The Central Board shall before the tenth of December approve and submit to the Central Government before the twentieth of December each year, a report on the working of this scheme during the previous financial year.

**26. Special provision for claims under Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976.-** Any person entitled to receive the assurance benefit under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 shall be entitled to receive the same benefits as was applicable on the date of eligibility of such benefit.

*Explanation:* If a member of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 dies before the commencement of this scheme, but the claim is received after the commencement of this scheme, the entitlement as per scheme applicable on the date of death of member would receive same benefit from the Insurance Fund as was entitled under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 unless otherwise specified by Central Government.

**27. Terms and conditions for grant of exemption. –** All exemptions from the provisions of this Scheme may be granted subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) the establishment making such an application for grant of exemption shall submit consent of majority of employees;
- (ii) an establishment seeking exemption or extension of exemption from the Employees Deposit Linked Insurance Scheme shall purchase Insurance Regulatory and Development Authority of India approved Group Insurance Policy for all its employees and employer shall certify in writing that the benefit is more beneficial than that is available in this scheme and that employees are not making any separate payment of contribution or premium;
- (iii) an establishment seeking exemption or extension of exemption from the Employees Deposit Linked Insurance Scheme shall apply at least six months in advance from the proposed date of exemption or expiry of exemption;
- (iv) the exemption granted under section 143 of the Code shall come into effect prospectively;
- (v) all employees, who were eligible to become members of the Provident Fund or Provident Fund granted exemption under section 143 of the Code, shall be enrolled as members of the Insurance Fund;
- (vi) the employer of the exempted establishment shall undertake to pay the assurance benefit which would have been payable to the employees' beneficiary, in the event that the Insurance service provider fails to pay such assurance benefit to the eligible beneficiary;
- (vii) where an employee or class of employees or establishment or class of establishment is exempted under the Code, the employer shall in respect of such employee or class of employees maintain such account, provide such facilities for inspection, and pay such inspection charges as the Commissioner may direct;
- (viii) the establishment exempted under this scheme shall submit monthly online return in the form appended to this scheme;
- (ix) all claims for assurance benefits shall be settled expeditiously within the time frame prescribed by the Employees' Provident Fund Organisation;
- (x) the exemption granted shall remain valid for a period of three years of its publication unless it is cancelled by the appropriate Government or surrendered by the establishment;
- (xi) any amendment to this scheme, which is more beneficial to the employees than the Insurance policy purchased by the establishment, shall be made applicable to them automatically pending formal

amendment of the policy by the Insurance service provider;

- (xii) the establishment exempted from the this Scheme shall facilitate inspection of the establishment by an Inspector cum-Facilitator and shall pay inspection charges at the rates the Central Government may notify;
- (xiii) in the event of any violation of the conditions for grant of exemption by the employee or employer, the exemption granted may be cancelled after issuing a show cause notice in this regard;
- (xiv) the Central Government or the Commissioner may provide any further condition for continuation of exemption.

**28. Renewal of exemption.** - (1) The application for extension of exemption already granted under Section 143 of the Code shall be made on the specified portal, at least six months before the expiry of exemption.

(2) The exemption shall stand renewed, provided that the condition for the grant for exemption continued to be satisfied by the establishment and the trust.

(3) The renewal shall continue to be in operation till the time conditions of grant of exemption continue to be satisfied by the establishment or till such time that the establishment makes an application for cancellation or surrender of exemption and same is accepted or the Appropriate Government issues an order giving reason therein specifying a date beyond which the order of renewal shall cease to operate and shall be void.

**29. Special provisions in respect of Employees' Enrolment Campaign, 2026.**— The Employees' Enrolment Campaign, 2026 specified in the Employees' Provident Funds Scheme, 2026 shall *mutatis mutandis* apply to this scheme.

**30. Transition provisions.** - (1) The establishments granted exemption under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 shall continue to be valid and such establishments may file an application for renewal.

(2) The establishments which do not fall under sub-paragraph (1) shall start complying as un-exempted establishment and start depositing monthly contributions from the 1st day of the month following the expiry of validity of the exemption or from the date of commencement of this scheme.

**31. Writing off of losses.** - The Central Board, where it is satisfied that the amount of contribution, cess, interest and damages due to it, under the Code, is irrecoverable, may, with due regard to the facts and circumstances of each case and the overall financial condition of the fund, write off such contribution, cess, interest and damages, as the case may be.

#### Form

[ See Paragraph 27(viii)]

(Online returns for any exempted establishment(s) / employee(s))

#### PART A: ESTABLISHMENT DETAILS

SI. No	Field Name	Field Type	Remarks
1	Establishment ID	Auto populated from database based on log in ID	For any change in the data the employer may send an email to
2	Name of the establishment		

3	Address	of the employer	the concerned RPFC along with documents.
4	PAN of the establishment	Data entry	The PAN and the Name as per PAN will be verified from the Income Tax Database.
5	Name of establishment as per PAN	Data entry	
6	Type of exemption.	Selection from a drop-down list	Employee, class of employees, whole establishment or class of establishment
	i. Notification number	Data entry	Mandatory field.
	ii. Notification date	Data entry	
	iii. Issued By	Data Entry	
	iv. Notification with effect	From . . to _____ Data entry	
7	Renewal of exemption.		
	i. Notification number	Data entry	
	ii. Notification date	Data entry	
	iii. Issued by	Data Entry	
	iv. Validity	From . . to _____ Data entry	
8	Branches having separate/Sub code	Click here link	The employer is required to list out all its branches having separate or sub code number. Employer can add new branch.

**PART B: INSURANCE PROVIDER DETAILS**

SI. No.	Field Name	Field Type	Remarks
1	Name of the Insurer	Data entry	The Name and Registration No. will be verified from the Insurance Regulatory and Development Authority of India Database.
2.	IRDA Registration No	Data entry	
3.	Address Line 1	Data entry	
	Line 2	Data entry	
	City	Data entry	
	District	Selection	
	State	Selection	
	PIN	Data entry	
4.	Name of the policy	Data entry	
5.	Policy number (UIN)	Data entry	
6.	Validity	Data Entry	From _____ to _____
7	Assurance benefit		
	Minimum	Data entry	
	Maximum	Data entry	
8	Policy exclusion, if any.	Data entry	

**Part C: (i). EMPLOYEES DETAILS (Monthly)**

SI. No.	Field Name	Field Type	Remarks
1.	Number of employees as on close of previous month	Data entry	One-time data entry (only in the first return). On the next month the number of employees as on close of previous month

			is automatically displayed.
2.	Number of employees who joined in the current month	Data entry	To be same as per ECR
3.	Number of employees who Exited/left during the current month	Data entry	To be same as per ECR
4.	Number of employees as at the end of current month	Display	Sum of (A+B-C) All types of employees are included.
5.	From Sl. No. 3 above, Number of Employees who died while in service.	Data entry	
6	Opening Balance of Claims	One time data entry	
	No of Claims received	Data entry	
	No of claims Settled	Data entry	
	No. of Claims pending	Display	Will carry as OB to next month
	Reason for pending claims	Data entry	

**Part C: (ii): ASSURANCE BENEFITS (Monthly)**

Sl. No	Name of member	UAN	Amount of assurance benefit paid	Date of payment
1				
2				
3				
4				

**Part C: (iii) GREIVANCES (Monthly)**

Sl. No.	GRIEVANCES		
1.	Opening balance	One time data entry	
2.	Grievances received in the month	Data entry	
3.	Net workload	Display	1 plus 2
4.	Grievances disposed	Data entry	
5.	% of grievances disposed	Display	4*100/3
6.	Closing balance	Display	Will carry as OB to next month
7.	% of Grievances pending	Display	6*100/3

**Notes/Instructions:**

- Data entry in part C will be allowed only when the Part A and B are filled in.
- Part C are to be filled in by all establishments each month.
- Once the date is saved, it can be edited later when there is any change in the date by click of the EDIT Button.
- However, the following data cannot be edited:
  1. Name and address of the establishment. If any change is there the employer is required to request the concerned PF Office with supporting documents so that the data is first changed in the EPFO Application and it will be updated on the Unified Portal at the level of APFC.
  2. The PAN and name as per PAN of the establishment if the data is verified and the status is shown as verified.
  3. Selection of the section/paragraph regarding the notification and the details of such order, as the start month of the return is based on the 'with effect from' - date of exemption.

[F. No. `S-35026/06/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.